बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची **पृष्ठ सं.**

संपादकीय 2

अनुचिंतन 4

लेख

- बदलते परिवेश में जोखिम प्रबंधन – विनय बंसल बंसल 6
- जोखिम पर आधारित बैंक पर्यवेक्षण – दीपक सिंह नागी 12
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण – – एक दृष्टिकोण श्यामलाल गौड़ 19
- समेकित जोखिम प्रबंधन – यू. एस. पालीवाल 24
- पूंजी पर्याप्तता और जोखिम का संबंध – सीआरएआर की गणना के लिए डॉ. राजेश्वर गंगवार 30
  जोखिम भार (परिपत्र)
- साख जोखिम – के. प्रसाद 44
- ऋण जोखिम प्रबंधन – प्रह्लाद सबनानी 47
- पूंजी पर्याप्तता और कंप्यूटरीकृत वातावरण में जोखिम प्रबंधन आर. डी. धुर्वे एवं सुनील कांदलगांवकर 51
- बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम – डॉ. शरद कुमार 57
- कंप्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण में जोखिम प्रबंधन – एस. जी. नाडगोंडे 59
- आस्ति देयता प्रबंधन – ओम प्रकाश अग्रवाल 62

  बैंकों में आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली – भा. रि. बैं. के दिशा–निर्देश श्वेतांक मौर्य 65
- जोखिम प्रबंधन एवं लाभ आयोजना – सुबहसिंह यादव 69

बैंकिंग परिदृश्य 74

- कंप्यूटर परिभाषा कोश 87

महत्वपूर्ण परिपत्र 91

पुस्तक समीक्षा 96

लेखकों से / पाठकों से 100

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

लगभग तीन दशक पूर्व तक विश्व के बैंक केन्द्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित परिवेश में काम करते थे। जैसे-जैसे बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव हुआ व बैंकों ने पाया कि व्यापार में बने रहने के लिये उसमें निहित जोखिमों को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत में बैंकों को स्वायतत्ता देने का क्रम पिछले एक दशक से प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ, बैंकों को प्रतिस्पर्धा झेलने हेतु सुदृढ़ बनाने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने धीरे-धीरे आस्ति देयता प्रबंधन प्रारंभ किया है तथा निकट भविष्य में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण प्रारंभ किये जाने की भी योजना है। जहां आस्ति देयता प्रबंधन बैंकों को बैंकिंग के मूल जोखिम-तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन की ओर अग्रसर करता है, वहीं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (या उससे जुड़ा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा) बैंकों को उनकी समस्त क्रियाओं में निहित जोखिमों को एक नये दृष्टिकोण से देखने के लिये प्रेरित करता है।

ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में जोखिम नहीं थे। तरलता जोखिम तथा ऋण जोखिम तो भारतीय बैंकों ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही झेले थे। इसमें कुछ बैंक जहां अन्य बैंकों में विलय हो गये, वहीं कुछ अन्य बैंकों का अस्तित्व ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। जोखिम हर व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है और बैंकिंग इन सबसे अलग नहीं है। कोई भी व्यवसाय जोखिम लिये बिना लाभ नहीं उठा सकता। आवश्यकता यह देखने की है कि जोखिम उतना ही उठाया जाये जिसे पूँजी समर्थन दे सके। इससे अधिक जोखिम जहाँ आधारभूत आर्थिक सूचकों के प्रतिकूल जाने पर बैंक के अस्तित्व पर प्रश्न लगा सकता है, वहीं कम जोखिम उठाने का अर्थ होगा कि प्रबंधन नीतियों के कारण पूँजी सम्भाव्य लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। परन्तु इसके लिये आवश्यकता है - जोखिम को मापने की।

पिछले दो दशकों में बाज़ार जोखिम (जिसमें ब्याज दर, विदेशी मुद्रा, इक्विटी व पण्य जोखिम सम्मिलित हैं) व ऋण जोखिम को मापने की कई विधियाँ सामने आई हैं। ये विधियाँ अन्तर्निहित आस्तियों के बाज़ार मूल्य में संभावित बदलाव को विभिन्न विधियों से मापने का प्रयास करती हैं । स्थायी बाज़ारों में जहाँ ये विधियां जोखिम को किसी हद तक मापने में सक्षम रही हैं, वहीं बाज़ारों के आपवादिक अस्थायी व्यवहार की स्थिति में , जैसे कि 1997 में दक्षिण-पूर्व एशिया में, यह विधियाँ अव्यावहारिक रही हैं। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाज़ार जोखिम व ऋण जोखिम को मापने एवं बचाव के लिये साधन (मॉडल द्वारा परिकल्पना, डेरीवेटिव्स तथा अन्य विधियाँ) काफी हद तक सहायक होते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन साधनों के प्रयोग के

लिये उत्तम दर्जे का विश्लेषण एवं नियन्त्रण आवश्यक है जिसकी अनुपस्थिति में बैंक परिचालन जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। देखा जाये तो ऑरेन्ज कॉउन्टी, बेयरिंग्स बैंक, दाइवा बैंक तथा सुमिटोमो कार्पोरेशन आदि में हुई चौंका देने वाली हानियाँ बाज़ार जोखिम नहीं वरन नियंत्रण की अनुपस्थिति में हुआ परिचालन जोखिम ही है।

किसी भी संगठन में परिचालन जोखिम से बचाव के लिये उच्च श्रेणी की प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, संबंधित प्रक्रियायें, कार्पोरेट संस्कृति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसमें सबसे अधिक आवश्यक है कार्पोरेट संस्कृति। कोई भी संगठन जोखिम को तभी नियंत्रित कर सकता है जब उसके सदस्य उसे नियंत्रित करना चाहें। इस प्रक्रिया में नियंत्रक की भूमिका सीमित है। नियंत्रक केवल बैंक को जोखिम प्रबंधन के लिये उपयुक्त सूचना प्रणाली अपनाने या बीमा लेने के लिये ही दबाव डालने के लिये कह सकता है परन्तु वह किसी संस्था को प्रभावी जोखिम प्रबंधन अपनाने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

बैंक का निदेशक मंडल जोखिम नीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जोखिम नीति निर्धारण करने के अतिरिक्त कार्पोरेट संस्कृति की स्थापना में मार्गदर्शक तथा उत्प्रेरक का कार्य करता है। सकारात्मक जोखिम संस्कृति वैयक्तिक उत्तरदायित्व को भी प्रोत्साहित करती है और सही जोखिम लेने को बल प्रदान करती है। कोई भी तब तक जोखिम को संचालित नहीं कर सकता जब तक कि वह उस जोखिम को लेने के लिए तत्पर न हो।

'जोखिम' एक निश्चित अर्थवाला शब्द है और इसकी छाया में बहुत सी चुनौतियां बैंकिंग क्षेत्र के सामने उभर कर आई हैं। इन चुनौतियों ने हमारे बीच एक नई सोच पैदा की है ताकि न केवल वर्तमान में इनका मुकाबला किया जाए बल्कि आने वाले समय में विश्व में प्रतिस्पर्धा को झेलने के लिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र को तैयार किया जा सके। यह विशेषांक इन्हीं परिस्थितियों का एक दर्पण है। आशा है यह अंक अपने उद्देश्यों में सफल होगा।

आपका
सी. आर. गोपालसुदरम्

अनुचिंतन

मैंने यह अंक भी आद्योपांत देखा । बहुत अच्छा लगा। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इस पत्रिका का उत्कृष्ट स्तर बनाए रखा है । इस पत्रिका का न केवल मुद्रण और साज-सज्जा आकर्षक तथा सुरुचिपूर्ण है बल्कि इसमें संकलित सामग्री भी ज्ञानवर्धक तथा उच्च कोटि की है जो कि आप जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की होनी भी चाहिए । मुझे आशा है कि आप इस पत्रिका को और भी उपयोगी एवं सुन्दर बनाते हुए नियमित रुप से प्रकाशित करते रहेंगे तथा मुझे भी भिजवाते रहेंगे ।

कृष्ण कुमार ग्रोवर
पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति
एवं सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
एफ.बी.16,टैगोर गार्डन
नई दिल्ली - 110 027

इस पत्रिका के प्रारंभ से ही इससे जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त रहा है । अतः एक लंबे अंतराल के बाद पत्रिका देखकर विशेष प्रसन्नता हुई । इस अंक के सभी लेख स्तरीय हैं और बैंकों की व्यावहारिक समस्याओं पर आधारित हैं । आपके संपादकीय में दिए " बेकॉन 2001" के परिचय से भी बैंकिंग की अभिनव समस्याओं पर अच्छा प्रकाश पड़ा है । " वर्ष भर की महत्वपूर्ण गतिविधियां" संक्षेप में पढ़कर जैसे पूरा वर्ष ही साकार हो जाता है । इस अंक को प्रस्तुत करने में आप लोगों ने जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं संपादक मंडल का अभिनंदन करता हूं ।

डॉ. रवींद्र अग्निहोत्री
सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति
भारत सरकार,वित्त मंत्रालय
मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.) 250 110

हमारा सुझाव है कि पत्रिका की बाह्य साज-सज्जा व आवरण पृष्ठ को और अधिक आकर्षक बनाया जाए । पत्रिका के अन्तः पृष्ठों का कागज भी हल्के किस्म का है अतएव इसके स्थान पर बढ़िया जीएसएम किस्म का कागज इस्तेमाल किया जाए, कुछ पृष्ठों में रंगीन कागज का इस्तेमाल किया जाए तो पत्रिका अधिक आकर्षक एवं सुंदर बन जाएगी ।

रंजन कुमार बरन
उप प्रबंधक (राज.)
राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली - 110 003

श्रीमानजी ने मेरी छोटी सी प्रार्थना पर विचार करके मुझे पत्रिका के अंक पुनः उपलब्ध कराने की कृपा की इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं । मेरे शोधकार्य को इस उपयोगी पत्रिका से निरंतर अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहे ऐसी व्यवस्था के लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा ।

धर्मनारायण माथुर
18/51, सुदर्शन भवन
चौपासनी हा. बोर्ड कॉलोनी
जोधपुर (राजस्थान) - 342 008

विगत दिनों आपकी पत्रिका " बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " पब्लिक लायब्रेरी में पढ़ने को मिली । पढ़कर प्रसन्नता हुई । इसको पेपर पर बंद करके इंटरनेट पर निकाला जा रहा है यह सुखद एवं दुखद दोनों ही है । रिसर्च शोध या संदर्भ ग्रंथ का इंटरनेट पर प्रकाशन उचित नहीं है क्योंकि आज भी जहां महानगरों में इंटरनेट घर-घर हो चुका है या 5 या 10 रु. घंटा है वहीं छोटे कस्बों एवं गांवों में इसकी कीमत 50-60 रु. प्रति

घंटा है । इस संदर्भ में इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

गोपाल गावशिंदे
मागेश्वर मार्ग
खरगोन, मध्य प्रदेश

हिंदी क्षेत्र के लिए अत्यंत बहुमूल्य पत्रिका का प्रकाशन बंद होने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि हर व्यक्ति वेबसाईट पर नहीं देख सकता है । जबकि प्रकाशित पत्रिका को पढ़ पाना आसान है और उपलब्ध मैटर को भविष्य के लिए सुरक्षित रख पाना भी संभव है । अतः आपसे अनुरोध है कि वेबसाईट पत्रिका के अलावा भी पुनः पत्रिका प्रकाशित की जाए ताकि हिंदी भाषी लोग बैंकिंग से संबंधित नवीनतम ज्ञान प्राप्त करते रहें ।

मनीधर त्रिवेदी
89/2 मैत्री नगर
भिलाई - 490 006

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन पत्रिका मैं निरंतर पढ़ता रहा हूं । बैंकिंग से संबधित इससे बेहतर पत्रिका दूसरी नहीं है । यह सभी कमियों को पूरा करती है । बैंक की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से वहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है । यदि इसे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा जाएगा तो काफ़ी ग्रामीण व अर्धग्रामीण बैंक कर्मियों को निराश होना पड़ेगा । अतएव हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बैंक कर्मियों की मुश्किलों को ध्यान में रखकर इसे प्रकाशित करते रहना चाहिए । मेरे विचार से जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति को शुद्ध वायु की जरुरत होती है ठीक उसी प्रकार सफलता के लिए बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का अध्ययन चाहिए ।

राज कपूर
पंजाब नैशनल बैंक
शाख बुटाना
जिला सोनीपत (हरियाणा)

मैं ऐसे गांव में रहता हूं जहां अभी तक फोन की सुविधा भी नहीं है और मेरा गांव सड़क से भी 5 कि.मी. पैदल रास्ते पर स्थित है । अतएव मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रत्रिका का प्रकाशन बंद न करें ताकि देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक भी यह उपयोगी पत्रिका पाठकों को मिलती रहे ।

रमेशचंद्र वर्मा
गांव व डाक लगौटी
जिला कुल्लू
(हिमाचल प्रदेश)

सबसे पहले बैंकिंग पर आधारित आधुनिक, अनमोल और अद्यतन पत्रिका ' बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' को मुद्रित रूप में उपलब्ध कराने तथा इसका प्रकाशन बंद न कराने के आपके निर्णय के लिए धन्यवाद । हिंदी भाषा में इससे अच्छी, सरल और शानदार पत्रिका हो ही नहीं सकती । अप्रैल-जून 2002 अंक पढ़ने के बाद लगा कि यह पत्रिका गागर में सागर वाली कहावत को चरितार्थ करती है । श्री अपूर्व कुमार द्वारा लिखित लेख ' बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों और कैसे' पढ़कर नई बातों की जानकारी मिली । साथ में श्री उत्सव धोलकिया द्वारा लिखित ' बैंकिंग उद्योग में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या 'अपने आप में सराहनीय लेख है । हम जैसे कर्मचारी जो जेएआईआईबी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए भी यह पत्रिका कारगर साबित हो रहा है । मेरी ओर से इस खूबसूरत पत्रिका के लिए दो शब्द :

हो प्रगति के पथ पर अग्रसर यही है मेरा ईश्वर से वंदन
और कोई नहीं यह तो है अपनी सरल
पत्रिका ' बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'

समीर कुमार
देना बैंक
प्रधान कार्यालय
मुंबई - 400 005

बदलते परिवेश में जोखिम प्रबंधन

विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक
जयपुर हाउस, आगरा

किसी घटना के घटित होने या घटित न होने के कारण होने वाली सम्भाव्य हानि को जोखिम कहते हैं । बैंकिंग में जोखिम एक अंतर्निहित और अपरिहार्य तत्व होता है । जमाराशियों का स्वीकार किया जाना, ब्याज दर विनिमय आदि जोखिम के सामान्य उदाहरण है । किसी बैंक को ग्राहकों की तरफ से तथा स्वयं अपनी तरफ से कार्य करते हुए, इन लेनदेनों से जुड़े कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है । **विवेकशील बैंकिंग**, इन समस्याओं की पहचान करने, इनका मूल्यांकन करने और इनमें कमी करने में निहित होती है । एक प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश में किसी बैंक की प्रतिलाभ दर, इसके जोखिम प्रबंधन के कौशल से व्यापक रूप से प्रभावित होती है ।

हम देख चुके हैं कि बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कॉमर्स इण्टरनेशनल, बेयरिंग्स बैंक, डाइवा बैंक जैसे व्यावसायिक संगठन समाप्त हो गये क्योंकि उनके उच्च प्रबन्धन ने जोखिम प्रबंधन नीति पर ध्यान नहीं दिया । यदि समुचित रूप से प्रबंध न किया जाये तो जोखिम किसी भी संगठन के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं ।

" जोखिम प्रबंधन गंतव्य नहीं, अपितु एक यात्रा है । यह एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं अपितु आजीवन अपनाई जाने वाली पद्धति है, जिसे बार - बार लागू किया जाना आवश्यक है ।"

पहले बैंक नियंत्रित परिवेश में काम करते थे । जमा व ऋण की ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थीं । अब वित्तीय क्षेत्र को ब्याज दर निर्धारण आदि मामलों में और अधिक स्वायत्ता दिये जाने से वित्तीय मध्यस्थों के समक्ष जोखिम की चुनौती उत्पन्न हो गयी है । एक दशक पहले की तुलना में अब बैंकिंग कारोबार अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है । जोखिम की किस्मों में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है ।

जोखिम केवल **व्युत्पन्नी प्रपत्रों** से नहीं आता है, यह नियंत्रण के आज उपलब्ध अनेक स्रोतों से उत्पन्न होता है । इनमें व्युत्पन्नी, रीपोज़, प्रतिभूति, ऋण और **संरचित प्रपत्र** शामिल हैं । इनके कारण बाजार में तरलता बढ़ गई है और इससे बैंकों व वित्तीय मध्यस्थों को अपने अनेक जोखिमों को कुशलता से सम्भालने में सहायता मिलती है । तथापि इनका नियन्त्रण गलत हाथों में जाने पर ये किसी संगठन को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं । विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया से जुड़े जोखिम से सम्बधित उदाहरण 1997 में आये पूर्वी एशिया के संकट से लिये जा सकते हैं ।

जोखिम के प्रकार

बैंकों एवं अन्य वित्तीय मध्यस्थों को जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे-वित्तीय जोखिम एवं गैर वित्तीय जोखिम, अपरिहार्य जोखिम एवं **परिहार्य जोखिम**, सुव्यवस्थित जोखिम एवं **अन्तरस्थ जोखिम** ।

ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, आकस्मिक जोखिम आदि वित्तीय जोखिम के प्रकार हैं जबकि परिचालन जोखिम, प्रतिस्पर्धा जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, **व्यापार परिवेश जोखिम** आदि गैर वित्तीय जोखिम के अन्तर्गत आते हैं । अपरिहार्य जोखिम में वे सभी जोखिम सम्मिलित होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता है और किसी भी **वित्तीय मध्यस्थ** के लिए इस प्रकार का जोखिम लेना आवश्यक है । परिहार्य जोखिम से अभिप्रायः उस जोखिम से है, जिसे प्रथमतः किसी भी संगठन को उठाना नहीं चाहिए और जिसे उपयुक्त दूरदर्शिता के माध्यम से आसानी से रोका जा सकता है । ऑरेंज कांउटी (नवम्बर 1999) को 1.7 बिलियन डालर का घाटा,बेयरिंग्स

बैंक (फरवरी 1995) को 1.5 बिलियन डॉलर का घाटा, डाइवा बैंक (सितम्बर 1995) को 1.1 बिलियन डॉलर का घाटा और सुमीटोमो कॉरपोरेशन (जून 1996) को 1.8 बिलियन डॉलर का घाटा परिहार्य जोखिम के उदाहरण हैं ।

सुव्यवस्थित जोखिम से अभिप्रायः उस जोखिम से है जो कम या अधिक सभी व्यावसायिक इकाइयों को प्रभावित करती हैं । सकल घरेलू उत्पाद,ब्याज दर, मुद्रा प्रसार की दर आदि आर्थिक घटकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं और यह किसी एक फर्म या संस्था के नियंत्रण से बाहर होते हैं । अन्तरस्थ जोखिम से अभिप्रायः उस जोखिम से है जो केवल एक इकाई को प्रभावित करता है । इस प्रकार के जोखिम प्रत्येक इकाई के लिए अनन्य (यूनिक) होता है । किसी नये उत्पाद का प्रवेश, इकाई में श्रमिक हड़ताल, किसी नये प्रतिस्पर्धी का प्रवेश आदि घटकों के कारण इस प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं ।

अन्य प्रकार से कहें तो बैंकिंग में अन्तर्निहित प्रमुख जोखिम निम्नलिखित हैं -

1. ऋण जोखिम - ऋण जोखिम का अर्थ है कि प्रतिपक्ष की गलती से **ऋणान्वयन निवेश** आदि पर होने वाली हानियों से सम्बन्धित जोखिम । हम जानते हैं कि बैंक, जिन लोगों के पास अतिरेक संसाधन होते हैं और जिन लोगों को इन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं । निवेशक, प्रयोगकर्ता के द्वारा की गयी चुक का जोखिम नहीं लेना चाहता है । बैंक इस प्रकार का जोखिम लेते हैं और निवेशक (जमाकर्ता) को तुरन्त पुनर्भुगतान करते हैं । इसके बदले में बैंक ब्याज मार्जिन (ऋणी से वसूल किये गये ब्याज और जमाकर्ता को भुगतान किये गये ब्याज का अंतर) अर्जित करते हैं । ऋण जोखिम अर्जन की स्थिरता से जुड़ा है जो ग्राहकों के दायित्व से उत्पन्न होता है ।

> *"किसी जोखिम की पहचान हो जाने पर बैंक के समक्ष यही अवलंब रह जाता है कि वह कुछ प्रभावी कार्रवाई करे ताकि उस विशिष्ट जोखिमपूर्ण घटना के कारण होने वाली हानि को कम किया या रोका जा सके "*

2. मूल्य जोखिम - इसमें आस्तियों और देयताओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है ।

3. तरलता जोखिम - यह किसी लिखत अथवा आस्ति की तरलता के अभाव में होने वाली जोखिम है अथवा यह मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण बाजार में आस्तियों का परिसमापन करते समय उठायी जाने वाली सम्भावित हानि है । यदि बैंक का देयता पोर्टफोलियो आस्ति पोर्टफोलियो की तुलना में तेजी से परिपक्व होगा तो बैंक समय पर चुकौतियों, नकदी आहरणों तथा अन्य वचनबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगा ।

4. ब्याज दर जोखिम - ब्याज दर जोखिम निवल ब्याज आमदनी की अति संवेदनशीलता से जुड़ा है और पोर्टफोलियो ब्याज दरों में परिवर्तनों से उत्पन्न स्थिति को दर्शाता है । इस प्रकार का जोखिम परिपक्वता और ब्याज दर संरचना के बीच तालमेल न होने की स्थिति में उत्पन्न होता है । ब्याज दर में **उच्चावचन तरलता** संकट पैदा कर सकता है ।

5. परिचालनगत जोखिम - परिचालन के जोखिम में प्रौद्योगिकी, श्रम-शक्ति, क्रियाविधियों आदि सहित परिचालनगत प्रक्रियाओं से उत्पन्न जोखिम शामिल होता है । यदि प्रणाली व प्रक्रियाएँ ठीक ढंग से काम न करें तो निधि एवं मूल्य का नुकसान होता है । विभिन्न संगठनात्मक कार्यों में समन्वय के अभाव में परिचालनगत जोखिम उत्पन्न होता है।

6. निर्गमकर्ता जोखिम - लिखत जारी करने वाली संस्था की वित्तीय स्थिति और स्थायित्व इसके मूल्यों तथा वसूली की स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। कॉरपोरेट निकायों द्वारा जारी लिखतों में निहित जोखिम इसका एक उदाहरण है ।

7. लिखत जोखिम - बाजार के कई मिश्रित लिखतों और बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव आने से विभिन्न प्रकार के लिखतों के मूल्य एक दूसरे से अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं ।

8. विनिमय दर जोखिम - व्युत्पन्न लिखत अर्थात स्वैप, फारवर्ड कांट्रैक्ट आदि इसके उदाहरण हैं । बैंक की देयताओं का एक हिस्सा विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित होता है । इस पोर्टफोलियो की गुणवत्ता विनिमय दरों के परिवर्तन से प्रभावित होती है ।

विदेशी मुद्रा उधार राशियाँ बैक-टू-बैक आधार पर या विदेशी मुद्रा देयताओं के कोष पर आगे उधार देने के लिए प्रयुक्त होती हैं । इसमें विनिमय दर जोखिम बना रहता है । आज ग्राहक एक बटन दबा कर बिलियन डॉलर की रकम एक देश से दूसरे देश में अंतरित कर सकते हैं । यदि विदेशी निवेश को अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत अधिक विकास का इंजन माना जाता है, तो वह थोड़ा जोखिमपूर्ण भी है ।निधियाँ तुरन्त वापिस निकाली जा सकती हैं । किसी मुद्रा की माँग शान्तिपूर्ण खरीद के स्वरूप से सहसा बदलकर घबराहट में बिक्री का रूप ले सकती है ।

9. प्रौद्योगिकी जोखिम - अप्रचलन, बेमेल, व्यवधान, प्रतिस्पर्धियों द्वारा अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाने आदि के कारण इस प्रकार का जोखिम उत्पन्न हो सकता है ।

10. विलयन जोखिम - अधिकाधिक **विलयन और अधिग्रहण** जैसी गतिविधियों के कारण छोटे आकार के बैंकों के बन्द हो जाने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है । आजकल विश्व में बड़े आकार वाले बैंकों की अधिकाधिक स्थापना होती जा रही है । इन बैंकों के कारण छोटे आकार के बैंकों के समक्ष प्रतिस्पर्धा के रूप में खतरा उपस्थित होता जा रहा है ।

11. मानव संसाधन जोखिम - विशेषीकृत ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों द्वारा संस्था को छोड़ कर चले जाने के कारण इस प्रकार का जोखिम उत्पन्न होता है । श्रमिक अशान्ति, हड़ताल, तालाबन्दी, शीर्ष कार्यपालकों में विद्यमान विवाद, उत्प्रेरण का अभाव, अपर्याप्त कौशल, सक्षम कार्यपालकों द्वारा सामूहिक रूप से त्यागपत्र आदि के कारण मानव संसाधन जोखिम उत्पन्न हो सकता है ।

12. प्रत्ययी जोखिम - आकस्मिक देयताओं से उत्पन्न होने वाला जोखिम प्रत्ययी जोखिम कहलाता है । प्रत्ययी जोखिम के संकेतक, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं के बीच का सहसंबंध तथा कुल उधार राशि (गैर-निधि आधारित सुविधाओं) और पूँजी संरचनाओं पर इसके प्रभाव हो सकते हैं ।

13. विधिक जोखिम - कानून में कोई परिवर्तन किये जाने के कारण उत्पन्न जोखिम को विधिक जोखिम कहते हैं ।

14. आपदा जोखिम - इस प्रकार की जोखिम उन घटनाओं के घटित होने पर उत्पन्न होती है जो सम्बन्धित पक्षकारों के नियन्त्रण से बाहर होती हैं । जैसे युद्ध, दंगा, प्राकृतिक आपदा आदि ।

15. विनियमन जोखिम - बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार के जोखिम का एक उदाहरण है ।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक जोखिम, अपराध जोखिम, कर जोखिम, भौतिक जोखिम, व्यवस्थापक जोखिम आदि पचास से अधिक प्रकार के जोखिम हैं । उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण के इस युग में बैंकों को कई ऐसे जोखिमों का सामना करना पड़ेगा जिनका प्रबन्धन प्रभावी ढंग से किया जाना अपेक्षित है ।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन तत्व सम्मलित हैं -

1. जोखिम की पहचान
2. जोखिम मापन
3. जोखिम नियन्त्रण

जोखिम की पहचान - बैंकिंग के सन्दर्भ में जोखिम की पहचान करने में किसी उत्पाद अथवा सेवा के लेनदेन अथवा प्रकार से जुड़े प्रत्येक जोखिमों का नाम ज्ञात करना और उनकी व्याख्या करना शामिल होता है । जोखिम की पहचान करने की व्याख्या ऐसी कला के रूप में की जा सकती है, जिसमें संस्था के साथ, जाँच सूचियों, रिपोर्टों, वैयक्तिक निरीक्षणों और साक्षात्कारों जैसे सूचना एकत्र करने के औपचारिक साधनों को सम्मिलित करना शामिल होता है, जिससे उत्पाद अथवा स्थिति से जुड़े हुए जोखिम की पहचान की जा सके ।

अत्यधिक छोटे आकार के बैंकों के मामले में जोखिम की पहचान करने की किसी औपचारिक मशीनरी की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है । तथापि बड़े बैंकों के मामले में संचार की लम्बी श्रृंखला के साथ जोखिम पहचानने की एक औपचारिक प्रणाली आवश्यक हो सकती है । पश्चिमी देशों के कई बैंकों ने " जोखिम प्रबंधन समिति " गठित करने की एक प्रणाली विकसित की है, जिसमें बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने प्रमुख कार्य क्षेत्रों के जोखिमों का प्रबंध करने के लिए शामिल किया जाता है । जोखिम प्रबंधन समितियाँ, किसी संगठन की संभावित हानि के रूप में जोखिम को मुद्रा के परिमाण की शर्तों में अथवा **संस्थात्मक आस्तियों** के रूप में परिभाषित करती हैं । संभाव्य जोखिम परिदृश्य की माप भी " अधिकतम संभाव्य हानि " की शर्तों में अथवा " अधिकतम अनुमानित

हानि" की शर्तों में की जाती है और इस प्रकार जोखिम की मात्रा ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है ।

किसी जोखिम के हानिकारक सिद्ध होने से पूर्व ही उसका पता लगाने के लिए एक समुचित जोखिम नेटवर्क की पहचान करना और उस प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखना आवश्यक है । जोखिम के संबंध में पर्याप्त जानकारी , संस्था के अंदर " जोखिम के अंशों " की पहचान करने की संभावना प्रदान करती है । " जोखिम के अंश " एङ विलियम्स द्वारा सृजित एक अवधारणा है जिसकी व्याख्या लेनदेनों की एक ऐसी शृंखला के रूप में की जा सकती है, जिसके जोखिम के सामान्य लक्षण होते हैं । " जोखिम के अंशों " का एक उदाहरण निधि प्रदान करने से संबंधित जोखिम और ब्याज जोखिम है, जो किसी संस्था के ऋण एवं निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावित करता है ।

जोखिम मापन

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण जोखिम का माप करना अथवा जोखिम निर्धारित करना है । जोखिम निर्धारण का अर्थ, विभिन्न परिदृश्यों में किसी संभाव्य हानि की मात्रा, संभाव्यता और उसके समय का अनुमान लगाने से है । जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया का यह सबसे कठिन चरण है और इसकी प्रणालियों, अशुद्धीकरण की मात्राओं तथा लागतों में भारी अंतर हो सकता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन जोखिम मापने का एक अच्छा उदाहरण है । आस्ति-देयता विश्लेषण, पोर्टफोलियो की आय की ब्याज दरों अथवा उसके मूल्य में होने वाले कल्पित परिवर्तन के संभाव्य प्रभाव का अनुमान प्रदान कर सकता है । कई प्रकार के परिवर्तन का विश्लेषण करके कोई व्यक्ति पोर्टफोलियो में निहित जोखिम की मात्रा का पूर्वानुमान लगा सकता है ।

कुछ जोखिमों के लिए जहाँ कई जोखिम प्रबंधन लिखतें उपलब्ध हैं वहीं विदेशी मुद्रा लेनदेनों, ब्याज दर जोखिमों आदि (यथा भावी सौदे, भविष्य के लिए विकल्प विनिमय सौदे, वायदा संविदा आदि) ऋण पोर्टफोलियो के साथ जुड़े हुए जोखिमों का प्रबंध करने की लिखतें तैयार करना इस पोर्टफोलियो की जटिलता के कारण अत्यधिक दुष्कर कार्य है । तथापि ऋण पोर्टफोलियो बैंक का एक प्रमुख आस्ति पोर्टफोलियो होने के कारण, कॉरपोरेट ऋणियों से जुड़े जोखिमों की पहचान करना आवश्यक हो जाता है ।

ऋण जोखिम प्रबंधन के 4 मुख्य तरीके हैं-बुद्धिमतापूर्ण ऋण निर्णय, ऋण की उचित ब्याज दर, ऋण की राशनिंग, ऋण राशि का बिखराव ताकि धन का संकेन्द्रण न हो ।

जोखिम नियंत्रण

जोखिम घटकों की पहचान और उनका निर्धारण करने के पश्चात अगले चरण में जोखिम पर नियंत्रण करना शामिल है । जोखिम नियंत्रण हेतु उपलब्ध विकल्प निम्नवत् हैं :

1. प्रभाव पड़ने से बचाव करें ।
2. इसकी बारंबारता अथवा तीक्ष्णता को कम करके इसके प्रभाव में कमी करें ।
3. जोखिमयुक्त क्षेत्र में संकेन्द्रण से बचें ।
4. जोखिमों से सुरक्षा करने हेतु जोखिम प्रबंधन लिखतें कार्य में लायें ।

जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

अब भारतीय बैंकों के लिए कार्यकुशल और प्रभावी ढंग से जोखिमों का प्रबंधन करना आवश्यक हो गया है । किसी जोखिम की पहचान हो जाने पर बैंक के समक्ष यही अवलंब रह जाता है कि वह कुछ प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि उस विशिष्ट जोखिमपूर्ण घटना के कारण होने वाली हानि को कम किया या रोका जा सके । जोखिम निर्धारण की प्रभावी कार्यविधियों और सूचना प्रणालियों को सही परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप जोखिम से बचने के लिए सामयिक उपाय किए जाने में सहायता प्राप्त होगी । जोखिम प्रबंधन गंतव्य नहीं, अपितु एक यात्रा है । यह एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं, अपितु आजीवन अपनाई जाने वाली पद्धति है, जिसे बार-बार लागू किया जाना आवश्यक होता है । समय-समय पर ध्यान में आने वाले नये जोखिमों के प्रबंधन हेतु नयी जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाई जानी भी आवश्यक होती हैं । उदाहरण के तौर पर ऋणों की चुकौतियों एवं जमाराशियों के समय-पूर्व बंद किए जाने के प्रभावों का पता लगा कर नकदी प्रवाह की स्थिति का वास्तविक रूप से नियमित आधार पर अनुमान लगाते हुए, मौसमी आवश्यकताओं, भावी वृद्धियों आदि को उचित महत्व प्रदान करके नकदी निधि की स्थिति का गतिशील ढंग से अनुमान लगाते हुए और बैंक-वार एवं बाजार-वार संकट से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में नकदी निधि की उपलब्धता का समुचित अनुमान लगा कर नकदी निधि से

सम्बन्धित जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है ।

इसी प्रकार ऋण जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु काफी लम्बी अवधि के ऋण चक्रों तक विस्तारित उपयुक्त आंकड़े और ऐतिहासिक रूप से ऋणगत हानि की दरों तथा उनमें होने वाले प्रतिरूपी परिवर्तनों के विवरण तैयार कर लिये जाने चाहिए । दूसरी ओर बाहरी वातावरण में तेजी से परिवर्तन होने की स्थिति में दबाव परीक्षण, परिदृश्य विश्लेषण तथा त्वरित पोर्टफोलियो पुनरीक्षण सम्बन्धी पद्धतियाँ भी लागू की जानी चाहिए । तीसरे उपाय के रूप में (क) विनिर्दिष्ट रेटिंग श्रेणियों में प्रदान किए गये समग्र ऋण की परिमाणामक अधिकतम सीमा, (ख) विभिन्न प्रकार के उद्योगों, कारोबार क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित उधारकर्ताओं का रेटिंग के अनुरूप विभाजन (ग) उद्योग, सेक्टर, क्षेत्रवार जोखिम निर्धारण (घ) ऋणों की लक्ष्यांकित-रेटिंग वार मात्रा, संभाव्य चूक तथा प्रावधानीकरण आवश्यकताओं का निर्धारण भी कर लिया जाना चाहिए ।

जोखिम प्रबंधन से सम्बन्धित यात्रा की दृष्टि से अगला उपाय होता है जोखिम का बजट निर्धारण । जोखिम बजट निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण होने वाली हानि का पता लगाया जाता है , अर्थात् जोखिम वहन-क्षमता के स्तर निर्धारित किए जाते हैं । बजट निर्धारण प्रणाली के तहत यह जानने के लिए कि हानि नियंत्रणाधीन है या नहीं और यह जोखिम वहन-क्षमता के भीतर है या नहीं, इस आशय की निगरानी भी रखी जाती है । यदि वह निर्धारित सीमाओं से अधिक है, तो उसे जोखिम वहन-क्षमता स्तरों के भीतर रखने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं ।

हमारे देश में जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली आरम्भ किए जाने की भी आवश्यकता है । पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे इस बात की निगरानी रखें कि बैंक ठोस जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं कार्यविधियों का अनुपालन कर रहे हैं तथा आचारगत एवं व्यावसायिक मानदण्डों का निरंतर आधार पर अनुसरण कर रहे हैं । पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुचित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है । इससे बैंकों को समस्याओं के उपस्थित होने के पूर्व ही उनसे बचने के उपाय करने में सहायता प्राप्त होती है ।

बैंकों को चाहिए कि वह एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करें जसमें तीन-चार कार्यपालक निदेशक शामिल हों । यह समिति समग्र जोखिम प्रबंध नीति और समीक्षा के कार्य के केन्द्र बिन्दु के रूप में हो और यह समिति जोखिम उपसमितियों के मार्गदर्शन का कार्य भी करे ।

बैंक में एक सुपरिभाषित ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए । ऋण जोखिम के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन, प्रवर्तक व कम्पनी का पिछला रिकार्ड, प्रौद्योगिकी, समग्र क्षमता, माँग और आपूर्ति की स्थिति, प्रतिस्पर्धी, उद्योग वातावरण इत्यादि का आकलन किया जाना चाहिए, जिससे सहायता के स्तर के बारे में निर्णय लिया जा सके और मूल उधार दर (पी एल आर) के ऊपर स्प्रैड तय किया जा सके । ऋण मंजूरी, संवितरण और अनुपालन क्रियाविधि से संबंधित मामले निपटाने और समग्र बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक उच्च-स्तरीय ऋण नीति समिति गठित की जानी चाहिए । ऋण नीति समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मानदण्डों और विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन करने तथा उस पर निगरानी रखने की दृष्टि से एक स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग गठित किया जाना चाहिए ।

ऋण जोखिम प्रबंध के 4 मुख्य तरीके हैं-बुद्धिमतापूर्ण ऋण निर्णय, ऋण की उचित ब्याज दर, ऋण की राशनिंग, ऋण राशि का बिखराव ताकि धन का **संकेन्द्रण** न हो ।

बैंक अपने आस्ति पोर्टफोलियो के निष्पादन का मूल्यांकन करे और जिस उद्योग को इसने भारी सहायता दी है, उसमें आने वाले परिवर्तनों और घटनाक्रमों पर निगरानी रखे ।

बैंक को चाहिए कि वह बाजार दरों के निरन्तर मूल्यांकन, पिछली प्रवृत्तियों की समीक्षा और माहौल के विश्लेषण के जरिये ब्याज दर जोखिम को न्यूनतम करे । ब्याज दर जोखिम के मापन के लिए जोखिम पर मूल्य के प्रति अन्तरित होने हेतु एक निश्चित समय सारणी तथा अवधि निर्धारित की जानी चाहिए ।

अधिकतर मामलों में जोखिम का सामान्य कारण होता है - अस्तियों और देयताओं में तालमेल का अभाव । बैंकों में यदि आस्तियों और देयताओं का मिलान उनकी परिपक्वता

अवधि के अनुसार हो जाए तो यह जोखिम कम हो जाता है । आस्ति देयता प्रबंधन ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम आदि को नियंत्रित करने में सहायक होता है । बैंक को चाहिए कि वह एक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन करे जो समन्वित तरीके से बाज़ार जोखिमों का प्रबंधन करने हेतु नियमित बैठकें करें । आस्ति देयता प्रबंधन समिति और ऋण प्रबंधन संबंधी ऋण नीति समिति के कार्यकलाप तथा बाजार जोखिमों को समन्वित करना आवश्यक है ।

नकदी जोखिम प्रबंधन हेतु बैंक नकदी अन्तर्रिपोर्ट, निवल ब्याज आमदनी और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को नियन्त्रत करने के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता रिपोर्ट तैयार करें । बैंक नकदी प्रतिभूतियों में निवेश का उचित स्तर बनाये रखें, जिसका अल्पसूचना पर नकदीकरण किया जा सके । उधार देने का समय बाजार में नकदी की समग्र स्थिति और निधि आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाये ।

चलनिधि जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक अंतर-बैंक उधारों, विशेषकर **माँग निधियन**, खरीदी गयी निधियाँ, स्थायी जमाराशियाँ, तुलनपत्रेतर प्रतिबद्धताएँ, अदलाबदली की गयी निधियों आदि पर यथोचित सीमाएँ लगाने पर विचार करें । चलनिधि स्थितियों के आकस्मिक प्रतिकूल घुमाव का सामना करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बैंक आकस्मिकता योजना तैयार करें ।

प्रयुक्त शब्दावली

विवेकशील बैंकिंग	Prudential Banking	उच्चावचन तरलता	Liquidity Variations
व्युत्पन्न प्रपत्र	Derivative Instruments	निर्गमकर्ता जोखिम	Issuers Risk
संरचित प्रपत्र	Structured Instruments	लिखत जोखिम	Instrumental Risk
परिहार्य जोखिम	Avoidable Risk	विलयन और अधिग्रहण	Merger & Acquisition
अंतरस्थ जोखिम	Intermediatory Risk	प्रत्ययी जोखिम	Fiduciary Risk
व्यापार परिवेश जोखिम	Business Enviornmental Risk	विनियमन जोखिम	Regulation Risk
वित्तीय मध्यस्थ	Financial Intermediator	संस्थात्मक आस्तियां	Institutional Assets
ऋणान्वयन निवेश	Credit based Investment	संकेंद्रण	Concentration
तरलता जोखिम	Liquidity Risk	मांग निधियन	Demand Funding

स्रोत :

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कोल्लम (उप-केन्द्र) द्वारा आयोजित सेमिनार, दिनांक 10 मार्च 1996 .
2. एस बी आई मंथली रिव्यू, नवम्बर 1996. पृष्ठ सं. 523-528
3. फायनेंस एण्ड डेवलपमेंट,दिसम्बर 1996. पृष्ठ सं. 22-25
4. दि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट,दिसम्बर 1997. पृष्ठ सं. 22-25
5. दि जर्नल ऑफ लैंडिंग एण्ड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट,दिसम्बर 1998. पृष्ठ सं. 78-81
6. क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू , अक्तूबर 1999
7. ए टॉक ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स (दिनांक 18 जनवरी 2000) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, आगरा (उपकेन्द्र)
8. आई बी ए बुलेटिन, अप्रैल-मई 2000, पृष्ठ सं. 42-45
9. आई बी ए बुलेटिन, नवम्बर 2000, पृष्ठ सं. 39-44
10. एस बी आई मंथली रिव्यू, जुलाई 2001. पृष्ठ सं.321-325
11. एस बी आई इकॉनॉमिक न्यूज लेटर 11 फरवरी, 2002

जोखिम पर आधारित बैंक पर्यवेक्षण*

दीपक सिंह नागी
महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

नब्बे के दशक से उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बैंक अब जमाराशियों पर तथा ऋण देने की ब्याज दरों (2 लाख रुपये से ऊपर के ऋणों पर) को स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के नियमन में भी आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। वित्तीय बाज़ारों का अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के साथ एकीकरण बढ़ा है। खासकर विदेशी मुद्रा संबंधी नीति के उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से भारतीय उद्योग और वाणिज्य का अंतरराष्ट्रीय जगत के साथ लेन-देन बढ़ा है। भारतीय बैंक भी उद्योग एवं वाणिज्य जगत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सन्नद्ध हुए हैं। नये बैंकिंग उत्पादों का प्रचलन हुआ है। इन नवीन उत्पादों में कंप्यूटर तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। इन नये उत्पादों व बाह्य जगत के साथ बढ़ते एकीकरण से बैंकों का व्यावसायिक जोखिम बढ़ा है।

बैंकिंग क्षेत्र में बदलते परिदृश्य में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण होगी बल्कि अनिवार्य भी होगी। इस आवश्यकता ने पर्यवेक्षी तंत्र में नये सिद्धान्तों को जन्म दिया है जो कसौटी का काम करेंगे। प्रस्तुत लेख उन्हीं सिद्धान्तों का परिचय देता है।

भारतीय बैंकिंग के बदलते स्वरूप के साथ-साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण भी उन्नत हुआ है। विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन से भारतीय बैंकों के तुलनपत्रों से अब बैंकों की आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन होता है। आस्ति वर्गीकरण, **आय निर्धारण**, प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता के माध्यम से बैंकों को मजबूत आधार पर खड़ा करने के प्रयत्न किये गये हैं। इसी प्रकार CAMELS/CACS (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली/पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, अनुपालन और प्रणाली) के द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न भारतीय रिज़र्व बैंक ने किये हैं। रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षण को और अधिक उन्नत एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण करने की दिशा में कदम उठाये हैं। गवर्नर महोदय ने इस आशय की घोषणा अपने 2000-2001 वर्ष के लिए मौद्रिक और ऋण नीति के संबंध में दिये गये वक्तव्य में की थी।

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण क्या है ?

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के पर्यवेक्षण के दो पहलू हैं। **स्थल से हटकर निगरानी** एवं **कार्य स्थल पर निरीक्षण**। दो कार्यस्थलों के बीच बैंक की स्थिति की जानकारी स्थल से हटकर निगरानी द्वारा प्राप्त होती है। इन निरीक्षणों के दौरान जिन अनियमितताओं का पता चलता है रिज़र्व बैंक उन्हें दूर करने के लिए बैंकों को निदेश देता है, तथा इस दिशा में उनकी प्रगति पर निरंतर निगाह रखता है। बैंकों के पर्यवेक्षण की शक्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदान की गयी हैं।

वर्तमान व्यवस्था में मुख्यतः हर बैंक का निरीक्षण वर्ष में एक बार किया जाता है जिसे **वार्षिक वित्तीय निरीक्षण** कहते हैं। स्टेट बैंक का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण दो वर्षों में एक बार किया जाता है। निरीक्षण के दौरान बैंक के समस्त कार्यकलापों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस अध्ययन में बैंकों के खातों का निरीक्षण तथा उनके द्वारा किये गये विभिन्न लेन-देन का विश्लेषण शामिल हैं। इसीलिए वर्तमान पर्यवेक्षण प्रणाली को **लेन-देन पर आधारित** पर्यवेक्षण प्रणाली भी कहा जाता है।

जोखिम पर आधारित प्रणाली में रिज़र्व बैंक सर्वप्रथम प्रत्येक बैंक का **जोखिम प्रोफाइल** बनायेगा जिससे यह पता चलेगा कि किस बैंक का जोखिम कितना है तथा बैंक किस प्रकार के व्यवसाय

* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13 अगस्त 2001 को जारी चर्चा पत्र (Discussion Paper) पर आधारित।

में कैसा जोखिम उठा रहा है। फिर हर बैंक के निरीक्षण का तरीका, निरीक्षण की अवधि जोखिम द्वारा निर्धारित होगी। जिस बैंक का जोखिम ज्यादा होगा उसका अधिक सूक्ष्म निरीक्षण किया जायेगा एवं निरीक्षणों की अवधि भी ज्यादा होगी। ऐसे बैंक के दो निरीक्षणों की बीच की अवधि भी अपेक्षाकृत कम होगी उन बैंकों की तुलना में जिनका जोखिम कम है। इस नयी प्रणाली में निरीक्षण का तरीका भी भिन्न होगा। रिज़र्व बैंक निरीक्षण के प्रारंभ में ही अध्ययन करेगा कि बैंक में **आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां** कैसी हैं। अगर यह मजबूत हैं और बैंक अपने जोखिम का पर्याप्त प्रबंधन करने में सक्षम है तो अलग-अलग लेन-देनों का विश्लेषण करने की अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी। परन्तु यदि, आंतरिक व्यवस्थाएं कमजोर हुईं तो अलग-अलग लेन-देनों को गहनता से देखना पड़ेगा। निरीक्षण आरंभ होने के पहले निरीक्षक को यह पता चल जायेगा कि बैंक के कार्यकलापों के किन पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली में उन बैंकों पर जिनका जोखिम ज्यादा है ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा और बैंक के उन भागों, विभागों और कार्यप्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा जिनसे जोखिम की उत्पत्ति होती हो अथवा जो जोखिम का पर्याप्त प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की उपादेयताएं

नई प्रणाली की कई उपादेयताएं हैं जो निम्न प्रकार हैं :

1. इस प्रणाली में अधिक जोखिम वाले बैंकों पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। उनके निरीक्षण की अवधि कम जोखिम वाले बैंकों की अपेक्षा ज्यादा होगी। ऐसे बैंकों में दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल अपेक्षाकृत कम होगा। इससे रिज़र्व बैंक के संसाधनों का समुचित एवं सही तरीके से उपयोग होगा।

2. जोखिम के आकलन में उपयुक्त तरीकों से बैंकों की भविष्य स्थिति के बारे में अनुमान लगाना संभव होगा जो कि वर्तमान प्रणाली में संभव नहीं है। इससे भविष्योन्मुखी कदम उठाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह प्रणाली **भविष्योन्मुखी** होगी।

3. इसमें निरीक्षण के दौरान बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अध्ययन किया जायेगा एवं इन प्रणालियों में खामियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। इससे बैंकों की कार्य प्रणालियों में सुधार होगा।

4. बैंक निरीक्षण का आरंभ बैंकों के तुलनपत्र तैयार होने और उनका ऑडिट खत्म होने का इंतज़ार नहीं करेगा। चूंकि यह प्रणाली बैंकों के लेन-देन की बजाय उनकी प्रणालियों पर जोर देगी, अतः बैंक निरीक्षण किसी भी समय शुरू किया जा सकेगा।

5. कम जोखिम वाले बैंकों की निरीक्षण अवधि कम होगी। हो सकता है कि ऐसे बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजी जाने वाली विवरणियों में भी कमी हो। इससे सुदृढ़ बैंकों के समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी।

6. चूंकि इस प्रणाली में बैंकों के जोखिम वाले भागों एवं कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण का ध्यान केन्द्रित होगा, इससे बैंक भी इन विधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के बाध्य होंगे। इस प्रकार बैंकों में जोखिम प्रबंधन का विकास होगा।

7. **जोखिम पर आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा** की प्रक्रिया के प्रारंभ होने पर आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

8. बासल् समिति द्वारा 16 जनवरी 2001 को नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के द्वितीय मार्गदर्शी पैकेज को उद्घाटित किया गया। तब से अब तक इस ढांचे पर कई बैठकें हो चुकी हैं, ताकि इस नये ढाचे को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। एक बार अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद यह नयी अभिसंधि मौजूदा 1988 की अभिसंधि का रूप लेगी। इस नये ढांचे के सन 2005 से लागू होने की संभावना है। इस त्रिस्तंभीय ढांचे में प्रथम स्तंभ न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं हैं, द्वितीय स्तंभ, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया है एवं तृतीय स्तंभ बाज़ार अनुशासन है। प्रथम स्तंभ पर ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के संबंध में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण किया जायेगा। जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण बैंकों के जोखिम प्रबंधन को त्वरित करेगा, ताकि इस नये ढांचे के लागू होने तक भारतीय बैंक अन्य देशों के बैंकों से इस मामले में पीछे न रहें।

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण अंग

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं :

(i) बैंकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करना

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का केन्द्रीय स्तंभ किसी बैंक

की जोखिम प्रोफाइल तैयार करना है । जोखिम प्रोफाइल एक ऐसा दस्तावेज़ होगा जो उस बैंक के समस्त कार्यकलापों एवं बैंक के द्वारा लिये गये विभिन्न जोखिमों का विवरण देगा । अपने कार्यकलापों के दौरान बैंक विभिन्न व्यावसायिक जोखिम अभिधारित करता है । यह जोखिम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं - ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम एवं परिचालनात्मक जोखिम । बासल् पूंजी अभिसंधि 1988 के अनुसार ऋण जोखिमों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है । बैंकिंग खाते में ऋण जोखिम जैसे कि बैंक द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकार के ऋण, ट्रेडिंग खातों में ऋण जोखिम जैसे बैंक द्वारा खरीदे गये विभिन्न बांड अन्य निवेश इत्यादि, तथा **प्रतिपक्षी जोखिम** जैसे स्वैप इत्यादि । ऋण जोखिम कई रूप ले सकता है जैसे कि देश जोखिम , लेनदेन जोखिम **काल जोखिम, आधार जोखिम**, **निपटान जोखिम** इत्यादि । इसी प्रकार बाज़ार जोखिम भी कई रूप ले सकते हैं, जैसे कि चलनिधि जोखिम , ब्याज दर जोखिम , **मुद्रा मूल्य जोखिम** , **वस्तु मूल्य जोखिम** , इत्यादि । बासल् समिति के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम वे जोखिम हैं जो बैंक में होने वाली प्रक्रियाओं, बैंक के कर्मचारियों अथवा बैंक की प्रणालियों के सही ढंग से काम न करने के कारण उत्पन्न होते हैं। बैंक को व्यावसायिक जोखिमों का प्रबंधन करना पड़ता है तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं मानदंडों को लागू करना पड़ता है। इस जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक को जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक को जोखिम को पहचानने, उसके आकलन एवं उसके प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मजबूत एवं सुदृढ़ होना जरूरी है। चूंकि बैंकिंग व्यवसाय बिना वित्तीय जोखिम लिये संभव नहीं है। इसलिए व्यावसायिक जोखिम को कम करने अथवा उसका निवारण करने के लिए बैंकों को आंतरिक नियंत्रण की निरंतर समीक्षा कर उसे लचीला एवं कार्यकारी बनाने का कार्य जारी रखना है।अगर आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था ठीक नहीं है तो बैंक में एक और जोखिम उत्पन्न होता है जिसे हम नियंत्रण जोखिम कह सकते हैं । जिन बैंकों में व्यावसायिक जोखिम अधिक है परंतु नियंत्रण जोखिम कम है, अर्थात् बैंक व्यावसायिक जोखिम का अच्छा प्रबंधन कर रहा है, ऐसे बैंक अर्थव्यवस्था के लिए कम जोखिमकारी हैं बनिस्बत ऐसे बैंकों के, जिनका व्यावसायिक जोखिम उतना अधिक नहीं है परन्तु नियंत्रण जोखिम काफ़ी है अर्थात् उनकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उतनी सुदृढ़ नहीं है। ऐसे बैंक वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार जोखिम प्रोफाइल में व्यावसायिक एवं नियंत्रण जोखिम का आकलन किया जायेगा। इस आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकेगा कि वित्तीय व्यवस्था के लिए कौन सा बैंक कितना जोखिमकारी है।अधिक जोखिमकारी बैंकों को गहन पर्यवेक्षण जैसे कि, तुरंत निरीक्षण के लिए लिया जा सकेगा एवं उनके जोखिम के हिसाब से पर्यवेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा सकेगा। इस जोखिम प्रोफाइल को बनाने की प्रक्रिया CAMELS को आधार बना कर तैयार की जा रही है। CAMELS में बैंक की पूंजी की पर्याप्तता , उसकी आस्तियों की गुणवत्ता , उसके प्रबंधन की संरचना , अर्जन तथा तुलन पत्र की तरल संरचना एवं कार्य प्रणालियां का अध्ययन किया जाता है। इस CAMELS को आधार बना कर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम प्रोफाइल की एक रूपरेखा तैयार की है।

इस जोखिम पत्र को तैयार करने में बैंक के बारे में प्राप्त विभिन्न जानकारियों का उपयोग किया जायेगा। ये जानकारियां कई स्रोतों से उपलब्ध होंगी जैसे कि बैंक का तुलनपत्र, बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजी गयी कई प्रकार की रिपोर्टें और विवरणियां, बैंक के निरीक्षण की रिपोर्टें, कैमल्स के अनुसार श्रेणी ऑफ साइट मॉनिटरिंग (OSMOS) से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, बैंक को दी गयी विभिन्न प्रकार की छूटें, बैंक पर लगाये गये प्रतिबंध या बैंक के प्रति की गई अन्य दंडात्मक कार्रवाई इत्यादि। बैंक के बारे में प्राप्त होने वाली बाज़ार सूचनाओं का (उनका भली प्रकार सत्यापन करने के बाद) उपयोग किया जायेगा। इस प्रक्रिया में बैंक के बाह्य लेखा-परीक्षकों , आंतरिक लेखा-परीक्षकों तथा बैंक द्वारा तैयार की गयी समीक्षा रिपोर्टों आदि का भी उपयोग किया जायेगा।

(ii) पर्यवेक्षी चक्र

जोखिम प्रोफाइल तैयार होने के बाद पर्यवेक्षी चक्र आरंभ होगा तथा एक पर्यवेक्षी चक्र के खत्म होते ही एक नया जोखिम प्रोफाइल तैयार किया जायेगा । पर्यवेक्षी चक्र की कालावधि जिसे पर्यवेक्षी अवधि कहा जायेगा, बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगी। जिन बैंकों का जोखिम अधिक होगा उनकी पर्यवेक्षी अवधि कम होगी। जिन बैंकों का जोखिम कम होगा उनकी पर्यवेक्षण की अवधि अधिक होगी। पर्यवेक्षी चक्र में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है।

(iii) पर्यवेक्षी कार्यक्रम

प्रत्येक बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर उस बैंक का पर्यवेक्षी कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। इस प्रकार एक बैंक का पर्यवेक्षी कार्यक्रम दूसरे बैंक से भिन्न होगा। इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षी चक्र में किये जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख एवं वर्णन होगा। यह कार्यक्रम निर्धारित करेगा कि कौन-सी पर्यवेक्षण क्रिया किस समय की जायेगी एवं पर्यवेक्षण के लिए किन साधनों का उपयोग किया जायेगा। पर्यवेक्षण साधनों का उपयोग बैंक के जोखिम द्वारा निर्धारित होगा। पर्यवेक्षण चक्र में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

* स्थल से दूर निगरानी का अधिक उपयोग
* बैंक की निर्दिष्ट क्रियाओं / भागों का निरीक्षण
* बैंक के साथ उच्च स्तरीय बैठकें
* बाह्य लेखा-परीक्षकों का उपयोग
* बैंक या बैंकों को **पर्यवेक्षी निदेश**
* नीति संबंधी नये निदेश इत्यादि।

किसी बैंक के प्रति उपरोक्त साधनों में किसी एक का या एक से अधिक का उपयोग किया जा सकेगा।

(iv) जोखिम पर आधारित निरीक्षण प्रक्रिया

किसी भी बैंक के जोखिम प्रोफाइल से यह पता चल जायेगा कि बैंक का पूरा निरीक्षण जरूरी है या फिर किसी प्रभाग विशेष का। वर्तमान विधि में बैंक के सभी भागों / कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, एवं बैंक द्वारा किये गये लेनेदेनों का विश्लेषण किया जाता है। जोखिम पर आधारित निरीक्षण में प्रारंभ में यह देखा जायेगा कि बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कैसी हैं ? क्या बैंक विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम है। नियंत्रण जोखिम कितना है ? बैंक में **प्रबंधन सूचना प्रणाली** कैसी है। क्या नियंत्रण जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं ? बैंक द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़े कितने सही हैं तथा बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक को भेजे गये आंकड़े व सूचनाएं कितनी भरोसेमंद हैं ? बैंक की नियंत्रण प्रणालियां किस कदर काम कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जायेगा कि क्या बैंक में किन्हीं नई जोखिमों की उत्पत्ति हो रही है। हालांकि वर्तमान प्रणाली की तरह लेनदेन परीक्षण जारी रहेगा परंतु इसकी सीमा इस बात के द्वारा तय की जायेगी कि बैंक में जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कैसी हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जोखिम प्रोफाइल को अद्यतन किया जायेगा। इस प्रकार अद्यतन किये गये जोखिम प्रोफाइल के आधार पर नया पर्यवेक्षी कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

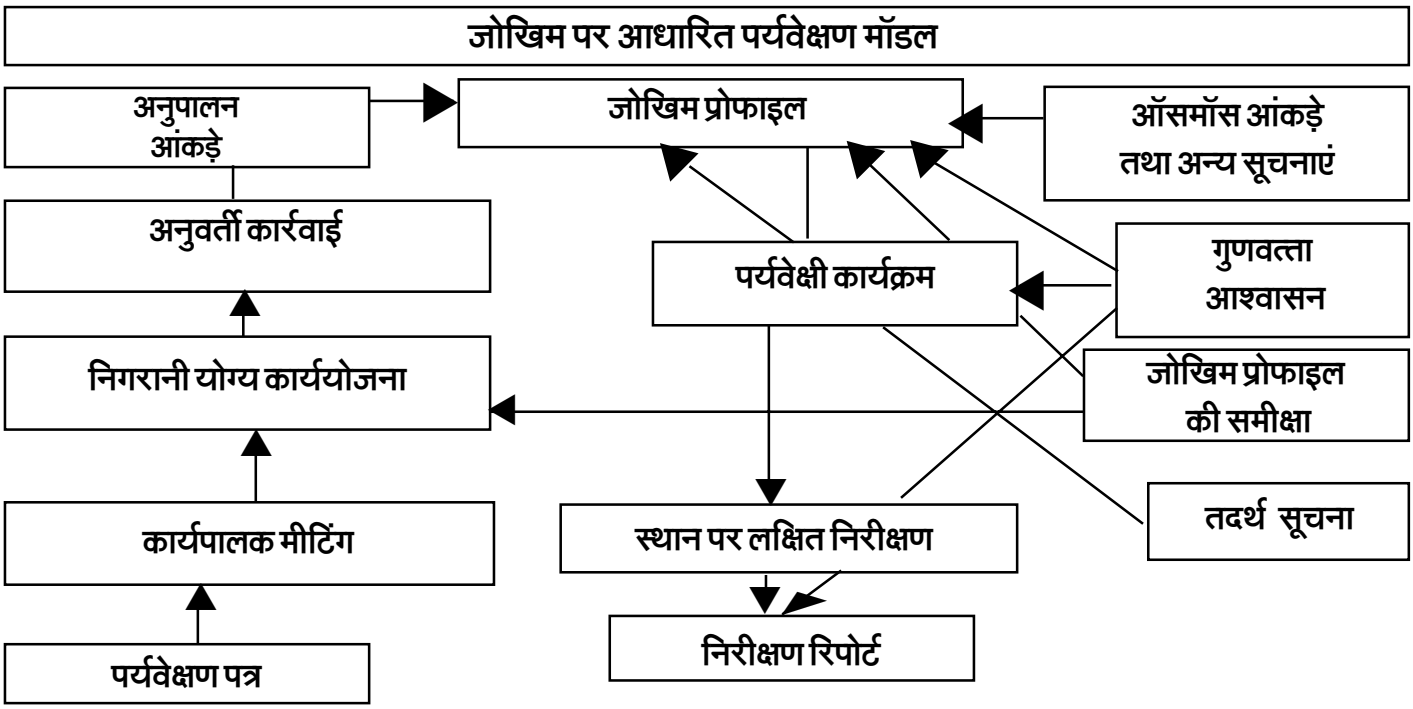

(v) समीक्षा मूल्यांकन और अनुपालन

जोखिम प्रोफाइल का निर्धारित अवधि पर पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा। इस अवधि के बीच यदि किसी प्रकार की सूचनाएं अथवा आंकड़े प्राप्त होते हैं जिनके कारण जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन हो सकते हैं तो इन आंकड़ों व सूचनाओं के आधार पर यदि बैंक के प्रति किसी कार्यवाही की जरूरत पड़े तो ऐसी कार्यवाही तुरंत प्रारंभ की जायेगी। पर्यवेक्षण चक्र की समाप्ति पर यह निर्धारित किया जायेगा कि पर्यवेक्षण कार्यक्रम के दौरान की गई विभिन्न पर्यवेक्षणीय प्रक्रियाओं का बैंक के जोखिम प्रोफाइल या बैंक की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस समीक्षा से यह पता चलेगा कि नये पर्यवेक्षणी कार्यक्रम में किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है।

(vi) निगरानी योग्य कार्य योजना (Monitorable Action Plan or MAP)

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण में प्रत्येक बैंक के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जायेगी। वर्तमान व्यवस्था में भी बैंक निरीक्षण के पश्चात् जरूरत पड़ने पर एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत बैंक को निरीक्षण के दौरान जानकारी में आयी खामियों को दूर करना पड़ता है। जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण में प्रत्येक बैंक के लिए एक मैप (MAP) बनेगा। यह मैप रिज़र्व बैंक और बैंक के बीच बातचीत के द्वारा तय किया जायेगा। मैप में एक निर्धारित अवधि के बीच बैंक की जानकारी में आयी खामियों को दूर करना होगा। मैप में इन खामियों को दूर करने अथवा कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए कार्य बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जायेगा। इस मैप का पुनरावलोकन एक निश्चित अवधि के बाद किया जायेगा। इस पुनरावलोकन में बैंक द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के नतीजों पर जोखिम पत्र को पुनः अद्यतन किया जायेगा। अद्यतन जोखिम पत्र के आधार पर यदि किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो की जायेगी। मैप में **प्रगति चिन्ह** निश्चित किये जाएंगे एवं इन्हें प्राप्त करने के लिए बैंक में अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी उल्लेख होगा।

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण में प्रत्येक बैंक के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जायेगी। वर्तमान व्यवस्था में भी बैंक निरीक्षण के पश्चात् जरूरत पड़ने पर एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत बैंक को निरीक्षण के दौरान जानकारी में आयी खामियों को दूर करना पड़ता है।

(vii) प्रवर्तन प्रक्रिया और प्रोत्साहन की रूपरेखा (Enforcement Process and Incentive Programme)

पर्यवेक्षी अनुवर्ती कार्रवाई का उद्देश्य होगा कि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन की प्रणालियों में सुधार लायें व अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करें। परन्तु अगर खामियां दूर नहीं हुई या प्रणालियों में सुधार लाने में बैंक असफल रहा तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था का जोखिम बढ़ सकता है इसलिए जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली में बैंकों के लिए प्रोत्साहन एवं **हतोत्साहन** की व्यवस्था है। यदि बैंक मैप में निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं तो उन्हें कुछ लाभ प्राप्त होंगे जो सीधे या परोक्ष हो सकते हैं। जैसे कि ऐसी बैंकों की पर्यवेक्षण अवधि बढ़ा दी जाये या अपेक्षाकृत कम ब्यौरे या आंकड़े इकठ्ठे किये जायें जिससे उन पर पर्यवेक्षण का बोझ कम हो। यदि ऐसा बैंक रिज़र्व बैंक से कोई नया व्यवसाय चालू करने के लिए या कोई अनुषंगी कंपनी खोलने के लिए अनुमति चाहे तो निर्णय लेते समय उन्हें अच्छी नियंत्रण प्रणालियों का अथवा कम जोखिमी होने का लाभ मिल सकता है। इसके विपरीत, जो बैंक मैप का पालन करने में असमर्थ रहते हैं या कमजोर जोखिम प्रणालियों के होने की वजह से व्यवस्था के लिए अधिक जोखिमी साबित हो सकते हैं, वे अधिक पर्यवेक्षण का बोझ सहन करने को बाध्य होंगे। हो सकता है कि ऐसे बैंकों की पर्यवेक्षण अवधि कम हो अर्थात् उन्हें बार-बार निरीक्षकों का सामना करना पड़े, रिज़र्व बैंक को अधिक सूचनाएं एवं आंकड़े भेजने पड़े या ऐसे बैंकों को विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने में कठिनाई हो।

(viii) बाह्य लेखा-परीक्षकों की भूमिका

इस नई प्रणाली में बाह्य लेखा-परीक्षकों का योगदान बढ़ने की संभावना है। कई देशों में लेखा-परीक्षक बैंक पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे देशों में लेखा-परीक्षक बैंकों के लेखा-जोखा परीक्षण के दौरान बैंक द्वारा उठाये गये जोखिमों का भी आकलन करते हैं और यदि जोखिम अनुपातिक रूप से अधिक

हुए तो ऐसी स्थिति से बैंक पर्यवेक्षकों को तुरंत अवगत कराते हैं। बाह्य लेखा-परीक्षक इस प्रकार बैंक पर्यवेक्षण के कार्य को परिपूर्णता प्रदान करने में सहायता देते हैं। इससे चूंकि बैंक पर्यवेक्षकों के समय की बचत होती है, बैंक पर्यवेक्षक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं।

(ix) गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली (Quality Assurance Mechanism)

. बैंक का जोखिम प्रोफाइल, पर्यवेक्षण कार्यक्रम अथवा उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाहियों के प्रस्तावों को एक कमिटी के द्वारा एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य यह होगा कि विभिन्न आकलनों तथा प्रस्तावों में एकरूपता हो तथा पर्यवेक्षणीय प्रक्रिया की निरंतर समीक्षा हो जिससे आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर उनका निवारण किया जा सके।

बैंकों के स्तर पर तैयारी

बैंकों को जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2001 में एक चर्चा पत्र जारी किया था। इस पत्र में बैंकों को पांच मदों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। यह पांच मदें निम्नलिखित हैं :

(क) जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना
(ख) **जोखिम सूचक आंतरिक लेखा-परीक्षा** की प्रक्रिया अपनाना
(ग) प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को सुदृढ़ बनाना
(घ) मानव संसाधनों का विकास एवं
(ङ) अनुपालन इकाई की स्थापना करना।

(क) जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना

भारतीय वित्तीय व्यवस्था के उत्तरोत्तर उदारीकरण के साथ-साथ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किये हैं। फरवरी 1999 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आस्ति देयताओं के सुप्रबंधन के लिए कदम उठाने को कहा। अक्तूबर 1999 में जोखिम प्रबंधन पर दिशा -निर्देश जारी किये गये। इन दिशा -निर्देशों के तहत बैंकों को अपनी ढांचागत संरचना, नीतियों, कार्य करने के तरीकों को सुधारने को कहा गया ताकि वे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम एवं परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा उठाये गये कदमों की समय-समय पर समीक्षा करता रहा है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिये यह जरूरी होगा कि बैंक तत्परता से जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करें।

(ख) जोखिम पर आधारित आंतरिक निरीक्षण प्रणाली

बैंक अपनी विभिन्न व्यावसायिक एवं प्रबंधन इकाइयों का आंतरिक निरीक्षण करते रहते हैं एवं इन आंतरिक निरीक्षणों की रिपोर्टें उच्च प्रबंध-तंत्र को पेश की जाती हैं। इस जानकारी से उच्च प्रबंध-तंत्र इन निरीक्षणों के दौरान पायी गयी खामियों को दूर करने के निदेश देता है तथा कार्य प्रणालियों में सुधार के उपाय करता है। अब तक इन निरीक्षणों का उद्देश्य मुख्यतः यह देखना रहा कि क्या विभिन्न लेनदेन नियम संगत हैं या नहीं। आंतरिक सूचना प्रणालियां ठीक तरह से काम कर रही हैं, एवं उच्च प्रबंध-तंत्र तक पहुचने वाली सूचनाएं और ब्यौरे कितने सही एवं भरोसेमंद हैं। जोखिम पर आधारित आंतरिक निरीक्षण में इस व्यवस्था को थोड़ा बदलने की जरूरत पड़ेगी। बैंक को अपनी विभिन्न कार्य इकाइयों, विभागों, शाखाओं एवं व्यवसाय इकाइयों का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण करना पड़ेगा। सर्वाधिक जोखिम वाली इकाइयों के निरीक्षण के लिए प्राथमिकता देनी होगी एवं उनका गहन रूप से निरीक्षण करना होगा। इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण भी जोखिम पर केन्द्रित होगा।

(ग) प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं सूचना प्रौद्यागिकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना

जोखिम के समुचित रूप से प्रबंधन के लिए जरूरी आंकड़ों और सूचनाओं का सही होना एवं उनकी समय पर प्राप्ति बेहद जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर बैंक ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम एवं परिचालनात्मक जोखिम की सही माप जोख एवं आकलन कर सकते हैं। इसलिए हर बैंक को अपनी सूचना प्रबंधन की समीक्षा करनी होगी। यदि सूचना प्रबंधन जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो सूचना प्राप्त करने की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा।

(घ) मानव संसाधन विकास के मसले

जोखिम प्रबंधन के लिए सक्षम एवं कुशल स्टाफ की आवश्यकता होती है। बैंकों को जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न पदों पर कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी। इसलिए मानवीय संसाधनों का सही विकास करना होगा तथा उन्हें विशिष्ट

प्रशिक्षण प्रदान कर जोखिम प्रबंधन के उपयुक्त बनाना होगा। इसके लिए मानव संसाधन उपलब्ध हों । इसलिए बैंकों को भविष्योन्मुखी संसाधन विकास योजनाएं बनानी होंगी तथा उन्हें अमल में लाना होगा ।

(ङ) अनुपालन इकाई

जैसा कि ऊपर कहा गया है रिज़र्व बैंक हर बैंक के लिए उसके जोखिम प्रोफाइल पर आधारित एक मैप जारी करेगा । इस मैप में उल्लिखित कार्य बिन्दुओं एवं कार्य प्रणालियों में सुधार संबंधी लक्ष्यों को दिये गये समय में पूरा करने के लिए हर बैंक को एक उच्च स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी जिसकी जिम्मेदारी मैप को पूर्ण करने की होगी । चूंकि जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण में दंडात्मक कार्रवाई **तत्काल सुधारात्मक कार्य ढांचा** के तहत होगी ; अतः इस तरह के अनुपालन इकाई की स्थापना बैंकों के अपने हित में होगी ।

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन की समीक्षा की समय सारिणी

जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण धीरे-धीरे कई चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है । अगस्त 2001 में इस आशय के जारी किये गये चर्चा पत्र के अनुसार जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अंतिम तिमाही से कार्यान्वित की जायेगी । इसलिए बैंकों को ऊपर दिये गये कार्य बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ।

प्रयुक्त शब्दावली

आय निर्धारण	Income recognition
स्थल से हटकर निगरानी	Off-site monitoring
कार्य स्थल पर निरीक्षण	On-site inspection
वार्षिक वित्तीय निरीक्षण	Annual Financial Inspection
लेन-देन पर आधारित जोखिम प्रोफाइल	Transaction based Risk Profile
आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां	Internal Control Systems
भविष्योन्मुखी	Proactive
जोखिम पर आधारित	Risk Based
आंतरिक लेखा परीक्षा	Internal Audit
प्रतिपक्षी जोखिम	Counterparty risk
काल जोखिम	Time Zone Risk
आधार जोखिम	Base Risk
निपटान जोखिम	Settlement Risk
मुद्रा मूल्य जोखिम	Currency Price Risk
वस्तु मूल्य जोखिम	Commodity Price Risk
पर्यवेक्षी निदेश	Supervisory Directions
प्रबंध सूचना प्रणाली	Management Information System
प्रगति चिन्ह	Milestones
हतोत्साहन	Disincentives
जोखिम सूचक आंतरिक लेखा-परीक्षा	Risk Focused Internal Audit
तत्काल सुधारात्मक कार्य ढांचा	Prompt Corrective Action Framework

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण – एक दृष्टिकोण

श्यामलाल गौड़
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सचिव
कार्यालय बैंकिंग लोकपाल, अहमदाबाद
(सेवानिवृत्त)

बैंकिंग - नये क्षितिज और जोखिम

साधारण आदमी को सरलता से समझ आने वाली भाषा में यदि बैंकिंग परिभाषित की जाये तो एक ऐसी संस्था का चित्र उभरेगा जो पैसों का लेन देन करती है, लोगों से जमाराशियां स्वीकार करती है और ब्याज पर कर्ज प्रदान करती है । यह बैंकिंग का सरलीकृत किन्तु मूल स्वरूप है । अब जहां पैसा होगा वहाँ जोखिम अनिवार्यतः उससे जुड़ी होगी । वर्तमान परिवेश में बैंकिंग का रूप अत्यंत विस्तृत और परिमार्जित हो गया है । अनेक नये - नये बैंक उत्पाद अस्तित्व में आ गये हैं या आ रहे हैं । बैंकिंग सेवाओं का **प्रबंधन और विपणन** एक कला और विज्ञान दोनों का रूप ले चुका है । नयी आर्थिक व्यवस्था से जनित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बैंकिंग व्यवसाय में नये-नये क्षितिज उदित हो रहे हैं, नवोन्मेष किये जा रहे हैं तथा नित नयी बदलती तकनीक का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा है।सम्पूर्ण क्रियाविधियों और संचालन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहे हैं । फिर भी बैंकर के मूल व्यवसाय की अवधारणा नहीं बदली है । **संसाधनों का संयोजन**, निवेश और सेवायें आदि आज भी उतनी ही संगत और महत्वपूर्ण हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं और आगे आने वाले समय में भी रहने वाली हैं । इनके स्वरूप और आकार में परिवर्तन / परिमार्जन आ गया है लेकिन आधार-भूत तथ्य नहीं बदले हैं । हां, इन व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में बैंकिंग में जोखिम के क्षेत्र भी विस्तृत हो गये हैं । अगर यह कहें कि गत एक दशक के दौरान जोखिम के झटकों ने सम्पूर्ण बैंकिंग जगत को जोखिम प्रबंधन के बारे में नये सिरे से सोचने को बाध्य कर दिया है तो गलत नहीं होगा ।

" बैंकिंग के क्षेत्र में आवश्यकता बने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के सिद्धांतों को समझने के लिये जरूरी है उस दृष्टिकोण को समझना जो जोखिम और पर्यवेक्षण दोनों का पाठकीय परिचय देता है ।" इस लेख में इसी दृष्टिकोण को उजागर करने का प्रयास किया गया है ।

जोखिम प्रबंधन -एक गंभीर मुद्दा

विश्व बैंकिंग परिदृश्य पर एक नजर डालें तो विदित होगा कि 1990 के दशक के पश्चात से जोखिम प्रबंधन न केवल एक चर्चित वरन् गंभीर मुद्दा बन गया है। इसका मुख्य कारण रहा है अनेक संगठनों का जोखिम के नये-नये प्रयोगों के फलस्वरूप व्यापक घाटे उठाना । अनेक संगठन तो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गये या बंद भी हो गये हैं । 1995 में बेयरिंग्स सार्वजनिक लि. कं. को एक व्यापारी निकलीसन ने अरबों की चपत लगायी । इसी साल डाइवा बैंक के अमेरिकन स्थित बॉंड व्यापारी ने अनेक वर्षों तक जिस घाटे को छुपाकर रखा था उसका पर्दाफाश हो गया । अंततः बैंक को यहां के परिचालन बंद करने पड़े । 1999 में आरेंज काउन्टी इन्वेस्टमेंट पूल को अपने खजांची के कारनामों की वजह से अरबों का घाटा हुआ । ये कुछ उदाहरण मात्र हैं । इन सभी हादसों में कुछ बातें जो उभरकर आयीं वे थीं :-

1. ये हादसे प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धा, कुप्रबंधन या प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणाम नहीं थे ।
2. किसी एक या कुछ व्यक्तियों के कार्यों के परिणाम थे ।
3. नियन्त्रकों को इन हादसों का समय पर पता नहीं चला ।
4. नियन्त्रक यदि उपयुक्त दूरदर्शिता अपना पाते तो शायद इन्हें रोका जा सकता था ।

भारतीय संदर्भ में

गत दिनों भारतीय संदर्भ में अनेक बैंकों में घोटालेपूर्ण परिस्थितियों का उदय / उजागर होना चेतावनी सूचक संकेत है कि कहीं कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए । विभिन्न माध्यमों से बैंकों के पैसों को उड़ाया गया और इन बातों का पता तब चला जब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था, मरणोपरान्त जांच की स्थिति मात्र शेष रह गयी थी । प्रतिभूति घोटाले से शुरु होकर एल सी कांड, माधवपुरा कोआपरेटिव

बैंक कांड, तथा अभी गत दिनों महाराष्ट्र, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ बैंकों में होनेवाले हादसों ने इस चर्चा को सामयिक और मुखर बना दिया है कि इस क्रम को विराम दिया जाना एक महती आवश्यकता है। इन हादसों के बाद निरंतर चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं और नियंत्रण व्यवस्थाओं और नियंत्रण मशीनरी की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाये जाने लगे हैं ।

ये सभी देशी और विदेशी हादसे / घटनायें एक समान आवश्यकता का महत्व प्रतिपादित करती हैं । एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुविचारित एवं प्रभावी नियंत्रण/पर्यवेक्षण प्रणाली इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सक्षम हो सकती है । सम्बद्ध संस्थाओं का दायित्व है कि नये / बदलते परिदृश्य में इस दिशा में उचित संज्ञान लें । इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक पहल की गयी है जिसकी चर्चा आगे की जा रही है ।

नियन्त्रण / पर्यवेक्षण प्रणाली

बैंकों द्वारा अपने लेन - देनों को विनियमित करने की दृष्टि से उचित जांच और नियन्त्रण के लिये स्वयं की प्रणाली और क्रियाविधियां विकसित की जाती हैं । निरन्तर बढ़ते, जटिल होते कार्यकलापों पर दृष्टि रखने और उन पर बेहतर नियन्त्रण रखने के लिये आंतरिक नियन्त्रण के विभिन्न उपाय अपनाये जाते हैं । बैंकों को बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा भी अपनी बहियों के परीक्षण का प्रावधान है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा भी समय-समय पर बैंकों का निरीक्षण किया जाता है । लेखा परीक्षण भी नियन्त्रण का एक अंग है ।

बैंकों में कोई भी कार्यकलाप ऐसा नहीं है जिसके बारे में निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि वहां धोखाधड़ी/हेराफेरी की संभावना नहीं है । अंशों का अंतर हो सकता है । अतः प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक विभाग / क्षेत्र / कार्यकलाप पर सतर्कतापूर्वक निगाह रखा जाना हितकर होगा । नियन्त्रण प्रणाली प्रभावी हो इसके लिये यह देखना होगा कि आपराधिक व्यवहार का स्वरूप क्या हो सकता है, अर्थात यह बाहरी है अथवा आन्तरिक, अथवा बाहरी और आन्तरिक दोनों तत्वों का मिला जुला मिश्रण । इसके साथ ही यह भी विचारणीय होगा कि इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति क्या है ? क्या ये शीघ्र अंतराल पर बार-बार होती हैं अथवा लम्बी अवधि के बाद । दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी आपराधिक कृत्य की गंभीरता यानि छोटे स्तर पर है या बड़े स्तर पर । अपराधों के प्रकार व प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्य नीति का अनुसरण करना होगा । मोटे तौर पर इस कार्य नीति को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है । लेकिन स्मरण रहे सम्पूर्ण कार्य नीति का निर्धारण सम्बंधित बैंक को ध्यान में रखकर करना होगा । एक समान कार्यनीति सभी बैंकों पर लागू करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होगा ।

1. निरोधात्मक

2. अनुसंधानात्मक

3. जांचात्मक

4. सुधारात्मक

5. दंडात्मक

इन सबका अंतिम लक्ष्य आपराधिक कृत्यों का निरोध है । सम्पूर्ण कार्य चक्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है । किसी भी नियन्त्रण प्रणाली के आयोजन की यह संक्षिप्त रुपरेखा है । यह रुपरेखा वर्तमान प्रणाली के संदर्भ में भी संगत है तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली परिमार्जित प्रणाली के क्रम में भी सटीक होगी।

नियन्त्रण/निरीक्षण/पर्यवेक्षण-उद्देश्य

नियन्त्रण के प्रभावी उपाय के रुप में आंतरिक लेखा परीक्षा/ निरीक्षण महत्वपूर्ण है । इसका समग्र उद्देश्य बैंक के प्रबन्ध तंत्र को बैंक के समस्त कार्यों में कुशलता प्राप्त करने में मदद करना है । इस मशीनरी द्वारा बैंक की समस्त गतिविधियों के सम्बंध में विश्लेषण, मूल्यांकन, अभिमत तथा सिफारिशें उपलब्ध कराई जाती हैं ।अंतिम लक्ष्य यही है कि बैंक वित्तीय और संगठनात्मक दोनों ही दृष्टियों से सुदृढ़ आधार पर कार्य करे । लेखा परीक्षण और निरीक्षण बहुधा एक समान अर्थों में लिये जाते हैं, लेकिन दोनों में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों ही अंतर हैं । लेखा परीक्षण मुख्यतः यह देखने के लिये किया जाता है कि लेखाकरण सिद्धान्तों और संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार सही व ईमानदार रिकार्ड रखा जाता है तथा आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय को सही रूप में प्रदर्शित किया जाता है । निरीक्षण / पर्यवेक्षण का क्षेत्र कुछ व्यापक है । इसमें क्रियाविधियों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अनुपालना की जाँच तो की ही जाती है, सुदृढ़ सुरक्षित परिचालन व्यवहार

और स्थितियों का संवर्धन भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है ।

वर्तमान पर्यवेक्षण व्यवस्था

केन्द्रीय बैंक के परम्परागत कार्यों का निर्वाह करने के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक पर इस बात का भी दायित्व है कि वह उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक परिपूर्ण एवं स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली विकसित करे । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को वाणिज्य, सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने तथा उन पर नियन्त्रण रखने की समुचित शक्तियाँ सौंपी गयी हैं । वर्तमान पर्यवेक्षण प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रकार के बैंकों पर लगभग एक समान पर्यवेक्षण मापदंड लागू किये जाते रहे हैं । उनका मुख्य आधार बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 की अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करना होता है । इस व्यवस्था में सांविधिक विनियमन के निम्न पक्षों पर जोर दिया जाता है :-

1. बैंकों का लाइसेंसीकरण
2. पूँजी, प्रारक्षित निधि और चल सम्पत्तियां
3. शाखा लाइसेंसीकरण
4. बैंकों का आवधिक निरीक्षण

पर्यवेक्षण सम्बंधी कार्यकलापों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बैंकों का निरीक्षण है । निरीक्षण कार्यस्थल (on-site) पर होता है ।निरीक्षण के दौरान बैंक की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया जाता है । निरीक्षण में आम तौर से निम्न पहलू शामिल होते हैं : -

1. बैंकों का संगठनात्मक विन्यास
2. शाखा विस्तार
3. जमा संचयन
4. निवेश
5. ऋण संविभाग प्रबंधन
6. ऋण मूल्यांकन
7. नियन्त्रण और सूचना प्रणाली
8. क्षेत्रवार कार्यकलाप
9. लाभ संबंधी आयोजना
10. मानव संसाधन आयोजना और प्रशिक्षण
11. सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में बैंक के विकासपरक कार्यकलाप

निरीक्षण का मूलभूत उद्देश्य यह है कि जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए तथा बैंककारी नियमों और विनियमों तथा देश के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली बनाये रखी जाये । वर्तमान पर्यवेक्षण व्यवस्था में कार्य स्थल (on-site) पर निरीक्षण को वरीयता दी जाती है तथा इस माध्यम से पर्यवेक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति पर जोर दिया जाता है । इस व्यवस्था में दूरस्थ पर्यवेक्षण के पक्ष उपस्थित तो हैं लेकिन उन्हे गौण वरीयता दी जाती है फिर भी, आज दूरस्थ पर्यवेक्षण (offsite) भी एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है । तो भी केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक देश में एक स्वस्थ बैंकिंग तन्त्र कायम रखने में समर्थ हुआ है।

बदलते संदर्भ

भारत में उदारीकरण के लागू होने के पश्चात तथा सार्वभौमिक बैंकिंग से अधिकाधिक तादात्मय स्थापित करने की दिशा में हो रहे प्रयासों के फलस्वरूप सम्पूर्ण बैंकिंग परिवेश में आमूल परिवर्तन की श्रृंखला आरम्भ हो चुकी है । बैंकिंग प्रणाली में नये उत्पादों के नवोन्मेष की गति, गहन प्रतिस्पर्धा, तीव्र प्रौद्योगिकी विकास तथा वित्तीय बाज़ारों के साथ समन्वय ने एक सुदृढ़ और दक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है । अब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के आवधिक वित्तीय निरीक्षण का केन्द्र बिन्दु और उसकी पद्धति बदल रही है ताकि बैंकिंग कारोबार में विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिये प्रचलित प्रणालियों के विश्लेषण पर जोर दिया जा सके ।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ते कदम

घोषित नीति के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक अब जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर बढ़ रहा है जो भारतीय परिवेश के अनुसार पर्यवेक्षण के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों को यथोचित रूप में संशोधित कर अपनाने का प्रयास करेगा । प्रारम्भिक कदम के रुप में इस नयी प्रणाली को अपनाने के संदर्भ में अपने स्तर पर निम्न उपाय किये जाने अपेक्षित होंगे :-

1. पर्यवेक्षण विभाग को विशेषज्ञोन्मुख बनाना
2. सूचना प्रणालियों को इस तरह संयोजित करना कि समय पर संकेत सूचना प्राप्त हो सके
3. स्वयं नियामक साधनों के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा

देना / बैंकों को प्रेरित करना

4. एकत्रित की गयी सामग्री का यथोचित भरपूर उपयोग करना
5. पर्यवेक्षण ढांचे को युक्तिसंगत बनाना। पर्यवेक्षण से संबंधित सभी कार्यकलाप एक ही विभाग द्वारा देखें जाये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये गये हैं कि वे जोखिम प्रबंध प्रणालियों का अपेक्षित स्तर स्थापित करें जैसा कि समय-समय पर बताया गया है । ज्यादा प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर एक कदम के रुप में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली बनाई जा रही है जो बैंकों की समस्या को प्रारम्भिक अवस्था में ही निपटाने और उस पर विवेकानुसार प्रतिरोधी / निदानात्मक कार्रवाई करने के लिये तथा हानियों को सीमित रखने एवं संक्रामक प्रभाव को रोकने के लिये बैंकों की सहायता करेगी । इस प्रयोजन के लिये कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक जैसे सीआरआर,निवल गैर निष्पादक आस्तियां तथा आस्तियों पर प्रतिलाभ संकेतक मापदंडों के रुप में कार्य करेंगे ।

जोखिम आकलन की आवृत्ति अवधि सम्बंधित बैंक की जोखिम संभावनाओं / जोखिम रेखाचित्र इत्यादि पर निर्भर करेगी । आमतौर पर औसतन वार्षिक आवृत्ति पर्याप्त होगी । आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को घटाया / बढ़ाया जा सकता है ।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण - मुख्य मुद्दे

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण एक नया दृष्टिकोण है तथापि पर्यवेक्षण के आधारभूत तत्वों में कोई आमूल बदलाव नहीं होगा, परिमार्जन अवश्य है । इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यवेक्षण की एक समेकित प्रणाली विकसित किया जाना अपेक्षित है ताकि एक इकाई की कमजोरी दूसरी इकाई तक न पहुँचे और प्रणाली में अस्थिरता न आये । इस प्रणाली में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बैंकों के निदेशक मंडलों को एक विधिवत् तन्त्र अपनाना होगा ताकि बैंकों का कामकाज सुव्यवस्थित तरीके से चल सके । जहाँ आवश्यक हो भारतीय वित्तीय प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल बैंकिंग सिद्धान्तों को अपनाना होगा । जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के मुख्य तत्व संक्षेप में निम्न प्रकार परिभाषित किये जा सकते हैं :-

1) जोखिम संभावनाओं का रेखाचित्र

प्रत्येक बैंक की जोखिम संभावनाओं का रेखा चित्र / रूपरेखा बनाना इसमें संबंधित बैंक के बारे में वित्तीय और गैर वित्तीय जोखिमों का विवरण संकलित होगा । इस मद में सूचना संकलन में सभी उपलब्ध साधनों की मदद ली जानी चाहिये । बाजारी खुफिया रिपोर्ट, आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, दूरस्थ अनुप्रवर्तन के माध्यम से उपलब्ध आंकड़े और सूचना इस प्रकार की रूपरेखा बनाने में काफी सहायक होंगें ।

इस रूपरेखा के मुख्य मद निम्न प्रकार हो सकते हैं :-

1. कैमल्स आधार पर की गयी रेटिंग और उसकी प्रवृत्ति
2. कैमल्स माडल में आकलितजोखिमविशेषताओं का विवरणात्मक उल्लेख
3. व्यापार/ व्यवसाय की मुख्य जोखिमों का सार
4. बैंक की प्रगति की जाँच किये जाने योग्य कार्य योजना
5. बैंक की क्षमता, कमजोरी, अवसर और आशंकाओं का विश्लेषण (SWOT Analysis)
6. संवेदनशीलता विश्लेषण

2) पर्यवेक्षण प्रकार/कार्यक्रम/आवृत्ति

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक के लिये एक विस्तृत कार्य योजना निर्धारित की जायेगी । पर्यवेक्षण के निम्न प्रकारों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्यक्रम होगा जिसे अपनाया जाना उपयुक्त होगा जो सम्बद्ध बैंक की जोखिम संभावनाओं के रुप पर निर्भर करेगा ।

1. दूरस्थ निगरानी के उपाय
2. विशिष्ट उद्देश्य लक्षित स्थानिक निरीक्षण
3. विशिष्ट कार्यसूची के लिये बैंक के साथ विचार विमर्श
4. बाहरी ऑडिट स्थापित करना
5. विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करना
6. बैंकों के स्तर पर प्रतीत हुये / प्रकट हुये चिंताकारक मुद्दों पर नीति निर्देश जारी करना

जोखिम आकलन की आवृत्ति अवधि सम्बंधित बैंक की जोखिम संभावनाओं / जोखिम रेखाचित्र इत्यादि पर निर्भर करेगी । आमतौर पर औसतन वार्षिक आवृत्ति पर्याप्त होगी । आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को घटाया / बढ़ाया जा सकता है ।

3) निरीक्षण प्रक्रिया / मूल्यांकन / समीक्षा / अनुवर्ती कार्यवाही

स्थानिक निरीक्षण से पूर्व सम्बंधित बैंक की जोखिम संभावनाओं का अध्ययन / आकलन किया जाना होगा । निरीक्षण अब सौदों के परीक्षण और आस्ति के मूल्यांकन तक सीमित नहीं होंगे । इनका क्षेत्र व्यापक और विस्तारित होगा । तन्त्र की प्रभावशीलता और उच्च जोखिम के क्षेत्रों का निर्धारण निरीक्षण का महत्वपूर्ण अंग होगा । सामयिक समीक्षा और मूल्यांकन भी इस प्रक्रिया के प्रभावी अंग होंगे जिन्हें अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जायेगा ।

4) प्रोत्साहन / प्रेरणा

समुचित अनुपालन और प्रभावी सुधारात्मक उपायों के माध्यम से प्रबंधन को गतिशील बनाने वाले बैंकों को प्रेरक प्रोत्साहन भी नये पर्यवेक्षण के अंग होंगे । इसमें पर्यवेक्षक का कम से कम हस्तक्षेप भी एक कदम होगा । इसके विपरीत शिथिल कार्य विधि अपनाने वाले बैंकों को प्रताड़ना और दंड से नहीं बख्शा जायेगा । त्वरित सुधारात्मक कार्य योजना सम्पूर्ण पर्यवेक्षण प्रणाली का अभिन्न अंग होगी ।

बैंक स्तर पर अपेक्षाएं

नयी पर्यवेक्षण विधि में बैंक स्तर पर भी कुछ अपेक्षाएं की गयी हैं ताकि सहभागिता के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकें । इस क्रम में बैंक स्तर पर निम्न अपेक्षाएं आकलित की गयी हैं ।

i) जोखिम प्रबंधन तन्त्र की स्थापना

इस तन्त्र का मुख्य अंग आस्ति - देयता प्रबन्धन कमेटी सदृश्य ग्रुप की स्थापना है । सभी आस्तियों के जोखिम प्रबंधन की यह कमेटी देखभाल करेगी । सभी बैंक इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप वांछित व्यवस्था करेंगे ।

ii) जोखिम केन्द्रित लेखा-परीक्षा

बैंक की आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली से स्वतन्त्र एक निष्पक्ष आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली का विकास बैंकों द्वारा किया जायेगा जो जोखिम केन्द्रित होगी। आंतरिक निरीक्षण से परम्परागत आकलनों के अतिरिक्त यह अपेक्षा भी होगी कि वे सम्पूर्ण नियन्त्रण तन्त्र की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट खास तौर से जोखिम आकलन, विश्लेषण एवं प्रबन्धन जैसे मुद्दों पर दें । इनकी रिपोर्ट बैंक उच्चतम प्रबन्धन वर्ग को प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

iii) प्रभावी सूचना प्रबन्ध तंत्र

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह अनिवार्य होगा कि अद्यतन सूचना तकनीक का उचित प्रबन्धन किया जाये । सूचना की सत्यता, पर्याप्तता, समय पर उपलब्धि एवं उचित श्रेणीकरण इस तन्त्र की स्थापना के मुख्य लक्ष्य होने चाहिये ।

iv) मानव संसाधन प्रबन्धन

नये संदर्भों में यह एक महत्वपूर्ण एवं चुनौती भरा कार्य होगा । नये क्षेत्रों का प्रभावी रुप से प्रबंधन करने के किये यह जरूरी होगा कि वांछित कौशल उपलब्ध हो । कौशल विकास के कार्यक्रम / प्रशिक्षण तथा जोखिम प्रबंधन टीम का गठन इस दिशा में अनिवार्य कदम होंगे । एक दूरदर्शी कार्य योजना का अपनाया जाना पहला कदम होगा ।

v) अनुपालना इकाई की स्थापना

पर्यवेक्षण जनित सुझावों के समुचित कार्यान्वयन / प्रबंधन तथा दोषों के निवारण हेतु त्वरित सुधारात्मक उपाय करने के लिये यह आवश्यक होगा कि एक सक्षम अनुपालन टीम का गठन किया जाये ।

नये बैंकिंग परिदृश्य के संदर्भ में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के बारे में यह एक सूक्ष्म आकलन है वस्तुतः भारतीय बैंकिंग प्रणाली अनेक उतार-चढ़ावों, बाधाओं, अपवादों, हादसों के उपरान्त भी एक सक्षम तन्त्र की कसौटी पर खरी उतरी है। उसमें वह आंतरिक शक्ति है कि वह अपने आपको बदलते परिवेश के अनुरूप ढाल सकती है । आवश्यकता है उपयुक्त मार्गदर्शन और प्रेरणा की ।

प्रयुक्त शब्दावली

प्रबंधन और विपणन	Management & Marketing	अनुसंधानात्मक	Research Oriented
संसाधनों का संयोजन	Deployment of Resources	जांचात्मक	Investigative
निरोधात्मक	Preventive	सुधारात्मक	Reformative

समेकित जोखिम प्रबंधन

यू.एस. पालीवाल
महा प्रबंधक एवं संकाय सदस्य
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

1. मूल संकल्पना

निम्नांकित तीन महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के स्वरूप को निर्धारित करती हैं :-

क) जोखिम
ख) जोखिम प्रबंधन
ग) समेकित जोखिम प्रबंधन

क) जोखिम

जोखिम से बचा नहीं जा सकता और यह तकरीबन प्रत्येक मानवीय स्थिति में मौजूद होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में विद्यमान है। संदर्भ के अनुसार जोखिम की अलग-अलग परिभाषाएं प्रयुक्त होती हैं।

सभी परिभाषाओं में जो आम संकल्पना है वह है परिणाम की अनिश्चितता। कुछ लोग जोखिम को **प्रतिकूल परिणाम** के रूप में ही देखते हैं तो कुछ इसके प्रति तटस्थ भाव रखते हैं। सरल शब्दों में कहें तो -

" जोखिम से तात्पर्य है भविष्य की घटनाओं और उनके परिणामों के प्रति अनिश्चितता। यह किसी भी घटना की संभाव्यता और प्रभाव को परिभाषित करता है जिससे किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर असर पड़ सकता है।"

प्रत्येक जोखिम के लिए दो गणनाएं आवश्यक हैं : उसकी संभावना या संभाव्यता ; और प्रभाव या परिणामों की व्यापकता।

ख) जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन नई संकल्पना नहीं है। यह अच्छे प्रबंधन और सभी स्तरों पर निर्णय लेने का आन्तरिक घटक है। किसी भी बैंक में हर विभाग जाने - अनजाने निरन्तर जोखिम प्रबंधन करता रहता है - कई बार गंभीरतापूर्वक और प्रणालीबद्ध तरीके से तो कई बार ऐसे ही।

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन नई संकल्पना नहीं है। यह अच्छे प्रबंधन और सभी स्तरों पर निर्णय लेने का आन्तरिक घटक है।

जोखिम प्रबंधन की कई स्वीकृत परिभाषाएं प्रयोग में हैं। जोखिम प्रबंधन को कुछ लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें जोखिम की पहचान और मूल्यांकन को शामिल नहीं किया जाता तो कुछ लोग इसे एक सम्पूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और जोखिम मुद्दों के बारे में निर्णय शामिल हैं।

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रयोजन के लिए ; " अनिश्चितता की स्थिति में जोखिम मुद्दों की पहचान, मूल्यांकन, समझ और सम्प्रेषण के द्वारा प्रणालीबद्ध तरीके से सुनियोजित कार्रवाई करना ही जोखिम प्रबंधन है।"

जोखिम प्रबंधन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जोखिम प्रबंधन की एक परंपरा विकसित की जाए। जोखिम प्रबंधन की परंपरा किसी भी संगठन के समग्र विज़न, ध्येय और उद्देश्यों का समर्थन करती है। स्वीकार्य जोखिम पद्धतियों और उसके परिणामों से जुड़ी सीमाओं का निर्धारण और सम्प्रेषण किया जाता है। चूंकि जोखिम प्रबंधन भावी घटनाओं और उनके परिणामों की अनिश्चितता से जुड़ा होता है अतएव यह मान लिया जाता है कि हर तरह की नियोजन प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन किसी न किसी रूप में **सन्निहित** होता है। एक स्पष्ट तात्पर्य यह भी है कि जोखिम प्रबंधन में सभी शामिल हैं क्योंकि सभी स्तर के लोग जोखिम के स्वरूप, संभावना और प्रभाव पर कुछ न कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन का संबंध निर्णय लेने की उस प्रक्रिया से है जो व्यक्तिगत गतिविधि के स्तर और कार्यक्षेत्रों में इसे लागू करके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। यह विज्ञान आधारित साक्ष्य और अन्य तत्वों के मिलान, सीमित संसाधनों के निवेश की लागत और अपेक्षित लाभ; और योग्य कर्मठता, जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम वहन करना, अन्वेषण एवं जवाबदेही के

निर्धारण के लिए आवश्यक प्रशासनिक और नियंत्रक उपायों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है।

ग) समेकित जोखिम प्रबंधन

मौजूदा बैंकिंग परिवेश में और अधिक समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब व्यक्तिगत गतिविधि स्तर पर जोखिम वहन कर पाना पर्याप्त नहीं है। पूरे विश्व में संगठन अपने सभी जोखिमों से निपटने के लिए अधिक सुगठित तौर-तरीके अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं।

आज बैंक अलग-अलग प्रकार के कई जोखिमों से रूबरू हो रहे हैं (उदा. नीति, कार्यक्रम, परिचालनगत, परियोजना, वित्तीय, मानव संसाधन, तकनीकी, राजनीतिक)। विभिन्न मोर्चों और उच्च स्तरों पर उत्पन्न होनेवाले उच्च प्रभाववाले जोखिमों से निपटने के लिए सुगठित, सुनियोजित कारपोरेट प्रतिक्रिया जरूरी है।

समेकित जोखिम प्रबंधन एक संगठन के दृष्टिकोण से जोखिम को समझने, निपटने और सम्प्रेषित करने की निरन्तर **भविष्योन्मुखी** और सुनियोजित प्रक्रिया है। समेकित जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य उन महत्वपूर्ण निर्णयों से है जो किसी संगठन के समग्र कारपोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं।

समेकित जोखिम प्रबंधन में किसी बैंक के लिए प्रत्येक स्तर पर संभावित जोखिम का निरनतर मूल्यांकन अपेक्षित है और उसके बाद कारपोरेट स्तर पर उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए बैंक की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सही निर्णयन में सहायता प्राप्त होती है। बैंक की कारपोरेट रणनीति में समेकित जोखिम प्रबंधन अन्तर्निहित होना चाहिए और इसके द्वारा बैंक की जोखिम प्रबंधन पद्धति का निर्धारण किया जाना चाहिए। समूचे संगठन के जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन से जोखिम की महत्ता और उसके पारस्परिक निर्भरता का पता चलता है।

समेकित जोखिम प्रबंधन न केवल जोखिम को न्यूनतम और सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है अपितु यह अन्वेषणों को भी बढ़ावा देता है जिससे अपेक्षित परिणाम, लागत और जोखिम के साथ अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त किया जा सके। समेकित जोखिम प्रबंधन कारपोरेट स्तर पर अधिकतम संतुलन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करता है।

2. प्रयोजन

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे का उद्देश्य है :

क) जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक संगठित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना

ख) **जोखिम - प्रवीण कार्यबल** और परिवेश तैयार करने में सहायता करना जिससे अन्वेषण और जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम वहन करने को बढ़ावा मिल सके और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि बैंक के हितों की रक्षा के लिए समुचित पूर्वोपाय कर लिए गए हैं तथा यथोचित उद्यमता सुनिश्चित करना।

ग) जोखिम प्रबंधन के उपायों को सुझाना जिन्हें विभाग अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और निवेशों के अनुसार अपना अथवा ढाल सकें।

3. अनुप्रयोग

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि उससे प्रबंधकीय क्रियाविधियों, निर्णयन और प्राथमिकता निर्धारण को मजबूती मिल सके ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। इसके अलावा समेकित जोखिम प्रबंधन को अपनाने से जोखिम - प्रवीण कार्यबल और परिवेश की तरफ जाने में आसानी होगी। यह माना जा रहा है कि इसे लागू करने से : -

क) नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परिचालनों से जुड़े विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की पहचान और मूल्यांकन, और अवांछित प्रभावों को दूर करने के लिए समुचित उपायों की मौजूदगी के साथ ही अवसरों से लाभ उठाने को सुनिश्चित करते हुए बैंकों के कारपोरेट प्रबंधन उत्तरदायित्वों का समर्थन किया जा सकेगा।

ख) यह सुनिश्चित करते हुए कि मूल्य, दक्षता, साधन और सहायक परिवेश, जो अन्वेषण और जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम वहन करने की नींव तैयार करते हैं, और नियामक नियंत्रणों का पालन करते हुए अनुभवों से सीखने को प्रोत्साहित करते हुए अधिक जानकारीयुक्त निर्णयन प्रक्रिया के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे ;

ग) यह प्रदर्शित करते हुए कि नीतियों, आयोजनाओं, कार्यक्रमों और परिचालनों से जुड़े जोखिमों के स्तर को स्पष्टतः समझ लिया गया है और जोखिम प्रबंधन उपायों में निवेश तथा धारकों के हितों में अधिकतम संतुलन को पा लिया गया है; जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सकेगा ; और

घ) ग्राहक सेवा को मजबूती प्रदान कर उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जा सकेगी।

4. अपेक्षित परिणाम

समेकित जोखिम प्रबंधन के द्वारा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किये जाने की संभावना है। इसे पूरे संगठन के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है जो कई संगठित प्रेरक उपायों के एक भाग के रूप में **निर्णयन प्रक्रिया** में सुधार लाएगा और परिणाम आधारित प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। समेकित जोखिम प्रबंधन, जोखिम के अच्छे प्रबंधन के लिए संगठन के सभी पहलुओं पर ध्यान देने की अपेक्षा करता है। जो संगठन पूरे संगठन के तौर पर जोखिम से निपटान का प्रबंध करते हैं, उनके अपने उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन से घाटे और नकारात्मक परिणामों में कमी आती है एवं धारकों तथा आम जनता को दी जानेवाली सेवाओं में सुधार करने के अवसरों का पता चलता है।

जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुनियोजित, समेकित लेकिन व्यवहार्य दृष्टिकोण के लिए यह अपेक्षित है कि कोई भी संगठन जोखिम से निपटने के लिए पूर्णतः समर्थ हो ताकि संगठन और धारकों के इस विश्वास को बल मिले कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और संसाधनों के उत्कृष्ट उपयोग, सहयोगियों के साथ विश्लेषणों और क्रियाओं के आदान-प्रदान के द्वारा विश्वास में मजबूती एवं सुधारित समूहकार्य में मदद मिलती है। अधिक सतर्क और निरन्तर परामर्श तथा जोखिम सम्प्रेषण की जरूरत पर बल देते हुए जोखिम प्रबंधन के समेकित दृष्टिकोण से जोखिम से निपटने के उत्तरदायित्व में सहभागिता बढ़ती है। इससे संगठन की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ता है और कारोबार के बारे में आम जनता और धारकों की समझ में सुधार होता है।

संस्था का प्रबंधक वर्ग जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और अपने संगठन में जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके निर्धारित करे।

5. समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचा

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे से जोखिम प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण अपनाने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस ढांचे को अपनाने से कर्मचारियों और संगठनों को जोखिम के स्वरूप को बेहतर तरीके से समझने और सुनियोजित रूप से उसका सामना करने में मदद मिलेगी। समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे में निम्नांकित चार घटक मौजूद हैं :

क) घटक 1: कारपोरेट जोखिम प्रोफाईल को विकसित करना

कोई भी संगठन कारपोरेट जोखिम प्रोफाईल के विकास द्वारा तीन तरह के परिणाम की आशा कर सकता है;

I आन्तरिक और बाह्य परिवेश के सतत अवलोकन, विश्लेषण और समायोजन के द्वारा चुनौतियों और अवसरों का पता लगाया जाता है।

परिवेश के अवलोकन द्वारा संगठन अपने सम्मुख आनेवाले जोखिमों की विशेषताओं और परिणामों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। इनमें शामिल हैं :-

* जोखिम का प्रकार : तकनीकी, वित्तीय, मानव संसाधन (क्षमता, बौद्धिक संपदा)
* जोखिम का स्रोत : बाह्य (राजनैतिक, सुरक्षा, ज्ञान प्रबंधन, निर्णयन हेतु जानकारी) ;
* जोखिम पर क्या है : प्रभाव का क्षेत्र / प्रभावन का प्रकार (लोग, प्रतिष्ठा, कार्यक्रमों का परिणाम, सामग्री, वास्तविक संपदा) ; और
* जोखिम को नियंत्रित करने की योग्यता का स्तर : उच्च (परिचालन) ; मध्यम(प्रतिष्ठा) ; निम्न (प्राकृतिक विपदाएं)

II संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाता है - चुनौतियों / अवसरों, क्षमता, प्रक्रियाओं, परंपरा को पूरे संगठन के जोखिम प्रबंधन की रणनीति को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

III संगठन के जोखिम प्रोफाईल की पहचान की जाती है - मूल जोखिम क्षेत्र, जोखिम सहन करने की सीमा, उसे कम करने की योग्यता और सामर्थ्य, सीखने की जरूरतें।

ख) घटक 2 : समेकित जोखिम प्रबंधन कार्य को स्थापित करना

किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम प्रबंधन को एक उचित, सुनियोजित और भविष्योन्मुखी तरीके से समेकित किया जाता है; निम्नांकित तीन परिणामों को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए :

I प्रबंधन : जोखिम पबंधन से जुड़े निर्देशों को संप्रेषित, समझा और लागू किया जाता है - ध्येय, नीतियां, परिचालनगत सिद्धांत।

II समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करने के दृष्टिकोण को मौजूदा निर्णयन संरचना, प्रशासन, स्पष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व और निष्पादन रिपोर्टिंग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

III निर्माण क्षमता - पूरे संगठन में सीखने की योजनाएं और साधन विकसित किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्ण दिशा

यह आवश्यक है कि संस्था का प्रबंधक वर्ग जोखिम प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और अपने संगठन में जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके निर्धारित करे। इनमें जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए कारपोरेट ध्येय, आन्तरिक मापदंड प्राथमिकताएं और प्रक्रियाओं का निर्धारण शामिल है। जोखिम प्रबंधन पर कारपोरेट के ध्यान को केंद्रित करने के लिए संगठन अपने संसाधनों के कुछ भाग को परामर्शकारी और चुनौतीवाले कार्यों, विशेषकर इन उत्तरदायित्वों को मौजूदा इकाइयों (उदा. कारपोरेट नियोजन और नीति, आन्तरिक लेखा परीक्षा), में लगाएं।

संगठन के मौजूदा विज़न और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। जोखिम प्रबंधन की समग्र दिशा को तय करते समय उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा का खाका खींचा जाता है जो नीतियों और प्रचलित सिद्धांतों द्वारा समर्थित होती है। यह नीति कर्मचारियों को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के स्पष्टीकरण, भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए, जोखिम प्रबंधन के तरीकों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के उद्देश्यों और परिणामों के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है।

जोखिम प्रबंधन को निर्णयन प्रक्रिया में समेकित करना

प्रभावी जोखिम प्रबंधन को अलग-अलग रूप में नहीं अपनाया जा सकता बल्कि उसे मौजूदा निर्णयन संरचना और प्रक्रिया में बदलना जरूरी है। चूंकि जोखिम प्रबंधन, अच्छे प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है अतएव जोखिम प्रबंधन कार्य को प्रचलित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और परिचालनगत प्रक्रियाओं में समेकित करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जोखिम प्रबंधन दैनंदिन गतिविधियों का एक अन्तर्निहित हिस्सा है।

यद्यपि प्रत्येक संगठन अपने - अपने तरीके से जोखिम प्रबंधन को प्रचलित निर्णयन संरचना में समेकित करने का प्रयास करता है तथापि निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ;

* संगठन में सभी स्तर पर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्यों के साथ तालमेल स्थापित करना ;
* प्रचलित नियोजन और परिचालनगत प्रक्रियाओं में जोखिम प्रबंधन के घटक को शामिल करना;
* जोखिम के स्वीकार्य स्तर के बारे में कारपोरेट के दिशानिर्देशों को संप्रेषित करना ; और
* जोखिम प्रबंधन और उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण और जवाबदेही प्रणालियों में सुधार लाना।
* जोखिम प्रबंधन को निर्णयन में बदलने की प्रक्रिया के पीछे कारपोरेट के सिद्धान्त और मान्यताएं कार्य करती हैं जो सभी को जोखिम प्रबंधन के लिए प्रेरित करती हैं। इसे कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि ;
* जोखिम प्रबंधन सहित प्रबंधन पद्धतियों में निपुणता हासिल करना ;
* जोखिम प्रबंधन में निपुण वरिष्ठ प्रबंधकों की मौजूदगी ;
* विपरीत परिस्थितियों के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्वेषण को प्रोत्साहित करना ;
* प्रबंधकों को जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना ;
* कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन के भाग के रूप में जोखिम प्रबंधन को शामिल करना ;
* प्रोत्साहन और पुरस्कार आरंभ करना; और
* जोखिम प्रबंधन की योग्यता के साथ-साथ अनुभव के आधार पर भर्ती।

संगठनात्मक क्षमता का निर्माण

जोखिम प्रबंधन की क्षमता के निर्माण के लिए कारपोरेट और स्थानीय स्तरों पर दो मूलभूत क्षेत्रों; मानवीय संसाधन एवं साधन और प्रक्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जोखिम प्रोफाईल के द्वारा संगठन की क्षमता की तुलना में उसकी मौजूदा ताकत और कमजोरियों का निर्धारण किया जा सकेगा। जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना है वे हैं :-

मानव संसाधन

* जोखिम प्रबंधन उपायों और तरीकों के प्रति जागरूकता निर्माण करना ;

* उपयुक्त अनुप्रयोगों और साधनों सहित औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा कौशल में वृद्धि करना ;
* उत्कृष्ट पद्धतियों और अनुभवों को आपस में बांटकर ज्ञान में वृद्धि करना ;
* समूह में कार्य करने की क्षमता, योग्यता और कौशल का निर्माण करना।

साधन और प्रक्रियाएं

* कारपोरेट जोखिम प्रबंधन के साधनों, तकनीकों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और विकसित करना;
* साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करना;
* विशेषीकृत अनुप्रयोगों में जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक उपयुक्त तकनीकों और वैकल्पिक साधनों के प्रयोग और / अथवा विकास की अनुमति प्रदान करना; और
* पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन के समेकन को सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों को अपनाना।

जोखिम प्रबंधन के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि नवीन अन्वेषणों, सीखने और सतत सुधार में सहायता मिल सके।

ग) घटक 3 : समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करना

समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने के लिए प्रबंधकीय निर्णय और सतत प्रतिबद्धता आवश्यक है और उसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। समेकित जोखिम प्रबंधन को कारपोरेट के समग्र परिवेश की बारीकी से जांच करने के बाद तैयार किया जाता है और उसे कारपोरेट के संसाधनों का पूर्ण समर्थन मिलता है।

समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करने के निम्नांकित परिणाम हो सकते हैं :-

* उन सभी स्तरों पर, जहां जोखिमों को समझा, प्रबंधित और सम्प्रेषित किया जाता है, विभागीय जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सतत लागू किया जाता है।
* सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन पद्धतियों के परिणामों को सुव्यवस्थित निर्णयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण, परिचालनगत, प्रबंधन एवं निष्पादन रिपोर्टिंग के प्राथमिकता निर्धारण के साथ समेकित किया जाता है।
* साधनों एवं पद्धतियों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं।

सतत रूप से आन्तरिक और बाह्य तौर पर धारकों से परामर्श और संपर्क किया जाता है।

सामान्य जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और संबंधित गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

जोखिम निर्धारण

1. मुद्दों की पहचान, संदर्भ निर्धारण

* समस्याओं अथवा अवसरों, विस्तार, संदर्भ (सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक साक्ष्य इ.) और संबंधित जोखिम मुद्दों को परिभाषित करना
* आवश्यक व्यक्तियों, विशेषज्ञों, साधनों एवं तकनीकों (उदा. दृश्यविधान, कुशाग्रता, जांचसूची) के बारे में निर्णय लेना
* धारक विश्लेषण करना (जोखिम सहनशक्ति, धारक स्थिति, दृष्टिकोण निर्धारित करना)।

2. मूलभूत जोखिम क्षेत्रों का निर्धारण

परिवेशगत जांच के संदर्भ / परिणाम का विश्लेषण करना और सम्मुख आनेवाले जोखिम के प्रकारों / श्रेणियों का निर्धारण करना, संगठनवार महत्वपूर्ण मुद्दे और महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे ।

3. संभाव्यता और प्रभाव का मापन

निर्धारित जोखिम के संभाव्यता प्रभाव के रूप में परिभाषित प्रकटीकरण के प्रमाण को निर्धारित करना और साधनों का चयन करना।

4. जोखिम की रैंकिंग

जोखिम सहन करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अथवा नए मापदंड एवं संसाधनों का विकास करते हुए जोखिम की रैंकिंग करना।

जोखिम के प्रति प्रतिक्रिया

5. वांछित परिणाम का निर्धारण

रैंक किए गए जोखिमों के लघु / दीर्घ अवधि के उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करना।

6. विकल्प तैयार करना

विकल्पों की पहचान और विश्लेषण - चुनौतियों को नियंत्रित

करने और अवसरों को बढ़ाने के उपाय - पहल, साधन।

7. रणनीति का चयन

* रणनीति का चयन करना, समस्या / अवसर प्रेरित परिणामोन्मुखी निर्णय मानदंड अपनाना।
* अनिश्चितता की स्थिति में अपरिवर्तनीय अथवा गंभीर परिणामवाले जोखिमों के प्रबंधन के साधन के रूप में स्थितिनुसार उपयुक्त एहतियाती दृष्टिकोण, सिद्धान्त अपनाना।

8. रणनीति को लागू करना

किसी योजना को तैयार करना व उसे लागू करना

9. निगरानी, मूल्यांकन और समायोजन

सीखना, स्थानीय और पूरे संगठन में व्यापक तौर पर निर्णयन / जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाना, प्रभावी मानदंड को अपनाना, निष्पादन और परिणामों की रिपोर्टिंग करना।

घ) घटक 4 : सतत जोखिम प्रबंधन सीखना सुनिश्चित करना

इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ;

* जहां अनुभवों से सीखने को महत्व दिया जाता है और अनुभवों को आपस में बांटा जाता है वहां एक अनुकूल कार्य परिवेश बन पाता है;
* सीखने के ऐसे अनुभव आगे चलकर संगठन के जोखिम प्रबंधन पद्धतियों में बदल जाते हैं ;
* जोखिम प्रबंधन के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि नवीन अन्वेषणों, सीखने और सतत सुधार में सहायता मिल सके ; और

उत्तरदायित्व **पारदर्शिता** और उचित **उद्यमता** के प्रदर्शन के अलावा उपयुक्त दस्तावेज़ीकरण को भी सीखने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समेकित जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन से व्यक्तिगत, दलगत एवं संगठन के स्तर पर नए अन्वेषणों, सीखने और सतत सुधार में सहायता मिलनी चाहिए।

यदि एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया कार्यरत हो जाए तो संगठन जोखिम प्रबंधन के संबंध में सतत नए अनुभवों को प्राप्त करता रहता है ;

* सीखने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन रणनीति से जुड़ी हुई है ;
* जिम्मेदारीपूर्वक जोखिम को वहन करने और अनुभवों से सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है ;
* निर्णयन प्रक्रिया के आधार के रूप में सूचनाओं का पर्याप्त आदान-प्रदान किया जाता है ;और नए सुझावों एवं प्रतिक्रिया पर बारीकी से ध्यान देकर अगली कार्रवाई तय की जाती है।

6. सारांश

समेकित जोखिम प्रबंधन ढांचे के उक्त चार घटकों को उनके कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यहां प्रस्तुत किया गया है जो पूरे संगठन में व्यापक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर अपनाए जाते हैं। समेकित जोखिम प्रबंधन का यह ढांचा जोखिम प्रबंधन के लिए एक अधिक सुनियोजित और समेकित दृष्टिकोण प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन के इस सुगठित दृष्टिकोण का उद्देश्य है , संगठन और उसके परिचालनगत परिवेश में संबंध स्थापित करना, व्यक्तिगत गतिविधियों की परस्पर निर्भरता और समस्तरीय संबंधों को परिभाषित करना।

यद्यपि यह माना जाता है कि एक समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने में कुछ विभाग अन्य विभागों से बहुत आगे हैं तथापि सभी बैंकों में बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने और उन्हें पूरे संगठन के दृष्टिकोण से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। समेकित जोखिम प्रबंधन को लागू करना किसी संगठन की तैयारी, समग्र प्राथमिकताओं और विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रयासों के स्तर पर निर्भर करेगा। परिणामस्वरूप एक सुविकसित जोखिम प्रबंधन परिवेश के लिए सतत प्रतिबद्धता की जरूरत होगी जिसमें समय के साथ-साथ सुधार परिलक्षित होगा।

प्रयुक्त शब्दावली

प्रतिकूल परिणाम	Adverse Consequences
सन्निहित	Implicit
भविष्योन्मुखी	Proactive
जोखिम-प्रवीण कार्यबल	Risk-smart Workforce
निर्णयन प्रक्रिया	Decision-making Process
पारदर्शिता	Transparency
उद्यमता	Diligence

पूंजी पर्याप्तता और जोखिम का संबंध*

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक,
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

कितनी पूंजी ?
कितनी सुरक्षित है पूंजी ?
पूंजी कहां लगायें कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके ?
पूंजी लगाने में कहीं कोई खतरा तो नहीं है ?
अगर लगाया हुआ धन वापस न लौटे तो उस नुकसान की भरपायी कैसे की जाये ?

ये हैं कुछ प्रश्न,जिनसे बैंकों को लगातार जूझना पड़ता है । इन प्रश्नों के उत्तर पूंजी और जोखिम का संबंध भी स्पष्ट करते हैं ।

बैंकिंग कारोबार के लिए प्रारंभ में तो पूंजी लगानी ही पड़ती है, भविष्य में कारोबार में वृद्धि और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूंजी बढ़ानी भी पड़ती है । ज्यों - ज्यों बैंक का कारोबार बढ़ता जाता है, नयी शाखाएं खुलती हैं, नये कार्य शामिल होते हैं, त्यों-त्यों पूंजी भी बढ़ती जाती है । लेकिन तभी जब सभी कार्य सोचे-विचारे ढंग से होते रहते हैं । परंतु बैंकिंग कार्यों में हमेशा ऐसा कहां हो पाता है । कारोबार में कुछ कमियों के कारण पूंजी की हानि भी होती है । बैंकिंग कार्यों में इस तरह की आशंका सदैव रहती है और बैंकर को इसका जोखिम लेना ही पड़ता है । हानि न हो या कम से कम हो, इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है । अतः संभावित हानि से बचने के उपाय करने पड़ते हैं । संभावित हानि से बचने के उपाय जोखिम प्रबंधन का हिस्सा होते हैं ।

" कितनी पूंजी ?
कितनी सुरक्षित है पूंजी ?
पूंजी कहां लगायें कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके ?
पूंजी लगाने में कहीं कोई खतरा तो नहीं है ?
अगर लगाया हुआ धन वापस न लौटे तो उस नुकसान की भरपायी कैसे की जाये ?"
ऐसे कई प्रश्नों के बीच उत्तर खोजता यह लेख

जोखिम

वास्तव में बैंकिंग का आधार कम लागत में जमाराशियां जुटाना और सर्वोत्तम ढंग से उनका लाभप्रद उपयोग करना है । बैंकिंग व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है कि जो ऋण दिया जाये, उसकी समय पर वसूली हो, जो निवेश किये जायें उनका लाभ मिलता रहे, ताकि पुनः ऋण देने के लिए बैंक के पास राशि बनी रहे । समय पर वसूली के लिए ऋण देने के बारे में कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जैसे कि सही व्यक्ति या पार्टी को ऋण देना, ऋण का उचित प्रयोजन और जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाना है, वह वास्तव में कितना सही है, इसका सम्यक् मूल्यांकन (जिसे क्रेडिट एप्रेजल कहते हैं), अर्थात् वह परियोजना व्यवहारिक हो, जिससे कि ऋण की राशि का सदुपयोग हो । बैंक को यह भी देखना होता है कि ऋण जिस प्रयोजन के लिए दिया गया है, उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जा रहा है ।ये बातें ऋण स्वीकृति से लेकर ऋण वसूली तक के विभिन्न चरणों में होती हैं और बैंक को हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ती है । इसके बावजूद ऋण वसूली कभी कठिन तो कभी असंभव हो जाती है । ऋण वसूली में कठिनाई या वसूली असंभव हो जाने का जोखिम बैंक को उठाना पड़ता है ।

यही बात निवेशों के संबंध में है । प्रायः गलत जगह निवेश होने से बैंकों को न केवल लाभ या **लाभांश** की हानि उठानी पड़ती है, बल्कि पूंजी का भी ह्रास हो जाता है । अतः बैंकों को

---

* संदर्भ : इस लेख की विषयवस्तु भारतीय रिज़र्व बैंक, कें. का., बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा प्रकाशित 'रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स इन बैंक्स' तथा 4 और 5 जुलाई 2002 के मास्टर परिपत्र क्रमशः सं.1 और 2 पर आधारित है ।

कतिपय सावधानियां रखनी पड़ती हैं । **कारोबारी जोखिम** कम से कम रहे और इस जोखिम के कारण बैंक की पूंजी का ह्रास न हो और ह्रास होने पर भी बैंक की माली हालत इतनी खराब न हो जाये कि वह अपने जमाकर्ताओं और बकायादारों की देय राशि की चुकौती में कठिनाई का अनुभव करे और ऐसी स्थिति न बन जाये कि बैंक पर से जनता का विश्वास उठ जाये । विश्वास बनाये रखने के लिए बैंक को अपनी पूंजी में से देयताओं की पूर्ति करनी पड़ती है । तब लेने के देने पड़ जाते हैं ।

प्रबंधन

इस स्थिति से बचने के लिए दो बातें अत्यावश्यक हैं । पहली यह कि बैंक का पूंजी आधार कभी भी कमजोर न होने पाये और दूसरी यह है कि जोखिम का उचित प्रबंधन हो । देखा जाये तो जोखिम प्रबंधन बैंक के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करने और सुदृढ़ बनाये रखने के लिए ही है । जिस तरह ऋण देने में सावधानियां रखनी पड़ती हैं, निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है और अनेक प्रकार के **विवेकपूर्ण मानदंड** अपनाये जाते हैं, उसी तरह निवेश के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया और मानदंड अपनाये जाते हैं । आधुनिक बैंकिंग में निवेश के अवसरों का अभाव नहीं है, निवेश की परंपरागत मदें तो तुलन पत्र में शामिल हैं ही, तुलनपत्र से इतर मदें भी बैंकों के लिए लाभ कमाने का जरिया हैं । विदेशी मुद्रा की वायदा संविदायें, मुद्रा / ब्याज का स्वैप, विकल्प (ऑप्शन) आदि ऐसे अवसर हैं, जिनमें लाभ की अधिक संभावनाएं हैं, वहीं जोखिम भी अधिक हैं । बैंकों के इस तरह के जोखिमों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं - पूर्ण जोखिम, जैसे कि वैकल्पिक साखपत्र (स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट), धन की गारंटी आदि । दूसरी श्रेणी में बोली बांड, साखपत्र, क्षतिपूर्तियां और वारंटी आदि हैं और तीसरी श्रेणी कम जोखिम वाली है, जिसमें रिवर्स रिपो, करेंसी स्वैप,विकल्प (ऑप्शन), भविष्य के वायदे (फ्युचर्स) आदि हैं ।

जोखिम प्रबंधन में अनेक बातें शामिल हैं , जैसे कि संगठन का उत्कृष्ट ढांचा, सुदृढ़ पूंजीगत आधार, जोखिम का अंदाज लगाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की नीति, जोखिम कम करने के लिए ऋण स्वीकार करने हेतु विवेकपूर्ण मानदंड, सशक्त सूचना प्रणाली, आवधिक समीक्षा और निवारण के उपाय आदि । पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ का दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है ।

सुदृढ़ पूंजीगत आधार और उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन श्रेष्ठ बैंकिंग के आधार स्तंभ हैं । इनमें किसी प्रकार की कमी या कमजोरी संपूर्ण बैंक को कमजोर बना देती है । यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दो बातों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है । पिछले कुछ वर्षों से बासल् समिति इनके लिए पर्याप्त उपायों का सुझाव देती रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी बासल् समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार भारत के बैंकों को भी सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली अपनाने के लिए निर्देश जारी किये हैं ।

इन निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन के लिए जहां बैंक के निदेशक मंडल को समग्र उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर आग्रह है, वहीं सर्वोच्च कार्यपालकों की जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने का भी निर्देश है । यह समिति सीधे निदेशक मंडल को अपनी रिपोर्ट देती है । मोटे तौर पर जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यों में बैंक के जोखिम की पहचान करना, उन पर निगरानी रखना और जोखिम से बचने या स्थिति को सुधारने के उपाय करना । इसके लिए यह समिति नीतियां और क्रियाविधि भी निर्धारित करती है । बैंक को कम से कम जोखिम उठाना पड़े या बिना जोखिम के कार्य संपन्न होते रहें, इसके लिए समिति को नवीनतम स्थितियों और बाजार की गतिविधियों पर भी नजर रखनी पड़ती है । बाजार की किन स्थितियों का बैंक पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है, यह भी देखना आवश्यक होता है । बैंक के सभी कार्यालयों से समय पर सूचना मिलती रहे, इसके लिए सूचना प्रणाली में आवश्यकतानुसार सुधार भी किये जाने चाहिए ।

वर्तमान में बैंकिंग, बाजार और अंतरराष्ट्रीय स्थितियों का एकीकरण बढ़ता जा रहा है । देश के बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजारों और स्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं । अतः बैंक में ऐसी कार्यकुशलता (जन-साधन और यांत्रिक साधन दोनों रूप में) होनी चाहिए कि बैंक के हितों की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के जोखिमों को समझा जा सके और स्थितियों से वैज्ञानिक ढंग से निपटा जा सके ।

बैंक के जोखिम मुख्यतः ऋण, निवेश, अंतर बैंक लेनदेन और देश विशेष की स्थितियों (मुख्यतः आर्थिक और राजनीतिक) से संबद्ध होते हैं । इन सभी बातों का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव बैंक की पूंजी पर पड़ता है । इन स्थितियों से निपटने के

लिए बैंक की अपनी दूरदृष्टि और कार्यकुशलता ही अधिक कारगर होती है । इसके अतिरिक्त बैंक की चलनिधि संबंधी स्थिति भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वह किसी भी बाहरी या आंतरिक आघात को सह सके । किसी अप्रत्याशित आघात को सहन करने के लिए ही बैंक का पूंजीगत आधार पर्याप्त सुदृढ़ होना चाहिए । यहीं पर पर्याप्त पूंजी जोखिम का परस्पर संबंध स्पष्ट हो जाता है । पूंजीगत आधार बहुत मजबूत हो तो बैंक कोई भी जोखिम उठाने में सक्षम होता है और यह जोखिम कभी-कभी बैंक को बहुत लाभदायक भी सिद्ध होता है, बशर्ते जोखिम उठाने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया हो और इसमें संबद्ध अधिकारियों की दूरदृष्टि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो । दूरदृष्टि के अभाव में बैंक को भारी हानि उठाने के अनेक उदाहरण मिल जायेंगे । शेयर बाजार में बैंकों के कार्यकलाप इसका एक उदाहरण हैं । शेयर बाजार के ठीक विपरीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को ऋण और इस उद्योग से संबद्ध कंपनियों में बैंकों के प्रत्यक्ष और परोक्ष निवेशों से बैंकों को 11 सितंबर 2001 के बाद बनी अप्रत्याशित मंदी के कारण हुई हानि का उदाहरण है । इस मंदी के कारण बैंकों के ऐसे निवेशों का मूल्य कम हो गया ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि की व्यवस्था और आवश्यक चलनिधि बनाये रखना भी बैंकों के लिए आवश्यक हो गया है । चलनिधि से अभिप्राय जमाराशियों तथा अन्य देयताओं को मांग पर या समय पर चुकाने में बैंक की सामर्थ्य से है । बैंक इसके लिए उचित लागत पर निधियां जुटाते भी हैं ।

पूंजी आधार अगर सुदृढ़ हो तो बैंक को मजबूत माना जाता है । बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में निर्णय किया कि भारत में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय लागू किये जायें । इन उपायों में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली भी शामिल की गयी । पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय लागू किये जायें । इन उपायों में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली भी शामिल की गयी । पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों के बारे में बासल् समिति के ढांचे के अनुसार यह देखना आवश्यक है कि तुलन-पत्र में शामिल विभिन्न प्रकार की आस्तियों में और साथ ही तुलनपत्र से इतर कारोबार में कितना जोखिम है । इसे जोखिम-आस्ति अनुपात कहते हैं ।

जोखिम-आस्ति अनुपात की प्रणाली के अंतर्गत तुलन-पत्र वाली आस्तियों, अनिधिक मदों तथा तुलन-पत्र से इतर अन्य मदों को निर्धारित जोखिम भार के अनुसार **भारांक** प्रदान किये जाते हैं (विभिन्न मदों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित भारांक की सूची अनुबंध में दी गयी है ।) बैंकों को जोखिम के अनुसार भारांकित आस्तियों तथा अन्य के जोड़ पर निर्धारित अनुपात के बराबर न्यूनतम पूंजी निधियां लगातार रखनी होती हैं । इसे पूंजी पर्याप्तता कहते हैं । पूंजी पर्याप्त है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए कतिपय सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं । इन सिद्धांतों के आधार पर गणना की गयी पूंजी ही बैंक की वास्तविक पूंजी मानी जाती है । पूंजी के मूल्यांकन के लिए पूंजी में शामिल किये जा सकने वाले तत्वों को निर्धारित किया गया है । पूंजी पर्याप्तता के ढांचे की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

पूंजीगत निधियां

भारतीय बैंकों की पूंजीगत निधियों के दो स्तर निर्धारित किये गये हैं :

I. स्तर - 1 की पूंजी

इसमें **चुकता पूंजी, सांविधिक प्रारक्षित निधियां** तथा प्रकट की गयीं तथा अन्य मुक्त प्रारक्षित निधियां, यदि कोई हों, आस्तियों की बिक्री से प्राप्त अधिशेष दर्शानेवाली पूंजीगत प्रारक्षित निधियां शामिल हैं । सहायक कंपनियों में ईक्विटी निवेशों, **अगोचर आस्तियों** और चालू अवधि में हानियों तथा पहले की अवधि से आगे लायी गयी हानियों को स्तर-I की पूंजी में से घटा दिया जाना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है । इस योजना से संबंधित आस्थगित राजस्व व्यय को स्तर - 1 की पूंजी में से नहीं घटाया जायेगा ।

II. स्तर - 2 की पूंजी

इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

(i) *अप्रकट प्रारक्षित निधियां और संचयी चिरस्थायी अधिमान शेयर*

इनसे संबंधित तत्वों में अनपेक्षित हानियों को आत्मसात् करने की क्षमता होती है और यदि वे कर (टैक्स) निकालने के बाद

के लाभों की द्योतक हों और किसी ज्ञात देयता का भार उन पर न हो तो इन्हें पूंजी में शामिल किया जा सकता है । नेमी तौर पर इनका उपयोग सामान्य ऋण और परिचालन संबंधी हानियों को आत्मसात् करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए । संचयी चिरस्थायी अधिमान शेयर पूर्णतः चुकता होने चाहिए और उनमें ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए, जिससे धारक उनका **विमोचन** करवा सके ।

(ii) ***पुनर्मूल्यन** वाली प्रारक्षित निधियां*

ये प्रायः अनपेक्षित हानियों से बचाव का कार्य करती हैं । लेकिन इनका स्वरूप कम स्थायी होता है और इन्हें **क्रोड़ पूंजी** के रूप में नहीं माना जा सकता । पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां उन आस्तियों के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न होती हैं जिनका बैंक की बहियों में कम मूल्य दिखाया गया होता है, जैसे कि बैंक परिसर और विपणन योग्य प्रतिभूतियां । पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को स्तर - 2 की पूंजी में शामिल करने के लिए 55 प्रतिशत बट्टे पर उनका मूल्यन करना विवेकपूर्ण माना जाता है । इस प्रकार की प्रारक्षित निधियां पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों के रूप में तुलन - पत्र में परिलक्षित होंगी ।

सुदृढ़ पूंजीगत आधार और उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन श्रेष्ठ बैंकिंग के आधार स्तंभ हैं । इनमें किसी प्रकार की कमी या कमजोरी संपूर्ण बैंक को कमजोर बना देती है । यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दो बातों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है ।

(iii) सामान्य प्रावधान और हानि के लिए प्रारक्षित निधियां

इस प्रकार की प्रारक्षित निधियां यदि किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा पहचानी जा सकने योग्य संभावित हानि के कारण नहीं हैं और संभावित हानियों की पूर्ति के लिए उपलब्ध हैं तो इन्हें स्तर - 2 की पूंजी में शामिल किया जा सकता है । परंतु शामिल करने से पहले सभी ज्ञात हानियों और अनुमान लगायी जा सकने वाली संभावित हानियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान करना आवश्यक है । सामान्य प्रावधान / हानि के लिए प्रारक्षित निधियों को कुल भारांकित जोखिम आस्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक ही शामिल किया जा सकता है ।

(iv) ***मिश्र ऋण पूंजी लिखत***

इस श्रेणी में अनेक पूंजी लिखत आते हैं, जिनमें कुछ विशेषताएं तो इक्विटी की होती हैं तो कुछ ऋण की विशेषताएं होती हैं । जब ये लिखत इक्विटी की तरह के होते हैं और खास तौर पर जब उनमें हानियों के आघात को सहन करने की क्षमता होती है, तो उन्हें स्तर - 2 की पूंजी में शामिल किया जा सकता है ।

(v) ***अधीनस्थ ऋण***

क) अधीनस्थ ऋण संबंधी लिखत यदि पूर्णतः चुकता, गैर जमानती, अन्य लेनदारों के दावों के प्रति अधीनस्थ किया गया हो, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त हो और धारक की पहल पर अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना विमोचन योग्य नहीं हो तभी उसे स्तर- 2 की पूंजी में शामिल किया जा सकता है । साथ ही ऐसे लिखतों की एक नियत अवधिपूर्णता (मैच्युरिटी) होनी चाहिए और यह सुविधा होनी चाहिए कि जब उनकी अवधि पूर्ण हो तो उन पर क्रमिक बट्टा लगाया जा सकता है । जो लिखत 5 वर्ष से कम अवधि वाले हों अथवा एक वर्ष से कम समय में उनकी अवधि पूरी होने वाली हो तो उन लिखतों को स्तर - 2 की पूंजी के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । यह भी शर्त है कि अधीनस्थ ऋण के लिखत स्तर- I की पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते ।

ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को बांड जारी किये हैं । इन बांडों की राशि स्तर - 2 की पूंजी में शामिल की जा सकती है, बशर्ते उस राशि में से आस्थगित राजस्व व्यय किया जा सकता हो ।

स्तर - 2 की पूंजी में शामिल किये जाने वाले अधीनस्थ ऋण लिखतों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने बट्टा लगाने की दरें भी निर्धारित की हैं । बैंकों से कहा गया है कि स्तर - 2 की पूंजी में शामिल किये गये अधीनस्थ ऋणों की राशि तुलन पत्र की अनुसूची 5 में " अन्य देयताएं और प्रावधान " के अंतर्गत टिप्पणी के रूप में दिखायी जाये ।

(vi) निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि

स्तर - 2 की पूंजी में शामिल की जा सकती है । परंतु

"अन्य सामान्य प्रावधान / हानि वाली प्रारक्षित निधियों " सहित मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों और निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि संबंधी प्रावधानों की कुल राशि कुल **जोखिम भारित आस्तियों** के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक ही स्वीकार की जायेगी ।

निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के लिए स्तर- 2 के तत्वों को स्तर - 1 के तत्वों के अधिकतम 100 प्रतिशत तक ही सीमित रखना चाहिए । अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जिन बांडों को स्तर - 2 की पूंजी के रूप में शामिल किया गया हो, उनमें निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी के 10 प्रतिशत तक के निवेश की ही अनुमति होगी ।

इसी तरह रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के संदर्भ में पूंजी के स्तर - 1 और स्तर - 2 के तत्व निर्धारित किये हैं । उन पर यह शर्त भी लगायी गयी है कि जब तक वे भारत में कार्यरत रहेंगे, तब तक स्तर - 1 में शामिल की गयी अधिशेष राशि को वे भारत से बाहर नहीं भेजेंगे । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी हैं ।

पूंजीगत निधियों से संबंधित न्यूनतम अपेक्षाएं

बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे अपनी आस्तियों पर जोखिम संबंधी निर्धारित भारांक लगायेंगे । अलग-अलग आस्तियों के लिए अलग-अलग भारांक हैं । उसी आधार पर आस्तियों की गणना की जानी चाहिए । जोखिम भारांकित आस्तियों और पूंजी के अनुपात को जोखिम भारांकित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सी आर ए आर) कहते हैं ।बैंकों से यह भी कहा गया कि वे 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष तक निरंतर आधार पर 8 प्रतिशत का मानदंड प्राप्त करें, जो उस समय न्यूनतम था । 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से यह अनुपात 9 प्रतिशत (सी आर ए आर) कर दिया गया । वर्तमान में यह 9 प्रतिशत है (देखें भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का 05 जुलाई 2002 का मास्टर परिपत्र बी सी. सं. 2) । बैंक इससे अधिक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखें तो बेहतर होगा । कुछ बैंकों का इससे अधिक है भी ।

स्तर - II की पूंजी के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना

रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों को यह स्वायत्तता दी है कि वे निर्धारित शर्तों पर स्तर - 2 की पूंजी के रूप में रुपयों में अधीनस्थ ऋण जुटा सकते हैं । विदेशी मुद्रा में अधीनस्थ ऋण लिखत जारी करने तथा स्तर - 2 की पूंजी में शामिल करने के लिए प्रधान कार्यालय से उधार लेने के लिए विदेशी बैंकों को रिज़र्व बैंक का पहले से अनुमोदन लेना चाहिए । स्तर - 2 की पूंजी जुटाने के लिए जारी किये गये अधीनस्थ ऋण के ब्यौरे निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाने चाहिए । इन ब्यौरों में जुटायी गयी राशि, लिखत की अवधिपूर्णता (मैच्युरिटी), प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज, ब्याज की दर आदि बातें बतायी जानी चाहिए ।

जोखिम समायोजित आस्तियां और तुलन- पत्र से इतर मदें

जोखिम समायोजित आस्तियों से अभिप्राय निधिक और अनिधिक मदों के भारांकित जोड़ से है । ऋण जोखिम की मात्रा भारांकित प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गयी है, जो तुलन-पत्र की आस्तियों और तुलनपत्र से इतर मदों के परिवर्तन गुणनखंडों को प्रदान किये गये हैं ।

सभी प्रतिभूतियों में बैंकों को निवेश के बाजार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जाना चाहिए । यह ऋण जोखिम हेतु दिये गये जोखिम भार के अतिरिक्त होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप ऋण जोखिम के अतिरिक्त बाजार जोखिम के लिए कुछ पूंजीगत कुशन का प्रावधान भी किया जाना चाहिए ।

आस्तियों और तुलन-पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य निकालने के लिए प्रत्येक आस्ति / मद को प्रासंगिक भारांक से गुणा किया जायेगा । न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए कुल योग को हिसाब में लिया जायेगा । आस्तियों की प्रत्येक मद और तुलन-पत्र से इतर मदों को जोखिम भारांक आबंटित किया गया है ।

सूचना देने से संबंधित अपेक्षाएं

बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे रिज़र्व बैंक को हर वर्ष एक विवरणी प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाये -

i) पूंजीगत निधियां,

ii) तुलन-पत्र से इतर / गैर-निधिक ऋण आदि जोखिमों का परिवर्तन

iii) जोखिम भारित आस्तियों की गणना, तथा

iv) जोखिम आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी की गणना ।

रिज़र्व बैंक ने विवरणी का फार्मेट भी बैंकों को दिया है । विदेश में शाखाओं वाले भारतीय बैंकों के मामले में देशी और विदेश में कार्यकलापों के संदर्भ में अलग-अलग और कुल आंकड़े प्रस्तुत करने आवश्यक हैं । रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली सांविधिक विवरणी पर दो प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए ।

सहायक कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल् समिति ने प्रस्ताव किया है कि नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे को अधिक व्यापक बनाया जाये, ताकि समेकित आधार पर, उन धारक कंपनियों को भी शामिल किया जा सके जो बैंकिंग समूह की मूल कंपनियां हैं । इस संबंध में **अंतरराष्ट्रीय मानकों** के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं अपनाना ही विवेकपूर्ण होगा । उसमें स्थानीय स्थितियों का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए ।

तदनुसार, बैंकों से कहा गया कि वे अपनी सहायक कंपनियों के जोखिम भारित तत्वों को बैंक की अपनी आस्तियों पर लागू जोखिम भार के समकक्ष, काल्पनिक आधार पर, अपने तुलन पत्र में स्वैच्छिक रूप से शामिल करें । कुछ समय में बैंक अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी निश्चित कर सकते हैं, ताकि कुछ समय बाद पूरे समूह के लिए अपनाये जाने वाले एकीकृत तुलन-पत्र को अपनाने पर उनकी शुद्ध मालियत में कमी की कोई आशंका नहीं रहे । बैंकों से कहा गया है कि 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से बैंक की बहियों में अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान किया जाये ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूंजी पर्याप्तता या पूंजी की गणना करते समय जोखिम संबंधी तत्वों की अनदेखी नहीं की सकती । सभी तरह के जोखिमों का सही आकलन (निर्धारित भारांक के अनुसार) करके ही पूंजी की गणना की जा सकती है और जोखिम तथा संभावित हानियों के लिए प्रावधान करने के बाद ही पूंजी पर्याप्तता अनुपात निकाला जा सकता है । इससे पूंजी प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन का संबंध भी स्पष्ट हो जाता है । पर्याप्त पूंजी होने पर ही बैंक जोखिम उठाने में सक्षम होता है और जोखिम का सही ढंग से प्रबंधन होने पर पूंजी की सुरक्षा बढ़ जाती है । इससे हानि की आशंका कम हो जाती है । इससे बैंक किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करने में भी सक्षम बन जाता है । इतना ही नहीं, कतिपय जोखिमपूर्ण कार्यों से बैंक को अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है (ऐसे कुछ कार्यों का उल्लेख इसी लेख में पहले किया जा चुका है), जिससे बैंक की पूंजीगत स्थिति सुदृढ़ हो सकती है । अतः अप्रत्याशित हानि और अप्रत्याशित लाभ दोनों के लिए बैंक के पास पर्याप्त पूंजी रहनी चाहिए । इसी से पूंजी पर्याप्तता और जोखिम का संबंध स्पष्ट हो जाता है ।

प्रयुक्त शब्दावली

लाभांश	Dividend	विमोचन	Release
कारोबारी जोखिम	Business Risk	पुनर्मूल्यन	Revaluation
विवेकपूर्ण मानदंड	Prudential Norms	क्रोड़ पूंजी	Core Capital
जोखिम-आस्ति अनुपात	Risk Assets Ratio	मिश्र ऋण पूंजी लिखत	Mixed Loan Capital Instrument
भारांक	Weighted Index Number		
चुकता पूंजी	Paid up Capital	अधीनस्थ ऋण	Subordinate Loan
सांविधिक प्रारक्षित निधियां	Statutory Reserve Funds	जोखिम भारित आस्तियां	Risk Weighted Assets
अगोचर आस्तियां	Intangible Assets	अंतरराष्ट्रीय मानक	International Standards

सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार **अनुबंध**

जोखिम भार की गणना से संबंधित यह तालिका रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई 2002 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 2/21.01.002/2002-2003 के अनुबंधों का हिस्सा है। मूल परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

I. देशी लेनदेन

अ. निधिक जोखिम आस्तियां

क्र. सं.	आस्ति या देयता की मद	जोखिम भार का प्रतिशत
I	**शेष**	
1.	नकद, रिज़र्व बैंक के पास शेष	0
2.	i) अन्य बैंकों के पास चालू खाते में शेष	20
	ii) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं पर दावे	20
II	**निवेश**	
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
2.	केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
3.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार ने दी है (इनमें इंदिरा / किसान विकास पत्रों में निवेश और बांडों और डिबेंचरों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार ने दी है, शामिल होंगे)	2.5
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकारों ने दी है ***टिप्पणी*** *: जहां गारंटी लागू की गयी है और संबंधित राज्य सरकार से चूक हुई है, वहां बैंकों को 102.5 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना चाहिए । परंतु बैंकों को 102.5 प्रतिशत का जोखिम भार केवल राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत उन प्रतिभूतियों पर लगाना चाहिए जिनको चूक करने वाली कंपनियों ने जारी किया है, न कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या गारंटी दी गयी सभी प्रतिभूतियों पर ।*	2.5
5.	उन अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र/ राज्य सरकार ने दी है।	22.50

क्र.सं.	आस्ति या देयता की मद	जोखिम भार का प्रतिशत
6.	सरकारी प्रतिष्ठानों की उन प्रतिभूतियों में निवेश जो सरकार द्वारा गारंटीकृत है और जो अनुमोदित बाजार उधारी कार्यक्रम का भाग **नहीं हैं** ***टिप्पणी :*** *इस प्रावधान का पालन करने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे* ***31.03.2000*** *की स्थिति के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग में बकाया ऐसी प्रतिभूतियों पर जोखिम भार दो चरणों में लगायें, जो 2001 -2002 और 2002-2003 में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत होगा । इसका अर्थ है कि 31.03.2000 के बाद खरीद के वर्ष में 20 प्रतिशत का संपूर्ण जोखिम भार लगाना होगा । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रतिभूतियों पर बाज़ार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत का एकसमान जोखिम भार लगाना होगा ।*	22.50
7.	वाणिज्य बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर दावे	22.50
8.	अन्य बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये बांडों मे निवेश	22.50
9.	ब्याज और मूल धन की अदायगी के लिए बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश	22.50
10.	बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी स्तर -।। की पूंजी के लिए जारी किये गये अधीनस्थ ऋण लिखतों और बांडों में निवेश	102.5
11.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी के बदले सिडबी /नाबार्ड के पास जमाराशियां	102.5
12.	ऐसी आवास वित्त कंपनियों की आवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त और पर्यवेक्षित हों।	52.50
13.	अन्य सभी निवेश ***टिप्पणी :*** *सहायक कंपनियों में निवेश ,अगोचर अस्तियां और हानियां जो स्तर -। की पूंजी से घटाये गये हैं,उन्हें शून्य भार दिया जाना चाहिए।*	102.50
III	**ऋण और अग्रिम,** जिनमें खरीदे और भुनाये गये बिल तथा अन्य ऋण सुविधायें शामिल हैं.	
1.	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण	0
2.	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण ***टिप्पणी :*** *जहां गारंटी लागू की गयी है और संबंधित राज्य सरकार से 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार चूक हुई है,वहां इस प्रकार के अग्रिमों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जाना चाहिए । जहां राज्य सरकारें 31 मार्च 2001 के बाद भी चूक में हैं वहां 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना चाहिए ।*	0
3.	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण	100
4.	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋण	100

क्र.सं.	आस्ति या देयता की मद	जोखिम भार का प्रतिशत
5.	अन्य	100
6.	पट्टे की आस्तियां	100
7.	डी.आई.सी.जी.सी / ई.सी.जी.सी द्वारा रक्षित अग्रिम ***टिप्पणी*** *: 50 प्रतिशत का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक ही सीमित रहना चाहिए, न कि खाते में बकाया संपूर्ण शेष राशि पर । दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि के अतिरिक्त बकाया राशि पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जायेगा ।*	50
8.	लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटीकृत लघु उद्योगों को अग्रिम , जो गारंटीकृत अंश तक ही होगा । ***टिप्पणी*** *: बैंक गारंटीकृत अंश के लिए शून्य जोखिम भार लगाये ।गारंटीकृत अंश के अतिरिक्त बकाया शेष राशि पर उतना ही जोखिम भार होगा जो प्रतिपक्षी पार्टी के लिए है ।*	0
9.	मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पालिसियों , राष्ट्रीय बचतपत्रों , इंदिरा विकास पत्रों की जमानत पर अग्रिम , जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हैं।	0
10.	बैंकों के स्टाफ को दिये गये ऋण और अग्रिम जो सेवानिवृत्ति के लाभों और फ्लैट / मकान के बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है	20
11.	रिहायशी आवास संपत्ति के बंधक की जमानत पर व्यक्तियों को आवास ऋण	50
12.	लिया गया वित्त (टेकआउट फाइनेंस)	
	i) बिना शर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली संस्था की बहियों में)	
	(क) जहां अधिग्रहण करनेवाली संस्था द्वारा पूर्ण ऋण जोखिम ले लिया गया है	20
	(ख) जहां अधिग्रहण करनेवाली संस्था द्वारा आंशिक ऋण जोखिम ले लिया गया है	
	(i) अधिग्रहित की जाने वाली राशि	20
	(ii) अधिग्रहित न की जाने वाली राशि	100
	ii) सशर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली और अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं की बहियों में)	100
IV	**अन्य आस्तियां**	
1.	परिसर ,फर्नीचर और जुड़नार (फिक्सचर)	100
2.	(i) स्रोत्र पर काटा गया आयकर (प्रावधान घटाकर)	0
	(ii) अग्रिम अदा किया गया कर (प्रावधान घटाकर)	0

क्र.सं.	आस्ति या देयता की मद	जोखिम भार का प्रतिशत
	(iii) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	(iv) सी आर आर की शेष राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज और सरकारी लेनदेनों के कारण रिज़र्व बैंक पर दावे (इस प्रकार के लेनदेनों के कारण सरकार)रिज़र्व बैंक पर दावों को घटाकर)	0
	(v) अन्य सभी आस्तियां	100

आ. तुलनपत्र से इतर मदें

तुलनपत्र से इतर मदों से संबंधित ऋण जोखिम अवस्थितियों की गणना पहले 'ऋण परिवर्तन गुणन खंड' से तुलनपत्र से इतर प्रत्येक मद की अंकित राशि को गुणा करके करनी चाहिए,जैसा कि नीचे कीसारणी में दर्शाया गया है । इसके बाद इसे संबंधित प्रतिपक्ष को दिये गये भारांक से पुनः गुणा करना होगा, जैसा उपर निर्दिष्ट किया गया है ।

क्र.सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणनखंड (प्रतिशत)
1.	प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापी,उदाहरणार्थ ऋणग्रस्तता (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अनुषंगी साखपत्रों सहित) की सामान्य गारंटी और स्वीकृतियां (स्वीकृति जैसे पृष्ठांकनों सहित)	100
2.	कतिपय लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (उदाहरणार्थ निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन संबंधी अनुषंगी साखपत्र)	50
3.	अल्पावधि की स्वतः समापन वाली व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे लदान के लिए रखे माल द्वारा जमानत प्रलेखी ऋण)	20
4.	बिक्री और पुनर्खरीद करार तथा वसूली अधिकार सहित आस्ति बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक का हो	100
5.	आस्तियों की वायदा खरीद,वायदा जमाराशियां और अंशतः चुकता शेयर एवं प्रतिभूतियां, जो कतिपय कटौतियों सहित प्रतिबद्धताओं की द्योतक हों	100
6.	नोट निर्गम सुविधायें और आवर्ती हामीदारी सुविधाएं	50
7.	एक वर्ष से अधिक की मूल पूर्णता अवधि की अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ,औपचारिक अनुषंगी सुविधाएं और ऋण व्यवस्था)	50
8.	एक वर्ष तक की मूल पूर्णता अवधि की इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं या जो बिना शर्त किसी भी समय रद्द की जा सकती हैं ।	0

क्र.सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणनखंड (प्रतिशत)
9.	निम्नलिखित मूल पूर्णता अवधि की कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएं	
	* एक वर्ष से कम	2
	* प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए	3
10.	अधिग्रहण करने वाली संस्था की बहियों में लिया गया वित्त	
	(i) बिना शर्त लिया गया वित्त	100
	(ii) सशर्त लिया गया वित्त	50
	टिप्पणी : *चूंकि प्रतिपक्ष के ऋण आदि जोखिमों से जोखिम भार तय होगा, इसलिए यह सभी ऋणकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत अथवा सरकार की गारंटी से रक्षित होने पर शून्य प्रतिशत होगा ।*	

टिप्पणी : तुलनपत्र से इतर मदों के संबंध में बैंक से इतर प्रतिपक्षियों के साथ किये जाने वाले निम्नलिखित लेनदेन बैंकों पर दावे माने जायेंगे और उन पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार होगा :

(क) अन्य बैंकों की प्रतिगारंटी पर बैंकों द्वारा जारी की गयीं गारंटियां

(ख) बैंकों द्वारा स्वीकार किये गये दस्तावेजी बिलों की पुनर्भनाई ।बैंकों द्वारा भुनाये गये जो बिल अन्य बैंकों द्वारा स्वीकार किये जायेंगे उन्हें बैंक पर निधिक दावे के रूप में माना जायेगा ।

उपर्युक्त सभी मामलों में बैंक को इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो लेना चाहिए कि जोखिम आदि वास्तव में अन्य बैंकों पर है ।

इ.खुली स्थितियों के लिए जोखिम भार

क्र.सं.	मद	जोखिम भार का (प्रतिशत)
1.	विदेशी मुद्रा की खुली स्थिति	100
2.	स्वर्ण की खुली स्थिति	100
	टिप्पणी : *विदेशी मुद्रा और स्वर्ण दोनों की खुली स्थिति के संबंध में जोखिम भार की स्थिति सीमाओं को सी आर ए आर की गणना के लिए अन्य जोखिम भार आस्तियों में जोड़ा जाना चाहिए ।*	

ई.वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप के लिए जोखिम भार

न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए वायदा दर करार /ब्याज दर स्वैप के लिए जोखिम भार के कारण जोखिम भारित आस्तियों की गणना नीचे दी गई दो चरणों की क्रियाविधी की जानी चाहिए :

चरण 1

प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल्य राशि को नीचे दिये गये परिवर्तन गुणनखंड द्वारा गुणा किया जाना चाहिए ।

मूल अवधिपूर्णता	परिवर्तन गुणनखंड
एक वर्ष से कम	0.5 प्रतिशत
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0 प्रतिशत
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0 प्रतिशत

चरण 2

इस प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य को नीचे निर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रासंगिक प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा :

बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाए	20 प्रतिशत
अन्य सभी (सरकार को छोड़कर)	100 प्रतिशत

।।.विदेश में कार्य (केवल उन भारतीय बैंकों पर लागू जिनकी विदेश में शाखायें हैं)

अ.निधिक जोखिम आस्तियां

क्र.सं.	आस्ति या देयता की मद	जोखिम भार का प्रतिशत
i)	नकदी	0
ii)	मुद्रा प्राधिकारी के पास शेष	0
iii)	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
iv)	अन्य बैंकों के पास चालू खाता शेष	20
v)	बैंकों पर अन्य सभी दावे,जिनमें मुद्रा बाज़ार में ऋण दी गयीं निधियां, रखी गयीं जमाराशियां परिवर्तनीय ऋणपत्र/अस्थिर दर वाले नोटों में निवेश की निधियों तक ही सीमित नहीं हैं	20
vi)	गैर बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश	100
vii)	ऋण और अग्रिम, खरीदे और भुनाये गये बिल तथा अन्य ऋण सुविधाएं	
	क) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	0
	ख) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे	0
	ग) भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे	100
	घ) राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे	100
	ङ) अन्य	100
viii)	अन्य सभी बैंकिंग और मूलभूत सुविधा संबंधी आस्तियां	100

आ.अनिधिक जोखिम आस्तियां

क्र.सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणनखंड (प्रतिशत)
i)	प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापी, उदाहरणार्थ ऋणग्रस्तता (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करनेवाले अनुषंगी साखपत्रों सहित)की सामान्य गारंटी और स्वीकृति जैसे पृष्ठांकनों सहित	100
ii)	कतिपय लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (उदाहरणार्थ निष्पादनबांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन संबंधी अनुषंगी साख पत्र)	50
iii)	अल्पावधि की स्वतः समापन वाली व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे लदान के लिए रखे माल द्वारा जमानती प्रलेखी ऋण)	20

क्र.सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणनखंड (प्रतिशत)
iv)	बिक्री और पुनर्खरीद करार तथा वसूली अधिकार सहित आस्ति बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक का हो	100
v)	आस्तियों की वायदा खरीद, वायदा जमाराशियां और अंशतः चुकता शेयर एवं प्रतिभूतियां, जो कतिपय कटौतियों सहित प्रतिबद्धताओं की द्योतक हों।	100
vi)	नोट निर्गम सुविधाएं और आवर्ती हामीदारी सुविधाएं	50
vii)	एक वर्ष से अधिक की मूल पूर्णतः अवधि की अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ औपचारिक अनुषंगी सुविधाएं और ऋण व्यवस्था)	50
viii)	एक वर्ष तक की मूल पूर्णतः अवधि की इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं या जो बिना शर्त किसी भी समय रद्द की जा सकती हैं।	0

III. क्रियाविधि

1. जोखिम भार लगाने के प्रयोजन हेतु किसी ऋणकर्ता के निधिक और गैर निधिक ऋण जोखिम आदि के जोड़ की गणना करते समय बैंक ऋणकर्ता के कुल बकाया ऋण जोखिम आदि के प्रति ' समायोजित ' (नेट ऑफ) करें

(क) अग्रिम जिनकी संपार्श्विक जमानत नकद मार्जिन या जमाराशियों से है।

(ख) चालू या अन्य खातों में ऋण शेष,जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित नहीं है और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त है।

(ग) किन्हीं भी आस्तियों के संबंध में, जहां मूल्यह्रास या अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान किये गयेहैं।

(घ) दावे जो डी आइ सी जी सी / ई सी जी सी से प्राप्त हुए हैं और समायोजन होने तक के लिए अलग खाते में रखे गये हैं।

(ङ) उपदान जो आइ आर डी पी अग्रिमों पर प्राप्त हुए हैं और अलग खाते में रखे गये हैं।

2. ऊपर बताये गये परिवर्तन गुणनखंड को लागू करने के बाद समायोजित किये गये तुलनपत्र मूल्य को यथानिर्दिष्ट संबंधित प्रतिपक्षी को दिये गये भार द्वारा पुनः गुणा किया जायेगा।

3. 14 कैलेंडर दिवस या उससे कम की मूल अवधिपूर्णता वाली विदेशी मुद्रा संविदाओं को, प्रतिपक्ष कोई भी हो, अंतराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार शून्य जोखिम भार दिया जाना चाहिए।

4. विदेशी मुद्रा और ब्याज दर से संबंधित संविदाएं

(i) विदेशी मुद्रा संविदाएं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) प्रतिमुद्रा (Cross Currency) ब्याज दर स्वैप

(ख) वायदा विदेशी मुद्रा संविदायें

(ग) करेंसी फ्यूचर्स

(घ) खरीदे गये मुद्रा विकल्प

(ङ) इसी तरह की अन्य संविदायें

(ii) तुलनपत्र से इतर अन्य मदों की भांति नीचे निर्धारित दो चरण वाली गणना लागू की जायेगी :

(क) चरण 1 - प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल राशि को नीचे दिये गये परिवर्तन गुणनखंड से गुणा किया जायेगा :

मूल अवधिपूर्णता	परिवर्तन गुणनखंड
एक वर्ष से कम	2 प्रतिशत
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	5 प्रतिशत (अर्थात् 2% + 3%)
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	3 प्रतिशत

(ख) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य प्रासंगिक प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा :

(iii) ब्याज दर संविदाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप

(ख) आधार (बेसिस) स्वैप

(ग) वायदा दर करार

(घ) ब्याज दर फ्युचर्स

(ङ) खरीदे गये ब्याज दर विकल्प

(च) इसी तरह की अन्य संविदायें

(iv) तुलनपत्र से इतर अन्य मदों की भांति नीचे निर्धारित दो चरण वाली गणना लागू की जायेगी :

(क) चरण 1 - प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल राशि को नीचे दिये गये परिवर्तन गुणनखंड से गुणा किया जायेगा :

मूल अवधिपूर्णता	परिवर्तन गुणनखंड
एक वर्ष से कम	0.5 प्रतिशत
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0 प्रतिशत
प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	1.0 प्रतिशत

(ख) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य को प्रासंगिक प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा।

साख जोखिम

के. प्रसाद
उप प्रधानाचार्य,
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोष में साख (रेप्यूटेशन) शब्द को सामान्यतः किसी व्यक्ति या चीज विशेष के चरित्र एवं उसकी प्रतिष्ठा के बारे में की गयी उक्ति या विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। यह भी कहा गया है कि साख का अर्थ है - सद् विचार, महत्ता मान सम्मान आदि।

साख को हासिल करने में सदियां लग जाती हैं पर एक छोटी-सी घटना उसे धूल में मिलाने के लिये पर्याप्त है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग से **बाज़ार के सहभागी** बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्यों की तुलना जल्दी सूचना पाते हैं क्योंकि खबरें हवा की तरह फैलती हैं। हाल ही में हमने देखा है कि स्वर्गीय श्री धीरूभाई अम्बानी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से प्रारंभ में कंपनी के बाज़ार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसे अपनी पूर्व की स्थिति पाने के लिये कुछ दिन लगे।

किसी संस्थान या बैंक की साख बनने में बहुत समय लगता है क्योंकि जमाकर्ताओं या ग्राहकों के बीच आस्था और विश्वास पैदा करने में समय लगता है।

साख जोखिम की संकल्पना को समझने के लिये किसी भी बैंकिंग कंपनी की साख या छवि को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेखा प्रणाली के संदर्भ में विशेषकर, निजी कंपनियों और साथ ही साथ साझेदारी फार्म के साथ कारोबार करते समय साख का मूल्य कुछ हद तक आस्तियों के वास्तविक मूल्य की सुरक्षा के लिए अन्तर्निहित साख के बराबर होता है। तथापि, उसे मद के रूप में लेना या उसकी वसूली करना यर्थाथ परक नहीं है और उसे **अयथार्थपरक आस्ति** ही मान सकते हैं। इसी प्रकार, साख एक अमूर्त आस्ति होने पर भी, कंपनी के शेयर मूल्य या उसके बाज़ार मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बाज़ार में यह कहा जाता है कि साख जोखिम या साख का नुकसान अच्छी खासी इकाई को घाटा उठानेवाली इकाई बना सकता है भले ही उसके पास बेहतर मापदंड ही क्यों न हो। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक सामान्यतः जमाराशियां जुटाकर संसाधन बढ़ाने एवं उसे लोगों को कीमत पर उधार देने के कार्यकलाप करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बैंक वित्तीय सेवाओं के कारोबार में है और उस कारोबार में टिके रहने के लिए उसे संसाधन जुटाने एवं उधार देने के लिये ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु साख अर्जित करनी होगी। बाज़ार में वित्तीय संसाधन जुटाने के मध्यस्थ के रूप में होने से बैंक के कार्यकलापों के प्रति क्रयदाताओं में विश्वास एवं निष्ठा होनी चाहिये। अतः बैंकों को हर हालत में अपने ग्राहकों के विश्वास को बनाये रखने के प्रयास करने चाहिये। वस्तुतः बैंकर और जमाकर्ता का सम्बन्ध तो मुख्यतः विश्वास और निष्ठा का ही सम्बन्ध है। बैंक की साख की रक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखना बैंक की प्राथमिकता में होने चाहिये। इस प्रकार, तार्किक रूप में भी, बैंक के प्रबंध तंत्र या बोर्ड को चाहिये वह उन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रीत करे जिनसे संस्था की साख प्रभावित हो सकती है। यदि प्रबंधन तंत्र अपनी संस्था की साख जोखिम को नहीं संभाल पाता तो वह संस्था कारोबार से बाहर हो जायेगी या उसे व्यापक हानि होगी क्योंकि उसे अपनी साख को खोने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस दृष्टि से , जब कोई बैंकिंग इकाई अपनी साख खोती है तो संबंधित क्षेत्रों या हानियों या जोखिमों पर उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

किसी संस्थान या बैंक की साख बनने में बहुत समय लगता है क्योंकि जमाकर्ताओं या ग्राहकों के बीच आस्था और विश्वास पैदा करने में समय लगता है। किसी बैंक की साख को बढ़ाना और उसकी रक्षा करके प्रबंध तंत्र बैंक में शेयर धारकों के शेयरों के मूल्य को बढ़ा सकता है।

ऋण, विदेशी मुद्रा बाज़ार आदि में बैंक के कार्यकलापों से उत्पन्न बाज़ार और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिये सांख्यिकीय एवं अंक गणितीय मॉडेल अपनाये गये हैं परन्तु बैंक की साख संबंधित जोखिम को समझने के लिए किसी मॉडल को विकसित करने की दिशा में कोई प्रयास अब तक नहीं किये गये हैं।

यद्यपि, परिचालनगत जोखिमों में कुछ हद तक साख जोखिम से जुड़े कुछ मुद्दे शामिल होते हैं तथापि, बैंकिंग उद्योग को अपने तुलन पत्र पर साख हानि के कारण होने वाले संभावित प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये। उसके पास साख जोखिम पर प्रभाव डालने वाली एकता की रक्षा करने एवं संकटावस्था से निपटने के लिये परीक्षित रणनीति योजना एवं निरंतरता के आधार पर अनुशासन होना चाहिए।

विनियमित पूंजी अपेक्षाओं के बारे में निर्णय लेते समय विनियामकों ने अभी तक साख जोखिम पर ध्यान नहीं दिया है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस बारे में कोई गणितीय फार्मूला नहीं है जिसे किसी **सांख्यिकीय मॉडल** में सफलतापूर्वक परीक्षित किया जा सके। यहां तक कि बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल् समिति द्वारा तैयार नये बासल् पूंजी सहमति - पत्र में भी अपने जोखिम संवेदनशील ढांचे के प्रस्ताव में साख जोखिम को शामिल नहीं किया है। इसके परिणाम स्वरूप, बैंक प्रबंध तंत्र साख जोखिम पर कम ध्यान देता है क्योंकि इसका हिसाब लगाना और विनियामक पूंजी से विभाजित करना बहुत कठिन होगा। आश्चर्य इस बात पर होता है कि इस पहलू को नजरअंदाज क्यों किया गया जब कि इससे होने वाली अपेक्षित हानि बहुत व्यापक होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है बैंक ग्राहकों के साथ कारोबार करते हैं क्योंकि वे जनता एवं ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं और यह गौरतलब है कि ग्राहक और बाज़ार की संवेदनशीलता किसी कंपनी को बना सकती है या तोड़ सकती है।

एक-एक ईंट जोड़ जोड़ कर बनाई गयी और सुरक्षित की गयी ठोस 'साख' बैंक को कई मामले में फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इससे बैंक का बाज़ार मूल्य बढ़ेगा और उसकी स्थिति और बैंकों की तुलना में बेहतर होगी तथा इससे उसके उत्पादों की अच्छी कीमत होगी क्योंकि उसकी बाज़ार के वित्तीय संसाधनों में पहुंच बहुत सहज होगी। बैंक मोलभाव करने की स्थिति में होगा। उसकी पूंजी बाज़ारों में भी पहुंच होगी और अपनी साख के कारण उसका उच्च स्तर का बाज़ार शेयर भी होगा। साथ ही, उसे मानव संसाधन के रूप में मेधावी लोगों को अपने पास रखने की क्षमता होगी और मानव संसाधन की दिशा में आवागमन बहुत ही कम होगा। इसमें कर्मचारियों का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा तथा उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी। साख किसी भी फर्म, कंपनी या फिर बैंक की बाहरी छवि को बढ़ाता है और अतः यदि प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में बने रहना है तो बैंकों के लिए अपनी साख बनाये रखना बहुत ही जरूरी है। बैंक की साख को लगा हुआ एक भी बड़ा झटका उसके कारोबार को डूबो देगा और इस प्रकार हुई हानि अन्य परिचालनगत हानियों की तुलना में बहुत ही बड़ी होगी।

बैंकिंग कंपनी की साख या उसके नाम की रक्षा करने का प्रश्न बैंकों के निदेशक मंडल के लिए एक आवश्यक मद है। इस प्रश्न पर केवल निदेशक मंडल को ही नहीं बल्कि बैंकिंग कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिये।

साख जोखिम की संकल्पना को उचित रूप में समझा नहीं गया है और अधिकतर ध्यान केवल ऋण, बाज़ार, परिचालन और विदेशी मुद्रा से संबंधित अन्य जोखिमों पर ही दिया जाता है।

जब हम परिचालनगत जोखिम या हानियों की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है परिचालनगत हानियों के वे पहलू जिन्हें मापा जा सकता है। परिचालनगत हानियां बाज़ार में बैंकिंग कंपनी की हानि पर उसकी साख एवं उसके कार्यकलापों को नष्ट करते हुए व्यापक प्रभाव डालती है।

किसी भी बैंकिंग कंपनी के शेयर मूल्य एवं उसका बाज़ार मूल्यन उसकी हानि या साख पर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग कंपनियों की साख बैंक -दर-बैंक एवं बाज़ार की स्थिति पर अलग अलग होती है और किसी भी कंपनी के संदर्भ में बाज़ार की स्थिति में अन्य कोई भी परिवर्तन उसके शेयरों के मूल्यों को धराशायी कर देगा और यह कंपनी के बाज़ार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बैंकिंग कंपनी की साख या उसके नाम की रक्षा करने का प्रश्न बैंकों के निदेशक मंडल के लिए एक आवश्यक मद है। इस प्रश्न पर केवल निदेशक मंडल को ही नहीं बल्कि बैंकिंग कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिये।

बैंकिंग कंपनी बनाने या उसे तोड़ने में ग्राहकों एवं बाज़ार के सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी, सकारात्मक सोच हो सकता है कि कमी के दौरान शेयर या बाज़ार मूल्य में बढ़ोत्तरी करें परन्तु ग्राहकों और बाज़ार की नकारात्मक सोच तुरंत ही बाज़ार मूल्य पर खराब प्रभाव डालेगी।

ग्राहक सेवा से जुड़ी जनता और ग्राहकों के संदर्भ में छोटी छोटी बातें, जब ग्राहक कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हो तब

बाज़ार की सोच को प्रभावी कर सकती हैं। हम जानते हैं कि जब भारतीय यूनिट ट्रस्ट के मामले में ग्राहकों को हानि हुई तो ट्रस्ट का बाज़ार मूल्य बुरी तरह नीचे आ गया और यद्यपि कतिपय युद्धतरीय उचित उपाय किये गये तथापि उसकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा और उस साख को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है या हो सकता है वह वापस उतनी साख न कमा सके।

हम कंपनी नियंत्रण एवं साख जोखिम के एक दूसरे से जुड़े होने की बात करते हैं और उसके कारण निम्नलिखित में सहायता मिलती है :-

(क) बैंकिंग कंपनी के बाज़ार मूल्य में संभावित वृद्धि और उससे किसी भी प्रकार की अस्थिरता जो बाज़ार सोच के कारण हो सकती थी, के बिना शेयरों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी।

(ख) कंपनी / बैंक में कमाई के लिये स्थिरता

(ग) प्रबंध और उसकी गुणवत्ता में स्थिरता

(घ) कार्यनिष्पादन और सामाजिक दायित्वों पर आधारित गुणवत्ता-कंपनी छवि

यह स्मरणीय है कि कतिपय बैंकिंग कंपनियां बाज़ार के तूफानी थपेड़े सहन कर सकती हैं और अपनी साख स्थिति पुनः प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु कुछ ऐसी हैं जिन्हें बहुत समय की जरूरत पड़ सकती है और अन्य मामलों में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के झंझावात को सहन नहीं कर सकती तथा दिवालियेपन के लिए आवेदन कर देंगी। जैसा कि उपर बताया गया है इस प्रकार के तुफान को झेलने के लिए निम्नलिखित पहलू जरूरी हैं -

(i) प्रबंध तंत्र की विश्वसनीयता
(ii) उद्योग में स्थापित एवं उच्च प्रतिष्ठा की स्थिति
(iii) अर्जन का पिछला रिकॉर्ड
(iv) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता
(v) उच्च प्रबंध तंत्र और अन्य कर्मचारियों का व्यवहार
(vi) बाज़ार शेयर (बाज़ार में आधिपत्य से निर्धारित)

अब हम बैंक की छवि या साख पर परिचालनगत हानियों के औचित्य की चर्चा करते हैं। परिचालनगत हानियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि सभी परिचालनगत हानियां बैंक की साख पर उसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं। उदाहरण स्वरूप बाज़ार के सहभागी तकनीकी असफलता या ग्राहक सेवा में त्रुटि के रूप में **भौतिक संकटों** की उपेक्षा कर सकते हैं। उजागर होने वाली धोखाधड़ी और कुप्रबंधन बैंकिंग कंपनी की छवि या साख पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में बैंकों के बोर्ड कतिपय सिद्धांतों को तैयार करते हुए, साख प्रबंध विकसित करने के लिए साख जोखिम नीति बना सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड को चाहिये कि वे **संकट निवारण दल** की तरह साख संकट दल बना सकते हैं ताकि उसे कुछ नीतियां और उपाय दिये जा सकें। साख जोखिम की संभावना को कम करने के सन्दर्भ में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

(i) बैंकों को चाहिये कि वे लाभ की तुलना में ग्राहकों और जनता को अहमियत दें।

(ii) बलि का बकरा ढूंढ़ने की प्रणाली को टाला जाए। बैंक का बोर्ड उच्च प्रबंध तंत्र से किसी अधिकारी को संकट से निपटने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(iii) संप्रेषण की स्थिति में सुधार लाया जाये ताकि जनता को संकट की घड़ी में तत्काल अधिकृत रिपोर्टें मिल सकें। इससे अफवाहों को भी रोका जा सकेगा। प्रभावित ग्राहकों पर उच्च प्रबंध तंत्र द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अपनी शक्तियों को कार्रवाई पर लगा सके। अन्य शब्दों में बैंक की साख को नुकसान पहुंचाने वाले उभरते संकट के लिए परीक्षित रणनीति एवं योजना महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न शोध यह दर्शाते हैं कि परिचालनगत और क्रय हानियों ने साख और शेयर मूल्यों को बाज़ार की हानियों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाया है।

इस प्रकार, यद्यपि साख जोखिम का अंदाज लगाना कठिन है तथापि कई अध्ययनों ने यह बताया है कि साख जोखिम प्रबंधन बैंक प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। साख जोखिम हानि के लिए उच्च प्रबंध तंत्र को जिम्मेदार समझा जायेगा।

प्रयुक्त शब्दावली

साख जोखिम	Reputation Risk
बाज़ार के सहभागी	Market Players
अयथार्थपरक आस्ति	Intangible Assets
सांख्यिकीय मॉडल	Statistical Model
भौतिक संकटों	Physical Disasters
संकट निवारण दल	Disaster Management Team

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्रहलाद सबनानी
मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

कोई भी संस्था लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जोखिम-भरा कार्य करती है। एक कहावत भी है " जितना अधिक जोखिम, उतना अधिक लाभ " अथवा "कम जोखिम, कम लाभ "। बैंकों का तो प्रमुख कार्य ही वित्त प्रदान करना है। जहां " वित्त " होगा, वहां जोखिम भी अधिक होगा। अधिक जोखिम लेना कभी-कभी तो इतना अहितकर हो जाता है कि संस्था को अपनी ही बलि देने की नौबत आ जाती है। यही कारण है हाल के वर्षों में बैंकों में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है।

जोखिम से आशय

जोखिम से आशय, भविष्य में होने वाली संभावित हानि से है। जोखिम प्रबंधन द्वारा भविष्य में होने वाली संभावित हानि को मापा जाता है। साथ ही, यह भी प्रयास किया जाता है कि इस संभावित हानि को किस प्रकार कम किया जाय या फिर, यदि संभव हो तो, टाल ही दिया जाए।

जोखिम से आशय, भविष्य में होने वाली संभावित हानि से है। जोखिम प्रबंधन द्वारा भविष्य में होने वाली संभावित हानि को मापा जाता है। साथ ही, यह भी प्रयास किया जाता है कि इस संभावित हानि को किस प्रकार कम किया जाय या फिर, यदि संभव हो तो, टाल ही दिया जाए।

जोखिम के प्रकार

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में अनेक प्रकार के जोखिम पाये जाते हैं। बैंक भी व्यावसायिक गतिविधियों का केन्द्र-बिन्दु हैं अतः, बैंकिंग उद्योग में कुछ विशेष प्रकार के जोखिम होते है, जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा हैं :

(i) चलनिधि जोखिम

जब कोई बैंक स्वीकार की गई जमाराशि का नियत तिथि पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता तब ऐसी स्थिति को " चलनिधि जोखिम " की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दरों में हो रहे परिवर्तनों का जब बैंक की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़े, तब उसे " ब्याज दर जोखिम " कहा जाता है। भारत में, वर्तमान में, लगातार कम हो रही ब्याज दरों के कारण बैंकों की ब्याज आय कम हो रही है जिसके फलस्वरूप बैंक अपनी लाभप्रदता पर दबाव महसूस कर रहे हैं।

(iii) ***कीमत जोखिम***

बैंकों के विनियोग की जब बाजार में कीमत कम होने लगती है तब ऐसी स्थिति को " कीमत जोखिम " कहा जाता है। इस प्रकार के जोखिम व्युत्पन्न संविदा में सामान्यतः पाये जाते हैं।

(iv) परिचालन जोखिम

परिचालन प्रणाली में किसी भी प्रकार की कमी " परिचालन जोखिम " को जन्म देती है। जैसे बैंक की कार्य-पद्धति का सुव्यवस्थित रूप से पालन न करने पर धोखाधड़ी की घटना होना।

(v) ***शोधक्षम जोखिम***

जब बैंक अपनी देयताओं का समय पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता तो ऐसी स्थिति को " शोधक्षम जोखिम " की श्रेणी में रखा जाता है।

(vi) विनिमय-दर जोखिम

इस प्रकार का जोखिम बैंकों द्वारा किये जा रहे विदेशी विनिमय व्यवसाय में पाये जाते है। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा दर में लगातार परिवर्तन होना है।

(vii) कुछ अन्य जोखिम इस प्रकार हैं :

(क) राजनैतिक जोखिम, (ख) मानवीय जोखिम, (घ) तकनीकी जोखिम, (ङ) कानूनी जोखिम, (च) तंत्र का जोखिम, (छ) बाज़ार जोखिम, (ज) देयता जोखिम, (झ) अनुपालन जोखिम, तथा (ञ) कर जोखिम, आदि।

इक्कीसवीं सदी में जोखिम

21 वीं सदी में भारतीय बैंकों को ऐतिहासिक जोखिमों के साथ-साथ कुछ विशेष प्रकार के जोखिमों का भी सामना करना होगा, जो निम्नलिखित हैं :

(i) ***सार्वभौमिकता का जोखिम***

आज दुनिया एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो रही है अतः, भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा, विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भारतीय बैंकों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

(ii) तकनीकी विकास का जोखिम

समूचे विश्व में तेज़ी के साथ हो रहे तकनीकी विकास को भारतीय बैंकों को अपने आपमें आत्मसात करना होगा, अन्यथा भारतीय बैंकों के लिए इस स्पर्धा में पिछड़ जाने का खतरा बन सकता है। परिणामस्वरूप इनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

(iii) ***विलय का जोखिम***

वैश्वीकरण के इस युग में प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु आकार का अपना अलग महत्व है। जब विदेशी बैंकों का आकार विशाल हो तब भारत के छोटे-छोटे बैंक इन बैंकों से किस प्रकार स्पर्धा कर पायेंगे। अतः, छोटे बैंकों के बड़े बैंकों में विलय का जोखिम उत्पन्न हो गया है।

ऋण जोखिम

ऋण प्रदान करना बैंकों का मुख्य कार्य है। ऋण की समय पर अदायगी न होना - ऋण जोखिम कहा जाता है। पूरे विश्व में, ऋण जोखिम या वाणिज्यिक जोखिम से बैंकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इंग्लैंड में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1989 से 1992 के बीच डूबे 62 बैंकों में से 58 बैंकों के डूबने का मुख्य कारण उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का समय पर वसूल नहीं हो पाना, अर्थात् ऋण जोखिम था।

ऋण जोखिम प्रबंधन

किसी भी संस्था में जोखिम की पहचान करना तथा उसका प्रबंध करना आज एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। हाल के वर्षों में, "बैंकिंग पर्यवेक्षण" पर "बासल् समिति" के जोखिम प्रबंधन समूह द्वारा जारी "ऋण जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत" को बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए लागू करने पर लगातार जोर दे रहे हैं।

बैंकों द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के निर्धारण हेतु सिद्धांत

(क) बैंकों में ऋण जोखिम : उचित वातावरण की स्थापना

(i) बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा बैंक में लागू ऋण जोखिम नीति एवं ऋण जोखिम कौशल की वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए। ऋण जोखिम नीति में बैंक की ऋण जोखिम को सहन करने की सीमा एवं इस दृष्टि से बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि दर को रेखांकित किया जाना चाहिए।

(ii) बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा मंजूर की गई ऋण जोखिम नीति को बैंक में लागू करने की जिम्मेदारी बैंक के उच्च प्रबंधन वर्ग पर डाली जानी चाहिए। इस जिम्मेदारी में ऋण जोखिम को पहचानने, मापने, निगरानी रखने एवं नियंत्रण हेतु नई प्रणाली एवं प्रक्रिया भी विकसित की जानी शामिल है।

(iii) बैंकों को अपने ऋण संबंधी समस्त उत्पादों एवं कार्यों में जोखिम की पहचान करके उसके प्रबंध से संबंधित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ऋण संबंधी नये उत्पादों को लागू करने के पूर्व, जोखिम संबंधी समस्त कार्य प्रणालियों पर विचार कर लेना चाहिए।

(ख) ऋण प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया

(i) बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी परिचालन पूर्व परिभाषित एवं सुदृढ़ प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए। इस प्रक्रिया में बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ ही ऋणदाता को समझने, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य, ऋण की संरचना एवं ऋण अदायगी आदि बातें भी शामिल होनी चाहिए।

(ii) बैंकों द्वारा प्रति ऋणदाता एवं ऋणदाता समूह को प्रदत्त कुल ऋण की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यह सीमा बैंक के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को शामिल करके निर्धारित की जा सकती है।

(iii) बैंकों में नए ऋण प्रदान करने एवं ऋणों के नवीकरण अथवा ऋण संबंधी प्रस्तावों में संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(iv) वर्तमान ऋणदाताओं की ऋण सीमा में वृद्धि बहुत सोच-विचार कर ही की जानी चाहिए। वर्तमान कंपनी की सहयोगी कंपनियों एवं उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के ऋण प्रस्तावों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) ऋण प्रशासन एवं निगरानी आदि के लिए उपयुक्त प्रक्रिया

(i) ऋण जोखिम संबंधी विभिन्न संविभागों का लगातार प्रशासन करने हेतु उचित प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

(ii) बैंकों द्वारा प्रति खातेदार और ऋण प्रदान करने संबंधी विभिन्न शर्तों का पालन करने हेतु उचित निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

(iii) बैंकों को आंतरिक जोखिम निर्धारण हेतु उचित प्रणाली विकसित करने एवं उसके उपयोग हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए

ताकि ऋण जोखिम का उचित प्रबंधन संभव हो सके।

(iv) बैंकों में उचित सूचना प्रणाली एवं **सूचना विश्लेषण** की उचित तकनीक का होना अनिवार्य है। इस प्रणाली के होने से प्रबंधन को ऋण जोखिम को मापने में सहायता मिलती है। उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से ऋण के विभिन्न संविभागों एवं उनके जोखिम के बारे में लगातार जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ताकि उच्च प्रबंधन को ऋण जोखिम प्रबंधन में सहूलियत हो।

(v) बैंकों को **ऋण संविभाग** के वर्गीकरण एवं ऋण की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी हेतु उचित प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

(vi) देश की अर्थव्यवस्था में भविष्य में आने वाले बदलावों का बैंक के ऋण संविभाग पर क्या प्रभाव होगा, कारपोरेट ऋण प्रदान करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही, बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन पर होने वाले इन बदलावों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।

(घ) ऋण जोखिम पर उचित नियंत्रण

(i) बैंकों द्वारा एक स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण जोखिम का लगातार निर्धारण करके इसके परिणामों से बैंक के शीर्ष प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को अवगत कराया जाना चाहिए।

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि बैंकों में ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी एवं नियंत्रण एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यवेक्षकों को बैंकों की ऋण प्रदान करने संबंधी कौशल प्रणालियों, प्रक्रिया, नीति एवं कार्य-प्रणाली तथा ऋण संविभाग के लगातार प्रबंधन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य का प्रबंधन ठीक तरीके से हो रहा है तथा प्रदत्त ऋण बैंक द्वारा निर्धारित विवेक सीमाओं के भीतर ही है। बैंक द्वारा निर्धारित सीमा / शर्तों आदि का यदि किसी भी स्थिति में उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सूचना उचित प्राधिकारी को समय पर दी जा रही है।

(iii) बैंकों में ऋण संविभाग की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने हेतु उचित उपाय किए जाने चाहिए।

(ङ) पर्यवेक्षकों की भूमिका

पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि बैंकों में ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी एवं नियंत्रण एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यवेक्षकों को बैंकों की ऋण प्रदान करने संबंधी कौशल प्रणालियों, प्रक्रिया, नीति एवं कार्य-प्रणाली तथा ऋण संविभाग के लगातार प्रबंधन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रति ऋणदाता विवेक ऋण सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए और उनका बैंकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल् समिति के जोखिम प्रबंधन समूह द्वारा जारी "ऋण जोखिम प्रबंधन" के कई सिद्धांतों का पालन बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में किया जा रहा है।

भारत में ऋण जोखिम प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत् भारतीय बैंक आस्ति-देयता प्रबंधन एवं ऋण जोखिम प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैंकों ने आस्ति-देयता प्रबंधन समितियों का गठन किया है। साथ ही, ऋण नीति, मीयादी ऋण नीति एवं विनियोग नीति की घोषणा की है तथा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी कर लिया है।कई बैंकों ने तो ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों पर समग्र नियंत्रण के लिए शीर्ष स्तर पर समेकित जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। यह समिति बैंक निदेशक मंडल को रिपोर्ट करती है। इस समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बैंक की जोखिम (ऋण जोखिम सहित) प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन ;

(ii) बैंक के कार्यकलापों में आने वाले सभी प्रकार के जोखिमों का मूल्यांकन ;

(iii) बैंक परिचालनों के विभिन्न खंडों में विवेकपूर्ण मात्रात्मक निवेशों एवं ऋणराशि पर निगरानी रखना;

(iv) पूंजी से संबंधित **जोखिम समायोजन विवरणी** में ऋण जोखिम के अंतिम रूप से समेकन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन उपायों की समीक्षा करना ;

(v) समग्र बैंक स्तर पर विभिन्न जोखिमों (ऋण जोखिम सहित) के समेकन के लिए नीतियां एवं कार्यविधियां विकसित करना ; तथा

(vi) विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंधन **प्रतिमानों** के प्रवर्तन की प्रगति का अनुवर्तन करना।

ऋण संविभाग पर अत्यधिक ध्यान देकर तथा इसके लिए एक उपयुक्त निगरानी प्रणाली विकसित करके बैंक उपनी ऋण आस्तियों के संविभाग का प्रबंध करते हैं ताकि ऋण जोखिम गुणवत्ता,

भौगोलिकता, उद्योग, उत्पाद, परिपक्वता तथा बड़ी राशि की ऋण प्रदायगी के आधार पर ऋण आस्तियों के केन्द्रीकरण को सीमित किया जा सके।

विभिन्न उद्योगों में बैंक के चालू निवेशों की देखभाल के संबंध में मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपाय करने तथा अतिरिक्त निवेश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के उद्देश्य से कई बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण उद्योगों का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है।

अंत में

किसी भी बड़ी परियोजना में, चाहे वह बैंकिंग संस्था से संबंधित हो या अन्य संस्था से, जोखिम का होना स्वाभाविक है। बैंकिंग उद्योग में ऋण जोखिम का होना आम बात है। आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर ऋण जोखिम की पहचान की जाए एवं उससे होने वाले नुकसान से बैंक को बचाया जाए। यही कारण है कि ऋण जोखिम प्रबंधन भारतीय बैंकिंग उद्योग में आज एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। "जोखिम बजट" एवं "जोखिम आधारित पर्यवेक्षण" के क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य हो रहा है।

ऋण जोखिम बजट के अंतर्गत ऋण जोखिम की राशि का आकलन करके जोखिम बजट बनाया जाता है ताकि ऋण जोखिम की राशि को बजट राशि से आगे बढ़ने न दिया जाए। इससे ऋण जोखिम वहन करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। ऋण जोखिम पर निगरानी भी रखी जाती है ताकि यह जाना जा सके कि ऋण जोखिम बजट की सीमा के भीतर ही है।

ऋण जोखिम बजट एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ ही शाखाओं की ऑडिट रेटिंग प्रणाली को भी ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अतः आने वाले समय में ऋण जोखिम प्रबंधन एक आवश्यकता बन जाएगा।

प्रयुक्त शब्दावली

कीमत जोखिम	Price Risk	सूचना विश्लेषण	Information Analysis
शोधक्षम जोखिम	Servicing Risk	ऋण संविभाग	Credit Portfolio
सार्वभौमिकता का जोखिम	Global Risk	जोखिम समायोजन विवरणी	Risk Adjustment Return
विलय का जोखिम	Merger Risk	प्रतिमान	Model

भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं के बीच में अंग्रेजी कैसे संपर्क भाषा बन सकती है, क्या दिल्ली का रास्ता लंदन से होकर गुजरता है ? अंग्रेजी अलगाव पैदा करती है - जनता और नेता के बीच, राजा और प्रजा के बीच। अंग्रेजी हटेगी तो उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण की भाषा सीखेंगे। हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है, प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं। हिन्दी बढ़ेगी तो अन्य भारतीय भाषाएं घटेंगी, यह कहना ठीक नहीं है, हिन्दी बढ़ेगी तो अंग्रेजी घटेगी या हटेगी यह ठीक है।

-- आलफंस वात वेल, हालैंड

पूंजी पर्याप्तता और कंप्यूटरीकृत वातावरण में जोखिम प्रबंधन

आर.डी.धुर्वे, उप महाप्रबंधक
सुनील कांदळगांवकर, सहायक महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति, समाज और देश का सर्वांगीण विकास - अर्थात् संतुलित संपन्नता, नागरिकों का अच्छा जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा । इसके लिए आर्थिक क्षेत्र जितना कुशल, स्थिर और गतिशील होगा उतने ही उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे । लोकतंत्र में इस तरह के महान और अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थाएं बनाकर उन्हें कुशलता से चलाने की परंपरा है । ऐसी संस्थाओं की सफलता देश के सर्वांगीण विकास में प्रतिबिंबित होती है । ऐसी संस्थाओं की प्रथम आवश्यकता है --पूंजी और उसका कुशल प्रबंधन । पूंजी ही उनकी जीवन-शक्ति है, नैतिक बल है, आत्मविश्वास है। विश्व का आर्थिक इतिहास हमें बताता है कि पूंजी के अभाव में या उसके कुशल प्रबंधन के अभाव में संस्थाओं को भारी संकट का सामना करना पड़ा है। वैसे भी आर्थिक क्षेत्र जोखिम से भरा पड़ा है क्योंकि उसकी परिचालन संबंधी जटिलताएं पिछले दो दशकों में काफ़ी बढ़ चुकी हैं।उन्हें सुलझाने के लिए आर्थिक चिंतन में नए-नए आयाम और अध्याय जुड़ते चले गये। उनमें एक अध्याय है संस्थाओं के पास पूंजी का सशक्त आधार । बैंकिंग क्षेत्र के लिए तो यह आधार अत्यावश्यक है।

> *"जोखिम से बचने के लिये या उससे बचना संभव न हो तो जो नुकसान होगा उसे सहने के लिये हम परिचालन और नीतिगत दृष्टि से तो तैयार रहते हैं फिर भी जड़ तक या तो नहीं पहुंच पाते या " नहीं पहुंचना चाहते " । शब्दों और चिंतन के जाल में उलझते जाते हैं और जोखिम "रक्तबीज" की तरह बढ़ते जाता है"*
>
> ----इसी लेख से

पिछले दो दशकों में पूंजी की संकल्पना बदली है। उसका अर्थ विस्तार हुआ है। अनेक विशेषणों के साथ अनेक संदर्भों में उसे परिभाषित किया जाता है।यह बहुश्रुत शब्द है और इसके साधारण अर्थ से सभी परिचित हैं। तथापि, अनेक शब्द कोशों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। समय के साथ, संदर्भों के साथ जुड़कर पूंजी अपने नए-नए अर्थ ग्रहण करती रही है।

अर्थविद् मानते हैं कि पूंजी निर्माण का स्तर ऊंचा होना चाहिए अन्यथा विकास का लक्ष्य पाना कठिन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूंजी पर्याप्त होनी चाहिए। इतनी पर्याप्त कि वह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। वह अपेक्षित न्यूनतम स्तर से कम न हो।

पिछले दो दशकों में भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थाएं और निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलतापूर्वक अपना कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने लगी हैं। स्वाभाविक है कि इन भारतीय संस्थाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यकुशलता लानी पड़ी क्योंकि उस परिवेश में टिकने के लिए यह जरूरी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आने के बाद भारतीय बैंक का तुलनात्मक अध्ययन होने लगा और तब प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से महसूस हुआ कि भारतीय बैंक कमजोर हैं।हालाँकि कमजोरी के संकेत पहले भी मिलते रहे हैं।

भारत में पूंजी के परंपरागत घरेलू मापदंडों की व्यवस्था से बाहर निकल कर बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्कृति अपनानी पड़ी। इसी स्थिति को एक औपचारिक रूप प्रदान करना आवश्यक हो गया था। इसी उद्देश्य से भारत की वित्तीय प्रणाली का **सांगोपांग अध्ययन** करने का निर्णय लिया गया। एक समिति गठित की गयी। समिति के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम.नरसिंहम (2.5.1977 से 30.11.1977 तक) थे। समिति ने देश की वित्तीय प्रणाली का अध्ययन किया और नवंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें क्रांतिकारी सिफ़ारिशें की गई थीं। इन सिफ़ारिशों को लागू किया गया। पूंजी पर्याप्तता के बारे में समिति का अभिमत था कि बैंकिंग प्रणाली में पूंजी पर्याप्त नहीं है और वह चिंता का विषय है। इसके लिए यह वांछनीय होगा कि BIS (Bank for International Settlement) ने पूंजी पर्याप्तता के जो मानदंड निर्धारित किए हैं उन्हें अपनाया जाए। (BIS की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बॉक्स देखिए।)

यह उल्लेखनीय है कि BIS की एक समिति की सिफ़ारिशों के कारण पूंजी पर्याप्तता और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट

Banks for International Settlement

विश्व की सब से पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह बैंक पिछले 70 वर्षों से कार्यरत है। इसकी स्थापना 1930 में यंग प्लान के अंतर्गत की गई थी। आज तक वह ऐसी प्रमुख संस्था बनी है जो विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर सहयोग बनाए रखती है।

इसकी स्थापना का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वारसाई संधि के द्वारा जर्मनी पर लगाए आर्थिक दंड से संबंधित कार्य करना था। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती थी। इस कार्य के लिए पहले एजेंट जनरल नियुक्त किए गये थे। इस संस्था की स्थापना के बाद क्षतिपूर्ति का कार्य उसे सौपा गया। प्रथम युद्ध से निर्मित मामला कुछ समय बाद समाप्त हो गया और यह बैंक पूरी तरह केंद्रीय बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना था।

यह बैंक केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और अधिकारियों की बैठकें आयोजित कर उन्हें एक मंच पर लाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय और मौद्रिक स्थिति संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करता है । आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संकट के प्रति यह बैंक संवेदनशील है और उससे निपटने के लिए पूंजीगत सहायता का प्रबंध करता है । आज आर्थिक एकीकरण और भूमंडलीकरण को देखते हुए यह वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यह बैंक अनुसंधान के कार्य भी करता है । अंतर्राष्ट्रीय वित्त से संबंधित आंकड़े संकलित करता है । विश्व स्तर के विशेषज्ञों से इसका विश्लेषण करवाता है तथा वित्तीय समुदाय के समक्ष सिफ़ारिशें प्रस्तुत करता है । इसका उद्देश्य स्थिरता, सुदृढ़ता बनाए रखना है ।

यह बैंक बैंकिंग के परंपरागत कार्य भी करता है, जैसे -आरक्षित निधि का प्रबंधन, स्वर्ण लेन-देन, ताकि सेंट्रल बैंक इनका उपयोग कर सकें। 31 मार्च 2000 को 128 बिलियन अमेरिकी डालर की कुल मुद्रा इस बैंक के पास जमा थी जो विश्व की संचित विदेशी मुद्रा का लगभग 7 प्रतिशत होती है। इसके अतिरिक्त, यह बैंक ट्रस्टी तथा एजेंसी बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यूरोपियन्स पेमेंट यूनियन के लिए यह एजेंट के रूप में काम करता है। इस संस्था ने 1950 से 1958 तक एजेंट के रूप में कार्य करते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन मुद्रा की **परिवर्तनीयता** प्राप्त करने में सहयोग दिया। इसी प्रकार इस बैंक ने यूरोपियन विनिमय दर व्यवस्था के लिए एजेंट के रूप में भी कार्य किया । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को वित्तपोषण की जरुरत पड़ने पर उसे वित्त प्रदान करता है या आपात्कालीन वित्तपोषण की व्यवस्था करता है । 1931-33 के दौरान जो वित्तीय संकट आया था उस समय इस बैंक ने ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के केन्द्रीय बैंकों को ऋण प्रदान किया था ।

आये थे। इस समिति के अध्यक्ष पीटर कुक थे। यह समिति कुक समिति के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति का पूरा नाम है - "*The Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices*" । लेकिन बासल् समिति के रूप में ज्यादा लोकप्रिय है। बासल् स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यहां BIS का मुख्यालय है। इस समिति ने पर्यवेक्षण तथा पूंजी पर्याप्तता के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों / मानदंडों को जी-10* ने अपनाया।

कारोबार के लिए बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए । पूंजी पर्याप्तता को **जोखिम-भारित परिसंपत्तियों** से जोड़ दिया गया है । इसके लिए उपयुक्त मापदंड हैं । पूंजी पर्याप्तता की नई बासल् संकल्पना से पहले भारतीय बैंकों का मापदंड कुछ और था । यह पात्र और परिभाषित **स्वाधिकृत निधियां** और कुल जमाराशियों के अनुपात पर आधारित था । प्रारंभ में यह अनुपात कुल जमाराशियों के अनुपात का 10 प्रतिशत था । यह काफ़ी अधिक था और भारतीय बैंक इसे प्राप्त नहीं कर सकते थे । इसलिए इसे घटाकर 2.5 प्रतिशत पर लाया गया ।

नरसिंहम् समिति ने सिफारिश की कि बासल् समिति की

* जी-10 में अब 12 सदस्य हैं : (1) यू.एस.ए (2) यू.के (3) फ्रांस (4) जर्मनी (5) जापान (6) इटली (7) नीदरलैंड (8) स्वीडन (9) स्विट्जरलैंड (10) बेल्जियम (11) कनाडा (12) लक्ज़म्बर्ग

पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को कुछ देशों के वाणिज्य बैंकों ने अपना लिया है । नरसिंहम् समिति ने इसे आवश्यक माना कि भारतीय बैंक भी इन मानदंडों को अपनाएं क्योंकि भारतीय बैंकों के पास पूंजी का सशक्त आधार नहीं है ।

वर्तमान मानदंड

पूंजी पर्याप्तता के वर्तमान मानदंड इस प्रकार हैं :

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए पूंजी को निम्नानुसार वर्गीकृत और परिभाषित किया गया है : (i) मुख्य पूंजी (TIER I)(ii) गौण पूंजी (TIER II) कुछ दस्तावेजों में इन्हें स्तर I और स्तर II पूंजी भी कहा गया है ।

मुख्य पूंजी स्थायी प्रकार की पूंजी है और उसे अपेक्षाकृत आसानी से जुटाया जा सकता है । मुख्य पूंजी में पात्र प्रदत्त पूंजी और विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल की गई हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए पात्र माना गया है और परिभाषित किया गया है ।

गौण पूंजी में अर्थात् TIER II पूंजी में (i) पात्र और परिभाषित लिखत, (ii) पात्र और परिभाषित प्रारक्षित निधियां, (iii) पात्र और परिभाषित ऋण शामिल हैं । इस पूंजी का स्वरूप अस्थिर है और उतनी आसानी से नहीं जुटाई जा सकती जितनी आसानी से TIER I पूंजी जुटाई जा सकती है ।

परिसंपत्तियां जोखिम-भरी हैं । जोखिम के कारण कारोबार में किसी बैंक या संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है । किस परिसंपत्ति में कितनी जोखिम हो सकती है उसे मापना तथा उसका आकलन करना जरूरी है । यदि जोखिम उठानी पड़ी तो उसे सहने की क्षमता बैंक/संस्था के पास होनी चाहिए । यदि बैंक के पास पूंजी पर्याप्तता का मजबूत आधार है तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा या नुकसान को आसानी से आत्मसात् किया जा सकेगा । अतः, तुलन-पत्र में शामिल परिसंपत्तियाँ तथा तुलन-पत्र से इतर मदों को जिनमें जोखिम निहित है, जोखिम-भारित बनाया गया है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों, शहरी सहकारी क्षेत्र के बैंकों और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए पूंजी का निर्धारित न्यूनतम स्तर हमेशा बनाए रखना अनिवार्य है । यह स्तर जोखिम-भारित कुल परिसंपत्तियों के निर्धारित प्रतिशत पर निर्भर होगा । प्रारंभ में यह 8 प्रतिशत था । इन मानदंडों को न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देशों ने अपनाया और स्पर्धात्मक समानता प्राप्त की । भारतीय बैंकों ने 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया । यह लक्ष्य अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2002 को 9 प्रतिशत कर दिया गया । बैंकों ने यह लक्ष्य भी हासिल कर लिया है । इससे यह माना जा रहा है कि बैंकों का पूंजीगत आधार मजबूत हुआ है ।

पूंजी पर्याप्तता के ये मानदंड शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किए गए हैं । लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs) तथा राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर फिलहाल ये मानदंड लागू नहीं हैं । हो सकता है कुछ समय बाद इन पर पूंजी पर्याप्तता के मानदंड किसी-न-किसी रूप में लागू हों क्योंकि इनकी स्थिरता, सुरक्षा और सुदृढ़ता की जरूरत को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता ।

पूंजी पर्याप्तता के वर्तमान मानदंड लागू किए एक दशक हो गया है । इन मानदंडों के कारण बैंकों की पूंजीगत स्थिति मजबूत हुई है कि लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि हमेशा के लिए यही स्थिति बनी रहेगी ।

पूंजी पर्याप्तता के वर्तमान मानदंड लागू किए एक दशक हो गया है । इन मानदंडों के कारण बैंकों की पूंजीगत स्थिति मजबूत हुई है कि लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि हमेशा के लिए यही स्थिति बनी रहेगी । अन्य तत्वों से उत्पन्न जोखिम भी बैंकों की पूंजीगत मजबूती को प्रभावहीन बना सकते हैं । इसके कई उदाहरण सामने आए है । इसलिए न केवल पूंजीगत स्थिति को बल्कि अन्य पहलुओं पर भी लगातार निगरानी रखी जाती है ।

पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा और नई संरचना

पूंजीगत आधार मजबूत होने के बावजूद बैंकों के सामने कुछ कठिनाइयाँ आती रहीं। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि स्थिति की समीक्षा की जाए। क्योंकि व्यवस्था के अन्य पहलू भी एक दूसरे से भलीभांति जुड़े होते हैं।कारोबार में उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ज्यों-ज्यों जटिलताएं बढ़ती जाती हैं त्यों-त्यों जोखिम भी बढ़ता जाता है। इसलिए बासल् समिति ने पूंजी पर्याप्तता का आधार बढ़ाने और उसे लचीला बनाने के लिए उसके मानदंडों का नया प्रस्ताव अपने सदस्य केंद्रीय बैंकों के सामने रखा है। इस पर विचार-विमर्श जारी है। नई संरचना की कुछ मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

* समिति का विश्वास है कि पूंजी पर्याप्तता का आधार बढ़ाने

और उसे लचीला बनाने के लक्ष्य को निम्नलिखित तीन आधार-स्तंभों से पाया जा सकता हैः

1. न्यूनतम पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण
2. पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षण-समीक्षा
3. बाजार अनुशासन

* न्यूनतम पूंजी रखने संबंधी वर्तमान मानदंड जोखिम के समिति क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार जोखिम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर पूंजी का न्यूनतम स्तर बनाए रखना होगा।
* फिलहाल ऋण-जोखिम पर ध्यान केंद्रित था। क्योंकि समूची बाजार व्यवस्था के तत्वों से बैंकों पर दबाव पड़ा जिसके कारण यह जरूरी था कि वे अपनी पूंजीगत स्थिति मजबूत करें। इसलिए नये प्रस्तावों में बाजार-जोखिम को महत्व दिया गया है।
* पिछले दशक में विश्वस्तरीय वित्तीय व्यवस्था की व्यापकता और गहनता काफ़ी बढ़ी है। वर्तमान मानदंड आर्थिक जोखिम को ही स्थूल रूप में मापते हैं। ऋण जोखिम में उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर उत्पन्न हानेवाले जोखिम को अलग से नहीं आंका जाता। साथ ही, आँकी गये या अनुमानित जोखिम और वास्तविक आर्थिक जोखिम के बीच जो भी अंतर होता है उसके नियामक पूंजी संबंधी आवश्यकताएं बदलती रहती है। बैंक इस अंतर का लाभ नहीं ले पाते। यानी इस अंतर को गतिशील रखकर उसका **अंतर-विपणन** ठीक से नहीं कर पाते।
* कुछ लेनदेनों में जोखिम कम करने के तरीके अपनाने के लिए वर्तमान मानदंडों से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। **अनुषंगी प्रतिभूतियों** के लिए पूंजीगत राहत कम है।
* समिति ने महसूस किया कि पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों को बाजार में होनेवाले परिवर्तनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

उसने पूंजी पर्याप्तता संबंधी नए मानदंडों का भी प्रस्ताव किया जिनका दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक है। नए प्रस्तावों में भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को स्थिर, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाए रखने का लक्ष्य है तो ही, साथ ही, उसे आर्थिक उथल-पुथल के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। समिति ने पूंजी पर्याप्तता के वर्तमान मानदंडों को प्रमुख आधार माना है। अब दूसरा स्तंभ है पर्यवेक्षण-समीक्षा। हालांकि कुछ देशों में यह पहले से ही मौजूद है जिनमें भारत भी एक है। भारत ने बैंकों और बैंकिंग परिचालन को यहां तक कि गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाया है। बैंकों की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर मजबूत बैंकों के लिए पूंजी संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं लागू करने के लिए वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रतिस्पर्धा के लाभ हम जानते ही हैं। लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धियों को एक स्तर पर रखा जाना जरूरी है। असमान प्रतिस्पर्धाएं प्रबंधन को प्रभावित करती हैं और असंतुलन का कारण बनती हैं। इस संकल्पना के प्रति वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशील रहने की आवश्यकता है, चाहे फिर यह वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। कई ऐसे तत्व हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्नता पाई जाती है - जैसे लेखांकन प्रणाली, कर व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, बैंकिंग का समग्र स्वरूप इत्यादि। इनसे संस्थाओं की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। बैंकिंग पर्यवेक्षण में इन बातों को कहां तक प्राथमिकता दी जाती है वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अतः समिति ने महसूस किया कि प्रथम स्तंभ में पूंजी संबंधी जो अपेक्षाएं हैं उसके पूरक रूप में द्वितीय और तृतीय स्तंभ रहेगा।

जहां तक पर्यवेक्षण-समीक्षा, अर्थात् दूसरे स्तंभ का प्रश्न है, समिति ने प्रस्ताव किया है कि बैंकों की पूंजी की आंतरिक समीक्षा नियमित रूप से शुरू की जानी चाहिए। बैंक के जो अधिकारी पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक के जोखिम के स्वरूप को देखते हुए अपेक्षित न्यूनतम पूंजी के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या नहीं। जोखिम के प्रबंधन के अलावा उसके नियंत्रण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस संबंध में बैंकों की आंतरिक प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए और कमजोरी के संकेत मिलते ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। समिति का यह भी मत है कि पर्यवेक्षकों की भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए। उनका कार्य न केवल प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों का पता लगाकर उनकी समीक्षा करना है बल्कि बैंकिंग प्रणाली की व्यापकता और जटिलता को देखते हुए उनकी स्थिरता, सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए भी वे प्रभावी बाज़ार अनुशासन के केंद्र बिंदु बन कर कार्य करें।

प्रभावी **बाजार अनुशासन** के लिए यह आवश्यक है कि सामयिक विश्वसनीय और अद्यतन सूचना उपलब्ध हो ताकि बाजार के सहभागियों को जोखिम का सही अनुमान लगाने में सुविधा हो सके। लेखांकन और मूल्यांकन प्रणालियों के बारे में समिति ने जोर देकर कहा है कि पर्यवेक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि स्वस्थ लेखांकन प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए वे यथासंभव सभी प्रयास करें। इसके लिए पर्यवेक्षकों को और

अधिक अधिकार संपन्न बनाने की सिफ़ारिश समिति ने की है।

जोखिम के विभिन्न दृष्टिकोण, प्रबंधन और नियंत्रण

जोखिम पर अनेक दृष्टिकोणों से चिंतन हो रहा है। उसका सांगोपांग विवेचन हो रहा है। कभी-कभी लगता है क्या हम जोखिम से जरूरत से ज्यादा तो नहीं डर रहे हैं। फिर जोखिम का सामना करने के लिए बड़ी ही सूझबूझ से हम रणनीति बनाते हैं और सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन किसी दिन अचानक हादसा हो जाने पर अवाक् रह जाते हैं। " भेड़िया आया, भेड़िया आया " की कहानी यहां सार्थक लगने लगती है।

आज के प्रौद्योगिकी परिवेश में हर तरह की जानकारी सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से रखी जा सकती है। "Knowledge is power" और "Information is power " जैसी कहावतें इस कंप्यूटर युग में सार्थक बनती जा रही हैं।

जोखिम से बचने के लिए या उससे बचना संभव न हो तो जो नुकसान होगा उसे सहने के लिए हम परिचालन और नीतिगत दृष्टि से तो तैयार रहते हैं फिर भी जड़ तक या तो नहीं पहुंच पाते या "नहीं पहुंचना चाहते " । शब्दों और चिंतन के जाल में उलझते जाते हैं और जोखिम " रक्तबीज " की तरह बढ़ते जाता है।

" नहीं पहुंचाना चाहते " इस पर अनेक पाठकों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ तो सच्चाई है। इस देश के लिए "भ्रष्टाचार " बहुत बड़ा जोखिम है। भ्रष्टाचार की सभी निंदा करते हैं। व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर उसका जोरदार मुकाबला किया जाता है। परंतु आम व्यवहार में पाते हैं कि उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। वह अमरबेल की तरह फैला है। समाज उसी में जीता है। व्यवस्था के सीमित दायरे में काम करनेवाला व्यक्ति या संस्था उसे समाप्त नहीं कर सकती। ऐसा भी माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लाभान्वित लोग बहुमत में हैं और उससे पीड़ित व्यक्ति अल्पमत में । कुछ लोग तटस्थ रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आर्थिक जगत - उसमें भी बैंकिंग जगत - उपर्युक्त बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। नकारात्मक किस्म की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक गतिविधियों का कुप्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। इससे बैंकिंग क्षेत्र का उज्जवल दर्शन, चिंतन-मनन भी प्रभावहीन हो जाता है।

ऋण, परिचालन, बाजार, चलनिधि, कानूनी इत्यादि प्रकार की ज्ञात जोखिमों को सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नकारात्मक वैचारिक और **व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण** से उत्पन्न जोखिम को अभी तक जोखिम की श्रेणी में नहीं गिना जा रहा है। इस प्रकार की जोखिम को वस्तुतः जोखिमों का जनक ही माना जाना चाहिए।

जोखिम एक सापेक्ष संकल्पना है और किसी जोखिम को स्वतंत्र रखकर उसका प्रबंधन करने से सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यदि धोखाधड़ी से कोई बैंक असफल होता है तो यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि प्रक्रियात्मक कार्रवाई में, दस्तावेजों के संवीक्षण में या परिचालन में कोई दोष नहीं था। दोष रहा हो या न रहा हो तथ्य यह है कि बैंक विफल हो गया। यह कहना कि जिन कारणों से विफल हुआ है वह प्रशासन के दायरे में आता है, इसमें परिचालन, नीति इत्यादि निर्दोष है। तार्किक दृष्टि से यह बचाव सशक्त हो सकता है। प्रणाली से जुड़े लोगों को भी शायद दोषी नहीं माना जाएगा, परंतु तथ्य यह है कि बैंक विफल हो गया।

यदि जोखिम को अलग रखकर या निरपेक्ष भाव से न देखा जाए तो शायद जोखिम का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। जहां जोखिम की संभावना व्यक्त की जाती है और उसका सामना करने के लिए पूर्व-तैयारी की जाती है वहाँ पूर्व-तैयारी में शामिल अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली में नकारात्मक व्यक्तिनिष्ठता पर भी समुचित विचार करना होगा।

कंप्यूटरीकृत परिवेश में जोखिम प्रबंधन

आज के प्रौद्योगिकी परिवेश में हर तरह की जानकारी सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से रखी जा सकती है। "Knowledge is power" और "Information is power " जैसी कहावतें इस कंप्यूटर युग में सार्थक बनती जा रही हैं।

बैंकिंग परिचालन के क्षेत्र में पिछले दो दशकों के दौरान रिपोर्टिंग प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। शाखा स्तर पर आंकड़ों की संकलन पद्धति, उसकी आवधिकता, उसकी सटीकता, समय पर उसकी रिपोर्टिंग, उसका सांगोपांग विश्लेषण और सही निष्कर्ष निकालने में महत्वपूर्ण और संवेदनशील डाटा बेस इत्यादि तत्व काफी सहायक होते हैं। हालांकि इस दिशा में पहले की तुलना में अब क्रांतिकारी परिवर्तन आया है तथापि नई चुनौतियों के चलते इसकी निरंतर समीक्षा आवश्यक है ताकि हर जोखिम को उसके बीज रूप में ही समाप्त किया जा सके और वह प्रणाली का या व्यवस्था का अनिवार्य भाग न हो सके। अकसर देखा गया है कि जोखिम तत्व प्रारंभ में अनदेखा, अनसुना, अज्ञात और उपेक्षित रहने पर वह कालांतर में बड़ा रूप धारण करके बड़ा विस्फोट करता है। बैंकिंग परिचालन के

क्षेत्र में हाल ही में घटी कुछ घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

सुव्यवस्थित डाटा बेस और इस विशिष्ट कार्य के लिए विकसित अनुप्रयोग हमें जोखिम का पहला संकेत देगा। प्रबंधन के उचित स्तर पर यह भी संकेत मिलना चाहिए कि मानव मस्तिष्क उसकी उपेक्षा कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति में कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाया जा सकता है कि वह उपयुक्त और सक्षम प्राधिकारी को अपने आप जोखिम के पहले संकेत को बता सके और महत्वपूर्ण जानकारी अपने आप जेनरेट कर दे। जहां संभव हो, कंप्यूटर स्वयं जोखिम के पहले बीज रूपी तत्व को नष्ट करके विशिष्ट कार्य को आगे न बढ़ने दे। यदि कोई मानव तत्व उस जोखिम भरे कार्य को जबरन आगे बढ़ाता है तो कंप्यूटर सक्षम प्राधिकारी को भविष्य में होनेवाले नुकसान से सतर्क कर दे। इस तरह के साफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित करवाए जा सकते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के सारे लाभ इस समय महानगरों में ही उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र इन लाभों से वंचित हैं। सूचना तंत्र का सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित नहीं हो जाता तब तक सजग और कुशल बैंकिंग संस्कृति का विकास असंभव है।

पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन करवाने से पूंजीगत आधार मजबूत हुआ है। बैंकों की लेखा प्रणाली में भी काफ़ी पारदर्शिता तो आ गई है फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनसे बैंकों में जन-साधारण का विश्वास डगमगा जाता है। जनता का विश्वास खोना अपने आपमें बहुत बड़ा जोखिम है। इसका भी कुशल प्रबंधन आवश्यक है, अन्यथा पूंजीगत आधार कितना ही सशक्त क्यों न हो उसे कमजोर होने में कोई देर नहीं लगेगी। हालांकि ऐसी घटनाएं बैंकिंग परिचालन की व्यापकता और मजबूती को देखते हुए नगण्य-सी मानी जा सकती हैं, तथापि उन्हें साधारण घटना मान लेने से जोखिम की गंभीरता और बढ़ जाती है। आखिरकार जनता की बचत और निवेश से ही बैंकों का पूंजीगत आधार मजबूत होगा। स्पष्ट है कि बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जनता की जानकारी का स्तर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जोखिम से बचाता है। इसके लिए प्रसार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। आज कल बैंक और वित्तीय संस्थाएँ भी दूरदर्शन पर विज्ञापन दे कर जनसाधारण को जागरुक बना रही हैं। प्रचार-प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी भरपूर उपयोग किया जा सकता है। जनता के लिए सूचना केयास्क, वेबसाइट, ई-मेलिंग, त्वरित संवाद सुविधा होनी चाहिए तथा उसमें जनता के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक के इनफायनेट से भी सभी बैंक और उनकी शाखाएं शीघ्र जुड़नी चाहिए। शाखाओं में भी सभी कंप्यूटर सिस्टम लैन से जुड़े होने चाहिए। इससे जानकारी का सभी ओर प्रवाह बना रहेगा। सूचना का आदान-प्रदान न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। बैंकों को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से अनेक मामलों को ले कर संपर्क करना पड़ता है। वहाँ भी नेटवर्क कनेक्टीविटी स्थापित की जानी चाहिए ताकि सूचना का आदान-प्रदान बिना किसी बाधा के हो सके। सूचना की गुणवत्ता की भी समीक्षा समय-समय पर होनी चाहिए ताकि उसकी सटीकता और प्रासंगिकता बनी रहे।

इस क्षेत्र में केंद्रीय बैंकों और सरकार का पिछला अनुभव कुछ भी क्यों न रहा हो, अंतिम सत्य यही है कि प्रभावी बैंक प्रबंधन ही सब कुछ है। इसका कोई पर्याय नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। जोखिम प्रबंधन का सार संस्कृत की इन पंक्तियों में भी है :

हेयम् दुःखम् अनागतम्

Avoid the danger that is yet to come.

प्रयुक्त शब्दावली

सांगोपांग अध्ययन	Detailed Study	अंतर-विपणन	Arbitrage
परिवर्तनीयता	Convertibility	अनुषंगी प्रतिभूतियां	Subsidiary Securities
जोखिम-भारित परिसंपत्तियां	Risk Weighted Assets	बाज़ार अनुशासन	Market Discipline
स्वाधिकृत निधियां	Autonomous Funds	व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण	Subjectivity

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम

डॉ.शरद कुमार
संकाय सदस्य,
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकिंग अपने आप में पूर्णतया जोखिम भरा कारोबार है। जोखिम को ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंक ऋण एवं बाज़ार जोखिमों को कम करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं परन्तु सामान्यतः परिचालनगत जोखिम की उपेक्षा यह मानते हुए करते हैं कि सब कुछ ठीकठाक ही होगा। सामान्य रूप से परिचालनगत जोखिम, अपेक्षा पर खरे न उतरने की दशा में श्रमशक्ति, मशीन या **प्रणालीगत असफलता** से संबंधित होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पद्धतियों एवं क्रियाविधियों के कार्यान्वयत से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परिचालनगत जोखिम बढ़ने के आसार ज्यादा हो गये हैं बशर्ते उचित सुरक्षा उपाय लागू न किये गये हो। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में जोखिम का प्रबंध करने के लिये अपेक्षित नियंत्रक उपाय हाथों से किये जाने वाले कार्यों की तुलना में अलग होते हैं। अतः बैंकों के लिये जरूरी है कि वे अपनी क्रियाविधियों में कम्प्यूटरीकरण एवं स्वचालन के बढ़ते प्रयोग से उभरने वाले मुख्य जोखिमों को पहचाने और उन्हें कम करने के लिये पर्याप्त नियंत्रक उपाय करें।

बैंकिंग अपने आप में पूर्णतया जोखिम भरा कारोबार है। जोखिम को ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम का स्वरूप

इस प्रकार के जाखिमों को मुख्यतः तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी परिवेशगत जोखिम (ख) सूचना प्रौद्योगिकी परिचालनगत जोखिम और (ग)उत्पाद / सेवा संबंधी जोखिम

(क) सूचना प्रौद्योगिकी परिवेशगत जोखिम :

इस श्रेणी में वाणिज्य एवं कारोबारी परिवेश जिसमें कम्प्यूटर तथा दूरसंचार प्रणालियां काम करती हैं, के कारण उत्पन्न होनेवाले परम्परागत जोखिम आते हैं। विनियामक जोखिम, रणनीतिगत जोखिम, संगठनात्मक जोखिम, स्थानगत जोखिम और बाहरी संसाधन जोखिम।

(i) विनियामक जोखिम : बैंक एक निर्धारित विनियामक ढांचे में काम करते है। कम्प्यूटर प्रणाली की डिज़ाइन एवं उसके कार्यकलाप इस विनियामक ढांचे के अनुरूप होने चाहिये। ऐसा न करने से प्रतिष्ठागत हानि हो सकती है। पूंजी की लागत बढ़ सकती है, कारोबारी अवसर सीमित हो सकते हैं तथा दण्डात्मक कार्रवाई हो सकती है और अंततः इससे बैंकिंग कारोबार का नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों से संबंधित कानूनी ढांचे के न होने या अपर्याप्त होने से बैंकिंग लेनदेनों से संबंधित विकासों में वृद्धि होने की संभावना है।

(ii) रणनीतिगत जोखिम : बैंकों में कारोबारी आवश्यकता के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किया है। अतः जरूरी है कि रणनीतिगत कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उचित प्रकार की गतिविधि के लिये 'उचित' प्रकार की टेक्नॉलॉजी का चुनाव किया जाए। जब कोई बैंक गलत प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी साधनों को अपनाता है तो वह अपेक्षित प्रभावशीलता प्राप्त नहीं कर सकेगा और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ जायेगा तथा इसमें बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों एवं प्रणालियों पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। जिससे कि वह नये कारोबारी परिवेश को स्वीकार कर सकें क्योंकि नये उत्पाद और सेवाएं 'ऑन लाइन' आती हैं। दीर्घावधि उद्देश्यों एवं परियोजनाओं के निर्धारण में अल्पावधि साधन किये जाने हैं जिनमें जोखिम होता है। बैंक की बदलती हुईं आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के होने से बहुत ही कम समय में वर्तमान प्रणाली पुरानी हो जायेगी।

(iii) संगठनात्मक जोखिम : बैंक का संगठनात्मक ढांचा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की प्रभावशीलता का निर्धारण कर सकता है। जब **संगठनात्मक ढांचा** सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यकलापों के लिये रिपोर्टिंग स्थिति एवं जिम्मेदारियों को लेने और उसे परिभाषित करने में असफल होता है तो इससे जिम्मेदारियों के बारे में गलतफहमी

और मानव एवं वित्तीय संसाधनों के कमजोर विकास की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा, कम्प्यूटरीकृत वातावरण में ही इ़यूटी के कमजोर आबंटन से गलतियां तथा धोखाधड़ी होने का जोखिम हो सकता है।

(iv) स्थानगत जोखिम : टेक्नोलॉजी संसाधन अनपेक्षित और कभी कभी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाओं के जोखिम से प्रभावित होते हैं। बैंक की डेटा संसाधन गतिविधियों के स्थान के आधार पर, वे बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाओं तथा दंगे एवं तोड़फोड़ जैसी स्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं।

(v) बाहरी संसाधन जोखिम : बैंकों के संदर्भ में यह सामान्य सी बात है कि वे अपनी कुछ अथवा सभी डेटा संसाधन गतिविधियों के लिये बाहरी संसाधनों का सहारा लेते हैं। जब बाहरी संसाधनों का सहारा लिया जाता है तो उसमें कृछ अतिरिक्त जोखिम जुड़ जाते हैं जिनपर विचार करना जरूरी है। उचित **प्रबंधकीय नियंत्रण** एवं प्रलेखीकरण के बिना वेन्डर और ग्राहक की जिम्मेदारियां और देयताएं स्पष्ट नहीं हो पायेंगी। एक ही वेन्डर / आपूर्तिकर्ता पर अधिक निर्भर रहने से उसकी असफलता का जोखिम रहता है जिसमें अनावश्यक उच्च लागत का बोझ पड़ सकता है। इसमें कुछ रणनीतिगत कारोबारी एवं नीतियों को बाहर प्रकट करने का जोखिम हो सकता है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी परिचालनगत जोखिम :

परिचालनगत जोखिम कम्प्यूटर प्रणाली में रोज़मर्रा के काम से उत्पन्न होनेवाले जोखिम है। इनमें चूक जोखिम, कम्प्यूटर धोखाधड़ी जोखिम, प्रगटन जोखिम तथा व्यवधानगत जोखिम शामिल हैं।

(i) चूक जोखिम : कम्प्यूटरीकृत परिवेश में चूकें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने और संसाधन करने के दौरान भूल होना, डेटा दर्ज करने में मामूली भूल हो जाना या कुछ टूल्स और संवेदनशील सुविधाओं का गलत प्रयोग करना। इस प्रकार की चूक लेनदेनों की संपूर्णता एवं यर्थाथता को प्रभावित कर सकती है और बैंक को हानि हो सकती है। अनुप्रयोग कार्यक्रमों में विद्यमान ' बग ' भी चूकें कर सकता है।

(ii) कम्प्यूटर धोखाधड़ी जोखिम : कम्प्यूटरीकृत वातावरण धोखेबाजों को कई नये अवसर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि धोखेबाज अपनी कार्रवाई और धोखाधड़ी की गति को कम्प्यूटर प्रणाली में छुपा सकते हैं। यह जरूरी है कि बैंक कम्प्यूटर प्रणाली के संवेदनशील बिन्दुओं से वाकिफ़ हों और विशेषतः कारोबार के समय एवं प्रणाली परिवर्तन के दौरान धोखाधड़ी के नये अवसरों के लिये सुरक्षा उपाय करें। ऐसे जोखिम उन स्थितियों में ज्यादा होते हैं जब सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो या उन्हें सही रूप में लागू नहीं किया गया हो।

(iii) प्रकटन जोखिम : बैंक के कम्प्यूटर में दर्ज एवं उसके संचार नेटवर्क से गुजरने वाली जानकारी में ग्राहकों से संबंधित बहुत ही संवेदनशील वित्तीय तथा अन्य आंकड़े होते हैं। इस सूचना का आकस्मिक या सोच समझकर किया गया प्रकटन बैंक की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और ग्राहकों को हानि हो सकती है एवं कानूनी मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है।

(iv) व्यवस्थागत जोखिम : कम्प्यूटर और / या संचार प्रणाली के असफल होने से बैंक के कार्यकलापों एवं कारोबार में व्यवधान आ सकते हैं। कम्प्यूटर परिचालनों के बंद पड़ने पर प्रभाव बहुत नाटकीय हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों की असंतुष्टि, कारोबार की हानि आदि हो सकती है। यदि कम्प्यूटर सुविधाएं और संबंधित मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित न हो तो कारोबारी समुदाय पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) उत्पाद / सेवा जोखिम :

बैंक अपनी परिचालनगत दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिये टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पाद लागू कर सकते हैं। यद्यपि इन उत्पादों से जुड़ी परिचालनगत जोखिम सैद्धान्तिक रूप में अपरिवर्तित रहते हैं, तथापि इन जोखिमों को कम करने के नियंत्रक ढांचे को प्रबंध तंत्र द्वारा जिस रूप में डिज़ाइन और लागू किया जाता है वह एक अलग बात है। एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, कम्प्यूटर आधारित व्यापारिक सेवाएं आदि बिना किसी रूकावट के मिलनी चाहिए।

प्रयुक्त शब्दावली

सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology	प्रबंधकीय नियंत्रण	Managerial Control
प्रणालीगत असफलता	Systems Failure	प्रकटन जोखिम	Disclosure Risk
संगठनात्मक ढांचा	Organisational Set-up	व्यवस्थागत जोखिम	Systemic Risk

कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण में जोखिम प्रबंधन

एस.जी. नाडगोंडे
उप महाप्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कारपोरेट वित्त शाखा

नई सहस्त्राब्दि में तकनीक के बढ़ते हुए प्रयोग ने समस्त भौगोलिक सीमायें पार कर ली हैं और पूरा विश्व एक माउस के क्लिक पर आकर ठहर गया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित हुआ है और बैंकों का कामकाज केवल बड़े शहरों या पूंजीपतियों तक ही सीमित न रह कर छोटे-छोटे शहरों तक में आ गया है। हम जानते हैं कि भारत की दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है और गांवों के विकास के बिना शहरों का विकास नहीं हो सकता है और अंततोगत्वा इससे पूरे भारत का विकास मंद हो जाता है। इसी के मद्देनजर भारत में बैंकिंग प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। प्रत्येक प्रणाली में अच्छाइयों के साथ-साथ कुछ जोखिम भी मौजूद होते हैं।

सूचना तकनीक के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है।

वर्तमान बैंकिंग पूर्णतः ज्ञान उन्मुख बैंकिंग हैं। सूचना तकनीक के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। **नवोन्मेष तकनीकी उत्पाद** जैसे एटीएम, टेली बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग के पारम्परिक उत्पादों से टक्कर ले रहे हैं। शनैः-शनैः पारम्परिक बैंकिंग का स्थान आधुनिक बैंकिंग द्वारा लिया जा रहा है। बढ़ते हुए तकनीकी परिचालनों से विभिन्न प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों के द्वार खुल रहे हैं। परिचालनात्मक जोखिमों का सामना करने के लिए गहन आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार के कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण में लेखा-परीक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण के जोखिमों से भी परिचित हो लिया जाए।

कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण क्या है

वर्तमान युग सूचना संसाधन का युग है। सही समय पर सही सूचना मिलने से प्रबंधन को सही निर्णय लेने में काफ़ी सहायता मिलती है। कम्प्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सही समय पर सही सूचना न्यूनतम समय में एवं कम से कम लागत पर सही व्यक्ति तक पहुंचे जिससे प्रबंधन और ग्राहक दोनों को ही लाभ होता है। सूचना प्रणाली एवं तकनीक के युग में कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण का उद्देश्य प्रबंधन और ग्राहक के लिए निम्न प्रकार से भिन्न-भिन्न हो सकता है :-

प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण का उद्देश्य

- बेहतर आंतरिक रखरखाव एवं सूचना प्रणाली पर नियंत्रण रखना
- त्वरित एवं संतोषजनक ग्राहक सेवा प्रदान करना
- कर्मचारियों से अभीष्टतम कार्य लेकर उत्पादकता में वृद्धि करना
- बैंकिंग संबंधी कार्यों / प्रक्रियाओं में तीव्रता लाना तथा कम्प्यूटर प्रणाली से इच्छित रिपोर्ट प्राप्त करना
- बेहतर सूचना प्रणाली

ग्राहकों के लिए कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण का उद्देश्य

- त्वरित एवं बेहतर ग्राहक सेवा
- समय पर ब्याज की प्राप्ति
- ग्राहकों के प्रश्नों का तुरन्त उत्तर प्रदान करना
- बिना बैंक शाखा में गए खाते संबंधी सूचनायें प्राप्त करना

कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण से बैंक की अपेक्षायें

* 24-7-52 (दिन में 24 घंटे - सप्ताह में 7 दिन - वर्ष में 52 सप्ताह तक) निर्बाध बैंकिंग सेवा का मिलना
* तुरन्त ग्राहक सेवा प्रदान करना
* सूचना प्रणाली को समय-समय पर अद्यतन करते रहना
* समय के साथ-साथ सूचना तकनीक में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप उचित हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का प्रदान करना

हमने देखा कि सूचना तकनीक के बदलते हुए परिदृश्य एवं प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग वातावरण में ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनकी पहले महज़ कल्पना ही की जा सकती थी जैसे इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर, अविरत बैंकिंग सेवा, टेली बैंकिंग आदि। ग्राहकों की सेवा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एवं इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में टिके रहने के लिए कम्प्यूटरीकरण से ज्यादा आवश्यक है कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा। इसके आंकड़ों की सुरक्षा एवं आकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय उनकी सुरक्षा रखना। कम्प्यूटर प्रणाली को सुरक्षित रखते हुए ही हम ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सकते हैं।

चूंकि बैंकों का लेनदेन नकदी के रूप में ही होता है एवं एक छोटी सी गलती से न केवल आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है बल्कि बैंक की साख को भी धक्का पहुंच सकता है अतः यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु बैंकों द्वारा समुचित कदम उठाये जाएं जिससे कि वास्तव में कम्प्यूटर बैंकों के लिए एक वरदान सिद्ध हो।

आंकड़ों की सुरक्षा

कम्प्यूटरीकृत वातावरण में सुरक्षा की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। यह सुरक्षा क्या है और किस चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत है यह भी जोखिम प्रबंधन का ही एक हिस्सा ही है। हमें अपनी नीतियों, **कार्यविधि** और संस्था के उद्देश्यों की इस प्रकार निगरानी रखनी है कि इन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण बना रहे। सुरक्षा में नियंत्रण ही प्रमुख लक्ष्य होता है। सूचना तकनीक गतिविधि में नियंत्रण प्रक्रिया को लागू करके ही इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

कम्प्यूटरों की सुरक्षा को प्रमुखतः निम्न से अधिकतम खतरा होता है :-

1. संरचनात्मक परिवर्तन
2. अनधिकृत पहुंच
3. बिजली की अनियंत्रित सप्लाई

1. संरचनात्मक परिवर्तन

कम्प्यूटर प्रणाली में अनियंत्रित संरचनात्मक परिवर्तनों के होने से हानि पहुंचने की सम्भावना रहती है। कम्प्यूटर प्रणाली को रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहना चाहिए अर्थात सीपीयू के ऊपर मानीटर आदि को अव्यवस्थित रूप से न रखा जाए।

2. अधिकृत पहुंच

यह देखा गया है कि कम्प्यूटर प्रणाली तक सभी कर्मचारियों की पहुंच बहुत आसानी से हो जाती है। कम्प्यूटर प्रणाली बहुत ही संवेदनशील प्रणाली है और हर किसी कर्मचारी की पहुंच से विभिन्न प्रकार के जोखिम सामने आ सकते हैं। अतः इस प्रकार के कदम उठाये जाएं कि कम्प्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके।

3. बिजली की अनियंत्रित सप्लाई

बिजली की अनियंत्रित सप्लाई से बचने के लिए जेनरेटर की व्यवस्था एवं बिजली चले जाने की दशा में कार्य करने के लिए यूपीएस की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि इन प्रमुख घटकों की ओर ध्यान दिया जाता है तो इससे होनेवाली हानि से बचा जा सकता है । लोग कम्प्यूटरों द्वारा धोखाधड़ी क्यों करते हैं। इसके निम्न कारण होते हैं :-

1. वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से
2. बदला लेने के उद्देश्य से
3. अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से
4. विद्वेष के कारण

कम्प्यूटरीकृत वातावरण में अपराध के लिए प्रमुख क्षेत्रों को इस प्रकार देखा जा सकता है :

1. कम्प्यूटर संसाधनों में अनधिकृत रूप से सुधार करना
2. कम्प्यूटर संसाधनों में अनधिकृत रूप से नष्ट करना
3. विभिन्न स्तरों पर अनुचित दस्तावेजों का उपयोग
4. अनधिकृत उपयोग अथवा आंकड़ों तक पहुंच या अनुप्रयोग करना
5. अनधिकृत रूप से सूचना प्राप्त करना या प्रणाली का उपयोग करना

कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों की सुरक्षा के प्रति नेशनल सेन्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम्प्यूटरीकृत अपराधों के सबसे अधिक शिकार दूरसंचार नेटवर्क, सरकारी कार्यालय, बैंक, विश्वविद्यालय एवं व्यावसायिक प्रयोगकर्ता रहे हैं। आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि कम्प्यूटरीकृत धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के तरीकों या तरकीबों का प्रयोग करते हैं :

1. प्रोग्राम से छेड़छाड़ करके
2. आंकड़ों को सार्वजनिक करना

3. वाइरस तैयार करना
4. महत्वपूर्ण फाइलों / सूचनाओं की स्कैनिंग करना
5. आंकड़ों की गलत प्रविष्टि करना
6. हैकिंग करना

जोखिम पर नियंत्रण प्राप्त करने के उपाय

जोखिम पर नियंत्रण करने के भी तरीके हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज कोई बीमारी असाध्य नहीं है इसी प्रकार से जोखिमों की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी संदर्भ में हम क्रमवार कुछ विषयों पर जानकारी दे रहे है :-

परिचालनात्मक जोखिम किस प्रकार के होते हैं :

* शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को शाखा परिचालन के संबंध में पूर्ण जानकारी न होना व उन्हें समुचित रूप से प्रशिक्षित न करना जिसके कारण उन्हें परिचालनात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
* प्रक्रिया एवं नियमों में हो रहे परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी को आन-लाइन उपलब्ध न कराने से होने वाले जोखिम वांछित परिवर्तनों को काफी समय बाद लागू करने के फलस्वरूप होने वाले जोखिम
* वित्तीय लेनदेन में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले जोखिम

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

➲ अंतर बैंक एवं अंतर शाखा लेनदेन की बकाया प्रविष्टियों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करना
➲ सतत **संगामी लेखा परीक्षा** करते रहना
➲ प्रत्येक वर्ष प्रणाली एवं राजस्व की लेखा परीक्षा करना
➲ प्रोपराइटरी लेखा परीक्षा करना
➲ कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विस्तृत सिस्टम लेखा परीक्षा करना

सामान्यतया हम जिसे जोखिम प्रबंधन कहते हैं वह वास्तव में अनिश्चितता एवं गलतियों का पूर्वानुमान कर उसका सामना करने की एक सुविचारित रणनीति होती है। जोखिम का मूल कारण सूचना में कमी, विषय के ज्ञान में कमी, उचित समय पर उचित निर्णय न लेना एवं रख-रखाव में असावधानी होता है।

ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम की समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि इन कार्यों को देख रहे कर्मचारियों द्वारा निर्धारित नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाता है।

इस संबंध में बैंकों के कार्यों की देखरेख हेतु बासल् समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आंतरिक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु जोर दिया गया है। आने वाले वित्तीय वर्षों में वित्तीय संस्थाओं हेतु आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया ही जोखिम से बचाव का सर्वोतम साधन बनेगी क्योंकि सफल बैंकर वही है जो कि पुरानी नीतियों पर तब तक ही चले जब तक कि वे व्यवहार्य हों और आवश्यकतानुसार नई नीतियों को इनकी व्यवहार्यता के अनुरूप अपनाता रहे।

प्रयुक्त शब्दावली

नवोन्मेष तकनीकी उत्पाद	Innovative Technological Products
कार्यविधि	Procedures
संरचनात्मक परिवर्तन	Structrural Variations
अधिकृत पहुंच	Authorised Access
संगामी लेखा परीक्षा	Concurrent Audit

आस्ति-देयता प्रबंधन

ओम प्रकाश अग्रवाल
सी.ए.आई.बी (लन्दन)
मुंबई

पिछले 12 वर्षों में भारत की वित्तीय-संस्थाओं के कार्यकलापों एवं वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिनके कारण वित्तीय-संस्थाएं (बैंक, अल्प एवं दीर्घकालीन वित्त-प्रदायक एवं निजी वित्त संस्थाएं) आपस में व्यवसाय वृद्धि के लिये स्पर्धा, ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी विनिमय दरों में अन्तर्राष्ट्रीय दरों का प्रभाव आदि सभी का बैंकों पर अपना दबाव बढ़ता रहा और यह आवश्यक हो गया है कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आस्तियों पर अर्जित ब्याज तथा देयताओं पर देय ब्याज का इस प्रकार प्रबंधन करें कि वह पूँजी पर लाभ बढ़ा सकें। इस प्रबंधन के लिये कोई भी व्यवस्था अल्पकालीन तरीकों या आकस्मिक तौर पर कारगर नहीं होगी, अपितु दीर्घकालीन व्यवस्था आवश्यक है और इसी परिवेश में आस्ति-देयताओं का समुचित प्रबंधन जरूरी है।

आम तौर पर वित्तीय बाज़ार में 3 प्रकार के जोखिम रहते है :

(1) उधार ऋण जोखिम
(2) बाज़ार जोखिम
(3) परिचालन जोखिम

इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

(1) उधार ऋण जोखिम

वित्तीय सेवाओं में उधार देने में जोखिम होना शताब्दियों से प्रचलन में है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान वापिस न दिए जाने के कारण ऋण के मूल-मूल्य में कटौती हो जाती है। बैंक / वित्तीय संस्थाएं ऐसी जोखिम का प्रबंधन करती हैं तीन तरीकों से :-

(क) बुद्धिमता पूर्वक-ऋण देने का निर्णय लेकर
(ख) जोखिम को विभिन्न क्षेत्रों में बाँटकर, जिससे किसी एक क्षेत्र में हुआ नुकसान दूसरे क्षेत्रों में मिले फायदों से पूरा किया जाये।
(ग) ग्राहकों के लिये गारंटी / ऋण बीमा लेकर ग्राहकों की जोखिम न्यूनतम कर, अपने ऊपर ले लेना।

(2) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम में निवल आमदनी एवं पूँजी में विपरीत परिवर्तन, ब्याज दरों एवं विदेशी विनिमय दरों में घट-बढ़ से होता है। शह घट बढ़ नियंत्रित-व्यवस्था में ब्याज दरों एवं विनिमय दरों में परिवर्तन जल्दी-जल्दी नहीं होने से अर्थव्यवस्था निश्चिंत एवं स्थायी रहती है जबकि बहुत ज्यादा बदलती ब्याज दरों में अस्थायी-वातावरण बना रहता है जो कि जोखिम भरा है। ब्याज दरों में परिवर्तन से **नकदी-तरलता** की समस्या भी पैदा हो जाती है। आस्तियों के मूल्यों में बदली (घट-बढ़), ब्याज दरों में परिवर्तनों से आस्तियों की परिपक्वता में परिवर्तन हो जाता है। बाज़ार-जोखिम का नियंत्रण वित्तीय संस्थाओं के लिये बहुत आवश्यक है।

(3) परिचालन जोखिम

प्रबंध-व्यवस्था के सही ढ़ंग से नहीं चलाने से व्यवसाय में नुकसान या मूल्य में कमी हो जाती है। उदारीकरण के कारण व्यवसाय के प्रबंधन की गलतियों के कारण, करोड़ों रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा क्योंकि इस नुकसान की पूर्व सूचना उस समय प्रचलित प्रणालियों ने नहीं दी। जैसे कि संगणक मशीनों में वित्तीय संस्थाओं ने करोड़ों रूपयों का विनियोग किया लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला कारण कि जिन आस्तियों में धन विनियोग किया गया उसके बारे में जानकारी का पूर्ण-अभाव होने से उसका उपयोग नहीं हो सका और मशीनें बेकार रखे-रखे हो गई यह उस समय की सबसे बड़ी गलती या प्रबंधन की कमी थी। इतना ही नहीं नई तकनीक के उपयोग में परिवर्तन के लिये कूद पड़ना ही नहीं अपितु काफी समय तक नई तकनीक से दूर रहना या उसके बारे में न सोचना भी, एक परिचालन जोखिम है।

आस्ति-देयता प्रबंधन क्या है ?

यह वित्तीय-संस्थाओं की एक प्रणाली है जिससे वह अपने व्यापारिक निर्णय अधिकतम सूचनाओं के दायरे में ले सकते हैं। आस्ति-देयता प्रबंधन तरलता तथा बाज़ार जोखिम का सामना करने में बैंक की सहायता करता है। इसके अन्तर्गत प्रबंधन को ज्ञात

होता है कि वर्तमान बाज़ार में बैंक की जोखिम स्थिति क्या है ? एवं भविष्य में जोखिम के बारे में हमारे विभिन्न निर्णयों के विकल्पों का उन पर कितना असर पड़ेगा ?

प्रबंधन, इन परिस्थितियों में कितना जोखिम ले सकते हैं, को इस बारे में दिशा-निर्देश मिल जाते हैं। बैंक में विभिन्न जमा-योजनाएं होती हैं उनमें से कौन सी जमा योजनाओं पर ज्यादा विपणन किया जाए एवं किस शाखा के लिये। इसके लिये बहुत से प्रश्नों की जानकारी आवश्यक है जैसे :-

(1) बैंक में नकदी की आवक-जावक कैसी एवं कितनी है ?

(2) वर्तमान जमाराशियों में परिपक्वता अवधि दीर्घ समय की है या अल्प अवधि के लिये है।

(3) दिये गये ऋण कितने वर्षों में वसूल होंगे। ज्यादा समय के कर्जे दिये होने पर, जमाराशियों की अवधि से मेल न होने पर अल्पावधि-जमाराशियाँ शाखा को लेनी पड़ेगी, इससे ब्याज की जोखिम बढ़ जायेगी (यदि ब्याज-दर बढ़ने की संभावना हो) क्योंकि प्राप्त आमदनी कम हो जायेगी।

(4) इस जोखिम को न्यूनतम करने के लिये या तो सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित धनराशि को वसूलने के लिये, उन्हें बेचना पड़ेगा अथवा देयताओं की परिपक्वता बढ़ाने के लिये (मांग / कॉलमनी) पर आश्रय कम करना होगा।

जोखिम को लेना एवं उसका प्रबंधन करना किसी भी व्यवसाय के निर्णय का एक हिस्सा है। नई तकनीक में विनियोजन, नये कर्मचारी को नौकरी में रखना, विपणन के लिये कोई नया नारा आदि ऐसे निर्णय हैं जो अनिश्चित प्रतिफलों से भरे पड़े हैं।

इस उपरोक्त जानकारियों की प्राप्ति होने पर ही, बैंक यह निर्णय कर सकता है कि ब्याज दर में अपेक्षित बदलाव को देखते हुए भविष्य में जोखिम को कम करने के लिये किस परिपक्वता वाली जमाराशियाँ (दीर्घकालीन अथवा अल्पावधि की)लेना आवश्यक है। आस्तियों यदि दीर्घ-कालीन समयों की जमाराशियों से कम है तो अल्प अवधि जमाराशियाँ घटी हुई ब्याज दरों (बाज़ार दर से) पर ली जा सकती हैं जिससे ग्राहक लम्बे समय के लिये जमाराशियाँ रखने के लिये ज्यादा आकर्षित हों। इससे विपरीत स्थिति में अल्प अवधि की जमाराशियों पर ब्याज दर बाज़ार दर से अधिक हो सकती है।

(5) इसके अलावा अन्य बैंकों से प्रतियोगिता दबाव, उनके द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें, कर्जों की माँग और उसके लिये उपलब्ध जमाराशियाँ आदि, ऐसे निर्णय हैं जिन का भी आस्तियों एवं देयताओं के निर्णयों में अपना स्थान है।

इस तरह आस्ति एवं देयताएं एक बहुत विस्तृत एवं शक्तिशाली ढांचा है जिससे कि बाज़ार जोखिमों का निर्देशन किया जा सके। यह ध्यान रहे कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं का निदेशक-मंडल जोखिम नीति एवं जोखिम सीमा तय करते हैं।

जोखिम अनुमान सिद्धांत

परिचालन वातावरण की स्थिति, सहयोगी विवरण, संस्था में विशेषज्ञों की राय की उपलब्धता एवं भविष्य अनुमानित बाज़ार एवं व्यवसाय में उन्नति, विभिन्न नई वित्तीय सुविधाएं जैसे "डेरिवेटिव" का उपयोग भविष्य की आमदनी की जमानत आदि जोखिम अनुमानों के निर्णयों में सहायक होती हैं।

"डेरिवेटिव" कई प्रकार के हैं जैसे स्वैप (SWAP) उपाय (Options) फ्यूचर्स (Futures)। इन सभी का मिला जुला परिणाम है कि जोखिम का स्थानांतरण ठीक एक सामान्य बीमा कम्पनी की तरह अपनी जोखिम अन्य बीमा कम्पनी से पुनर्बीमा करके करती है। वित्तीय सेवाओं का व्यवसाय है जोखिम लेना। जब तक जोखिम, वित्तीय कार्य में न हो, तब तक उस वित्तीय संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं समझा जायेगा।

वित्तीय संस्थाओं का व्यवसाय बहुत ही सुखद रहा होता यदि ऋण देने के कार्य की पूरी जोखिम "**प्रतिरक्षा**" या लेनदारी की तिथि देनदार की वापसी दिनांक से मेल कर सके। यह बहुत ही असंभव है कि जिन्दा रहने के लिये वित्तीय संस्थाएं शत-प्रतिशत जोखिम युक्त अनुमान लगा सकें। जोखिम का हस्तांतरण पूरी तौर पर अन्य संस्था को नहीं दिया जा सकता क्योंकि यथार्थ रूप में जोखिम की कुछ न कुछ कीमत होती है, इस लिये इसके हस्तांतरण की कीमत होती है।

जोखिम को लेना एवं उसका प्रबंधन करना किसी भी व्यवसाय के निर्णय का एक हिस्सा है। नई तकनीक में विनियोजन, नये कर्मचारी को नौकरी में रखना, विपणन के लिये कोई नया नारा आदि ऐसे निर्णय हैं जो अनिश्चित प्रतिफलों से भरे पड़े हैं।

जोखिम प्रबंधन के तरीके

(1) जोखिम की समझ होना यह जोखिम प्रबंधन का पहला कदम है। क्या ऐसे संभावित बदलाव हो सकते हैं जो जोखिम जानने में जरूरी हैं। इस कदम को **प्रभाव-मापन** कहते हैं।

(2) दूसरा तरीका है **साधन-विश्लेषण**, इसके अन्तर्गत विभिन्न साधनों का विश्लेषण किया जाता है जिससे कि जोखिम प्रभाव को बदला जा सके। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जोखिम को बेचा जाए। जब बैंक कोई प्रतिभूति / आस्ति खरीदते हैं तो उन्हें "प्रतिरक्षा" या "डेरिवेटिव" प्रतिभूति खरीदनी होती हैं जिससे कि पूरा व्यवहार जोखिम-मुक्त हो जाय लेकिन यहाँ यह देखना आवश्यक होता है कि जोखिम न्यूनता और "डेरिवेटिव" की कीमत एक समान हो।

(3) यदि जोखिम का पूर्वानुमान और आयोजन न किया जा सके तो उसका विपरीत प्रभाव आस्तियों पर पड़ता है, इसका ध्यान रखना ही तीसरा कदम है।

यदि जोखिम का पूर्वानुमान और आयोजन न किया जा सके तो उसका विपरीत प्रभाव आस्तियों पर पड़ता है, इसका ध्यान रखना ही तीसरा कदम है।

(4) **निष्पादन मूल्यांकन** जोखिम प्रबंधन का अगला कदम है। कितना सही विश्लेषण रहा; साधन कितने मददगार रहे; जोखिम घटाने का खर्च सही अनुमानित हुआ; क्या घटनायें अचानक हुई ? अनुभव से कितना सुधार हुआ है ?

(5) आस्ति-देयता समिति, रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक में आवश्यक तौर पर गठित की गई है। इस समिति में बैंक के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो कि आस्ति एवं देयताओं के संबंध में लिए निर्णयों के लिए जवाबदार रहते हैं। यह समिति कार्यपालक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं का पालन करने के लिये जवाबदार है।

(6) व्यवसाय में वृद्धि आंतरिक "डेरिवेटिव" बाज़ार पर निर्भर होने से बैंकों के लिये व्यवसाय कार्य प्रणाली में लचीलापन ज्यादा रहता है क्योंकि जोखिम को तुलन-पत्र के बाहर "प्रतिरक्षा" के मार्फत रखा जा सकता है।

आस्ति-देयता समिति का कार्यान्वय

(क) समिति को सही एवं विश्वसनीय जानकारी की उपलब्धता

(ख) नकदी आवक-जावक, बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता की स्थिति पर निर्भर है, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करना, पूरा सही तौर पर संभव नहीं हैं।

(ग) यह उन अवस्थाओं में भी संभव नहीं जहाँ बैंक की 40 से 50 %शाखाएं असंगणिक हैं।

(घ) आस्ति देयताओं का व्यवहार, इस कारण प्रथम 50 शाखाओं के व्यवहार पर पूरे बैंक की शाखाओं के लिये निर्णय लिया जाता है जो पूरा सही नहीं होता और जोखिम बनी रहती है।

साफ्टवेयर समस्याएं एवं उनका निदान

किसी भी समिति द्वारा सही निर्णय लेने के लिये यह आवश्यक है कि विस्तृत जानकारी समय पर उपलब्ध हो तथा उसका समेकन भी समय से उपलब्ध हो। इसके लिये आवश्यक है ऐसा साफ्टवेयर लगाना जिससे जोखिम को नापा जा सके। यह साफ्टवेयर नियमित तौर पर जानकारियों का विश्लेषण करे। यह साफ्टवेयर संस्था के विभिन्न उत्पादों का जोखिम विवरण तैयार करे। यह जोखिम विवरण आस्ति एवं देयताओं दोनों तथा तुलनपत्रों से इतर मदों सभी के बारे में होना चाहिये। इस साफ्टवेयर का संस्था के अन्य सामान्य साफ्टवेयर से भी जुड़ा होना चाहिये जिससे जानकारियों की पुनरावृत्ति न हो।

संगठन समस्याएं

संस्था में यह जरूरी है कि संबंधित अधिकारियों को आस्ति-देयता प्रबंधन की आवश्यकता को समझाया जाए। साथ ही उन्हें आर्थिक बाज़ार कारक जो कि बैंक के तुलन पत्र व अपेक्षित लाभ पर प्रभाव डाल सकते हैं, की जानकारी होनी आवश्यक है। इससे जोखिम क्षेत्र में आस्ति एवं देयता कमेटी के निर्णयों की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

प्रयुक्त शब्दावली

नकदी तरलता	Cash Liquidity	साधन विश्लेषण	Resources Analysis
प्रतिरक्षा	Hedging	निष्पादन मूल्यांकन	Performance Evaluation
प्रभाव मापन	Impact Measurement		

बैंकों में आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली - भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

श्वेतांक मौर्य
संकाय सदस्य
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति-देयता प्रबंधन विषय पर जो दिशा-निर्देश जारी किये वे 1 अप्रैल, 1999 से सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक पर प्रभावी हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया तीन स्तंभों पर आधारित है - आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया, आस्ति देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा आस्ति-देयता प्रबंधन संगठन। इनके बारे में दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :

आस्ति-देयता प्रबंधन प्रक्रिया

आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों से संबंधित हैं। इन दोनों को नियंत्रित करने की अलग-अलग प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों में विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम के बारे में भी वर्णन है। इन सभी का वर्णन निम्नानुसार है।

(क) चलनिधि जोखिम - बैंकों द्वारा किये गये किसी भी व्यवहार को हम विभिन्न कालखंडों में नकदी के प्रवाह के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जमा राशि प्राप्त होने पर जहाँ वर्तमान में नकदी आती है वहीं मियाद समाप्त होने पर नकदी जाती है। इसी प्रकार मियादी ऋण देने पर जहाँ अभी नकदी जाती है वहीं विभिन्न कालखंडों में (किश्त के अनुसार) यह राशि वापस आती है। चलनिधि की आवश्यकताओं को मापने के लिये आस्ति-देयता प्रबंधन में बैंक के सभी नकदी प्रवाहों (चाहे वे आस्ति, देयता अथवा तुलन पत्र से इतर मदों के बारे में हों) के प्रत्याशित समय के अनुसार क्रम में आनेवाली और जानेवाली सभी राशियों को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार इन प्रवाहों को आठ कालखंडों में विभाजित किया गया है। यह कालखंड हैं - 1 से 14 दिन; 15 से 28 दिन; 29 दिन और 3 महीने तक; 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक; 6 महीने से अधिक और 12 महीने तक; 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक; 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक तथा 5 वर्ष से अधिक।

प्रत्येक कालखंड में आनेवाली नकदी राशि और जानेवाली नकदी राशि के अनुसार बेमेल स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आनेवाली राशियाँ तथा जानेवाली राशियों का अंतर धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है परन्तु इनका कुल योग शून्य ही होगा। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि 1 से 14 दिन के कालखंड में जहां आनेवाली राशियाँ जानेवाली राशियों से अधिक हों (अर्थात बेमेल स्थिति धनात्मक - कोई चलनिधि जोखिम नहीं) तथा 6 महीने से अधिक और 12 महीने तक के कालखंड में बेमेल स्थिति ऋणात्मक हो सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक अतिरिक्त राशि को उपयुक्त अवधि के लिये प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों में निवेश कर सकता है। इससे विपरीत स्थिति में अर्थसुलभ आस्तियों की बिक्री कर बेमेल स्थिति से निपटा जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक वर्ष तक की बेमेल स्थितियां संगत हो सकती हैं, क्योंकि ये आनेवाली चलनिधि समस्याओं की पूर्व चेतावनी देती हैं, वहीं किसी भी बैंक का मुख्य ध्यान अल्पावधि की बेमेल स्थितियों पर होना चाहिए, जैसे कि 1-14 दिन और 15-28 दिन। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 1-14 दिन और 15-28 दिन के दौरान बेमेल स्थितियां किसी भी हालत में प्रत्येक कालखंड में नकदी प्रवाहों (ऋणात्मक अंतर) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ब्याज दर जोखिम - ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाज़ार में ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तनों का किसी बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन बैंकों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक बैंक एक वर्ष के लिये प्राप्त जमा राशि (7% ब्याज दर पर) को 5-वर्षीय ऋण (10% ब्याज दर पर) में निवेश करता है तो उसे एक वर्ष बाद बाज़ार से अन्य ऋण लेकर जमा राशि को लौटाना पड़ेगा। यहाँ हम मानते हैं कि बैंक का 2% व्यय व्यवसाय की अन्य मदों में खर्च होता है अर्थात कुल लाभ 1% होता है। ऐसे में यदि एक वर्ष बाद ब्याज दर कम हो जाती है तो जहाँ उसे लाभ होगा ब्याज दर बढ़ने पर हानि भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि बैंक पाँच वर्ष के लिये जमा राशि (8.5% ब्याज दर पर) लेकर

एक वर्ष के लिये ऋण (11% ब्याज दर पर) देता है तो एक वर्ष बाद ब्याज दर बढ़ने पर जहाँ उसे लाभ होगा (क्योंकि एक वर्ष बाद राशि वसूल होने पर वह अधिक ब्याज दर ऋण दे सकता है) ब्याज दर घटने पर हानि भी हो सकती है।

यहाँ यह बात देखने योग्य है कि यदि ब्याज दर का पूनर्मूल्यन बाज़ार के अनुसार किया जाता है (जैसा कि ओवरड्राफ्ट या कैशक्रेडिट में देखा जाता है) तो मुद्राबाज़ार में ब्याज दर परिवर्तन प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसी आस्तियों और देयताओं का पूनर्मूल्यन पूर्व निर्धारित अथवा अपेक्षित अंतरालों पर किया जाता है तथा ये पूनर्मूल्यन के समय दर के प्रति संवेदनशील होती हैं। ऐसी मदों को हम ब्याज दर संवेदनशील आस्ति या देयता कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि बैंक ऋण की मूल चुकौती को समय सीमा के भीतर प्राप्त करने की आशा रखे तो वह भी ब्याज दर के प्रति संवेदनशील है। इसमें मूल राशि की अंतिम चुकौती तथा अंतरिम किस्तें शामिल हैं। इसी प्रकार यदि बैंक जमा राशि को समय सीमा के भीतर चुकाता है तो वह भी ब्याज दर के प्रति संवेदनशील है। किसी भी आस्ति या देयता को सामान्य तौर पर दर संवेदनशील तब माना जाता है जब (i) विचाराधीन समय अंतराल के भीतर नकदी प्रवाह हों, (ii) अंतराल के दौरान, ब्याज दर का पुनर्निर्धारण / पुनर्मूल्यन हो, (iii)जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में परिवर्तन करता हो तथा संविदा के अनुसार उसे उल्लिखित अवधिपूर्णता के पहले अदा या आहरित किया जा सकता हो।

ब्याज दर जोखिम के विश्लेषण के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं उनके अनुसार ब्याज दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों और तुलनपत्र से बाहर की स्थितियों को शेष अवधि अथवा अगली पुनर्मूल्यन अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कालखंड में समूहित करके 'अंतर' की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसके लिये जो आठ कालखंड निर्धारित किये गये हैं वे हैं - 1 से 28 दिन तक; 29 दिन तथा 3 महीने तक; 3 महीने से अधिक तथा 6 महीने तक; 6 महीने से अधिक तथा 12 महीने तक; 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक; 3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक; 5 वर्ष से अधिक तथा गैर-संवेदनशील।नोट करें कि जहाँ चलनिधि जोखिम में प्रथम दो कालखंड 1-14 दिन और 15-28 दिन के थे ब्याजदर जोखिम में प्रथम कालखंड 1-28 दिन का है तथा अंतिम कालखंड गैर-संवदेनशील जोड़ दिया गया है। गैर-संवेदनशील कालखंड में पूंजी, प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष, निष्क्रिय आस्तियां (अग्रिम और निवेश) तथा अचल आस्तियां आदि आते हैं जो कि चलनिधि जोखिम में 5 वर्ष से अधिक कालखंड में सम्मिलित किये जाते हैं।

ब्याजदर जोखिम के लिये भी संवेदनशील देयताओं, आस्तियों और तुलनपत्र से बाहर की स्थितियों को शेष अवधि अथवा अगली पुनर्मूल्यन अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कालखंड में समूहित करके 'अंतर' की रिपोर्ट तैयार की जाती है। धनात्मक अंतर यह सूचित करता है कि इसमें दर संवेदनशील देयताओं की तुलना में दर संवेदनशील आस्तियां अधिक हैं, जबकि ऋणात्मक अंतर यह सूचित करता है कि इसमें दर संवेदनशील देयताएं अधिक हैं। अंतर से संबंधित रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि बैंक धनात्मक अंतर (अर्थात दर संवेदनशील आस्तियाँ, दर संवेदनशील देयताओं से अधिक) के जरिये बढ़ती ब्याज दरों का लाभ उठाने की स्थिति में है अथवा वह ऋणात्मक अंतर (अर्थात दर संवेदनशील देयतायें दर संवेदनशील आस्तियों से अधिक) द्वारा घटती हुई ब्याज दरों से लाभ उठाने की स्थिति में है। अतः अंतर का उपयोग ब्याज दर संवेदनशीलता की माप के रूप में किया जा सकता है ।

जहाँ चलनिधि जोखिम के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20% की सीमा तय की है ब्याज दर जोखिम के लिये इसका प्रावधान बैंकों पर छोड़ दिया गया है। इस संबंध में प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन से अलग-अलग अंतरों पर विवेकपूर्ण सीमाएं तय करे। बैंक ब्याज दर संबंधी घट-बढ़ पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम का आकलन कर सकते हैं तथा बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन से विवेकपूर्ण स्तर निर्धारित कर सकते हैं ।

यहाँ एक कठिनाई है बचत खातों, चालू खातों, ओवरड्राफ्ट या कैशक्रेडिट आदि के बारे में। ये विशिष्ट प्रकार के खाते हैं जिन्हें जहाँ एक ओर किसी मियाद या ब्याज दर की संवेदनशीलता जोड़ना आसान नहीं है, वहीं इन्हें पूर्णतया असंवेदनशील कहना भी ठीक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जहाँ वर्तमान बचत खातों पर ब्याज दर 4% है तथा छोटी मियाद की जमा राशियों पर दर 5-6% के आसपास है - बचत खाते ब्याज दर के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। यद्यपि दिशा निर्देशों में इस प्रकार की आस्तियों व देयताओं के आकलन के लिये प्रावधान किया गया है, इनके सही मूल्यांकन के लिये संबंधित मदों के आचरण का सांख्यिकीय विश्लेषण आवश्यक है।

(ग) विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम - विभिन्न मुद्राओं में लेनदेन करने से अवसरों के साथ-साथ जोखिम भी होते हैं। यदि किसी मुद्रा की आस्तियों के स्तर की तुलना में उसकी देयताएं अधिक हों, तो मुद्रा के असंतुलन से मूल्य में वृद्धि या कमी आ सकती है, जो मुद्रा के घट-बढ़ पर निर्भर होगी। मुद्रा जोखिम से बचने का सरलतम उपाय यह सुनिश्चित करना है कि असंतुलनों को, यदि कोई हों, कम करके उन्हें शून्य या शून्य के आसपास लाया जाये। बैंक जमाराशियां स्वीकार करने, ऋण और अग्रिम देने तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए भाव उद्धृत करने जैसे विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन करते हैं। चाहे कोई भी रणनीति क्यों न अपनायी जाये, मुद्रा संबंधी असंतुलनों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं होगा। विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना आस्ति-देयता प्रबंधन का एक और आयाम है। 1981 में "विदेशी मुद्रा कारोबार में आंतरिक नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश" लागू किये जाने के बाद, अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलन (अंतराल) भी नियंत्रण के अधीन हैं। भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार पर विशेषज्ञ दल (सोढानी समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में विदेशी मुद्रा की स्थिति की गणना को पुनः परिभाषित किया गया है तथा बैंकों को एक दिवसीय सीमाएं तय करने का विवेकाधिकार दिया गया है जो पूंजी और जोखिम भारित अनुपात को खुली स्थिति के 8 प्रतिशत तक रखने से संबद्ध है। आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देशों में इसके अतिरिक्त, वायदा लेनदेनों से संबद्ध जोखिम की माप करने के लिए उन्हें "जोखिम पर मूल्य" (वीएआर) दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

आस्ति-देयता प्रबंधन सूचना प्रणाली

जैसा कि उपरोक्त से प्रत्यक्ष है आस्ति-देयता प्रबंधन के लिये पूर्व अपेक्षा है कि बैंकों में एक कुशल सूचना प्रणाली हो। समय पर सटीक आंकड़े प्राप्त करना बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, विशेषकर उनके लिए जिनके पास शाखाओं का व्यापक नेटवर्क तो है, किन्तु पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण नहीं हो पाया है। शाखाओं के व्यापक जाल तथा आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समर्थन प्रणाली के अभाव को देखते हुए बैंकों को वर्तमान स्थिति में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समर्थन प्रणाली के अभाव को देखते हुए बैंकों को वर्तमान स्थिति में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में समय लगेगा।

आस्ति-देयता प्रबंधन की समस्या को हल करने के लिये क्रम से चलने की जरूरत है, अर्थात् कारोबार के बड़े हिस्सेवाली नमूना शाखाओं में आस्ति और देयता उत्पादों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना और फिर विवेकपूर्ण ढंग से यह अनुमान लगाना कि अन्य शाखाओं में आस्तिओं और देयताओं की प्रवृत्ति क्या रहेगी। विदेशी मुद्रा, निवेश संविभाग और मुद्रा बाज़ार के कार्यकलापों के संदर्भ में, कार्यों के केन्द्रीकृत स्वरूप को देखते हुए, विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना अधिक आसान होगा। आस्ति-देयता प्रबंधन के अंदर कारोबार चलाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद बैंक का प्रबंध-तंत्र कुछ समय बाद आंकड़ों और अनुमानों को परिष्कृत बना सकता है। कम्प्यूटरीकरण के विस्तार से बैंकों को आंकड़े प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी संगठन

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र की ओर से एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता अपेक्षित होगी। जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड की होनी चाहिए और उसे बैंक की जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य-नीति निश्चित करनी चाहिए तथा चलनिधि, ब्याज दर एवं विदेशी मुद्रा तथा इक्विटी मूल्य संबंधी जोखिमों के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित बैंक के वरिष्ठ प्रबंध-तंत्र युक्त आस्ति-देयता समिति बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा बैंक के बजट के अनुरूप (आस्ति और देयता भाग में) बैंक की कारोबारी नीति निश्चित करने एवं जोखिम प्रबंधन के लक्ष्य निश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

परिचालन स्टाफ युक्त आस्ति-देयता प्रबंधन हेतु समर्थन समूह जोखिम की रूपरेखा का विश्लेषण करने, निगरानी रखने और आस्ति-देयता समिति को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। स्टाफ द्वारा तुलनपत्र से संबंधित बाज़ार की स्थितियों में विभिन्न संभावनाओं के प्रभाव दर्शानेवाले अनुमान भी तैयार किये जाने चाहिए तथा बैंक की आंतरिक सीमाओं का पालन करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए।

आस्ति-देयता समिति निर्णय करनेवाली एक ऐसी इकाई है जो ब्याज दर तथा चलनिधि जोखमों के कुशल प्रबंधन सहित जोखिम-प्रतिलाभ दृष्टिकोण से तुलनपत्र आयोजना के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक बैंक को अपनी आस्ति-देयता समिति की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियों तथा उसके द्वारा लिये जानेवाले निर्णयों के बारे में निर्णय लेना होगा। बैंक की कारोबार और जोखिम प्रबंधन नीति में

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं / मानदंडों के भीतर कार्य करे। आस्ति-देयता समिति अन्य बातों के साथ-साथ जिन कारोबारी मुद्दों पर विचार करेगी उनमें जमाराशियों और अग्रिमों के लिए उत्पाद के मूल्यनिर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों और देयताओं की वांछित अवधिपूर्णता की रूपरेखा आदि शामिल हैं। साथ ही उक्त समिति बैंक का चालू ब्याज दर दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी और इस दृष्टिकोण के आधार पर भावी कारोबार नीति के लिए अपने निर्णय लेगी। प्रत्येक बैंक को अपनी आस्ति-देयता समिति की बैठकें आयोजित करने की आवधिकता निश्चित करनी होगी।

आस्ति-देयता समिति के सदस्यों की संख्या प्रत्येक संस्था के आकार, कारोबार के स्वरूप तथा संगठनात्मक जटिलता पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र की वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जानी चाहिए। निवेश, ऋण, निधि प्रबंधन / ट्रेज़री (विदेशी मुद्रा और देशी), अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और आर्थिक अनुसंधान विभागों के प्रमुखों को इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी प्रभाग प्रमुख को भी प्रबंध सूचना प्रणाली सुदृढ़ करने तथा संबंधित कंप्यूटरीकरण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। कुछ बैंकों में उप समितियां और समर्थन समूह भी हो सकते हैं। बोर्ड की प्रबंध समिति या बोर्ड द्वारा गठित कोई अन्य विशिष्ट समिति प्रणाली के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी तथा उसके कार्य की आवधिक समीक्षा करेगी।

(विस्तृत जानकारी के लिये कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के दिनांक 10 फरवरी 1999 के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.सं. 8/21.04.098/99 तथा उसके परिशिष्टों तथा अनुबंधों को देखें जिस पर यह आधारित है)

।। राजभाषा : महत्वपूर्ण जानकारी ।।

- विश्व के लगभग 133 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ायी जाती है।
- ऐसे देशों में जहां भारतीय मूल के लागों की संख्या अधिक है, जैसे फिजी, गुआना, मारीशस, नेपाल, कम्बोडिया, त्रिनिदाद आदि के स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जाती है।
- पश्चिमी देशों में लंदन विश्वविद्यालय का 'स्कूल ऑफ ओरियंटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' सबसे प्राचीन संस्था है जिसमें हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था है।
- उत्तरी अमेरिका में हिन्दी पढ़ाने वाले 114 केन्द्र है, जबकि सोवियत रूस में 7 हिन्दी शोध संस्थान हैं।
- ब्रिटिश भारत में 1803 में पहला परिपत्र जारी किया गया ताकि सभी नियमों, विनियमों का हिन्दी अनुवाद किया जाए।
- 14 वीं सदी में अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, आदिलशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही आदि राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाया था।
- "हिन्दुस्तानी लैंग्वेज" नामक पहला हिन्दी ग्रामर जॉन जोशना केटलर ने 1698 में लिखा।
- तंजावुर के राजा श्री शाह ने हिन्दी में 'विश्वजीत' और 'आधाविलास' नामक दो नाटक क्रमशः 1674 और 1711 में लिखें।
- देवनागरी टाइप अक्षर सर्वप्रथम 1667 में यूरोप में तैयार किये गए।
- प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों - एडबीनग्रीब्स, ग्राडस, ग्रियर्सन, ग्रिफिथ, हार्नले, रोडाल्फ, टेसीदरी, ओल्डाम, पीनकैट इत्यादि ने हिन्दी के विकास में बहुत योगदान दिया।
- वर्ष 1909 से मारीशस में "हिन्दुस्तान" नामक तथा फिजी में "फिजी समाचार" नाम से हिन्दी साप्ताहिक छप रहे हैं।
- विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी का स्थान दूसरा है।

---साभार -अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन -प्रतिवेदन

जोखिम प्रबंधन एवं लाभ आयोजना

सुबह सिंह यादव
वरिष्ठ प्रबंधक (आयोजना),
बैंक ऑफ बड़ौदा,राजस्थान अंचल,
जयपुर - 302 001

वर्तमान वित्तीय पर्यावरण के अन्तर्गत त्वरित गति से बदलते बैंकिंग परिदृश्य में अविनियमीकरण के व्यापक प्रारूप में जोखिम प्रबंधन एवं लाभ आयोजना के मध्य एक स्वाभाविक एवं रूचिप्रद सहसंबंध दिखाई देता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया के साथ भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधारों का प्रभाव परिलक्षित हुआ, बैंकिंग में विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किये गये और हमारी बैंकिंग 1969 के अपने पुराने वाणिज्यिक स्वरूप पर लौटी तो लाभप्रदता में वृद्धि इसके अस्तित्व का मूल मंत्र बन गया। अब बैंकों का मूल्यांकन पूंजी पर्याप्तता, इक्विटी व आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी लाभ आदि मानदण्डों के आधार पर किया जाने लगा। यह दृष्टिकोण कदाचित सामयिक एवं प्रासंगिक भी था क्योंकि विनियमकारी उपायों से उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बैंकिंग को घटते शुद्ध ब्याज फैलाव, **लाभप्रदता में उच्चावचन** एवं अन्य ऐसी संबद्ध आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इनके चुनौतीपूर्ण समाधान के लिए भारतीय बैंकिंग एकाएक तैयार नहीं थी। इसी क्रम में 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कैमल्स मॉडल की शुरूआत की जिसके अन्तर्गत पूंजी आस्तियों की गुणवत्ता प्रबंधन, लाभर्जन क्षमता, तरलता व बैंकिंग प्रणाली संबंधी घटकों को बैंकिंग की रेटिंग में प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी।

> ***" ... बैंकिंग सुधारों में लाभ , बैंकों के सामने ज्वलंत चुनौती हैं जिसे किसी अन्य व्यवसाय की तरह जोखिम एवं प्रतिफल के मध्य संतुलनकारी उपायों से प्राप्त किया जा सकता है । इस दृष्टि से बैंक के लिये सहज रूप से अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने व्यवसाय में सम्बंधित जोखिमों को समुचित रूप से चिन्हित करें तथा उनके प्रभावशाली प्रबंधन हेतु तदनुरूपी कारगर कदम उठायें... "***

इस परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग सुधारों में लाभप्रदता, बैंकों के सामने ज्वलंत चुनौती है जिसे किसी अन्य व्यवसाय की तरह जोखिम एवं प्रतिफल के मध्य संतुलनकारी उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से बैंकों के लिए यह सहज रूप से अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने व्यवसाय में सन्निहित जोखिमों को समुचित रूप से चिन्हित करें तथा उनके प्रभावशाली प्रबंधन हेतु तद्नुरूपी कारगर कदम उठायें ताकि उन अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग मानदण्डों को प्राप्त किया जा सके जिनकी उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के युग में महती आवश्यकता है।

जोखिम की अवधारणा

समयपर्यन्त जोखिम की संकल्पना में सतत परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। परम्परागत आर्थिक साहित्य में प्रोफेसर हाले द्वारा 1971 में इस विषय पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने चार प्रकार की जोखिमों का उल्लेख किया- पुनर्स्थापना की जोखिम, मुख्य जोखिम, अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम तथा उपकरण के पुरानेपन की जोखिम। हाले ने मुख्य जोखिम व अनिश्चितता की जोखिम पर ही अधिक ध्यान दिया, लेकिन हाले का सिद्धांत औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित था। वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाने से तथा व्यवसाय के अतिरिक्त निजी जीवन में भी जोखिम की व्याप्तता होने की दशा में जोखिम की परिभाषा में **क्षैतिज एवं उदग्र** परिवर्तन परिलक्षित हुए। सामान्य शब्दों में जोखिम का अर्थ व्यावसायिक परिणाम में अनिश्चितता एवं अपेक्षित परिणाम में अस्थिरता की स्थिति से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में व्यवसाय में क्षति, संकट या खतरे से पूर्ण स्थिति को जोखिम कहा जा सकता है। जोखिम में अनिश्चितता के तत्व के कारण इसे किसी भौतिक इकाई से मापित नहीं किया जा सकता। फिर भी इसे फॉर्मूले के रूप में निम्नानुसार परिमाणित किया जा सकता है :

जोखिम = **संभाव्यता** X परिणाम

संक्षेप में, जोखिम की अवधारणा आवश्यक रूप से उन विभिन्न विशेषताओं अथवा विलक्षणताओं का समूहन है जो कदापि किसी घटना विशेष के बराबर नहीं हो सकती। बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की जोखिमें बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं।

बैंकिंग जोखिमों के रूप

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में उपयोग किये जा रहे वित्तीय एवं गैर वित्तीय संसाधनों के सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग जोखिमों को दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है :

1. **वित्तीय जोखिम** - इसे आगे चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :
   अ) साख जोखिम
   ब) तरलता जोखिम
   स) बाज़ार जोखिम
   द) परिचालनात्मक जोखिम
2. **गैर वित्तीय जोखिम** - इसे दो भागों में विभाजित किया गया है :
   अ) व्यावसायिक जोखिम
   ब) **व्यूहात्मक** जोखिम

जोखिम प्रबंध प्रक्रिया

वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया के बाद भारतीय बैंकिंग के क्षितिज पर उभरी नईं चुनौतियों ने बैंकों को जोखिम प्रबंधन नीति के लिए बाध्य कर दिया। यह प्रक्रिया वस्तुतः चयन से न आकर अनिवार्यता से आती दिखाई दी, यद्यपि अभी तक भी इसमें वांछनीय स्थिरता नहीं आई है इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जोखिम प्रबंध की प्रभावशीलता के लिए बैंक जोखिम प्रबंध नीति प्रलेख तैयार करें जिसमें अग्र अंकित तीन मूलभूत तत्वों का समावेश किया जाये।

1. **लक्ष्य तथा उद्देश्य** - बैंक द्वारा स्वयं की विभिन्न नीतियों जिसमें निवेश नीति, पूंजी नीति, तरलता नीति आदि प्रमुख हैं, के अन्तर्गत बैंक के ध्येय वाक्य एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान, बैंक के समक्ष उपलब्ध अवसर तथा जोखिम प्रबंधन का महत्व इत्यादि महत्वपूर्ण **चरों** का स्पष्ट उल्लेख हो तथा इनका निर्धारण बैंक तुलन पत्र के आकार, पूंजी स्थिति, मानव संसाधनों की कार्यक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। यह निर्विवाद है कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों के सुनिश्चित एवं स्पष्ट निर्धारण से साख गुणवत्ता, इष्टतम तरलता प्रबंधन तथा परिचालनीय कार्यकुशलता के विभिन्न मानदण्डों पर उपलब्धि का कार्य काफ़ी सीमा तक सरल हो जाता है।

2. **उत्तरदायित्व सौपना** - जोखिम प्रबंधन की विभिन्न नीतियों के सफल क्रियान्वयन हेतु बैंकों द्वारा अलग से जोखिम प्रबंध प्रभाग की स्थापना करना आवश्यक है। इसी अनुक्रम में भारतीय बैंकों में 1 अप्रैल 1999 से आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली की धारणा लागू की गई जिसके अंतर्गत क्रियान्वयन का दायित्व आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) पर है। यह समिति बैंकिंग व्यवसाय की कतिपय जोखिमों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निभा रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आस्ति देयता प्रबंध समिति अपने उत्तरदायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करे तथा इस प्रक्रिया में यह दायित्व ट्रेजरी परिचालन इकाई, जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ जैसे विशिष्ट प्रभागों को सौंपा जाना चाहिये।

3. **परिमाणन** - दायित्वों को सौंपने के बाद अगला चरण बैंकों द्वारा विभिन्न जोखिमों के स्वीकार्य स्तर का परिमाणन करना है जैसे बैंक साख स्तर, तरलता स्तर, ब्याज दर निर्धारण, साख का किसी क्षेत्र विशेष हेतु निर्धारण, साख का किसी क्षेत्र विशेष अथवा उद्योग में विकेन्द्रीकरण, पूंजी पर्याप्तता, आस्तियों, इक्विटी पर प्रतिफल की दर आदि का निर्धारण इत्यादि। प्रत्येक बैंक इन स्वीकार्य स्तरों के निर्धारण या परिमाणन के लिए अलग-अलग प्रलेखों का प्रयोग करते हैं। अधिकांश बैंक वार्षिक आधार पर अपनी व्यावसायिक नीति संबंधी दस्तावेज़ तैयार करते हैं और सभी स्टाफ सदस्यों की प्रतिभागिता हेतु इसे अधिकाधिक स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनमें जागरूकता उत्पन्न हो।

4. **सांविधिक समीक्षा** - सांविधिक समीक्षा किसी भी प्रक्रिया का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की निश्चित अवधि पर समीक्षा की जाती है। बैंकों में एल्को (ALCO) एवं ट्रेजरी परिचालन इकाई द्वारा विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया की सांविधिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित हो जाती है।

जोखिम प्रबंधन एवं लाभप्रदता की अन्तः क्रिया

1991 के बाद से बैंकों में लाभप्रदता के संवर्धन हेतु जोखिम प्रबंधन एक अपरिहार्य शर्त बन गई है। बैंकों द्वारा लाभप्रदता में अपेक्षित वृद्धि परिचालनीय कार्यकुशलता, अंशधारकों के मूल्यों में संवर्धन तथा आम जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु बैंकों के लिए जोखिम की भलीभाँति पहचान करना, तत्पश्चात् उन्हें परिभाषित करना तथा मानव शक्ति में पूर्णरूपेण जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन का अपना विशिष्ट महत्व है। अन्यथा जोखिम प्रबंधन के अभाव में बैंकों की अपेक्षित लाभप्रदता दर संभव प्रतीत नहीं दिखाई देती।

जोखिम तथा लाभ के संबंध में आरम्भिक विश्लेषण प्रतिष्ठित (क्लासिकल) अर्थशास्त्रियों के आलेखों में ढूंढ़ा जा सकता है। प्रोफेसर हाले ने 1907 में अपनी पुस्तक ' एंटरप्राइजेज एण्ड प्रोडेक्टिव प्रोसेस ' में इसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जो यद्यपि आज इतना प्रासंगिक नहीं है तथापि वर्तमान परिमार्जित विश्लेषण के लिए एक सारगर्भित पृष्ठभूमि बनाता अवश्य दिखाई देता है। हाले के अनुसार लाभ उद्यमकर्ता को उत्पादन की जोखिमें झेलने के बदले प्राप्त होता है। जोखिम की मात्रा जितनी अधिक होती है लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। उनका मानना है कि लाभ **अ-बीमायोग्य** जोखिमों की अनिश्चितताओं को झेलने का ही प्रतिफल है।

हाले का सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि जोखिम ज्यादा होने पर भी लाभ कम पाया जा सकता है। लाभ जोखिम के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर निर्भर करता है। दूसरा तथ्य यह है कि लाभ का संबंध सभी प्रकार की जोखिमों से नहीं होता जैसे आग, चोरी, मृत्यु आदि। फिर भी इस सिद्धांत में सत्यांश अवश्य है क्योंकि लाभ का संबंध जोखिम से करना बहुत कुछ व्यावहारिकता से मेल खाता है, लेकिन आधुनिक युग में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता कम है।

वित्तीय शक्ति के रूप में बैंकों द्वारा खोये हुये धरातल को पुनः प्राप्त करने तथा प्रभावशाली परिमाणात्मक विस्तार के समानान्तर लाभ हेतु भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में जोखिम प्रबंधन का कोई स्थानापन्न नहीं है।

जोखिम प्रबंधन एवं लाभप्रदता का आधुनिक विश्लेषण

आज जब बैंकिंग अपनी परिपक्व अवस्था में है तथा समेकन के बाद सुधारवादी चरण में प्रवेश कर चुकी है, तो उक्त संदर्भ में बैंकिंग में आने वाली वित्तीय एवं गैर वित्तीय जोखिमें हमारे विश्लेषण का मूल प्रतिसाद विषय है तथा लाभप्रदता अर्जन की हमारी रूपरेखा इन्हीं तत्वों पर केन्द्रित रहेगी।

वित्तीय जोखिम

अ) ऋण जोखिम - ऋण जोखिम से अभिप्राय किसी ऋणी अथवा प्रतिपक्षी द्वारा उनके दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वहन नहीं करने के कारण उत्पन्न जोखिम से है। इसके तीन स्रोत हैं। (i) ऋण एवं अग्रिम - भारतीय बैंकों की आस्तियों का 40 प्रतिशत भाग ऋण एवं अग्रिम श्रेणी में जमा किया जाता है (ii) निवेश - बैंक अपनी आस्तियों का लगभग 37 प्रतिशत भाग एस.एल.आर प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिसमें जमा सर्टिफिकेट (CDs), **वाणिज्यिक प्रपत्र** ,अंश ऋणपत्र आदि में निवेश सम्मिलित है तथा (iii) गैर निधि जोखिम - ये मदें बैंक के तुलन पत्र में सम्मिलित नहीं होती, अपितु, संभावित दायित्वों (बैंक गारंटी, विदेशी विनियम अनुबंध आदि के रूप में) तुलन पत्र से बाहर दर्शायी जाती हैं जो बैंकों की आस्तियों के लगभग 7 प्रतिशत अंश के बराबर होती है। उपरोक्त अर्थ में ऋण जोखिम ट्रांजेक्शन, डिफाल्ट एवं पोर्टफोलियों का सम्मिश्रण है।

ऋण जोखिम का प्रबंध - ऋण जोखिम के प्रभावोत्पादक प्रबंधन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक अपनी निष्पादक आस्तियों को गैर निष्पादन नहीं होने दें तथा गैर निष्पादक आस्तियों के उन्नयन हेतु सतत वसूली प्रयास कर लाभप्रदता बढ़ाये अन्यथा गैर निष्पादक आस्तियां प्राणघातक रोग की तरह लाभ का क्षरण कर देंगी। एक दूसरा प्रश्न यह है कि ऋण गुणवत्ता तथा गैर निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधकीय सूचना प्रणाली का उपयोग भी समान रूप से आवश्यक है। इससे उचित समय पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। कुछ अग्रगण्य बैंकों ने परिसम्पत्ति वर्गीकरण तथा ऋण मानीटरिंग प्रणाली (ASCROM) विकसित करके इस दिशा में सार्थक पहल की है जिसे भारतीय बैंक संघ द्वारा भी सराहा गया है।

तरलता जोखिम - सुनिश्चित शब्दों में " बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं के कोष प्रवाह में उत्पन्न असंतुलन के कारण उभरी हुई जोखिम को तरलता जोखिम कहते हैं " अर्थात आस्तियों एवं देयताओं के प्रतिकूल सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली जोखिम तरलता जोखिम कहलाती है।अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसका उत्तर **कोष प्रवाह दर** में ढूंढ़ा जा सकता है जहां देयताओं की प्रवाह दर आस्तियों की वसूली दर से अधिक होने पर तरलता समय पर उचित निवेशों में विनियोजित नहीं करने से बैंकों के समक्ष तरलता जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तरलता असंतुलन लाभदायकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तरलता की कमी स्थिति से उबर लागत का भार बढता है तथा इसके आधिक्य से निधियों के रख-रखाव की लागत वहन करने के साथ अवसर लाभ से वंचित होना पड़ता है।

तरलता जोखिम प्रबंधन - भारतीय बैंकिंग में लाभ का एक महत्वपूर्ण भाग ब्याज विस्तार से आता है। हाल ही में बैंकों के लाभ मार्जिन और ब्याज विस्तार अथवा शुद्ध मार्जिन पर दबाव बढ़ा है। बैंकों को अपने कारोबार के दौरान अनेक जोखिमों का सामना करना

पड़ता है और ठीक इसी बिन्दु पर आकर आस्ति देयता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें समग्र जोखिम के अन्तर्गत निवल ब्याज मार्जिन प्रबंधन की प्रक्रिया सम्मिलित है। तरलता जोखिम पर नियंत्रण हेतु बैंकों के पास तीन विकल्प विद्यमान हैं - आस्तियों एवं देयताओं पर नियंत्रण,स्थायी स्वरूप की निधियों के रूप में कोर जमाओं में वृद्धि तथा तरलता आस्तियां जिन्हें तरलता संकट के दौरान भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है।

आस्तियों एवं देयताओं के प्रबंधन के लिये आवश्यक है कि वित्तीय आस्तियों, देयताओं व उनके मिश्रण के प्रकार (मांग व समय परिपक्वताओं)व आकार एवं उनकी मात्रा के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाये। आस्ति देयता प्रबन्धन की सफलता दर परिपक्वता आस्तियों एवं देयताओं के सम्मिश्रण पर निर्भर करती है, जिससे बैंक को अधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकें और इसे बनाये रखा जाये। इसके समानान्तर निवल ब्याज मार्जिन में भी सुधार हो। भारत में आस्ति देयता के प्रति अभी जागरूकता हाल ही की देन है। घरेलू बैंकिंग के क्षेत्र में आस्ति देयता प्रबंधन, समझौता ज्ञापन (MOU) के एक भाग के रूप में सामने आया जिसमें बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी देयता प्रबंधन पद्धति के संबंध में वक्तव्य दें। 1995 में ब्याज संरचना में छूट देते समय तथा अक्तूबर 1997 में रिज़र्व बैंक ने व्यस्त अवधि की ऋण नीति की घोषणा करते समय बैंकों के आस्ति देयता प्रबंधन के महत्व पर काफी जोर दिया तथा यह चाहा कि परिपक्वता व तरलता असंतुलन, ब्याज दर जोखिम की कड़ी निगरानी रखनी चाहिये तथा उन्हें स्वीकार्य स्तर तक रखा जाना चाहिये। फरवरी 1999 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति देयता व्यवस्था में अर्थ सुलभता व ब्याज दर आकलन के लिये निर्देश जारी किये जिससे इस व्यवस्था को औपचारिक स्वरूप मिला।

बाज़ार जोखिम - बाज़ार जोखिम बाज़ार संबंधी घटकों जैसे ब्याज दर, इक्विटी व वस्तुओं के मूल्यों आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अतः बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण तुलन पत्र के बाहर की मदों से हुई हानि को बाज़ार जोखिम कहते हैं। बाज़ार जोखिम समग्र बैंकिंग उद्योग को तो प्रभावित करता है, लेकिन किसी बैंक विशेष पर इसका प्रभाव उसके एक्सपोज़र पर निर्भर करता है। इसके प्रबंधन हेतु बासल् समिति तृतीय टियर पूंजी आधार की सिफारिश को बैंकों द्वारा अभी तक लागू करना बाकी है। बैंक आफ इन्टरनेशनल सेटलमेंट ने बाजार जोखिम के आकलन हेतु "**जोखिम पर मूल्य**" की सिफ़ारिश जो बाज़ार से बैंक को होने वाले घाटे के परिमाण को स्पष्ट करती है, को बैंकों द्वारा उपयोगी पाया गया।

परिचालनात्मक जोखिम - बैंकों में प्रबंध या बाह्य घटनाओं प्रभावी आन्तरिक प्रक्रिया में कमी तथा लोगों के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि को परिचालनात्मक जोखिम कहते हैं। इसे विधि व्यावसायिक एवं विनियमन जोखिम कहते हैं। इसमें विधि व्यावसायिक एवं विनियमन जोखिमें परिचालनात्मक जोखिमों के प्रकार है।

ब) गैर वित्तीय जोखिम

गैर वित्तीय जोखिम दो प्रकार के होते हैं।

i) व्यावसायिक जोखिम - जिसमें तकनीकी नवोन्मेष, विपणन तथा परियोजना डिज़ाइनिंग शामिल है। बैंक स्वेच्छा से प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ एवं अंशधारकों के लिए **मूल्य संवर्धन** हेतु इन जोखिमों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन हेतु तकनीकी उन्नयन के माध्यम से परियोजना डिज़ाइनिंग को ग्राहकोन्मुखी एवं प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। बैंकों को चाहिये कि वे ई-बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, ए.टी.एम व तकनीकी प्रचलित अन्य उत्पाद के द्वारा व्यावसायिक जोखिम को स्वीकार कर लाभ अर्जन के अवसर ढूंढे।

ii) व्यूहात्मक जोखिम - व्यूहात्मक जोखिम आर्थिक एवं राजनीतिक वातावरण में हुए दूरगामी परिवर्तनों से उत्पन्न होती है जिससे सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग प्रभावित होता है। नरसिम्हम् समिति की सिफारिशों के उपरान्त प्रारंभ हुए बैंकिंग सुधारों - अन्य निर्धारण एवं आस्तियों का वर्गीकरण पूंजी पर्याप्तता अनुपात, प्रावधानीकरण मानदण्ड आदि ने सम्पूर्ण भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इस तरह की जोखिम के प्रबंधन में काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसमें प्रणाली एवं प्रक्रिया सम्मिलित है। फिर भी आन्तरिक कार्यकुशलता में निरन्तर वृद्धि तथा तीव्र परिवर्तनों के साथ गति मिलाकर चलने से कुछ सफलता मिल सकती है।

वित्तीय उदारीकरण के बाद, किसी भी अन्य वाणिज्यिक संगठन की भांति बैंक भी वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं, इसलिए उसके द्वारा लाभ पक्ष पर ध्यान देना सर्वथा तर्कसंगत है। लाभ को जोखिम के योजना दल प्रबंधन करके सतत एवं पोषणीय बनाया जा सकता जिसके वांछित दिशा में निधियों के प्रवाह सहित सभी पहलुओं को उचित रूप से नियंत्रित करके निर्धारित लक्ष्यों की

ओर उन्मुख किया जा सके। लाभप्रदता तथा जोखिम प्रबंधन में अब चोली-दामन का संबंध स्थापित हो चुका है और इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी समय-समय पर निर्देश दिये हैं ताकि परिचालनों की लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ अर्जन वर्तमान परिस्थितियों में एक ज्वलंत विषय होने के साथ-साथ महती आवश्यक भी है। यहां पर प्राथमिकता के आधार पर तीन विषयों पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है -

1) तरलता को प्रबंधित करने के लिये ब्याज जोखिम जो कीमत निर्धारण अर्थों में लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, अब बैंकों का मूल प्रतिपाद्य विषय बन गया है। आस्तियों के दक्ष एवं संतुलित संविभाग की स्थापना तथा जोखिमों के प्रारूप में देयताओं का उचित प्रबंधन बेहतर लाभप्रदता की पूर्व आवश्यकता है।

2) इसी तरह परिचालनात्मक जोखिम को प्रत्याशित रूप से प्रबंधित करके बैंक आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यावरण से होने वाली धोखाधड़ी / अप्रिय घटनाओं को रोक सकते हैं जिसका शुद्ध परिणाम परिचालनात्मक कुशलता के रूप में प्राप्त होता तथा

3) आज बैंकों की 85 प्रतिशत से भी अधिक आय अग्रिमों / ब्याज से अर्जित होती है, जहां सम्पन्नता का आधार विस्तृत करने के लिए नगदी अनुपात प्रबंधन प्रभावोत्पादक अस्त्र है। इन सभी तत्वों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि वित्तीय शक्ति के रूप में बैंकों द्वारा खोये हुये धरातल को पुनः प्राप्त करने तथा प्रभावशाली परिमाणात्मक विस्तार के समानान्तर लाभ हेतु भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में जोखिम प्रबंधन का कोई स्थानापन्न नहीं है।

प्रयुक्त शब्दावली

लाभप्रदता में उच्चावचन	Variation In Profitability
क्षैतिज एवं उदग्र	Horizontal & Vertical
संभाव्यता	Probability
व्यूहात्मक	Strategical
चर	Variables
परिमाणन	Quantity
सांविधिक समीक्षा	Statutory Review
अ-बीमा योग्य	Non-insurable
वाणिज्यिक प्रपत्र	Commercial Paper
कोष प्रवाह दर	Funds Flow Rate
जोखिम पर मूल्य	Value At Risk
मूल्य संवर्धन	Value Augmentation

हिन्दी भाषा इतनी समृद्ध और सक्षम है कि सारा कामकाज सुचारु रूप से हिन्दी में किया जा सकता है। यह खेद की बात है कि हिन्दी भाषियों में भाषा के प्रति स्वाभिमान नहीं जगा, अन्यथा बहुत पहले हिन्दी देशव्यापी स्तर पर प्रचलित हो गयी होती। अचानक ही हिन्दी में कामकाज शुरू होने पर कुछ कठिनाइयां होना स्वाभाविक है। क्रमशः इनका निवारण हो जाएगा। जब मैं बेल्जियम से 1935 में आया तो भारतीय जनता में अपनी ही भाषा के प्रति घोर उपेक्षा पायी। यह देखकर मैंने हिन्दी पढ़ने का संकल्प लिया। मैंने निश्चय किया कि हिन्दी की सेवा करूंगा। भारत में संस्कृत मां है, हिन्दी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी।

--फादर कामिल बुल्के, बेल्जियम

बैंकिंग परिदृश्य

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक*		10 अगस्त 2001	9 अगस्त 2002
1. कुल जमाराशियां	:	10,24,828	12,10,619
2. बैंक ऋण	:	5,26,703	6,53,454
3. ऋण-जमा अनुपात	:	51.39%	53.98%
4. नकद-जमा अनुपात	:	6.97%	6.35%
5. निवेश - जमा अनुपात	:	39.62%	40.57%

6. जनसंख्या समूह		रिपोर्ट करनेवाले कार्यालयों की संख्या	कुल योग का प्रतिशत	कुल जमाराशियां (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत	सकल बैंक ऋण (करोड़ रुपयों में)	कुल योग का प्रतिशत
ग्रामीण	मार्च 2001	32,533	49.36	1,39,426	14.66	56,016	10.06
	मार्च 2002	32,423	48.92	1.59.925	14.57	65,700	9.61
अर्धशहरी	मार्च 2001	14,508	22.01	1,86,733	19.64	63,857	11.47
	मार्च 2002	14,688	22.16	2,15,473	19.64	73,354	10.73
शहरी /	मार्च 2001	18,867	28.62	6,24,545	65.69	4,36,561	78.45
महानगरीय	मार्च 2002	19,165	28.91	7,21,649	65.78	5,44,535	79.65
योग	मार्च 2001	65,908	(100)	9,50,705	(100)	5,56,435	(100)
	मार्च 2002	66,276	(100)	10,97,048	(100)	6,83,590	(100)

*** टिप्पणी :**

(1) मद संख्या 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 10 अगस्त 2001 और 9 अगस्त 2002 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 25 अगस्त 2001 और 24 अगस्त 2002 के "वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट" से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

(2) मद सं. 6 में दिये गये आंकड़े मार्च 2001 और मार्च 2002 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित, बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित मार्च 2001 और मार्च 2002 की तिमाही पुस्तिकाओं पर आधारित हैं।

जमाराशियों / ऋण की मात्रा के अनुसार सर्वोच्च स्तर के पच्चीस केन्द्र
मार्च 2002

(राशि लाख रुपयों में)

जमाराशियाँ					ऋण				
दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)	दर्जा	केन्द्र का नाम	रिपोर्टकर्ता कार्यालयों की संख्या	राशि	वार्षिक वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुंबई	1,460	141836,94	12.4	1	मुंबई	1,460	181157,87	46.1
2	दिल्ली	1,377	117889,59	13.7	2	दिल्ली	1,377	105328,92	21.0
3	कोलकाता	992	39731,61	12.9	3	चेन्नई	771	35941,16	10.9
4	बंगलूर	758	31863,64	16.7	4	कोलकाता	992	28204,58	18.8
5	चेन्नई	771	30188,23	20.4	5	बंगलूर	758	20650,06	17.8
6	हैदराबाद	537	21860,34	17.7	6	हैदराबाद	537	14769,32	10.3
7	अहमदाबाद	480	13988,69	21.3	7	अहमदाबाद	480	11275,72	11.6
8	पुणे	325	12157,12	18.5	8	चंडीगढ़	160	9631,62	34.1
9	लखनऊ	238	10727,15	18.9	9	पुणे	325	7440,09	22.1
10	चंडीगढ़	160	8192,38	15.5	10	जयपुर	239	5102,01	12.7
11	जयपुर	239	7019,72	14.7	11	कोयम्बतूर	183	5154,58	8.3
12	कानपुर	294	6905,94	14.1	12	वड़ोदरा	193	4876,13	-2.0
13	वड़ोदरा	193	6594,29	13.6	13	इन्दौर	182	4020,50	4.0
14	पटना	171	6133,72	12.5	14	लुधियाना	206	4645,83	7.6
15	जालंधर	154	5738,43	15.2	15	लखनऊ	238	4060,57	32.1
16	लुधियाना	206	5692,07	15.2	16	कोची	215	3726,11	13.4
17	कोची	215	5595,30	14.9	17	दोराहा	5	3642,93 (118,23)	38.0
18	तिरुवनन्तपुरम	157	5394,97	15.2	18	तिरुवनन्तपुरम	157	2998,39	39.2
19	इन्दौर	182	4756,83	19.2	19	श्रीनगर	90	2394,48	4.1
20	भोपाल	164	4589,45	13.6	20	भोपाल	164	2183,77	10.8
21	कोयम्बतूर	183	4529,52	20.6	21	विशाखापट्टनम	130	2146,92	13.8
22	नागपुर	170	4270,30	19.1	22	कानपुर	294	2097,41	3.4
23	अमृतसर	155	4242,43	15.5	23	नागपुर	170	2077,36	9.6
24	सूरत	164	4083,90	20.6	24	तिरुपुर	50	1946,31	0.8
25	नॉएडा	53	3677,30	79.0	25	रायपुर	59	2025,60	101.5

(स्रोत : बैंकिंग सांख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 2002)

छह माह में कीर्तिमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वर्ष 2002 की पहली छमाही के बीच देश में 2.51 अरब डॉलर के बराबर प्रत्यक्ष निवेश हुआ, जो एक कीर्तिमान है।

सूखे और औद्योगिक मंदी की खबरों के बीच इस एक उत्साहजनक सूचना के अनुसार 2002 की प्रथम छमाही का वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 86.25 प्रतिशत अधिक है पिछले वर्ष जनवरी-जून की छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.35 अरब डॉलर था।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष की प्रथम छमाही के इन आंकड़ों में भारतीय कंपनियों के विदेशों में जारी एडीआर और जीडीआर शेयरों में हुआ निवेश शामिल नहीं किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष जून माह में एडीआर और जीडीआर के अतिरिक्त 50.45 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। जून 2001 में यह 1964 करोड़ डॉलर के बराबर था।

सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रैल जून 2002 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

इस बार इन तीन महीनों का निवेश 1.3 अरब डॉलर के बराबर था जबकि पिछले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 0.63 अरब डॉलर का निवेश हुआ था।

अब चेक पर 15000 रु. का तुरन्त भुगतान संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों में जमा कराए गये स्थानीय और बाहरी चेकों के एवज में साख पर तुरंत भुगतान के लिए अधिकतम राशि की सीमा को 7500 रु. से बढ़ाकर 15 हजार रु. कर दिया है।

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को भेजे विभागीय परिपत्र में कहा है कि यह कदम भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की सिफारिश पर उठाया गया है। पत्र के अनुसार बैंक यदि चाहें तो धन संग्रह के लिये लिए जमा कराए गये स्थानीय चेकों पर प्रति चेक पांच रु. तक का भुगतान शुल्क लगा सकते हैं। बाहरी चेकों पर संग्रह शुल्क पहले की ही तरह लागू होगा।

ब्याज दर में कटौती हुई, पर लोगों की बचतों में नहीं

ब्याज दरों में कमी के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में लघु बचत 20.75 प्रतिशत से बढ़कर 25,263 करोड़ रुपए हो गई, जिसे सरकारी पत्रों में निवेशकों के विश्वास के फिर से बहाल होने का संकेत माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय बचत पत्र एवं इंदिरा विकास पत्र जैसे राष्ट्रीय पत्रों के जरिए सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपेक्षाकृत 4,341 करोड़ रुपए अधिक उगाहे, जबकि अप्रैल-जून 2001 के दौरान इस मद में 20,922 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था।

उन्होंने बताया कि आलोच्य अवधि में कुल संग्रह 28.18 प्रतिशत से बढ़कर 12,143.58 करोड़ रुपए हो गया, जो पूर्व वर्ष की समान अवधि में 9,474.18 करोड़ रुपए था। जून माह में सकल लघु बचत में 10.38 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 7,766.22 करोड़ रुपए रही। जून 2001 में यह राशि 7,035.95 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा जून में कुल संग्रह भी 14.34 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 3,795.92 करोड़ रुपए हो गया, जो जून 2001 में 3,319.86 करोड़ रुपए था।

बजट में ब्याज दरों में लगातार कटौती के बावजूद लघु बचत में यह वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में गत साल तीन बार कटौती की थी।

सूत्रों के अनुसार, निवेशकों के पास अच्छा मुनाफा सुनिश्चित करने वाले निवेश विकल्पों का अभाव होने के कारण लघु बचत में बढ़ोतरी हुई। आईडीबीआई तथा आईसीआईसीआई जैसे बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की सावधि जमाओं एवं बांड पर अच्छे मुनाफे का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इन पत्रों पर देय ब्याज पिछले वर्षों में लगातार घट रहा है।

(साभार - नवभारत टाइम्स)

बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका

रिज़र्व बैंक द्वारा बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा करने के लिए बनाये गये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी दल ने अप्रैल 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिशों की जांच के बाद रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने बैंक के निदेशक बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करें । उनके बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर इन सिफारिशों को बैंक अपना सकते हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। सिफारिशों को संक्षिप्त रूप से नीचे प्रस्तुत किया गया है :

सिफारिशें

सभी बैंकों के लिए

निदेशक बोर्ड के उत्तरदायित्व

निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशक की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों और प्रत्येक निदेशक को बोर्ड में शामिल होने से पहले बैंक की कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया जायेः

- बोर्ड द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को अधिकारों का प्रत्यायोजन,
- संस्था की कार्यनीति संबंधी योजना,
- संगठनात्मक ढांचा,
- वित्तीय और अन्य नियंत्रण तथा प्रणालियां,
- बाज़ार की आर्थिक विशेषताएं और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण।

स्वतंत्र और गैर-कार्यपालक निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

(क) बैंक के वातावरण से स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों को परिचित कराने के उद्देश्य से बैंक की रूपरेखा, बोर्ड की उप समितियों, उनकी भूमिका, अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में ब्यौरे, उच्च कार्यपालकों के परिचय आदि के संबंध में बैंक एक संक्षिप्त नोट नये निदेशकों के बीच परिचालित कर सकते हैं।

(ख) बैंकों के लिए यह वांछनीय होगा कि वे प्रत्येक स्वतंत्र और गैर-कार्यपालक निदेशक से इस आशय का वचन लें कि उसने भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाले दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनी अधिकतम योग्यता के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वचन देता है।

निदेशकों के लिए प्रशिक्षण

(क) बैंकों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में होनेवाली गतिविधियों/आनेवाली चुनौतियों से अपने निदेशकों को अवगत कराने की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों में भाग लेना निदेशकों को अपनी भूमिका के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकेगा।

(ख) बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निदेशकों को बैंक की अद्यतन प्रबंधकीय तकनीकों, प्रौद्योगिकी संबंधी नयी बातों तथा वित्तीय बाज़ारों, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों आदि से परिचित कराया जाता है, ताकि वे अपनी पूरी योग्यता के साथ अपने कर्तव्य को निभा सकें।

(ग) हालांकि रिज़र्व बैंक अपने प्रशिक्षण संस्थानों में इस संबंध में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित कर सकता है, बड़े बैंक अपने स्वयं के प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे कार्यक्रम चला सकते हैं।

नेमी जानकारी प्रस्तुत करना

कार्यनिष्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समीक्षाएं बोर्ड की प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जायें तथा प्रत्येक समीक्षा के संबंध में केवल सारांश आवधिक रूप से निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये। इससे बोर्ड को विभिन्न जोखिमों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन जैसे अधिक कार्य नीतिपरक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा।

कार्यसूची और कार्यवृत्त

(क) बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप जहां तक हो सके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बैठक के बाद 48 घंटे के भीतर निदेशकों को भेजा जाना चाहिए तथा एक निश्चित समय सीमा के भीतर निदेशकों से अनुसमर्थन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए निदेशकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) जब तक बोर्ड संतुष्ट न हो जाये, तब तक बोर्ड को पिछली बैठकों से उभरने वाले कार्रवाई करने के मुद्दों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा अनिर्णीत मद को कार्यसूची की मदों के एक भाग के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहना चाहिए।

बोर्ड की समितियां

(क) शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए समितिः जैसा कि रिज़र्व बैंक ने 4 जून 2002 के अपने परिपत्र द्वारा सभी बैंकों को सूचित किया है, जिन बैंकों ने जनता को शेयर/डिबेंचर जारी किये हैं वे शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करें।

(ख) जोखिम प्रबंधन समिति : रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन के संबंध में अक्तूबर 1999 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रत्येक बैंकिंग संस्था के लिए जोखिम प्रबंधन समिति गठित करना अपेक्षित है। ऐसी समिति का गठन और उसके प्रचालन का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाये और उनकी भूमिका को और सुदृढ़ बनाया जाये।

(ग) पर्यवेक्षी समिति : दल द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी समिति की भूमिका और उत्तरदायित्वों, यथा बैंक के जोखिमों (ऋण और निवेश दोनों) की निगरानी, जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की पर्याप्तता की समीक्षा और उसमें सुधार लाना, आंतरिक निगरानी व्यवस्था, विधिक/नियामक नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना आदि का अनुपालन बोर्ड की प्रबंधन समिति/कार्यकारी समिति को सौंप दिया जाये।

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

बैंक, नियमित अंतरालों पर निदेशक बोर्ड को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायें :

- प्रगामी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने में हुई प्रगति तथा बैंक द्वारा अपनायी गयी रणनीति।
- बैंक के संबद्ध घटकों के संबंध में जोखिम, यथा सहायक संस्थाओं को उधार/उनमें निवेश के विवरण, ऐसे उधार/निवेश आदि का आस्ति वर्गीकरण आदि।
- कंपनी अभिशासन संबंधी मानदंडों का पालन-यथा विभिन्न समितियों का संयोजन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकें आयोजित किये जाने का समय-अंतराल और निर्णयों और समीक्षाओं का अनुपालन आदि।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए

सूचना का आदान-प्रदान

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैठकों के कार्यवृत्तों का रिकार्ड तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली में सुधार लाने के लिए बैंक, बोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करायें :

- निदशकों द्वारा रखी गयीं प्रमुख बातों का सार बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाये।
- कार्यवृत्त को और अधिक विस्तृत रूप से तैयार करना जिसमें अलग-अलग निदेशकों की टिप्पणियां, असहमतियां, आदि स्पष्ट रूप से दर्शायी जायें जिन्हें उनकी पुष्टि के लिए भेजा जा सके।

कंपनी सचिव

कंपनी सचिव एक ऐसा केंद्रीय व्यक्ति है जिससे बोर्ड कंपनी कानून, लिस्टिंग संबंधी करारों, सेबी के विनियमों, शेयरधारकों की शिकायतों आदि के संबंध में संस्था द्वारा किये गये अनुपालन की स्थिति की प्रतिसूचना प्राप्त करता है। अतः बैंकों को बोर्ड के सचिव के रूप में योग्यताप्राप्त कंपनी सचिव और विभिन्न नियामक/लेखा संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन अधिकारी (जो सचिव को रिपोर्ट करेगा) की नियुक्ति हेतु विचार करना चाहिए।

निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए

निदेशकों के नामांकन के लिए पात्रता संबंधी मानदंड

(क) निदेशकों को नामित/सहयोजित करते समय बैंक के बोर्ड के निदेशकों को कुछ प्रमुख उपयुक्त मानदंडों,यथा-नियमित शिक्षा, अनुभव, पिछला रिकार्ड, ईमानदारी आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ईमानदारी और उपयुक्तता संबंधी तत्वों का पता लगाते समय आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली हेतु की गयी कानूनी कार्रवाई,पेशेवर संस्थाओं द्वारा उन्हें सदस्यता देने से मना करना अथवा निष्कासित करना, नियामकों अथवा ऐसी संस्थाओं के द्वारा लगाये गये प्रतिबंध, पिछले संदिग्ध व्यावसायिक कार्य आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः निदेशकों के लिए उपर्युक्त मानदंड निर्धारित करते समय बोर्ड के निदेशकों को ऐसी उपयुक्त प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें स्वघोषणा, बाज़ार से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने जैसी व्यवस्था हो सकती है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में नामांकन के संबंध में अपनाये जा रहे नीचे दिये गये मानदंड निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन के लिए भी अपनाये जा सकते हैं :

- प्रार्थी को सामान्यतः स्नातक होना चाहिए (किसानों, जमाकर्ताओं, कारीगरों आदि से निदेशक का चुनाव करते समय इसमें छूट दी जा सकती है)।
- उसकी उम्र 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह सांसद/विधायक/विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों दोनों में निदेशक होना

यदि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के बोर्ड निदेशक का किसी बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जाना है तो निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए :

- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का स्वामी न हो [अर्थात् शेयरधारिता (अकेले या रिश्तेदारों, सहायक संस्थाओं आदि के साथ संयुक्त रूप से) 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए]।
- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रवर्तक का रिश्तेदार न हो।
- वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में पूर्णकालिक कर्मचारी न हो।
- संबंधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बैंक की ऋणकर्ता न हो।

बोर्ड का गठन

बैंक तकनीकी और विशेष रूप से योग्यताप्राप्त कार्मिकों को शामिल कर अपने बोर्डों को समसामयिक रूप से अधिक व्यावसायिक बनायें। निदेशकों का चयन करते समय/उन्हें सहयोजित करते समय बैंक प्रयास करें कि *ऐतिहासिक कुशलता* का मिला-जुला रूप सामने आये, अर्थात् कृषि, लघु उद्योग, सहकारिता जैसे क्षेत्रों का विनियम के आधार पर प्रतिनिधित्व हो तथा *नयी कुशलताओं* अर्थात् विपणन, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) और प्रणालियों, जोखिम प्रबंधन, कार्यनीति संबंधी आयोजना, खज़ाना कार्यकलापों, ऋण वसूली जैसी कुशलताओं का आवश्यकता के आधार पर प्रतिनिधित्व हो।

जमा प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम जमा राशि

जमाकर्ताओं के आधार में वृद्धि करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि एक निवेशक के लिए जमा प्रमाणपत्र की न्यूनतम राशि को वर्तमान के पांच लाख रूपये के स्तर से घटाकर एक लाख रूपये और उसके बाद एक लाख रूपये के गुणजों में किया जाए। राशि से तात्पर्य जमा प्रमाणपत्र के अंकित मूल्य (अर्थात् अवधिपूर्णता मूल्य) से है।

बैंक द्वारा जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों के लिए सुविधाएं

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों को उदार बनाने और अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा निवासियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा अपने अनिवासी सामान्य रूपया (एनआरओ) खातों में रखी गयीं शेष

राशियों में से निधियों को वापस लाने की सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है :

(i) उनके बच्चों की शिक्षा के संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए 30,000 अमेरिकी डॉलर प्रति अकादमिक वर्ष तक,

(ii) खाता धारक अथवा उसके परिवार के सदस्यों के संबंध में विदेश में चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक तथा

(iii) दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उनके द्वारा धारित अचल संपत्ति की बिक्री-आय के रूप में 1,00,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष।

विदेश में आधार तैयार करने की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक ने ऐसे निवासियों के लिए यह सीमा पहले की 5,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 25,000 अमेरिकी डॉलर या उत्प्रवास के देश द्वारा निर्धारित राशि तक की है जिनके पास उत्प्रवास वीज़ा है।

इंटरनेट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि :

(i) अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड इंटरनेट पर केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाये जा सकते हैं जिनके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए पुस्तकों के आयात, डाउनलोड किये जा सकने वाले सॉफ्टवेयरों की खरीद अथवा निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य मद का आयात।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इंटरनेट पर अथवा अन्यथा इस्तेमाल प्रतिबंधित मदों की खरीद, उदाहरण के लिए लॉटरी टिकटों अथवा ज़ब्त अथवा गैर-कानूनी पत्रिकाओं की खरीद, घुड़दौड़ के जुए में हिस्सेदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान इत्यादि के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह की मदों/गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है।

(iii) इंटरनेट के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेबिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड भी किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाये जा सकते हैं जिनके लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है।

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की भी अनुमति है कि वे भारत से बाहर किये गये निर्यातों के लिए क्रेडिट कार्डों में नामे लिखकर भुगतान स्वीकार करें।

इससे पूर्व अक्तूबर 2000 में रिज़र्व बैंक ने सूचित किया था कि चूंकि क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान के केवल अलग-अलग तरीके हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत जारी सभी नियम/विनियम तथा निदेश क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड पर भी लागू होते हैं।

विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा खाते

प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया है कि वे कुछेक शर्तों के अधीन भारतीय इकाइयों के विदेशी कार्यालय (कारोबारी/गैर-कारोबारी)/शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालनों के प्रयोजन के लिए प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) विदेशी कार्यालय (कारोबारी/गैर-कारोबारी)/शाखा/प्रतिनिधि भारत में अपने प्रधान कार्यालय के लिए कोई वित्तीय देयता आकस्मिकता अथवा आकस्मिकता का सृजन न करें।

(ii) विदेशी कार्यालय (कारोबारी/गैर-कारोबारी)/शाखा/प्रतिनिधि रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन के बिना विदेश में अतिरिक्त निधियों का निवेश न करें। यदि कोई राशियां अतिरिक्त हो जाती हैं तो उन्हें भारत में प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

(iii) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के विदेशी कार्यालय/शाखा प्रत्येक *ऑफ साइट* करार के करार मूल्य के सौ प्रतिशत तक भारत में ला सकते हैं।वे प्रत्येक *ऑन-साइट* करार के करार मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत तक भी भारत में ला सकते हैं और शेष राशि अर्थात् करार के 70 प्रतिशत को विदेश में कार्यालय/शाखा व्ययों सहित संबंधित खर्च पूरे करने के लिए उपयोग में

ला सकते हैं। विदेशी कार्यालय को प्राधिकृत व्यापारी को एक विधिवत् लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणी भेजनी चाहिए जिसमें लिये गये ऑफ साइट तथा ऑन साइट करारों से हुई प्राप्तियां दर्शायी जायें।

विदेशी कार्यालय तत्काल ही विदेश में खोले गये बैंक खाते के ब्यौरे प्राधिकृत व्यापारी को भेजें।

दिसंबर 2001 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय इकाइयों को भारत से बाहर अपने कार्यालय/शाखा के नाम पर कार्यालय/शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालनों के प्रयोजन के लिए प्रेषण भेजने के लिए भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दी थी।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू, जुलाई -2002.)

मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना

रिज़र्व बैंक ने ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की प्रणाली के संबंध में पहले जारी अनुदेश समेकित किये हैं। बैंकों को अब सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार समेकित अनुदेशों को पालन करें :

(i) बैंकों को यह विकल्प है कि वे मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए पहली अप्रैल 2002 से या पहली जुलाई 2002 से या पहली अप्रैल 2003 से यह पद्धति अपनायें।

(ii) पहली जुलाई 2002 से प्रारंभ तिमाही से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी दर, मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने / चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाये जाने के कारण मात्र से ही अधिक न हो जाये और ऋणकर्ताओं पर अधिक भार पड़े। यदि किसी बैंक ने 30 जून 2002 को समाप्त तिमाही में भिन्न पद्धति अपनायी हो तो उस तिमाही के लिए अब समायोजन करे।

(iii) मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति सभी प्रचलित खातों अर्थात् नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण खातों आदि तक सीमित होगी। मासिक अंतराल पर ब्याज लगाते समय बैंक, प्रलेखन के उद्देश्य से ऋणकर्ता से सहमति पत्र / पूरक करार प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नये और मौजूदा मीयादी ऋणों तथा लंबी / नियत अवधि के अन्य ऋणों पर लागू होगा।

(v) लंबी / नियत अवधि के मौजूदा ऋणों के मामले में बैंक मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना नियमों और शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण खातों का नवीकरण करते समय या ऋणकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद लागू करेंगे।

कृषि ऋण

मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे और बैंक फसल मौसमों से संबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने / चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की वर्तमान प्रथा जारी रखेंगे। बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जून 1998 में सूचित किये गये अनुसार लंबे समय की फसलों के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतराल पर ब्याज लगाना चाहिए। अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों जैसे डेरी, मछली पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन आदि के संबंध में यदि ऋण / किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो बैंक ब्याज लगाने और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलेपन और फसल कटने / बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें।

मार्च 2002 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे पहली अप्रैल 2002 से अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनायें, ताकि 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण में हानि को पहचानने के लिए 90 दिन का मानदंड अपनाया जा सके। अलबत्ता, रिज़र्व बैंक ने कुछ परिचालनगत और प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर बैंकों से प्राप्त कतिपय सुझावों और बैंकों से चर्चा के आधार पर इन अनुदेशों की समीक्षा की है।

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गयी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली जो आरबीआइ ईएफटी सिस्टम (अंतर-बैंक या इंट्रा-बैंक) के नाम से जानी जाती है, पंद्रह केंद्रों में बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि अंतरण आसान बनाती है। मांग ड्राफ्ट के लिए लागत, गति और सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। वर्ष 1994 में प्रायोगिक आधार पर मुंबई और चेन्नै के बीच शुरू की गयी ईएफटी प्रणाली वर्ष 1998 में अन्य दो महानगरों अर्थात् कोलकाता और नई दिल्ली तक विस्तारित की गयी। वर्ष 2001 के दौरान इस प्रणाली की व्याप्ति रिज़र्व बैंक के ऐसे अन्य ग्यारह केंद्रों तक बढ़ायी

गयी, जहां रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का प्रबंधन किया जाता है। ये केंद्र हैं : अहमदाबाद, बेंगलूर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना और तिरुवनन्तपुरम।

ईएफटी प्रणाली में दो बैंक सहभागी होते हैं अर्थात विप्रेषक (रेमिटिंग) बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक। इस प्रणाली में बैंक का ग्राहक / खाताधारक निधियों के अंतरण के लिए उस शाखा को ईएफटी अनुरोध फॉर्म (इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागज़ी रूप में) प्रस्तुत करता है जहां उसका खाता है। ग्राहक, लाभार्थी का नाम, उनका बैंक और बैंक शाखा का नाम, उनकी खाता संख्या और प्रेषण की जानेवाली राशि संबंधी जानकारी देता है। ग्राहक का खाता नामे करके लेनदेन किया जाता है ।विप्रेषक बैंक अपनी सेवा शाखा को ईएफटी प्रेषण जानकारी भेजता है। सेवा शाखा, बैंक की विभिन्न शाखाओं से इस तरह के सभी प्रेषण अनुदेश इकठ्ठा करके, निर्धारित समय पर रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष को ईएफटी प्रेषण अनुदेश भेजती है। बैंक की सेवा शाखा सुरक्षित इलेक्ट्रानिक मोड में या तो लीज लाइनों के माध्यम से या इन्फीनेट के जरिए प्रेषण अनुदेश प्रेषित करती है। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में लेनदेनों की प्रोसेसिंग की जाती है और इन्फिनेट के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्तकर्ता केंद्र पर प्रेषण अनुदेश भेजे जाते हैं।

इस समय, ईएफटी प्रणाली के अंतर्गत दिन में तीन समय पर अर्थात् दोपहर 12.00 बजे, दोपहर 2.00 बजे और दोपहर 4.00 बजे निधि अंतरण किये जाते हैं। प्राप्तकर्ता की ओर पर राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष आवक प्रेषण पर प्रोसेस करके रिज़र्व बैंक के जमा लेखा विभाग को संबंधित बैंक के खाते में उसे जमा करने के लिए सूचित करता है। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष प्राप्तकर्ता बैंक की सेवा शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा सूचना प्रेषित करता है ताकि लाभार्थी के खाते में जमाराशि जमा की जा सके और सेवा शाखा उसके बदले बिना कोई समय गंवाए लाभार्थी की शाखा को ग्राहक के खाते में राशि जमा करने के लिए सूचना भेजती है।

ईएफटी के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में निधियां या तो उसी दिन (अर्थात् टी + ओ आधार पर) या अगले कार्य दिन पर (अर्थात् टी + 1 आधार पर) जमा की जाती हैं।

निधि अंतरण की पारंपरिक पद्धति के अनुसार ग्राहक को ड्राफ्ट खरीदकर उसे पोस्ट करना होता है । ड्राफ्ट पानेवाले को ड्राफ्ट अपने बैंक खाते में जमा करना होता है और सामान्यतः उसे क्रेडिट होने में एक सप्ताह लगता है। ईएफटी प्रणाली इस विलम्ब को समाप्त करती है।

अलग-अलग लेनदेनों की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।

रिज़र्व बैंक दूसरे चरण में ईएफटी प्रणाली को और अधिक केंद्रों तक विस्तारित करना चाहता है। रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय ईएफटी प्रणाली परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से स्ट्रक्चर्ड फाइनान्शियल मेसेजिंग सोल्यूशन (एसएफएमएस) का इस्तेमाल करके ईएफटी प्रणाली किसी भी स्थान के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अन्य स्थान के अन्य किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में कार्यरत हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास संस्था, हैदराबाद द्वारा एसएफएमएस विकसित किया गया है।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी (ईईएफसी) खाता

ईईएफसी खाता क्या है ?	यह विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त और प्राधिकृत व्यापारी के पास रखा जानेवाला खाता है, एक ऐसा बैंक जो भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करता है, अर्जन का निर्धारित प्रतिशत परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में जमा करता है।
यह खाता कौन खोल सकता है ?	भारत का निवासी,इसमें अलग-अलग फर्मों, कंपनियों आदि का समावेश है।
निर्धारित सीमा क्या है ?	(i) हैसियत धारक निर्यातक — अर्जन का शत प्रतिशत (ii) अलग-अलग व्यवसायी — अर्जन का शत प्रतिशत (iii) निर्यातोन्मुख इकाइयां / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों / अर्जन का सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों की इकाइयां — अर्जन का 70 प्रतिशत (iv) अन्य — अर्जन का 50 प्रतिशत
खातों के प्रकार अनुमत जमा	ब्याज रहित चालू / बचत / मीयादी जमा खाता • निर्धारित सीमाओं के अनुसार विदेशी मुद्रा में अर्जन • ऐसे खातों से पहले आहरित परंतु उपयोग न

	की गयी विदेशी मुद्रा पुनःजमा
अनुमत नामे	• यात्रा, चिकित्सा, विदेश में अध्ययन, अनुमत आयात, कमीशन, सीमा शुल्क आदि चालू खाता लेनदेनों के लिए किये गये भुगतान। अलबत्ता, उपहारों और दोनों के लिए प्रति प्रेषक / दानी के लिए 5000 अमेरिकी डॉलर से अधिक किये गये प्रेषण अनुमत नहीं हैं। • अनुमत पूंजी खाता लेनदेनों के लिए किये गये भुगतान। • भारत में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों / सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों की ओर से वस्तुओं की लागत और प्रदान की गयी सेवाओं के लिए किये गये भुगतान। • व्यापार से संबंधित ऋणों और अग्रिमों के लिए किये गये भुगतान। • भारत के निवासी व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति - जिसमें हवाई शुल्क और होटल व्यय का भुगतान शामिल है, के लिए विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान।
चेक सुविधा	उपलब्ध।
नामांकन सुविधा	अन्य कोई निवासी खातों के मामले में अनुमत।

(स्रोत :क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू ,अगस्त 2002)

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा जोखिम प्रबंध

सीसीआइएल की स्थापना विदेशी मुद्रा सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण लिखतों में लेनदेनों के समाशोधन और निपटान हेतु एक उद्योग सेवा संगठन के रूप में की गई है। सीसीआइएल का स्वामित्व प्रमुख बैंकों (58-5 प्रतिशत इक्विटी), वित्तीय संस्थाओं (24 प्रतिशत इक्विटी) और प्राथमिक व्यापारियों (17.5 प्रतिशत इक्विटी) के पास है। केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टी के रूप में सीसीआइएल के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक सशक्त प्रणाली आवश्यक है। केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टी (सीसीपी) की असफलता के निश्चित रूप से गंभीर सर्वांगीण परिणाम होंगे, विशेषकर जहाँ अनेक बाज़ारों के लिए एक ही सीसीपी द्वारा कार्य किया जाता हो। सीसीआइएल विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करता है और अपने सहभागियों के बीच जोखिम का पुनः आबंटन निम्नानुसार करता है।

1. ऋण तथा बाज़ार जोखिम

(i) प्रतिभूति लेनदेन : रिज़र्व बैंक (जो सदस्यों के निधियों के खाते तथा प्रतिभूतियों के खाते दोनों को बनाये रखता है) की बहियों में भुगतान पर सुपुर्दगी तंत्र के जरिए सीसीआइएल का परिचालन चूक के किसी भी मुख्य जोखिम (खरीदी गई आस्तियों की हानि) को दूर करता है। किसी चूक के मामले में, सीसीआइएल की जोखिम प्रतिभूति के मूल्य में होनेवाली किसी प्रतिकूल परिवर्तन से उत्पन्न बाज़ार जोखिम तक ही सीमित है। सीसीआइएल इस जोखिम की रक्षा सदस्यों को प्रतिभूतियों के मूल्यों के भविष्य में होनेवाली प्रतिकूल गतिविधियों से रक्षा करने के लिए आरंभिक मार्जिन रखने के लिए तैयार करना साथ ही साथ वह अनुमानित हानि अर्थात् बकाया कारोबारों के संबंध में चालू बाज़ार मूल्य तथा संविदा मूल्य के बीच के अंतर की रक्षा करने के लिए बाज़ार को अंकित मार्जिन बनाये रखकर करता है। मार्जिन की गणना लेनदेन-वार की जाती है। प्रत्येक लेनदेन के लिए अपेक्षित आरंभिक मार्जिन की गणना प्रतिभूति के मूल्य को मार्जिन घटक से गुणा करके (प्रतिभूति - विशिष्ट के जोखिम पर मूल्य के आधार पर परिगणित) की जाती है। बाज़ार के लिए अंकित मार्जिन प्रतिकूल स्थिति धारक सदस्यों द्वारा बनाये रखना आवश्यक है, अनुमानित लाभ की स्थितियों के लिए ऋण की अनुमति नहीं है। सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लेनदेन के संबंध में मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) में पात्र सरकारी प्रतिभूतियों / खज़ाना बिलों तथा नकदी के रूप में (कम से कम 10 प्रतिशत) पर्याप्त शेष राशियां बनाये रखें। एसजीएफ में जमा की गई प्रतिभूतियों के लिए प्रभार (हेअर कट) लागू होता है जो वर्तमान में 5 प्रतिशत है।

(ii) विदेशी मुद्रा लेनदेन : प्रतिभूतियों के लेनदेन जो सुपुर्दगी बनाम भुगतान आधार पर निपटाये जाते हैं, से भिन्न, विदेशी मुद्रा लेनदेनों में चूक, समय क्षेत्र में अंतराल के कारण होता है, जिसका परिणाम खरीदी गई आस्ति की हानि के रूप में होता है। तथापि सीसीआइएल केंद्रीय

प्रतिपक्षी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका में इस मुख्य जोखिम को वहन नहीं करता है, जिसे सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है, सीसीआइएल मूल्यन निधि पर खरीदार को प्रति-मूल्य निधियाँ सुपुर्द करते हुए प्रणाली में चलनिधि सुनिश्चित करता है। सदस्य की किसी मुद्रा में उसके दायित्व के निपटान में चूक से उत्पन्न ऋण जोखिम की व्यवस्था सीसीआइएल द्वारा अपने हानि निर्धारण तंत्र (अर्थात ऐसे चूक से उत्पन्न हानि का चूक की मुद्रा में चूककर्ता सदस्य की तुलना में उसके प्रतिपक्षियों को उनके शुद्ध खरीद स्थिति के अनुपात में चूककर्ता सदस्य से जमा की गई शुद्ध मार्जिन राशि से विभाजित करके) की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य किसी विदेशी मुद्रा कारोबार में चूक के कारण हुई हानि को समायोजित करने की स्थिति में हैं, वित्तीय क्षमता की एक न्यूनतम नयी सीमा लागू करके सदस्यता को प्राधिकृत सीमित रखा गया है। सदस्यों की वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन पूँजी, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता, तरलता, आकार आदि जैसे मापदण्डों पर आधारित एक माडल का प्रयोग करते हुए किया जाता है। सीसीआइएल द्वारा किसी सदस्य की ओर से लिये जानेवाले अधिकतम निवेश जोखिम निवल नामे सीमा का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है। किसी सदस्य का मार्जिन घटक वित्तीय स्थिति पर निश्चित किया जाता है। इस मार्जिन घटक में रूपया/अमेरिकन डालर विनिमय दर में होने वाली घटबढ़ तीन दिवसीय धारिता अवधि के लिए 99 प्रतिशत विश्वास स्तर पर जोखिम आधारित मूल्य को भी शामिल किया जाता है। किसी सदस्य के लिए सीसीआइएल द्वारा उठाये जानेवाले वास्तविक निवेश जोखिम का निर्णय मार्जिन घटक और एसजीएफ अंशदान के मूल्य द्वारा लिया जाता है जिसमें एनडीसी बाहरी सीमा के रूप में कार्य करता है। सदस्य बैंकों द्वारा निवेश जोखिम सीमा के उपयोग की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि इसमें उच्चतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। एनडीसी की सीमा से अधिक किसी निवेश जोखिम की रक्षा पूर्णतःअमेरिकन डालर में सदस्य द्वारा जमाराशियों से की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है (मार्जिन घटकों के उचित गणना के जरिए) कि सदस्यों से जमा की गयी संपार्श्विक प्रतिभूतियां अधिकतम एनडीसी वाले सदस्य द्वारा की जानेवाली अल्प मात्रा में चूकों को खपाने के लिए पर्याप्त है और ऋण सहायता के लिए भी (पूर्णतः जमानती) सुरक्षा पर्याप्त हैं। निपटान बैंक ऋण सीमा उपलब्ध करायेगा।

2. चलनिधि जोखिम

सीसीआइएल की प्रमुख वचनबद्धता निर्बाधित रूप से निपटान सुनिश्चित करना है और इसलिए निपटानों को पूरा करने हेतु सरकारी प्रतिभूतियों, रुपया निधियों और अमेरिकन डालर निधियों के रूप में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराना अपेक्षित है । उसकी चलनिधि जोखिम रक्षा हेतु सीसीआईएल ने निम्नलिखित व्यवस्था की है :

(i) सदस्यों के एसजीएफ में अंशदान के जरिए रूपया प्रतिभूतियाँ;

(ii) विभिन्न बैंकों के पास ऋण व्यवस्था के जरिए रूपया निधियाँ एसजीएफ में प्रतिभूतियों को प्राथमिक व्यापारियों/वाणिज्यिक बैंकों के साथ बाज़ार में रिपो परिचालनों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जो बदले में प्रतिभूतियों का उपयोग चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रिपो के लिए कर सकते हैं ;

(iii) निपटान बैंक से पूर्णतः संपार्श्विकीकृत ऋण व्यवस्था के मार्ग से अमेरिकन डालर निधियाँ, (अमेरिकी डालरों में एसजीएफ में सदस्यों के अंशदान द्वारा संपार्श्विकीकृत) कम से कम अधिकतम निवल ऋण सीमा वाले सदस्य की चूक समायोजित करने के लिए पर्याप्त होंगी। पर्याप्त राशि की वचनबद्ध ऋण सहायता के लिए अतिरिक्त बेजमानती ऋण की व्यवस्था भी निपटान बैंक से की गई है। यदि निर्दिष्ट समय पर निपटान पूरा करने के लिए ये व्यवस्थाएं भी पर्याप्त न हों, तो एक कमी पूरी करने की प्रक्रिया हानि आबंटन प्रक्रिया तंत्र के साथ-साथ चूक की मुद्रा में शुरू की जाती है।

3. परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम से निपटने के लिए सीसीआइएल ने लेनदेनों का प्रसंस्करण करने के लिए एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली का विकास किया है। सीसीआइएल की कम्प्यूटर प्रणाली निर्विघ्न परिचालन में मदद करने हेतु इनमें पर्याप्त अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं। लेनदेन का डेटा संभाव्य माननीय गलतियाँ टालते हुए एक स्वचालित प्रोसेस में सौदाकृत कारोबार प्रणाली से प्राप्त होता है। किसी विपत्ति के आने पर कारोबार निरंतर जारी रहे यह सुनिश्चित

करने के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में एक डिसास्टर रिकवरी साइट का निर्माण किया जा रहा है। फायरवाल और पीकेआई आधारित इन्क्रिप्शन जैसे नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए डाटा सुरक्षा के एक स्तर को कार्यान्वित किया गया है। उपयुक्त कार्मिकों की भर्ती की गयी है और उचित प्राधिकारी संरचना, कार्यप्रवाह का ढाँचा और एक उचित नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गयी है।

स्रोत :

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण एक परिप्रेक्ष्य

एक स्वस्थ तथा सुविनियमित बैंकिंग प्रणाली में, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पर्याप्त कारोबार निर्मित करें ताकि वे प्रतिधारित आय का पूंजी के रूप में पुनर्निवेश कर सकें। यह आशा की जाती है कि बाज़ार अनुशासन तथा पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कमजोर संस्थाओं को अलग कर सकते हैं तथा उनमें नैतिक खतरे को न्यूनतम कर सकते हैं। यदि बैंकिंग प्रणाली दबाव का अनुभव करती तो बैंकों की व्यापक असफलताओं से सम्बद्ध संभावित ऋणात्मक बाह्य प्रभाव ऐसे विशेष हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं जो बाज़ार या मानक पर्यवेक्षी साधनों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्थागत बैंकिंग पुनर्संरचना निरंतर आधार पर महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं को बनाये रखने के लिए बैंकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

किसी भी प्रणालीगत पुनः संरचना की रणनीति में दो उपाय यथा - वित्तीय तथा परिचालनात्मक पुनः संरचना आते है। सारांश में जहाँ वित्तीय पुनर्संरचना 'स्टॉक' संबंधी मुद्दे को सुलझाने का कार्य करती है वहीं परिचालनात्मक पुनःसंरचना बैंक को होनेवाली हानियों के स्रोतों को दूर करते हुए 'पूंजी प्रवाह' संबंधी समस्याओं को सुलझाती है। पुनः पूंजीकरण वित्तीय पुनः संरचना प्रक्रिया का निर्णायक घटक है। बैंक की निवल मालियत में होनेवाले क्षरण को रोकने के लिए या निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त करने में सहायता देने की आवश्यकता के कारण पूंजी प्रदान किये जाने हेतु अक्सर बाध्यता हो जाती है।

ऐसे कई प्रकार हैं जिनसे ऐसा पूंजी निवेश किया जा सकता है। प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि करना पुनः पूंजीकरण का अधिमानित रूप है। इसमें वर्तमान स्वामियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक को नकदी प्रदान करें। विकल्प रूप में बैंकिंग कम्पनी के मालिक गौण दीर्घावधि ऋण जारी कर सकते हैं। इससे विनियामक पूंजी बढ़ जाएगी (परन्तु शेयर पूंजी नहीं) तथा इससे बैंक को नई अर्जक आस्तियाँ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। राज्य के स्वामित्ववाले वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, पुनःपूंजीकरण हेतु सार्वजनिक धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामने सीमित अवसर ही हैं। जैसे फिनलैंड (1993-94), फिलीपीन (1986), स्वीडन (1991) में किया गया, वैसे ऐसी सहायता 'नकदी के रूप में की जा सकती है या चिली (1982-83), हंगरी (1993-94) तथा मारिशियाना में किये गये अनुसार परक्राम्य / गैर-परक्राम्य बांडों के रूप में की जा सकती है। फिर भी, पूंजी में सरकारी अंशदान से राजकोष पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, उक्त सहायता से ऐसी प्रत्याशा उत्पन्न हो जाएगी कि आगे भी सहायता मिलती रहेगी जिससे भविष्य में खराब प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि क्या बैंकों का पुनःपूंजीकरण उनकी कंपनी के रूप में निगमित करने के बाद किया जाए या उससे पहले। एक पूर्व प्रत्याशित पुनःसंरचना के अंतर्गत, संभावित हानियों के निर्धारण के आधार पर सरकार द्वारा बैंकों का पुनःपूंजीकरण किया जाता है। पुनःपूंजीकरण के अवसर पर या उसके बाद कुछ ऋणों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित किया जाता है। प्रत्याशित पुनःपूंजीकरण तेजी से किया जा सकता है तथा वह बाज़ार को एक सकारात्मक संकेत प्रदान करेगा, बशर्ते कंपनी संचालन तथा बैंकिंग परिचालनों में मौलिक सुधार हो गया हो। इससे, यदि पुनःपूंजीकरण की यथोचित रूप से निगरानी की जाए, तो अन्ततः लागत में भी कमी आयेगी। इसके विपरीत, यदि सरकार, कम्पनी संचालन तथा बैंकिंग परिचालनों में कोई परिवर्तन किये बिना ऐसी प्रणालीगत दिवालियापन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से पूंजी निवेश करती है तो प्रत्याशित पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया में बड़ा जोखिम होने की संभावना है।

दूसरी ओर पुनःसंरचना के पश्चात पुनःपूंजीकरण के मामले में, बैंकों को सार्वजनिक निधियां तभी प्राप्त हो पाएंगी जब वे कंपनियों को राहत प्रदान करेंगे। इसमें आवश्यक सुधार करने के लिए ज्यादा समय मिलता है तथा वास्तविक वित्तीय एवं परिचालनात्मक पुनःसंरचना के संबंध में बैंकों और कंपनियों के बीच जल्दी ही सहमति उत्पन्न होने के लिए दबाव बनाये रखा जाता है। पुनःसंरचनात्मक प्रणाली का समुचित डिज़ाइन राज्य तथा समग्र व्यापक आर्थिक वातावरण तथा संस्थागत ढाँचा सहित विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होता है।

भारत में, वित्तीय क्षेत्र में किये गये सुधारों के लगभग साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र के पुनःपूंजीकरण की प्रक्रिया 1993-94 में प्रारंभ की गई थी। 1992-93 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान सरकार

ने 20,446 करोड़ रुपये पूंजी अंशदान के रूप में दिये। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान बैंकों को कोई पुनःपूंजीकरण सहायता नहीं दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पुनःसंरचना पर कार्यदल (अध्यक्ष : श्री. एम.एस.वर्मा) ने यह मत व्यक्त किया है कि प्राप्तकर्ता बैंक के परिचालनात्मक तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित कड़ी शर्तों के अधीन ही पुनःपूंजीकरण किया जाना चाहिए। बाद में 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया कि निर्धारित पूंजी-पर्याप्तता मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए सरकार कमजोर बैंकों के पुनःपूंजीकरण पर विचार करेगी, बशर्ते संबंधित बैंकों द्वारा अपने मालिक तथा नियामकों अर्थात् सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य एक लाभदायक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, वर्ष 2001-2002 के दौरान एक राष्ट्रीयकृत बैंक को 1300 करोड़ रुपये दिये गये जिसके साथ पुनःपूंजीकरण से संबंधित कुल राशियाँ 21,746 करोड़ रुपये हो गई हैं।

संदर्भ

1. एलेक्जेन्डर, डब्ल्यू, जे. डेविस, एल. एब्रिल तथा सी.जे.लिंडग्रेन (1997), *सिस्टेमिक बैंक रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड मैक्रोइकोनामिक पॉलिसी,* आईएमएफ : वाशिंग्टन
2. इॅनोक, सी.जी. गार्शिया तथा वी. सुन्दरराजन (2001), *री-कैपिटलैसिंग बैंक्स विथ पब्लिक फण्डस, आइएमएफ स्टाफ पेपर्स,* खंड - 48 ।
3. भारत सरकार, 2002-2003, केन्द्रीय बजट भाषण।
4. रंगराजन सी. (1998), *इंडियन इकोनामी : एस्सेज इन मनी एण्ड फाइनेन्स,* यूबीएस पब्लिशर्स।

ई - बैंकिंग, ई - पेमेंट तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज

भुगतान और निपटान के नये-नये माध्यमों के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने के साथ ही अनेक बैंकों ने ई-बैंकिंग तथा ई-पेमेंट (भुगतान) जैसे नवोन्मेषी उत्पाद प्रस्तुत किए हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि ई-बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से बैंकिंग कारोबार करने की पद्धति है। जहाँ ई-बैंकिंग के अभ्युदय से मूलभूत बैंकिंग कार्यकलापों में सामान्यतः कोई भारी रद्दो-बदल नहीं हुआ है, वहीं बैंकों के सेवा-आधारित कार्यकलापों के क्षेत्र में संभवतः ई-बैंकिंग से अत्यधिक लाभ पहुंचा है। इंटरनेट बैंकिंग भारत में ई-बैंकिंग का महत्वपूर्ण रूप रहा है जिसमें इंटरनेट स्वयं ही बैंकों के ग्राहक तक पहुंचने का एक नया सुपुर्दगी माध्यम सिद्ध हुआ है।

जिस सुविधा का आरंभ पूछताछ सुविधाओं जैसे सामान्य कार्यकलाप से हुआ था, वहीं आज इंटरनेट के माध्यम से बैंकों को भेजे गए संदेशों से निधि अंतरण और यहाँ तक कि खाता खोलने जैसे कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। तथापि इंटरनेट बैंकिंग के लिए यह जरूरी है कि बैंकों के पास एक सुरक्षायुक्त वेब सर्वर तथा अपने ग्राहकों का एक केंद्रीकृत डाटा बेस हो, ताकि ग्राहक से बैंक तथा बैंक से ग्राहक तक सूचना का आदान-प्रदान हो सके। अनेक बैंकों के पास जहाँ पहले ही ऐसी अपेक्षापूर्ति के लिए आवश्यक तंत्र उपलब्ध हैं, वहीं अन्य बैंकों में कार्यान्वयन का कार्य विभिन्न चरणों में जारी है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया ही ई-पेमेंट (भुगतान) है। ई-पेमेंट के अनेक रूप मौजूद हैं - यथा- ई-चेक, कार्ड-आधारित भुगतान (जमा, नामे तथा स्मार्ट कार्ड) इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण आदि। देश में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग विभिन्न बैंकों में प्रौद्योगिकी का स्तर तथा बैंकों के ग्राहकों द्वारा उनकी सहज-स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में एक अन्य सुविधादायक घटक है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटर चेंज (ई डी आइ)। ईडीआइ अर्थव्यवस्था के विभिन्न समुदायों के मध्य सूचना / आंकड़ों का अंतरण सुगम बनता है। ईडीआइ उत्पादक कंपनियों द्वारा 'जस्ट - इन - टाइम' प्रोसेसिंग जैसे कार्यों का आधार है तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (वाणिज्य) तथा इलेक्ट्रानिक ट्रेड (व्यापार) में भी इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। देश के निर्यातक / आयातक समुदाय को ईडीआइ से होने वाले लाभों को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ के माध्यम से देश के निर्यात / आयात क्षेत्र में ईडीआइ सुविधा को लागू किए जाने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र में ईडीआइ कार्यान्वित करने का कार्य प्रारंभ किया है। इस परियोजना में संदेश फार्मेट को अंतिम रूप देना, कनेक्टीविटी (संयोजनीयता) उपलब्ध कराना तथा पत्र-विहीन परिवेश की ओर बढ़ने की परिकल्पना की गई है। जहाँ संदेश फार्मेटों को अंतिम रूप दे दिया गया है, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के लिए जिन महत्वपूर्ण लाभों की घोषणा की है, वह है निर्यात संव्यवहारों के लिए जीआर फार्मों की समाप्ति तथा सीमा शुल्क के लिए एक साझा सांविधिक घोषणा पत्र की ओर बढ़ना जहाँ से बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व के लिए संगत आंकड़े प्राप्त कर लिए जाएंगे। ईडीआइ को लागू करने में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की, जिसे आरंभ में देश के 114 निर्यात-बहुल केंद्रों पर लागू किये जाने का लक्ष्य है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर निरंतर समीक्षा की जा रही है।

स्रोत : भा.रि.बैं. वार्षिक रिपोर्ट 2001-02

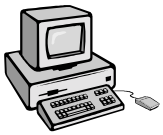

कंप्यूटर परिभाषा कोश *

Debugging - **दोषमार्जन, डीबगिंग :** दोषमार्जन की प्रक्रिया, प्रोग्राम में तार्किक या अन्य रचनात्मक त्रुटि ढूंढने तथा ठीक करने की प्रक्रिया।

Decision Box - **निर्णय बाक्स :** एक विशेष चतुर्भुजाकार प्रवाह चार्ट (flow chart) संकेतक, जो किसी क्रिया के निर्णय के आधार पर की जाने वाली क्रिया के बारे में दर्शाता है।

Decision Support System - **निर्णय सहायक प्रणाली :** संबंधित डाटा तथा प्रोगामों का समूह, जो डाटा का उचित विश्लेषण कर उचित निर्णय लेने में प्रयोक्ता की सहायता करता है।

Decision Tree - **निर्णय तरू, डिसीजन ट्री :** एक विश्लेषण युक्ति (उपकरण), जिसमें विभिन्न संभावनाओं को पेड़ की शाखा के रूप में दिखाते हैं, जिसमें अन्य शाखाएं भी हो सकती हैं।

Decoder - **कूटानुवादक :** कोई युक्तियां प्रोग्राम / नेमका, जो कूटलिखित डाटा को उसके मूल रूप में लाता / या बदलता है।

Decryption - **विगूढ़न :** गूढ़लिखित डाटा को उसके मूल रूप में लाने की प्रक्रिया।

Default - **डिफॉल्ट:** किसी हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर की वह मानक सेटिंग, जो प्रयोक्ता द्वारा निर्देशित विशेष विकल्प की अनुपस्थिति में लागू होती है।

Defragmentation - **पुनर्संयोजन, डीफ्रैग्मेंटेशन :** डिस्क पर फाइलों के पुनर्गठन तथा पुनर्लेखन की प्रक्रिया, जिसमें उसे संस्पर्शी (आस-पास स्थित) सेक्टरों में लिखा जाता है, परिचालन प्रणाली डिस्क पर किसी फाइल को उस समय उपलब्ध खाली सेक्टरों में लिखती है तथा कुछ समय बाद उसी फाइल को अद्यतन करने पर, उस समय डिस्क के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध खाली सेक्टरों में लिखा जाता है। ऐसी बड़ी फाइलों को पढ़ते वक्त काफ़ी समय लगता है,क्योंकि फाइल के खंड डिस्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। अतः डिस्क पर पुनर्संयोजन कर उन्हें संस्पर्शी सेक्टरों में लिखा जाता है, ताकि फाइल को पढ़ने में समय की बचत हो तथा प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़े।

Delete - **डिलीट, मिटाना :** किसी फाइल या डाटा को पूर्ण रूप से या अंशतः हटाना। स्क्रीन पर दिखायी देने वाले डाटा को मार्क करके या बिना मार्क किये भी डिलीट कुंजी अथवा बैकस्पेस कुंजी से या प्रोग्राम के डिलीट कमांड से मिटाया जा सकता है।

Delimiter - **सीमांकनकर्ता :** वह विशेष कैरेक्टर, जो किसी प्रोग्राम के विशेष आइटमों, डाटा के सेट को अलग-अलग करता है। कभी एक कतार में उपलब्ध काफ़ी रिकॉर्डों को अलग-अलग रखने हेतु सीमांकनकर्ता का उपयोग किया जाता है। सीमांकनकर्ता कॉमा / स्पेस या टैब / लाइन फीड / अन्य कोई कैरेक्टर हो सकता है।

DES (Data Encryption Standard) - **डाटा गूढ़लेखन मानक :** यह अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा विकसित डाटा को गूढ़लेखन तथा विगूढ़न का मानक तरीका है। *डी ई एस 56 - बिट की* का इस्तेमाल करता है, जिसे खंड संकेताक्षर (block cipher) भी कहते हैं तथा इसमें डाटा गूढ़लेखन हेतु उक्त *की* की सहायता से डाटा का क्रम परिवर्तन, प्रतिस्थापन और इनका मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। यह मानक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की वर्षों की मेहनत का फल है तथा इसको तोड़ना लगभग असंभव है। इसमें डाटा पूर्ण रूप से क्रमरहित (बेतरतीब, रैण्डमाइज) हो जाता है तथा मूल पाठ के मालूम होने पर भी गूढ़लेखन की कलनविधि का पता लगाना मुश्किल होता है। संवेदी कंप्यूटर सूचनाओं के बचाव हेतु बैंक,मुद्रा अंतरण प्रणालियां, प्रतिरक्षा विभाग आदि इसका उपयोग करते हैं।

Desktop Publishing - **डेस्क टॉप प्रकाशन :** कंप्यूटर तथा विशेष सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल कर पाठ तथा ग्राफिक्स चित्र आदि को मिलाकर प्रलेख बनाना, जिसे लेज़र प्रिंटर पर प्रिंट किया जा सके तथा टाइप सेटिंग मशीन पर सीधे डाउनलोड भी किया जा सके। यह क्रिया विभिन्न चरणों में सम्पन्न होती है। पहले शब्द संसाधक की सहायता से पाठ बनाया जाता है। तत्पश्चात् यदि फोटो लगाने हैं, तो उन्हें स्कैन करके फाइल प्राप्त की जाती है या ड्राइंग या पेंटिंग कुछ बनानी हो, तो उचित प्रोग्रामों का उपयोग कर उसे फाइल

---

* कंप्यूटर परिभाषा कोश **(संपादक डॉ. राजेश्वर गंगवार)**, भा.रि.बैं., कें.का., बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है। यहां पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है।

के रूप में प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात् पृष्ठ निर्माण प्रोग्रामों का उपयोग कर पाठ तथा चित्र फाइलों को उचित स्थान पर रखकर प्रलेख को अंतिम रूप दिया जाता है। आजकल समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि सभी इसकी सहायता से छपे जाने लगे हैं। इस कार्य हेतु गतिवाले कंप्यूटर, बड़ी क्षमता की हार्ड डिस्क, स्कैनर, लेज़र प्रिंटर तथा पेजमेकर और उपयुक्त सॉफ्टवेयर जरूरी हैं।

Destination - **गंतव्य :** वह डिस्क, फाइल या प्रलेख, जिस पर सूचना को भेजा या कॉपी किया जाना हो।

Diagnostic Program - **निदानकारी प्रोग्राम, डायगनोस्टिक प्रोग्राम :** वह कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों के सही होने की जांच करता है तथा खराबी पाये जाने पर उचित संदेश देता है।

Dialog Box - **संवाद बॉक्स, डायलॉग बाक्स :** चित्रमय यूज़र इंटरफेस (GUI) में परिचालन प्रणाली या अनुप्रयोग प्रोग्राम द्वारा पटल पर दिखायी जानेवाली छोटी विशेष विंडो, जिसमें प्रयोक्ता द्वारा कुछ प्रविष्ट करना होता है।

Digital Signature - **डिजिटल सिग्नेचर / हस्ताक्षर :** गूढ़लेखन तथा गुप्त अनुमोदन पर आधारित प्रमाणीकरण का एक निजी विधि, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों को हस्ताक्षरित करने में होता है।

Directory - **निर्देशिका, डाइरेक्ट्री :** पदानुक्रम फाइल प्रणाली (जैसे डॉस) में फाइलों तथा अन्य निर्देशिकाओं को सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने तथा समूहबद्ध करने का तरीका। सबसे पहली निर्देशिका मूल (रूट) कहलाती है तथा अन्य सभी निर्देशिकाएं इससे निकली शाखाओं की तरह होती हैं। निर्देशिकाओं के भीतर उप निर्देशिकाएं भी बनायी जा सकती हैं, जिनमें फाइलें तथा उपनिर्देशकाएं रह सकती हैं। किसी निर्देशिका में उपलब्ध फाइलों के नाम जानने / उन्हें कम रखने का तरीका परिचालन प्रणाली पर निर्भर करता है।

Direct Processing - **सीधा संसाधन :** जैसा डाटा प्राप्त हो, उसका वैसे ही तुरंत संसाधन करना। यह विलंबित संसाधन (deferred processing) से अलग है, जहां डाटा को एक खंड में इकट्ठा करने के बाद संसाधित किया जाता है।

Disable - **अशक्त कर देना, डिसेबल :** किसी घटना को होने से रोकना, यह प्रणाली नियंत्रण का एक तरीका भी है, जहां उस प्रणाली की कुछ क्रियाओं पर जरूरत के अनुसार / परिस्थितिवश रोक लगा दी जाती है। चित्रमय यूज़र इंटरफेस (GUI) में अशक्त किये गये विकल्प ग्रे रंग में दिखाये जाते हैं तथा उन्हें चुना नहीं जा सकता।

DISK COPY - **डिस्क कॉपी :** किसी फ्लॉपी की विषयवस्तु की समरूप फ्लॉपी पर पूर्ण रूप से ज्यों की त्यों कॉपी करना। इसका मुख्य उपयोग किसी नये उत्पाद की बांटने हेतु कॉपी बनाने में किया जाता है।

Disk Optimiser - **डिस्क ऑप्टिमाइज़र, डिस्क इष्टतमकारक :** यह एक उपयोगिता प्रोग्राम है, जो डिस्क के समुचित उपयोग के लिए फाइलों और डाइरेक्टरियों को पुनः व्यवस्थित करता है। हार्ड डिस्क में फाइलों पर कार्य करते समय अनेक बार फाइलें खंडित होकर अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। डिस्क परिचालन प्रणाली (DOS) और मैकिंटॉश परिचालन प्रणाली (MOS) में इस तरह की व्यवस्था डिस्क के बेहतर उपयोग के लिए की गयी है। इसमें समस्या यह होती है कि हार्ड डिस्क शीर्ष को फाइलों के अलग-अलग हिस्सों को खोजने के लिए हार्ड डिस्क के विभिन्न हिस्सों तक जाना पड़ता है। इससे संपूर्ण फाइल को पढ़ने में अधिक समय लगता है। फाइलों के विभिन्न खंडों को कम कर या समाप्त कर हार्ड डिस्क के वास्तविक कार्य-निष्पादन स्तर को पुनः बरकरार रखा जा सकता है। साथ ही संपूर्ण फाइल को मिटाने के पश्चात् पुनः वापस लाने में विखंडित फाइलों की तुलना में काफ़ी आसानी होती है। कई डिस्क इष्टतमकारक ऐसे भी होते हैं, जो फाइलों को सतत फाइलों के रूप में न केवल पुनः लिखते हैं, बल्कि हार्ड डिस्क में अपेक्षित स्थान पर इन फाइलों को रखने में सहायता भी करते हैं। डिस्क परिचालन प्रणाली (DOS) के ऑप्टिमाइज़र डिस्क साइमांटे द्वारा तैयार नॉरटॉन युटिलिटिज, सेंट्रल प्वाइंट सॉफ्टवेयर के पी. सी. टूल्स तथा अन्य उपलब्ध हैं। मैकिंटॉश के डिस्क ऑप्टिमाइज़र मैकिंटॉश के लिए नॉरटॉन युटिलिटीज, सेंट्रल प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मैक टूल्स के भाग के रूप में उपलब्ध होते हैं। अलसॉफ्ट के डिस्क एक्सप्रेस में या साइमँटेक के ' सम ' के रूप में भी उपलब्ध होते हैं।

Dispatcher - **डिस्पैचर :** कुछ बहुकार्यकलापी परिचालन प्रणालियों में कुछ नेमिकाओं (रूटीनों) के समूह, जो सी पी यू के समय का विभिन्न अनुप्रयोगों में आबंटन करते हैं।

Disaster Recovery System - **संकट निवारण प्रणाली :** कंप्यूटर क्षेत्र में रोज नयी-नयी तकनीकें आ रही हैं तथा ये नयी समस्याओं को भी जन्म दे रही हैं, क्योंकि उनकी पूर्ण जानकारी न होने से हो सकनेवाले अनिष्ट से बचाव में समय लगता है। कंप्यूटर

पर प्रयोक्ता की गंभीर गलती या कभी-कभी प्रणाली के गलत ढंग से काम करने की वजह से संकट की स्थिति पैदा होती है। अतः हर पहलू पर सावधानीपूर्वक सोच-विचार कर संकट निवारण प्रणालियां बनायी जाती हैं, जो हर तरह की संभावित समस्याओं का एकीकृत हल होती हैं। ऐसे एकीकृत हल में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

1. परिचालन प्रणाली सहित सभी फाइलों का बैकअप।
2. समय-समय पर कार्यकलाप लॉग फाइल को डिस्क / फ्लॉपी पर सेव करते रहना।
3. डिस्क मिररिंग (नवीकरण) / ड्यूप्लेक्सिंग (प्रतिलिपीकरण)।
4. उचित अंतराल के बाद अति महत्वपूर्ण डाटा का प्रिंट आउट लेना या अलग डिस्क / फ्लॉपी करना।

Dithering - **थरथराहट, डिथरिंग :** कंप्यूटर ग्राफिक्स में चित्र में थोड़ा-सा परिवर्तन कर भ्रम की स्थिति पैदा करना। इसमें चित्र के कुछ बिंदुओं के रंगों में थोड़ा परिवर्तन कर ऐसा किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर चित्रों में सजीवता लाने हेतु किया जाता है।

Document - **प्रलेख :** एक स्वतः पूर्ण कार्य, जिसको कंप्यूटर पर किसी अनुप्रयोग प्रोग्राम द्वारा जनित किया गया हो तथा डिस्क पर उसे सेव कर अद्वितीय नाम दिया गया हो।

Documentation - **प्रलेखन :** किसी हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर के साथ दिया जानेवाला अनुदेश संबंधी प्रलेख। इसमें उस सॉफ्टवेयर के संबंध में उपयोगी जानकारी, जैसे आवश्यक हार्डवेयर, सेटअप संबंधी अनुदेश, उसके उपयोग, अनुरक्षण तथा उपयोग में लाने पर हो सकनेवाली संभावित परेशानियों से बचाव की विधि आदि होती है। हार्डवेयर के मामले में यह उसके उपयोग के संबंध में तथा अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराता है। कभी-कभी यह सिस्टम के साथ *ऑन लाइन* भी उपलब्ध रहता है।

Document Image Processing - **प्रलेख छवि संसाधन :** किसी संस्थान में सूचना को बिटमैप फाइल के रूप में भंडारित करने तथा जरूरत पर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसमें प्रलेखों को स्कैन करके बिटमैप फाइल बनायी जाती है तथा इस तरह चित्रों, आरेखों वाले प्रलेखों को हस्ताक्षरों सहित रखा जाता है। इस तरह कार्य के लिए कंप्यूटर की मेमोरी ज्यादा तथा गति तेज़ होनी चाहिए।

Document Window - **प्रलेख विंडो :** चित्रमय (ग्राफिक) यूजर इंटरफेस (जैसे विंडोज) में पटल पर उपलब्ध एक विंडो, जिसमें प्रयोक्ता कोई प्रलेख बना सकता है, देख सकता है। उस पर कार्य कर सकता है।

DO LOOP - **डू लूप :** प्रोग्रामों में उपयोग में आनेवाला एक नियंत्रक कथन, जो कुछ कथनों के समूह को, दी गयी शर्त के पूरा होने तक बार-बार निष्पादित करता है। कुछ भाषाओं में इसका आरंभ *DO* से तथा अंत *ENDDO* से होता है। इस तरह के लूप कई भाषाओं में पाये जाते हैं।

DOS (Disk Operating System) - **डॉस :** कंप्यूटर को प्रारंभ करते वक्त या पुनः बूट करने पर हार्ड डिस्क या फ्लॉपी से लोड होनेवाली परिचालन प्रणाली, जो कंप्यूटर पर चलनेवाले अनुप्रयोगों को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देती है। आइ बी एम सुसंगत पी सी पर एम एस डॉस, पी सी डॉस, विंडोज आदि मुख्य परिचालन प्रणालियां हैं।

Double Buffering - **डबल बफरिंग :** एक की बजाय दो अस्थायी भंडारण स्थलों का आउटपुट तथा इन्पुट युक्तियों के बीच आनेवाले डाटा को अल्पकाल के लिए रखने में उपयोग को डबल बफरिंग कहते हैं। इससे डाटा चालन गति बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक स्थल से डाटा हटाया जा रहा हो, तो उसी वक्त में दूसरे स्थल पर कोई अन्य डाटा रखा जा सकता है तथा इस तरह से डाटा के भंडारण में लगा समय बहुत कम हो जाता है।

Double Click - **डबल क्लिक :** माउस को हिलाये बिना जल्दी-जल्दी दो बार दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है। किसी प्रोग्राम को चुनने और शीघ्र क्रियाशील करने के लिए डबल क्लिक किया जाता है।

Drag - **खिसकाना, ड्रैग :** चित्रमय (ग्राफिक) यूजर इंटरफेस में चुनी गयी विषयवस्तु को माउस की सहायता से खिसकाना। यह कोई छवि, विंडो या इसी तरह की अन्य कोई वस्तु हो सकती है। ऐसा करने के लिए माउस कर्सर को, जिस विषयवस्तु को खिसकाना है, उस पर लाकर क्लिक करके चुनते हैं। तत्पश्चात् माउस के बटन को दबाये रखते हुए माउस को चलाते हैं। ऐसा करने से चुनी गयी विषयवस्तु भी पटल (स्क्रीन) पर चलती है और जहां उस विषयवस्तु को रखना हो, वहां उसे माउस की सहायता से लाकर माउस का बटन छोड़ देते हैं।

Drag and Drop - **खिसकाकर कार्य निष्पादन, ड्रैग एंड ड्रॉप :** चित्रमय (ग्राफिक) यूजर इंटरफेस में चुनी हुई विषयवस्तु को किसी अन्य विषयवस्तु पर लाकर किसी प्रक्रिया को प्रारंभ करना। जैसे किसी प्रलेख के आइकॉन को लाकर शब्द संसाधक में उक्त प्रलेख को खोला जा सकता है। यदि उसे प्रिंटर आइकॉन पर लाकर छोड़ा जाये, तो वह प्रलेख प्रिंटर पर प्रिंट किया जा सकता है।

Drawing Program - **चित्रकारी प्रोग्राम :** चित्रकारी टूल का उपयोग कर बनाये गये चित्रों में परिवर्तन कर सकनेवाले प्रोग्राम, ये चित्र के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग इकाई मानते हुए उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बिटमैप पर आधारित चित्रों में परिवर्तन के काम में नहीं आते।

Drop Down Menu - **ड्राप डाउन मेनू :** वह मेनू (विकल्प सूची), जो उचित चुनाव करने पर मेनू बार से नीचे की ओर निकलती है और यह विकल्प सूची उसमें से किसी विकल्प का चुनाव या उसे बंद करने के अनुदेश देने तक पटल पर रहती है।

Dry Run - **ड्राई रन :** कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जिनके निष्पादन के नाटकीय परिणाम हो सकते हों। अतः उनकी कुछ सुविधाओं को कम करके निष्पादित करने को ड्राई रन कहते हैं। ऐसा यह देखने के लिए किया जाता है कि जितनी सुविधाओं के साथ निष्पादित किया गया है, उनका प्रभाव क्या है।

Dual Processor - **दोहरा संसाधक, ड्यूअल प्रोसेसर :** किसी कंप्यूटर पर कार्य की गति बढ़ाने हेतु दो संसाधकों का उपयोग, जिसमें एक मेमोरी तथा बस का तथा दूसरा आगत / निर्गत (input/ output) का नियंत्रण करता है। कुछ पी सी गणितीय कलन के लिए भी दूसरे संसाधक का उपयोग करते हैं।

Dynamic Link Library - **डी एल एल, गत्यात्मक संपर्क लाइब्रेरी :** इनमें कुछ डाटा निष्पादन योग्य रहते हैं, जिनका प्रयोग अनुप्रयोग प्रोग्राम बार-बार करता है। यह विंडोज परिवार की परिचालन प्रणालियों में उपलब्ध गुण है तथा जिन निष्पादन योग्य कूटों का बार-बार इस्तेमाल होता है, उनको रखता है। इसकी फाइलों में विस्तृत *DLL* होती है। ऐसा करने के निम्नलिखित लाभ हैं -:

1. जब तक इन्हें लोड न किया जाये, ये स्मृति (मेमोरी) में नहीं जातीं, अर्थात् मेमोरी अन्य कार्यों हेतु बची रहती है।
2. चूंकि यह एक अलग फाइल है, अतः इसमें अधिक सुविधा हेतु परिवर्तन, अद्यतन करने हेतु मुख्य प्रोग्राम, जो इसे कॉल करता है, छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल इसी *डी एल एल* फाइल में उचित परिवर्तन किया जा सकता है।
3. एक बार बनायी गयी *डी एल एल* फाइल को विभिन्न प्रोग्रामों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है।
4. इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर की कार्यक्षमता, संसाधन गति भी बढ़ती है। कभी-कभी दो अलग-अलग अनुप्रयोग यदि एक ही *डी एल एल* फाइल का उपयोग करते हों, तो उन दोनों अनुप्रयोगों हेतु *डी एल एल* फाइल की केवल एक ही कॉपी स्मृति में रखने से काम सुचारू रूप से चल सकता है।

Edit -**संपादन :** 1.किसी भी डाटा में संशोधन करने, परिवर्तन करने अथवा उसे अद्यतन बनाने की क्रिया। संपादित सामग्री पाठ, ग्राफिक्स, किसी क्रमादेश का स्रोत कूट (कोड) अथवा किसी अन्य प्रकार की सूचना आदि हो सकती है। 2. उक्त कार्य के लिए इस क्रमादेश (प्रोग्राम) का प्रयोग किया जाता है।

Editor - **संपादक :** संशोधन, परिवर्तन अथवा फाइल को अद्यतन बनाने के लिए तैयार किया गया विशेष क्रमादेश (प्रोग्राम)। संपादक दो प्रकार के होते हैं : (i) लाइन एडिटर और (ii) फुल स्क्रीन एडिटर से एक बार में एक वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि फुल स्क्रीन एडिटर में स्क्रीन पर मौजूद समस्त पाठ में अनेक स्थानों पर परिवर्तन किया जा सकता है।

Educational Software -**शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर :** कई प्रकार के सॉफ्टवेयर क्रमादेशों (प्रोग्रामों) का एक प्रकार, जिसे प्रशिक्षित करने, पढ़ाने अथवा अनुदेश देने के लिए तैयार किया जाता है। प्रायः लोगों का यह अनुमान होता है कि ये केवल बच्चों के लिए ही होते हैं, किंतु इन्हें वयस्कों के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ - टाइपिंग प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक तथा विदेशी भाषा सॉफ्टवेयर आदि।

Eject -**निष्कास, इजेक्ट :** किसी डिस्क ड्राइव से डिस्क बाहर निकालने के प्रयोग में लायी जानेवाली प्रक्रिया अथवा आदेश। 2. कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रिंटर के कागज़ को अगले पृष्ठ तक बढ़ाने का आदेश।

Electronic Cash -**इलेक्ट्रॉनिक धन :** इंटरनेट के माध्यम से मुद्रा-विनिमय किया जाता है। इस तरह प्राप्त या दिये गये धन को इलेक्ट्रॉनिक नकदी या धन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं।

End User - **वास्तविक प्रयोक्ता, एंड यूज़र :** वह प्रयोक्ता, जो किसी भी क्रमादेश (प्रोग्राम) / सॉफ्टवेयर का वास्तविक प्रयोक्ता होता है।

(अगले अंक में जारी)

महत्वपूर्ण परिपत्र

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

बैंकों में रिकार्ड रखने की नीति-परिशोधित दिशा-निर्देश

कृपया आप दिनांक 2 फरवरी, 1998 का हमारा परिपत्र डीबीएस. सीओ. आईटीसी. बीसी. 9/31.09.001/97-98 देखें जिसके साथ एक बुकलेट संलग्न की गई थी जिसमें रिकॉर्ड रखने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे।

2. बैंकिंग को नेट पर प्रारंभ करने तथा हाल ही की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को मद्देनज़र रखते हुए अब इन दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया है।

3. बैंकों में रिकॉर्ड रखने से संबंधित ऐसे प्रमुख मुद्दे, जहां परिशोधनों का सुझाव दिया गया है, वे निम्नानुसार हैं :

(क) रिकॉर्ड रखने के लिए नीति बनाते समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों तथा पिछले कुछ समय में भारिबैं द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग सूचना प्रणाली सुरक्षा, सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा आदि पर जारी नीति संबंधी दिशा-निर्देश में से जो भी संगत हों, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) सूचना प्रणाली की लेखा-परीक्षा (आईएसऑडिट) में रिकॉर्ड रखने के पहलू को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि किसी बैंक के आंकड़े, भारत में, बैंक से इतर किसी बाहरी एजेंसी द्वारा प्रबंधित सुविधा में एकत्रित किए गए हैं तो बैंक को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि आंकड़ों को पूरा किया जाता है।

सूचना प्रणाली की लेखा-परीक्षा के तहत इस सुविधा की नियमित रूप से संवीक्षा होनी चाहिए और भारिबैं के निरीक्षण के दौरान जब और जहां आवश्यकता हो, जांच के लिए उसे उपलब्ध कराया जाए।

(ग) **अपतटीय** स्थानों में रिकॉर्ड रखने के लिए, बैंकों द्वारा भारिबैं से पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता बनी रहेगी।

(घ) बैंकों को सूचित किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली प्रबंधन में होने वाली सतत् गतिविधियों के साथ, रिकॉर्ड रखने के लिए बनी नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए अपेक्षित लचीलापन लाएं।

4. परिशोधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निम्नानुसार अपेक्षित होगा:

(i) परिशोधित दिशा-निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक की वर्तमान नीति की समीक्षा तथा परिशोधित नीति को अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष रखना।

(ii) **भारिबैं द्वारा नीति का अनुमोदन :** यदि किसी बैंक ने रिकॉर्ड रखने की वर्तमान नीति के संबंध में भारिबैं से अनुमोदन प्राप्त किया हुआ है तो परिशोधित नीति को अनुमोदन हेतु भारिबैं के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंक के बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् परिशोधित नीति को अपनाने के संबंध में भारिबैं को सूचित किया जाए। यदि किसी बैंक ने रिकॉर्ड रखने की वर्तमान नीति के संबंध में अभी तक भारिबैं से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया हो तो बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात परिशोधित नीति को भारिबैं के पास एक-बार अनुमोदिन के लिए भेजा जाए।

(संदर्भ.पर्य.सं. डीबीएस.सीओ.ऑसमॉस / बीसी / 14/ 34.02.831/2001/2002 दिनांक 27 जून, 2002)

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

लॉटरी आदि योजनाओं में सहभाग हेतु विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पुरस्कार की मुद्रा / पुरस्कार आदि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए मुद्रा परिचालन योजना अथवा विप्रेषण जैसे विभिन्न नामों के अधीन चलायी जानेवाली लॉटरी योजनाओं अथवा लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभाग की ओर किसी भी रूप

में विप्रेषण पर प्रतिबंध से संबंधित 7 दिसम्बर 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 22 और दिनांक 27 जुलाई 2001 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे भुगतानों पर प्रतिबंध में किसी निवासी द्वारा उपयोग करनेवाले न केवल नकद / ड्राफ्ट / क्रेडिट / डेबिट कार्ड निवासियों की ओर से अनिवासियों द्वारा किये गये भुगतान शामिल हैं बल्कि निवासियों की ओर से अनिवासियों द्वारा किये गये भुगतान भी शामिल हैं। अतः भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से किये गये भुगतान / विप्रेषण के लिए वे स्वयं विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के उल्लंघन के लिए अपने विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. अतः जन सदस्यों को सूचित करने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारियों को पुनःश्च सूचित किया गया है कि वे उक्त उल्लिखित ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्रों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का व्यापक प्रचार करें।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अधीन जारी किये गये हैं।

(संदर्भ : एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 49 दिनांक 4 जून 2002)

भारत के बाहर के संयुक्त उद्यमों (जेवी) / पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियों (डब्ल्यूओएस) में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19 / आरबी-2000 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया गया है।

2. 14 सितंबर 2000 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 13 द्वारा यथा संशोधित 22 जून 2000 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 3 के अनुसार **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश** के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किए गए निवेशों के मामले में, प्राधिकृत व्यापारियों को निर्धारित दस्तावेजों सहित फार्म ओडीए और फार्म ओडीआर में प्रेषण पर रिपोर्ट को रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करना अपेक्षित है। सिर्फ रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन किए गए प्रेषणों को फार्म ओडीआर में भेजना अपेक्षित है।

3. विदेश में संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की क्रियाविधि को और समुचित बनाने के दृष्टिकोण से, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारतीय पार्टियों द्वारा किए गए निवेशों के लिए निर्धारित दस्तावेजों सहित फार्म ओडीए, रिज़र्व बैंक को भेजना बंद करने का निर्णय किया गया है।

4. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली प्रेषण रिपोर्ट भी संशोधित कर दी गई है। जारी किए गए सभी प्रेषणों / जारी गारंटियों / निर्यातों के पूंजीकरण, आदि चाहे वे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अथवा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अंतर्गत हो या नहीं उसकी रिपोर्ट संशोधित फार्म ओडीआर में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, अमर भवन, तीसरी मंजिल, मुंबई - 400 001 को दी जानी चाहिए। भारतीय पार्टियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए गए फार्म ओडीए की प्राप्ति तथा उसकी संवीक्षा से संबंधित क्रियाविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तदनुसार उक्त ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 3 उस हद तक संशोधित है।

5. विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से अधिसूचित किए जा रहे हैं।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं।

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

मनोरंजन उद्योग-फिल्म उद्योग को बैंक वित्त

कृपया दिनांक 14 मई 2001 का हमारा परिपत्र औनिऋवि. सं. 17/08.12.01/2000-2001 देखें।

2. हमने फिल्म उद्योग को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की है तथा इस शर्त को हटा देने का निर्णय किया है कि जिन फिल्मों के निर्माण की कुल लागत दस करोड़ रुपये से अधिक हो, उन परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त उपलब्ध न कराएँ। तथापि, हमारे उन **वर्तमान दिशानिर्देशों** में कोई परिवर्तन नहीं होगा जिनमें यह बताया गया है कि बैंक किसी परियोजना की लागत के कितने **आनुपातिक भाग** के लिए वित्त उपलब्ध कराएँगे। बैंकों के निदेशक-मंडल फिल्म उद्योग को दिए जाने वाले ऋण की समग्र सीमा निश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि दिए जाने वाले ऋण पर्याप्त फिल्मों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जोखिम वितरित रहे। बैंक ऊपर पैरा 1 में बताए गए परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी दिशानिर्देशों का विधिवत् पालन करें।

(संदर्भ : औनिऋवि.सं. 25/08.12.01/2001-02 दिनांक 08 जून 2002)

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

वर्ष 2002-03 के लिए प्र.मं.रो.या. के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति - अतिरिक्त / संशोधित लक्ष्य का आबंटन

हम सूचित करते हैं कि भारत सरकार ने अनुबंध 'क' के अनुसार राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 2001-02 के उनके कार्यनिष्पादन तथा मार्च 2002 को समाप्त अवधि को उनकी वसूली स्थिति के आधार पर अतिरिक्त / संशोधित लक्ष्य आबंटित करने का निर्णय लिया है। अन्य सभी शर्तें दिनांक 9 अप्रैल 2002 के हमारे पूर्ववर्ती परिपत्र ग्राआऋवि.सं.बीसी. 76/09.04.01/2001-02 में सूचित किए अनुसार ही रहेंगी।

2. कृपया अपने क्षेत्रीय / नियन्त्रक कार्यालयों / शाखाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने और 31.3.2003 तक आबंटित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करें।

अनुबंध "क"

वर्ष 2002-2003 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत मूल और अतिरिक्त लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	मूल लक्ष्य	अतिरिक्त लक्ष्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	17900	17900	35800
2.	असम	6900	2700	9600
3.	अरुणाचल प्रदेश	150	50	200
4.	बिहार	18100	-	18100
5..	दिल्ली	4600	--	4600
6.	गोवा	500	--	500
7.	गुजरात	7950	4000	11950
8.	हरियाणा	4600	4600	9200
9.	हिमाचल प्रदेश	2700	1350	4050
10.	जम्मू और कश्मीर	1400	1050	2450
11.	कर्नाटक	10500	7900	18400
12.	केरल	15250	--	15250
13.	मध्यप्रदेश	14300	14300	28600
14.	महाराष्ट्र	22150	5500	27650
15.	मणिपुर	1300	--	1300
16.	मेघालय	300	--	300
17.	मिज़ोरम	250	--	250
18.	नागालैण्ड	250	--	250
19.	उड़ीसा	6850	6000	12850
20.	पंजाब	4000	5000	9000
21.	राजस्थान	8300	8300	16600
22.	तमिलनाडु	17400	2600	20000
23.	त्रिपुरा	700	800	1500
24.	उत्तरप्रदेश	25450	25450	50900
25.	पश्चिम बंगाल	21100	--	21100
26.	अंदमान और निकोबार	75	75	150
27.	चंडीगढ़ +डी12	300	-200	100
28.	दमन और दीव	50	--	50
29.	दादरा और नगर हवेली	50	--	50

30.	लक्षद्वीप	50	--	50
31.	पाँडिचेरी	450	100	550
32.	सिक्किम	50	--	50
33.	उत्तरांचल	925	925	1850
34.	झारखंड	2900	1450	4350
35.	छत्तीसगढ़	2250	2250	4500
	कुल	**2,20,000**	**1,12,100**	**3,32,100**

(संदर्भ : ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 102/09.04.01/2001-02 दिनांक 12 जून 2002)

शहरी बैंक विभाग

हाज़िर वायदा संविदाएं

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 क के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पहली मार्च 2002 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 185(इ) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे अनुषंगी सामान्य बही खातों के जरिये निष्पादित सभी सरकारी प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाओं को अनुमति दी गई थी। संबंधित शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 28 मार्च 2002 के परिपत्र शबैंवि.सं.प्लान.पीबीसी.परि. 26/09.80.00/1999-2000 में विनिर्दिष्ट की गई थी।

2. 28 मार्च 2000 के उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह सूचित किया जाता है कि जिन शर्तों के अधीन हाजिर वायदा संविदाएं (प्रतिवर्ति हाजिर वायदा संविदाओं सहित) निष्पादित की जाएंगी, नीचे प्रस्तुत हैं,

(क) हाजिर वायदा संविदाएं केवल (i) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों और (ii) राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों में ही की जाएंगी।

(ख) उपर्युक्त (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में अनुषंगी सामान्य बही खाता रखनेवाली बैंकिंग कंपनी, किसी सहकारी बैंक या किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती हैं।

(ग) ऐसी हाजिर वायदा संविदाओं का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के सहभागियों के अनुषंगी सामान्य बही खातों के जरिये या भारतीय रिज़र्व बैंक में भारतीय समाशोधन निगम लि. के अनुषंगी सामान्य बही खातों के जरिए किया जाएगा।

(घ) संविभाग में प्रतिभूतियों को वास्तविक रूप में धारित किये बिना विक्रय संबंधी कोई भी लेनदेन नहीं किया जाएगा।

(ङ) प्रतिभूति लेनदेन के बारे में प्रभावी और समय-समय पर जारी अन्य सभी अनुदेशों का अनुपालन।

(च) ये शर्तें प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 की धारा 29 क (के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों) के अंतर्गत जारी 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 185 (इ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट संबंधित शर्तें होंगी।

(संदर्भ : शबैंवि.पीओटी. 49/09.80.00/2001-2002 दिनांक 17 जून 2002)

मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना

कृपया आप 30 मार्च 2002 का हमारा परिपत्र शबैंवि.डीएस.पीसीबी.परि. 38/13.04.00/2001-02 देखें जिसमें बैंकों को 1 अप्रैल 2002 से अग्रिमों पर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनाने के लिए सूचित किया गया था।

2. इन अनुदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए हमसे बैंकों ने पूछताछ की है। इस मामले की जांच की गयी है और हम सूचित करते हैं कि 30 मार्च 2002 के हमारे निदेश शबैंवि.सं.डीआइआर. 5/13.04.00/2001-02 की मद (i) के अनुसार कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने / चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की मौजूदा प्रथा को फसली मौसमों से सहबद्ध किया जायेगा और मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने संबंधी अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे। बैंकों को उक्त निदेश के पैराग्राफ (ii) से (iv) में बताये गये अन्य अग्रिमों के संदर्भ में मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल 2002 से मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की पद्धति को अपनाने की परिकल्पना 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण-हानि के निर्धारण के लिए 90 दिन का मापदंड अपनाने तथा उसके परिणामस्वरूप ऋणकर्ताओं के खातों की **गहन निगरानी** के परिप्रेक्ष्य में की गयी थी। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2003 तक मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगायें और मासिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रथा 1 अप्रैल 2003 से अपनायें।

3. 1 अप्रैल 2003 से मासिक अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं **प्रशासित दरें** लागू होती हैं वहां बैंक की न्यूनतम उधार दर को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों के संबंध में उन्हें उपयुक्त रूप से पुनः सुसंबद्ध करना चाहिए (उधार दर निर्धारित करने के लिए उन्हें दी गयी स्वतंत्रता को देखते हुए) ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। अन्य सभी मामलों में भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी दर मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाये जाने के कारण मात्र से ही अधिक न हो जाये।

4. अल्प समय की फसलों एवं तत्संबंधी कृषि कार्यकलापों पर उपर्युक्त अनुदेश के लागू होने के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। यह सूचित किया जाता है कि बैंक अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों के संबंध में यदि ऋण / किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो वे ब्याज लगाने और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलापन और फसल कटने / बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें।

(संदर्भ : डीएस.पीसीबी.परि.3/13.04.00/2002-03 दिनांक 20 जुलाई 2002)

प्रयुक्त शब्दावली

अपतटीय	Off Shore	वर्तमान दिशानिर्देश	Present Guidelines
प्राधिकृत व्यापारी	Authorised Dealer	आनुपातिक भाग	Proportionate Portion
संयुक्त उद्यम	Joint Venture	हाज़िर-वायदा	Spot-Forward
पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनियां	Wholly Owned Ancillary Companies	मासिक अंतराल	Monthly Interval
		गहन निगरानी	Close Surveilance
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	Foreign Direct Investment	प्रशासित दरें	Administered Rates

हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य,
यों तो रुस और अमरीका,
जितना है उसका जन राज्य ।
बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूंगी असमर्थ,
एक भारती बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ ।

-राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

पुस्तक का नाम :	**बैंकिंग लोकपाल - एक विवेचन**
लेखक का नाम :	श्यामलाल गौड़
प्रकाशक :	हिमालया पब्लिशिंग हाऊस
पुस्तक पृष्ठ :	176
पुस्तक मूल्य :	390/- रुपये

इस दशक में हो रहे बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में ग्राहक सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज बैंक का ग्राहक अत्यधिक जागरूक और सचेत है, प्रतिस्पर्धा के इस युग में वह अपने बैंक से भी न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम और शीघ्रतम सेवा की अपेक्षा करता है और इसमें चूक होने पर वह उसका त्वरित समाधान भी चाहता है। बैंक से इस दृष्टि से संतुष्ट न होने पर या तो वह अपने बैंक से नाता ही तोड़ लेता है या अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करता है। अतः बैंकिंग लोकपाल को भी इस दिशा में त्वरित संतोषजनक कार्यवाही करनी पड़ती है। इसकी प्रक्रिया क्या है ? उसका सही उपयोग कैसे किया जाए ? इन बातों का बड़ा सटीक और सार्थक वर्णन श्री.श्यामलाल गौड़ ने इस पुस्तक में किया है। वैसे भी श्री गौड़ अनेक वर्षों से बैंकिंग, कृषि तथा ग्रामीण बैंकिंग विभाग से सम्बद्ध रहे हैं और गत 3 वर्षों से बैंकिंग लोकपाल योजना के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उन्होंने इस प्रणाली का बड़ी बारीकी और नजदीकी से अनुभव किया है। अतः बैंकिंग लोकपाल योजना में उनके प्रत्यक्ष अनुभव के कारण यह पुस्तक एक प्रमाणित और सारगर्भित सामग्री के रूप में सामने आयी है। इसे हम इस योजना का " प्रामाणिक दस्तावेज " कह सकते हैं।

इस पुस्तक को 8 अध्यायों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं :

(1) लोकपाल-अवधारणा और विकास
(2) भारत में बैंकिंग का उद्भव और विकास
(3) बैंक ग्राहकों की अपेक्षाएं और असंतुष्टि के क्षेत्र
(4) शिकायत निवारण - विधि व्यवस्था और वैकल्पिक मंच
(5) बैंकिंग लोकपाल योजना - 1995 - अंग्रेजी संस्करण सहित
(6) बैंकिंग लोकपाल योजना - 1995 और शिकायत निवारण - एक नजर में
(7) बैंकिंग लोकपाल योजना - 1995 समीक्षा और सुझाव
(8) बैंकिंग लोकपाल योजना - 1995 सवाल - जवाब

इन सभी अध्यायों में विषय को बड़े सुलझे हुए रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तक की भाषा सरल और सुबोध एवं गतिमय है। इस पुस्तक की एक और विशेषता है कि हर अध्याय के पश्चात कुछ विशिष्ट तकनीकी या कठिन हिन्दी शब्दों का अंग्रेजी में पर्याय भी दिया है जिससे पाठकों को इन विषयों को हिन्दी में समझने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी। पुस्तक की एक और विशेषता इसका अंतिम अध्याय है जिसमें प्रश्नोत्तर के रूप में पूरी प्रक्रिया और उनकी अवधारण को स्पष्ट किया गया है जो परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

पुस्तक में कुछ प्रूफ संबंधी त्रुटियां रह गयी हैं जो बार-बार आकर आंखों में खटकती हैं जैसे :

(i) रुप/फलस्वरुप, प्रतिबध्दता/सम्बध्द, प्रबुध्द/

परिवर्ध्दन, रुपान्तर, वृध्दि, बडी/बडे जुडा, निर्वहन, बढ, समयबध्द, शुरु अर्ध्दशहरी, थोडी संदर्भो कडी/पकडी, पडताल लडाई, नही, बढता/बढते/बढती/बढेगा, बढकर, सशक्तिकरण, जरुरी, यहा, उपसमिती, रूख, बढा, चढा/पढा, कठिनाईयों, बेंको/आंकडो, बैंकिंग, कहीं जाय/कहीं जाए सैकडों, कुरियर इंगलैन्ड, शर्ते (शर्तें) आक्रमाक (आक्रामक), जाए (जाएं) अधिकारीयो, करोड, मामलो/अनुसारण, दोंनों, मानदंडो, मामलें ढूँढा आदि। फिर भी, ये त्रुटियां नगण्य हैं।

(ii) कुछ शब्दों का प्रयोग भी अखरता है जैसे " उन्हें यहां सूक्ष्म में उद्धृत किया जा रहा है। या ' सूक्ष्म ' में अध्याय में विचार प्रकट किये जा रहे हैं। यहां सूक्ष्म नहीं 'संक्षेप ' का प्रयोग किया जाना चाहिए था।

(iii) ' बैठके ले सकता है ' यहा 'बैठकें कर सकता है ' होना चाहिए। इसी प्रकार ' एनपीए ' के लिए कहीं ' निष्क्रिय आस्तियां, कहीं ' 'अप्रयोज्य आस्तियां ' और कहीं ' अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियां ' शब्द का प्रयोग किया गया है।

(iv) यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए ' सार्वभौमिक बैंकिंग ' का प्रयोग किया गया है (समग्र बैंकिंग या व्यापक बैंकिंग) कहीं बेहतर शब्द है।

(v) ' ग्लोबलाइजेशन ', ' भौगोलीकरण ' शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि इसके लिए विश्वव्यापीकरण या जागतीकरण अधिक प्रचलित शब्द हैं।

इस प्रयास में श्री गौड़ द्वारा की गयी सेवा और श्रम को देखा जाए। श्री गौड़ ने बैंकिंग से संबंधित अनेक पुस्तकें हिन्दी में देकर इन विषयों में हिन्दी पुस्तकों के अभाव की काफी सीमा तक पूर्ति की है और हमें आशा है कि श्री गौड़ आगे भी हमें इसी प्रकार की उच्चस्तरीय पुस्तकें हिन्दी में देते रहेंगे।

- डॉ. रामप्रकाश सिंहल,
उप महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
आर्थिक विश्लेषण
और नीति विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई

पुस्तक का नाम :	**प्रबंध के सिद्धांत**
लेखक का नाम :	एल.एम. प्रसाद एवं राजेश कुमार
प्रकाशक :	सुलतान चंद एण्ड सन्स
संस्करण :	प्रथम 2002
पृष्ठ संख्या :	670
मूल्य :	175/- रुपये

हाल ही में नब्बे का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्व का रहा है। इस दशक के प्रारंभ में ही आधुनिक स्वरूप के आर्थिक सुधारों की शुरूआत हुई। दशक के मध्य तक पहुंचते-पहुंचते अर्थव्यवस्था में बदलाव अपना स्थान बना चुका था। सुधारों की दिशा अर्थव्यवस्था को खुला बनाने की रही है जिस में अर्थ प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख स्थान मिला। आर्थिक इकाइयों को सक्षम रूप में संचालित करने के लिए प्रबंध कला का योगदान उभर कर आया जिसके फलस्वरूप प्रबंध विषय पर साहित्य की मांग स्वाभाविक थी।

सुलतान चंद एण्ड सन्स दिल्ली द्वारा हाल में ही प्रकाशित " प्रबंध के सिद्धांत " नामक पुस्तक ने प्रबंध कुशलता को बढ़ाने की दिशा में योगदान किया है।पुस्तक की समीक्षा के दौरान पाया कि विषय की प्रस्तुति सुयोजित ढंग से की गई है। प्रबंध तंत्र के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक को कुल छः भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पाठकों का प्रबंध से परिचय होता है। शेष पांचों भागों में प्रबंध तंत्र की विभिन्न कड़ियों को अलग-अलग विषयों में बांटा गया है। ये पांच कड़ियां हैं - नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण। हालांकि पाठक को विषय सूची से " निर्देशन " नामक भाग को ढूंढने में कठिनाई होगी क्योंकि इसे दिखाया नहीं गया है। विषय सूची में पाठ संख्या 20 से 23 तक

"निर्देशन" से संबंधित हैं।

पुस्तक में विभिन्न विषयों को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है। अतः यह पुस्तक प्रबंध विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेगी। परंतु प्रत्येक पाठ के अंत में पाठ का सारांश न होने की कमी खलती है। छात्र द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पाठ के अंत में विषय-निष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नमालाएं उपयोगी हैं। पुस्तक में चित्रों, सारणियों व टेबलों का प्रयोग विषय को समझने व याद रखने में सहायक होगा। पुस्तक में प्रबंध विषय के विभिन्न विद्वानों व गुरूओं द्वारा विकसित अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें आधुनिक विचारधारा का भी समावेश मिलता है ; जैसे कि पाठ संख्या 2 में पीटर ड्रूकर के प्रबंध में योगदान को याद किया गया है। अब्राहम मासलो व डेविड मक्लेलैंड के प्रोत्साहन (Motivation) के ऊपर अवधारणाएं उल्लेखनीय हैं। प्रबंध के प्रत्येक अंश के आरंभ में एक पाठ मूलाधार के लिए सुरक्षित रखा गया है।

पुस्तक की विषय सामग्री की व्यापकता और पृष्ठों की संख्या (xiv + 669)को देखते हुए पुस्तक का मूल्य (रू.175/-) न्यायोचित है। कुल मिलाकर पुस्तक पढ़ने योग्य है और हिंदी भाषा के माध्यम से पाठक के प्रबंध ज्ञान को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

-श्री जसबीर सिंह
महा प्रबंधक (बैंकिंग)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय,
मुंबई - 400 001.

पुस्तक का नाम :	**भुगतान - प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया**
लेखक :	डॉ. दलसिंगार यादव एवं सुब्रत दास
प्रकाशक :	सुमिमु प्रकाशन, गंभीरपुर, आजमगढ़
विक्रय केन्द्र :	बी.डी.पी. पब्लिशर्स, इ -9-10 मनीष पार्क, फेज - 3 कोंढवे, पुणे - 411 048
पृष्ठ संख्या :	171
मूल्य :	300/- रुपये

" भुगतान - प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया " डॉ. दलसिंगार यादव एवं सुब्रत दास जो भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिकारी हैं, की कृति है। डॉ यादव ने "बैंक ऋण वसूली प्रबंध-विविध आयाम " एवं "कम्प्यूटर कौमुदी * " नामक पुस्तकों की रचना की है । यह पुस्तक भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत लिखी गयी है । पुस्तक में प्रणाली का महत्व, उसे त्वरित बनाने के लिए उसका मशीनीकरण करना व इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

पुस्तक पाँच अध्यायों में विभक्त है जिसमें भुगतान प्रणाली का विकास, सभ्यता के विकास के साथ बैंकिंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण,भुगतान के लिए प्रयुक्त सबसे प्राचीन माध्यम मुद्रा, व्यापारिक तथा परंपरागत लिखतों जैसे, चेक, ड्राफ्ट आदि का प्रचलन एवं उनकी उपयोगिता, भुगतान के लिए प्रयुक्त आधुनिक माध्यम - प्लास्टिक मुद्रा, नेटवर्किंग तथा कम्प्यूटरीकरण, देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (Real Time Gross settlement) आदि का सरल, सुबोध एवं प्रवाहमय भाषा में वर्णन है।

पहले अध्याय में "भुगतान प्रणाली और बैंकिंग " पर जानकारी है। इसमें मुद्रा प्रचलन, कागज़ी मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा प्रचलन और बैंकिंग की पृष्ठभूमि, संस्थागत भुगतान प्रणाली की शुरूआत एवं उसका ढाँचा, परक्राम्य लिखतों जैसे चेक, माँग ड्राफ्ट, बैंकर चेक इत्यादि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त समाशोधन के विभिन्न प्रकार - चेक, अंतरशाखा, बड़ी राशि, अंतर बैंक चेक, बाहरी केंद्रों के चेक भी बताए गए हैं। समाशोधन प्रणाली से जुड़े जोखिम भी इस अध्याय में जगह पाते हैं तथा इन जोखिमों को कम करने के उपायों का भी वर्णन है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, भारत में समाशोधन गृह एवं उनकी प्रक्रिया तथा एक सक्षम भुगतान प्रणाली की विशेषताएँ भी इस अध्याय में दर्शाई गई हैं।

दूसरा अध्याय " नेट वर्किंग और बैंकिंग प्रणाली " विविध नेटवर्किंग प्रणालियों के विषय में जानकारी देता है। इसमें बैंकनेट का विहंगावलोकन ; वीसैट नेटवर्क-विशेषताएँ, सुविधाएँ एवं संगठन ; भागीदारी नेटवर्क भुगतान प्रणाली (SPNs) अंतर्निहित सुरक्षा, प्रणालीगत सुरक्षा के उपाय, अन्य सुरक्षात्मक उपाय ; वित्तीय लेनदेन केन्द्र ; स्वचलित टेलर मशीन (ATM) - उसकी उपयोगिता, ग्राहकों को लाभ ; निकनेट, स्विफ्ट, इंटरनेट और भारतीय वित्तीय संजाल (INFINET) का वर्णन है।

तीसरे अध्याय में " भुगतान हेतु प्लास्टिक माध्यम " में क्रेडिट कार्ड, अफिनिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड तथा इलेक्ट्रॉनिक पर्स के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें क्रेडिट कार्डों का प्रचलन, क्रेडिट कार्ड प्रणाली के लाभ, उनके कारोबार में बाधक घटक, क्रेडिट कार्डों से संबंधित प्रबंध तथा प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल (पोस्ट) का विश्लेषण किया गया है। स्मार्ट कार्ड का विकास उनकी बनावट, उनकी किस्में (कांटैक्ट कार्ड तथा कांटैक्ट रहित कार्ड), सुपर स्मार्ट कार्ड, कार्डों में सुरक्षा व्यवस्था जिनमें प्रत्यक्ष और बनावट द्वारा सुरक्षा तथा वैयक्तिक पहचान सुरक्षा को भी बताया गया है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक चेक व इलेक्ट्रॉनिक नकदी का भी वर्णन है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डेबिट / स्मार्ट कार्डों पर दिए गए निदेश भी बताए गए हैं।

"इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और भुगतान " चौथा अध्याय है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ई.एफ.टी.) समस्या का केंद्र बिंदु, चेक छिन्नन (ट्रंकेशन), इमेज प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा अंतरण (इडेअं), चुम्बकीय स्याही संप्रतीक अभिज्ञान (माइकर), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा योजना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग (नामे) तथा इलेक्ट्रॉनिक समायोजन प्रणाली (रैपिड) का वर्णन है।

पाँचवा अध्याय "वास्तविक समय निपटान प्रणाली " (वासनिप्र - RTGS) के विषय में बताता है। इसमें वासनिप्र क्या हैं ? इस प्रणाली की शुरूआत, इसका निवल निपटान प्रणाली से संबंध तथा छोटी भुगतान प्रणाली का वास्तविक से एकीकरण का वर्णन है। पुस्तक के अन्त में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित आई.टी.एक्ट, 2000 की प्रतिलिपि (अंग्रेजी में) परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

पुस्तक सुरूचिपूर्ण और आकर्षक ढंग से प्रकाशित की गई है। चूंकि पुस्तक का विषय तकनीकी है, इसलिए इसमें परिभाषाओं का प्रयोग किया जाना स्वाभाविक है। इसलिए यह संभव है कि पुस्तक में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द कुछ पाठकों के लिए अपरिचित होंगे। लेखकों ने इस संभावना का ध्यान रखते हुए पाठकों की सुविधा के लिए प्रत्येक अध्याय में प्रयुक्त हिंदी पारिभाषिकों के अंग्रेजी पर्याय अध्याय के अंत में दिए हैं।

यह पुस्तक एक अद्यतन विषय से संबंधित है। विषय वस्तु को लेखकों ने सही रूप में प्रस्तुत किया है तथा जहाँ भी आवश्यक है, फ्लो चार्टों का प्रयोग किया है (स्थानीय चेकों का समाशोधन माइकर पूर्व प्रणाली - पृष्ठ 14, स्थानीय चेकों का समाशोधन - माइकर प्रणाली - पृष्ठ 15, चेक समाशोधन चक्र - पृष्ठ 16 तथा समाशोधन में समाधान की प्रक्रिया - पृष्ठ 17) ।

यह पुस्तक बैंक कर्मचारियों, वाणिज्य विषय के स्नातक स्तर के विद्यार्थियों तथा बैंकिंग सेवाओं में रूचि रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है।

यू.एस.पालीवाल
महा प्रबंधक एवं संकाय सदस्य
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी ? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक **मानदेय देने** की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम ८ टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज़ के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है,*** प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती,*** संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।***

पाठकों से

14 वर्षों से इस पत्रिका को आप पाठकों का स्नेह मिलता रहा है। जनवरी 2001 से इस पत्रिका को इंटरनेट पर डाल दिए जाने के बाद से हमें अपने पाठकों से इस आशय क़ी शिकायतें मिलने लगीं कि पत्रिका का मुद्रण क्यों बंद कर दिया गया है। इस संबंध में हम अपने पाठकों को बताना चाहेंगें कि यह पत्रिका **मुद्रित रुप में अब भी उपलब्ध है और इसका प्रकाशन बंद नहीं किया गया है।** बल्कि अब इसे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित रुप में " संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन " से अनुरोध करना होगा। आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें।

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक - मंडल

प्रबंध संपादक

सी.आर. गोपालसुंदरम

प्रधानाचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा

प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी

सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

डॉ सुरेश कुमार

उप महा प्रबंधक (राजभाषा) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई

श्रीमती सुलेखा मोहन

केनरा बैंक स्टाफ महाविद्यालय, बंगलूर

एम. एस. आनंद

उप मुख्य प्रबंधक, ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी

महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार

महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. प्रसाद

उप प्रधानाचार्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

यू. एस. पालीवाल

महा प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

पुष्पकुमार शर्मा

सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

सावित्री सिंह

प्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग

दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

प्रबंध संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मयूर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मुंबई - 400 001 में मुद्रित ।

इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध ।

गैर-निष्पादक आस्तियों के समाधान हेतु चुनिंदा देशों द्वारा हाल ही में की गई पहल

	देश 1	पहल 2
1.	जापान	यह अपेक्षा की गई है कि एन.पी.एल. (गैर-निष्पादक ऋणों) का समाधान तीन सालों के भीतर कर दिया जाए। एन.पी.एल. के अंतिम समाधान को बढ़ावा देने तथा उसे तेज करने के विभिन्न उपायों में बैंकों की अपनी आस्तियों के स्वमूल्यांकन में सुधार लाने के लिए विशेष निरीक्षण करना तथा समाधान एवं संग्रहण निगम की गतिविधियों में तेजी लाना शामिल है।
2.	थाईलैंड	थाई दिवालियापन अधिनियम 1998 में बना तथा बाद में उसे 1999 में संशोधित किया गया, कंपनियों के ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के लिए न्यायालय द्वारा नियंत्रित कानूनी व्यवस्था स्थापित की गई, न्यायालय से बाहर ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के समझौते के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये। कंपनियों के ऋणों की पुनः संरचना को प्रोत्साहित करने के लिए ऋणी-ऋणदाता तथा अंतर-ऋणदाता करारों के रुप में बाह्यकारी ढाँचा बनाया गया, 9 जून, 2001 को "थाई आस्ति प्रबंध कंपनी पर आपात डिगरी" दी गई है।
3.	चीन	नये जारी ऋणों की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन पर बल दिया गया तथा एक 'जवाबदेही की बाह्यकारी प्रणाली' शुरू की गई, ऋणोत्तर प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, विशेष वसूली दल बनाये गये, गैर-निष्पादक ऋणों की वसूली पर एक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करके उसमें सुधार किया गया, गैर-निष्पादक ऋणों को कम करने के लिए ऋण पुनर्संरचनात्मक साधनों का प्रयोग किया गया।
4.	कोरिया	गैर-निष्पादक ऋणों की भारी राशियाँ "कोरियाई आस्ति प्रबंध कंपनी (के.ए.एम.सी.ओ.) को बेच डाली गयी।" एफएलसी प्रणाली शुरू की गई तथा उसका विस्तार किया गया। यह प्रणाली भविष्य में ऋणों को चुकाने तथा गैर-निष्पादक ऋणों से निपटने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करती है। गैर-निष्पादक ऋणों के समाधान में गति लाने के लिए एक निगमित पुनर्संरचनात्मक माध्यम लागू किया गया है।
5.	पाकिस्तान	बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफआइ) से यह अपेक्षा की गई है कि वे पुनः अनुसूचित / पुनः संरचित ऋणों / अग्रिमों के लिए एक साल का प्रावधान करें। बैंकों को निदेश दिया गया है कि अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने का निर्णय उनके बोर्ड द्वारा ही लिया जाए। सक्षम प्राधिकारी के सामने बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व कम्पनी की आर्थिक हालात आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादक ऋणों की पुनः संरचना / उनको परिसमाप्त करने के लिए कंपनी तथा औद्योगिक पुनः संरचना निगम (सीआइआरसी) की स्थापना की गई है।
6.	केन्या	एक "ऋण संदर्भ एजेन्सी" गठित की गई है जहाँ बैंकों के बीच, अशोध्य ऋणियों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकता है, कानूनी व्यवस्था को सुधारने की पहल की गई, बैंकिंग क्षेत्र से गैर-निष्पादक आस्तियों को समामेलित करने हेतु एक "गैर-निष्पादक आस्ति वसूली ट्रस्ट" के सृजन का प्रस्ताव रखा गया है।
7.	चेक	राज्य के स्वामित्ववाले तीन बड़े बैंकों के गैर-निष्पादक ऋणों के अधिकांश भागों को, संकटग्रस्त आस्तियों के प्रबंध तथा उनकी वसूली के लिए सरकार द्वारा स्थापित सुविधा "कोन्सोलिडेवनी बैंका" (केओबी) को अंतरित किया गया। परियोजना के प्रायोगिक चरण में केओबी ने 500 मिलियन यूएस डालर के गैर-निष्पादक ऋणों की नीलामी की, संशोधित दिवालियापन अधिनियम सहित अनेक कानूनी सुधार प्रस्तुत किये गये। राज्य के स्वामित्व वाले पुनरुद्धारण एजेन्सी ने आठ बड़ी औद्योगिक कंपनियों को संगठनात्मक तथा पुनः संरचना हेतु चुना है।
8.	मेक्सिको	सरकारी बाँडों के बदले भारी मात्रा में गैर-निष्पादक ऋण केन्द्रीय बैंक को अंतरित किये गये।

साभार - भा.रि.बैं. वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक 19 जुलाई 2002 को संपन्न हुई। इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री डॉ. शरदकुमार और एस. मौर्य का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और बी.सी.सोनावणे का सहयोग प्राप्त हुआ।
बैं प्र म का फैक्स नंबर 430 38 82

' करोड़ो लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है । मैकाले ने शिक्षा की, जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी । उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं सुझाना नहीं चाहता । लेकिन उसके काम का यही नतीजा निकला है । .... यह क्या जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इन्साफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़े । बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा बोल नहीं सकूँ ! दूसरे आदमी को मेरे लिए तरजुमा कर देना चाहिए । यह कुछ कम दंभ है । यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है' इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूँ या अपना ? प्रजा की हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी, बल्कि हम लोगों पर पड़ेगी ।'

हिन्दस्वराज

--महात्मा गांधी

(सन् 1909 में लन्दन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय जहाज पर
यह पुस्तक लिखी गई थी ।)

गांधी जी की 1909 में लिखी उपर्युक्त पंक्तियां आज सन् 2002 में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी तब थीं ।